राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 1] ग्यारहवीं विधान सभा के पहले सत्र का आठवां दिवस [संख्या : 4

सोमवार,

11 जनवरी, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल । प्रश्न संख्या 16.

विधान सभा क्षेत्र बानसूर के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

16. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : क्या मुख्य (चिकित्सा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कुल कितने स्वास्थ्य केन्द्र हैं और उनमें कहां-कहां मेल या फीमेल नर्स लगे हुए हैं ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में नर्सों के कुछ पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो अब उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जाएंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर के स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची पुरुष एवं महिला नर्सों के पदस्थापन सहित संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त क्षेत्र में नर्स के पद रिक्त नहीं हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने आपको खुशकिस्मत समझूंगा कि जो विधान सभा का ग्यारहवां सदन गठित हुआ है उसमें मेरा पहला क्वेश्चन है और उसका जवाब भी मुख्य मंत्री जी को देना था, परन्तु वे अपने साथी से क्वेश्चन का जवाब दिलवा रहे हैं। आपने जो जवाब दिया है उस संदर्भ में मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री जी ने उनके पास जो विभाग है उनका प्रश्नों के उत्तर और संसदीय कार्य के लिए बंटवारा कर दिया है। पूर्व में हमेशा ऐसी व्यवस्था रही है....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई आपत्ति नहीं है। इन्होंने आपत्ति नहीं की।

श्री अध्यक्ष : मंत्रिमण्डल सामूहिक तौर पर विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है इसलिए किसी प्रश्न का उत्तर उसका जो विभाग है, इनको जो कार्यभार सौंपा है संसदीय कार्य का और प्रश्नों के उत्तर देने का, वह उद्योग मंत्रीजी को अधिकृत किया है इसलिए वे आपको उत्तर दे रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं समझ गया। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य केन्द्र या उप स्वास्थ्य केन्द्रों में क्या-क्या होना आवश्यक है ? मेरा दूसरा सवाल है, मुझे आप यह बताएं कि स्वास्थ्य उप केन्द्र नांगल भवानीसिंह, बास शेखावत और बामनबास, ये उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं या नहीं है ? यदि हैं तो इनमें कब से कर्मचारी काम कर रहे हैं और कौन–कौन कर रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मूल प्रश्न किया था वह नर्सेज के बारे में किया था मेल और फीमेल के बारे में, यह लम्बी लिस्ट है। माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र बानसूर के अंदर जो स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनके बारे में, इन्होंने जानकारी चाही थी। वहां पर नर्सेज के स्थान कितने रिक्त हैं, उसके बारे में मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार कोई भी स्थान इस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जो स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां पर रिक्त नहीं है, नम्बर एक।

आपने जो दूसरी बात पूछी कि वहां पर आपके स्टाफ की क्या पोजीशन है तो इनके यहां कुल इस वक्त ए.एन.एम. के पांच पद, एल.एच.वी. के दो पद और कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं जिनको कि हम शीघ्र नियुक्ति करने जा रहे हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, वहां कोई स्थान रिक्त नहीं है, यह मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने जो यह कहा कि रिक्त नहीं है, फिर माननीय सदस्य ने तीन स्थानों के नाम बताएं हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : तीन स्टेशन पूछे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। तीनों पद रिक्त नहीं हैं या तीन स्टेशनों पर कर्मचारी नियुक्त हैं ? आपके ए.एन.एम. हो चाहे नर्स हो, तीन स्टेशन नाम लेकर पुकारे हैं। आपने कहा कि सब जगह नियुक्तियां दे दी गई हैं, कहीं कोई पद रिक्त नहीं है। क्या इन तीन स्टेशनों पर पद रिक्त नहीं हैं ? यह रेलेवेंट सवाल है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है, श्रीमान्, आप अगर अपने प्रश्न को गौर करें, तो लिखा है कि विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कुल कितने स्वास्थ्य केन्द्र हैं और उनमें कहां-कहां मेल या फीमेल नर्स लगे हुए हैं। दूसरा है, क्या उस क्षेत्र में नर्सों के कुछ पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कब तक रिक्त पद भर दिये जाएंगे ? यह इनकी मंशा थी इस प्रश्न को पूछने की।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह तो बानसूर क्षेत्र में आता है, इनमें पद रिक्त

(श्री जगमाल सिंह यादव)

हैं या नहीं हैं यह बताएं । यह बताएंगे आप ? बानसूर के तीनों स्टेशन बताए हैं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपसे निवेदन किया कि इनके विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों के अंदर एक भी स्थान मेल या फीमेल नर्स का रिक्त नहीं है ।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नोट कर लें, आपको कहना चाहता हूं, आपके संयुक्त निदेशक को एक पत्र भेजा है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने संस्थापक-99/32, 1-1-99 । कल ही मैं पुनः जांच करके इस सदन में आया हूं । अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो यही बात है कि मेरा क्वेश्चन ही इन्होंने अधूरा दिया है । यदि आप मेरा मूल क्वेश्चन उठाकर देखें तो उसमें मेरा क्वेश्चन है-स्वास्थ्य केन्द्र और उप स्वास्थ्य केन्द्र । आपने केवल स्वास्थ्य केन्द्र का लिख दिया । उत्तर आपका पूरा आया नहीं । आपके पास अधिकृत लिस्ट है, माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरे पास जो लिस्ट है उसमें एक नांगल भवानीसिंह, एक बास शेखावत, एक बामनवास और हरसौरा में दाई का पद रिक्त है । ये चार स्थान रिक्त हैं । मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में ही ऐसा हो रहा है । यह तो आपने कल दी है कि इनका जवाब आप देंगे । बाकी अधिकारियों को मालूम था कि मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे। मुख्य मंत्री जी को भी जब ये अधिकारी गलत जवाब दे सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि इन अधिकारियों की क्या हालत होगी । ..(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो लिस्ट है उसमें तीन जगहों के मैंने नाम बताए हैं और आप कहते हैं कि इसमें सब स्थान भरे हुए हैं । तो जिस अधिकारी ने आपको गलत सूचना दी है उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो, प्रश्न लम्बा है, मैं पूरा पढ़ सकता हूं कि इनके यहां कितने स्वास्थ्य केन्द्र हैं, कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनमें कितने सैंक्शंड पद हैं, कितने पदस्थापित हैं । वह सूचना मेरे पास है, श्रीमन् । अगर आप चाहें तो मैं आपकी आज्ञा से पढ़ सकता हूं । आपने बामनवास की बात की, अध्यक्ष महोदय, बामनवास के अन्दर स्वीकृत पद एक है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपको प्रश्न स्वास्थ्य केन्द्र का पूछा है, उप स्वास्थ्य केन्द्र का नहीं पूछा । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य केन्द्र में सब चीजें आ जाती हैं, उप स्वास्थ्य केन्द्र भी आ जाता है ।

एक माननीय सदस्य : अभी माननीय मंत्री महोदय को उसकी जानकारी नहीं है । (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : एक आदमी प्रश्न करो । सारे एक साथ कैसे कह रहे हैं । सभी एक साथ सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उप स्वास्थ्य केन्द्र....(व्यवधान)..स्वास्थ्य केन्द्र में सारे आ जाते हैं, सब का कहना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मंत्री जी को स्वास्थ्य विभाग की ए बी सी डी का ज्ञान नहीं है तो मुझे बड़ा दुःख है। फिर जवाब देने के लिए क्यों खड़े हुए हैं ? उप स्वास्थ्य केन्द्र भी इसी में शामिल हैं, मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो उप स्वास्थ्य केन्द्र का भी मैं पढ़कर सुना सकता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उत्तर दीजिये न आप तो।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : आप खाली स्थान बता दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पढ़कर सुनाने से क्या, वह उत्तर तो मिल चुका है उनको।

श्री अध्यक्ष : अगर मंत्रीजी के पास उप स्वास्थ्य केन्द्र की सूचना है....(व्यवधान) आप सुनिये। हमेशा सप्लीमेंट्री जो पूछे जाएंगे, जो मेन क्वेश्चन है उसकी परिधि के अंदर आप सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, एंटायर डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पूछ सकते। इन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर स्वास्थ्य केन्द्र का पूछा है लेकिन क्योंकि मंत्रीजी के पास उप स्वास्थ्य केन्द्र की इन्फार्मेशन है तो मैं अनुमति देता हूं कि आप वह सूचना भी दे दें।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, यों तो समय आया होगा। मैं तो तीन का ही पूछ रहा हूं, यह सारा कहने की जरूरत ही क्या है। मैं भी समझता हूं कि सदन का बहुत कीमती टाइम है।

श्री अध्यक्ष : पूछिये आप।

श्री जगत सिंह दायमा : मुझे तो आप यह बता दें कि नांगल भवानीसिंह, बास शेखावत और बामनवास में उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं या नहीं ? और हैं तो यहां पर कौन कौन काम कर रहे हैं और कितने समय से काम कर रहे हैं ? अगर भरे हुए हैं तो बता दें आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो तीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम बताये हैं, मैं इनके बारे में जानकारी करके माननीय सदस्य को व्यक्तिगत रूप से इन्फार्मेशन एकत्र करके दे दूंगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : व्यक्तिगत क्या है ? फिर तो क्वेश्चन पोस्टपोन कर दीजिये। क्वेश्चन डैफर किया जाए। व्यक्तिगत बता देंगे। यह तो हाउस जानना चाहता है। व्यक्तिगत बता देंगे माननीय सदस्य को। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मूल क्वेश्चन स्वास्थ्य केन्द्रों का है।

श्री जगत सिंह दायमा : या तो इस क्वेश्चन को पोस्टपोन करें और पोस्टपोन करके फिर बताएं। यह तो अधूरा क्वेश्चन है। (व्यवधान) यह आपके अधिकारियों की दी हुई लिस्ट है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमान् आपका मूल प्रश्न जो मुझे प्राप्त हुआ है वह स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राप्त हुआ है, आपने उसके अन्दर उप स्वास्थ्य केन्द्रों का नहीं पूछा है। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, आप बार-बार सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं सदन को गुमराह नहीं कर रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : आप स्वास्थ्य केन्द्र की इंग्लिश बता दीजिये। स्वास्थ्य केन्द्र की इंग्लिश हैल्थ सेण्टर हुई, हैल्थ सेण्टर कौनसी संस्था हुई ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सदस्य, आप अंग्रेजी के विद्वान हैं। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : चाहे आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हों, चाहे सब सेण्टर हों, इन सबके बारे में पूछा गया है कि बानसूर विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र मीन्स हैल्थ सेण्टर जितने भी हैं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मर्जी आये जो कह रहे हो, तो उससे क्या होगा ?

श्री देवी सिंह भाटी : आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने खुद ने कहा है कि मेरे पास सारी सूचना है। (व्यवधान) जब सारी सूचना है तो आप बताएं तो सही कम से कम। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न जो पूछा जाता है, जो माननीय सदस्य इन्फार्मेशन मांगते हैं और उसमें एंटायर गामुट आप ओपन करना चाहते हो हैल्थ डिपार्टमेंट का, तो इसकी मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री देवी सिंह भाटी : बानसूर विधान सभा क्षेत्र का है।

श्री अध्यक्ष : बानसूर विधान सभा क्षेत्र में तीन या चार उप स्वास्थ्य केन्द्र के बारे में ये कह रहे हैं कि इनके पास में इस प्रकार की सूचना है। अगर यह सूचना मंत्रीजी के पास में है तो वे उत्तर दें और अगर सूचना नहीं है तो....

श्री जगमाल सिंह यादव : डेफर कर दें।

श्री अध्यक्ष : यह डेफर नहीं होगा क्वेश्चन। (व्यवधान) आप सुनिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत बता दूंगा इनको। यह सदन की....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य, इन्फार्मेशन प्रश्नकर्ता को दी जाएगी। यह एंटायर हाउस की प्रोपर्टी नहीं है। जो प्रश्न पूछा है उसमें अगर इन्फार्मेशन नहीं है तो माननीय मंत्रीजी इन्फार्मेशन दे सकते हैं बाद में।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : प्राइमरी हैल्थ सेण्टर, कम्युनिटी हैल्थ सेण्टर, सब सेण्टर, रेफरल सेण्टर, सब में अन्तर है। आपने सिर्फ स्वास्थ्य केन्द्र का ही पूछा है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अब स्वास्थ्य मंत्री बन जाओ तब आप कहना।

डा. करण सिंह यादव : मैं सदस्य के नाते कहना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मंत्रीजी सक्षम हैं जवाब देने के लिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इतने काम हुए हैं। (व्यवधान) कम से कम आप विशेषज्ञ हैं। (व्यवधान) आप हैल्थ सेण्टर को भी अलग अलग तोड़ दीजिये। हैल्थ सेण्टर में छोटे-छोटे सब सेण्टर, कम्युनिटी सेण्टर, सब सेण्टर-सब शामिल हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव :....लेकिन आपको इस काबिल समझा ही नहीं गया। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है कि सेण्टर-सब सेण्टर में क्या अन्तर है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप जवाब सुनें। अध्यक्ष महोदय, इन सब सेण्टर्स में जिन तीन के नाम लिये हैं आपने–बामनवास, नांगल, भवानीसिंह और बास शेखावत, यहां पर ए.एन.एम. के पद स्वीकृत हैं लेकिन वे ए.एन.एम. के पद रिक्त हैं। इनका जो मूल प्रश्न था वह नर्स और मेल नर्स का था। वहां पर ए.एन.एम.....

एक माननीय सदस्य : इनको नर्स और ए.एन.एम. में अन्तर ही पता नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेल नर्स और ए.एन.एम. में बहुत ज्यादा फर्क है।

श्री जगत सिंह दायमा : चलो, आपने इस बात को स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन यह बता दो कि कब से रिक्त हैं और कब भर देंगे? सवाल तो मेरे टेढ़े मेढ़े नहीं हैं। अगर यह सवाल भी नहीं पूछ सकते तो आप बता दो, पढ़ा दो मुझे कि यह पूछो। ये छोटे सवाल हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सारा कन्फ्यूजन था वह प्रश्न के आधार पर था। नर्सेज के कारण यह कन्फ्यूजन था। ए.एन.एम. और नर्सेज में बहुत फर्क है। (व्यवधान) अब आप कृपया मेरा उत्तर सुन लें। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि ये जो स्थान रिक्त हैं इनके विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, वे ए. एन.एम. के हैं, नर्सेज के कोई नहीं हैं। ए.एन.एम.

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

के जो पद रिक्त हैं उनको हम शीघ्र भरने की कार्यवाही कर देंगे, शीघ्र उनका पद-स्थापन कर दिया जाएगा।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मंशा है कि 50 साल की आजादी के बाद में भी ग्रामीण क्षेत्रों में फीमेल नर्सेज अभी तक नहीं लगायी जा रही हैं। वहां भी महिलाओं को प्रसव पीड़ा होती है, लेकिन दाई के वहां पर पद थे वे आप समाप्त कर रहे हैं। दाई के पद अब समाप्त कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि उनके ऊपर आप ए. एन.एम. लगाएंगे या नहीं लगाएंगे?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी सप्लीमेंट्री का उत्तर आ गया है। हालांकि ए.एन.एम. के बारे में आपने नहीं पूछा है लेकिन माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि वे पद रिक्त हैं। अब कब से रिक्त हैं, शायद यह इन्फार्मेशन इनके पास में नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : बी. जे. पी. के शासन से रिक्त हैं और कांग्रेस वाले भर देंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, नये मंत्री बने हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : कब तक भर देंगे, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : नियरर, मंत्रीजी ने उत्तर दिया है कि जल्दी से जल्दी भर दिये जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री मोहन लाल मोदी।

प्रश्न संख्या 17

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 18, श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर नियंत्रण

18. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने खाद्य पदार्थों की जमाखोरी रोकने हेतु छापे मारने का अभियान चलाया था? यदि हां, तो अब तक कितने छापे मारे और कितना खाद्य पदार्थ व अवैध अनाज जब्त किया गया, कितने प्रकरण किस-किस धारा में कहां-कहां दर्ज हुए और कितनों का सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने छापे मारने के आदेश कब एवं किसके आदेश से वापस लिये हैं?

(3) राज्य में खुले खाद्य तेलों की बिक्री का प्रतिबन्ध कब लगा और कब से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पुन: खुले खाद्य तेल बेचने की अनुमति सरकार ने दी है ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) सरकार ने खाद्य पदार्थों की जमाखोरी रोकने हेतु जिला कलक्टरों के माध्यम से एक सघन अभियान दिनांक 3-12-98 से शुरू किया था। उसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों में 1190 निरीक्षण किये गये। अभियान के दौरान 3080.1 मीट्रिक टन खाद्य पदार्थ जब्त किया गया। जिस जिस धारा में जितने जितने प्रकरण जहां जहां दर्ज हुए, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सघन निरीक्षण अभियान अवश्य चलाया गया, छापे मारने के आदेश न तो दिये और न वापस लिये।

(3) राज्य में खुले खाद्य तेलों की बिक्री पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, अत: पुन: प्रतिबन्ध खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, कि यह जो अभियान आपने चलाया, इस अभियान को चलाने के पीछे औचित्य क्या था, नम्बर एक ?

नम्बर दो-आपने यह बताया कि आपने 90 स्थानों पर 1190 निरीक्षण किये अलग–अलग जिलों में और इस हेतु आपने छापे मारने के बाकायदा आदेश दिये। क्या मैं पूछ सकता हूं कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां इसके अंतर्गत कोई भी कार्यवाही नहीं हुई और कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें कार्यवाही हुई ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपने इस दरम्यान मात्र आठ प्रकरण में एफ.आई आर. दर्ज क्यों करवाई जबकि आपने 1190 निरीक्षण किये हैं और 90 प्रकरण आपने दर्ज किये हैं एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट के सैक्शन 6(ए) के अंत–र्गत ? और आपने कोर्ट में चालान एक ही किया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इन छापों के दौरान आपने उन गोदामों पर भी छापे मारे जिनमें कई व्यापारियों का सम्मिलित खाद्यान्न था ? उसको एक का नाम लगाकर आपने उनके विरुद्ध कार्यवाही की। मेरा आपसे यह भी निवेदन है, कृपया इस बारे में भी बताएं कि आपने छापे मारने का अभियान बड़े जोर-शोर से प्रारम्भ किया, समाचार पत्रों में सुर्खियों में छपा, फिर क्या कारण था कि आठ तारीख को आप व्यापार संघ के अध्यक्षों को बुलाते हैं और उनके आगे घुटने टेक कर आप लिखित में यह कहते हैं कि भविष्य में छापे नहीं मारे जाएंगे ? कृपया इसका उत्तर दें। (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि गरीब अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा था, इसलिए जिन लोगों के पास भारी स्टाक निर्धारित तादाद से ज्यादा था, लाइसेंस से ज्यादा था, उनका निरीक्षण किया गया। जिनके पास

(श्री रामकिशन वर्मा)

ज्यादा माल पाया गया उन्हीं के ऊपर केस बनाया गया। इसका परिणाम आया कि मार्केट के अन्दर भाव नीचे आ गये और गरीब लोगों को जीवन-यापन का मौका मिला। सामूहिक जिन लोगों के पास खाद्य वस्तुएं गोदामों में थीं, उन पर निरीक्षण के दौरान माल पकड़ा। लेकिन जिस-जिस ने उसी समय यह बताया कि यह अलग अलग आदमियों का था तो वह दर्ज कर लिया गया और जो अपने आदमियों का नहीं बता सके उन सबको जब्त कर लिया गया और कार्यवाही चालू की गयी। निरीक्षण किया गया, उसकी जांच हुई और जो जांच में सही पाये गये, जैसे अजमेर का एक जांच में सही पाया गया उसके खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया गया। बाकी जिन लोगों के जांच के अन्दर नहीं पाये गये, उनके ऊपर अभी दुबारा भी चाहे जयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे चूरू हो, जहां-जहां जो पकड़ा गया, उनकी जांच चल रही है। जिन लोगों के पास से निर्धारित तादाद से ज्यादा सामान या माल पकड़ा गया, धारा 6(ए) के तहत कार्यवाही की गई है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ीलाल (बामनवास) : क्या यह सही है कि जयपुर में ओम इण्डस्ट्रीज के यहां 12000 क्विंटल दाल पकड़ी गई थी ? उसमें सोयाबीन भी पकड़ा गया था, सोयाबीन कितना था ?

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो हमारे लाइसेंस में आता है उसी के ऊपर केस बनाये गये हैं, जिनके पास तादाद से ज्यादा था।

डा. किरोड़ीलाल : नहीं, नहीं, आपने सोयाबीन पकड़ा है ओम इण्डस्ट्रीज के यहां, वह कितना पकड़ा है, वह बताओ आप।

एक माननीय सदस्य : यह अलग प्रश्न है।

डा. किरोड़ीलाल : नहीं, नहीं, अलग प्रश्न क्यों है ? एक ही प्रश्न है, अलग क्यों ? (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : आपने इसमें सोयाबीन का मेरे से पूछा भी नहीं है और ना ही यह प्रश्न के अन्दर है। यह अलग से प्रश्न है, आप अलग से मेरे से बात कर लें, मैं बता दूंगा।

डा. किरोड़ीलाल : मंत्रीजी, जस्ट ए मिनट, 12000 क्विंटल आपने दाल पकड़ी ओम इण्डस्ट्रीज के यहां, यह तो आपके पास होगा ?

श्री रामकिशन वर्मा : है।

डा. किरोड़ीलाल : उसमें सोयाबीन भी पकड़ी है, वह कितनी है ? कौन-कौनसी दाल है, यह बता दो, यह प्रश्न है।

श्री रामकिशन वर्मा : यह अलग प्रश्न है, आप मुझसे अलग बात कर लें, मैं मंगाकर आपको बता दूंगा कि कितनी पकड़ी।

डा. किरोड़ीलाल : नहीं, नहीं मंत्रीजी,

(डा. किरोड़ी लाल)

12000 क्विंटल दाल एक फर्म ओम इण्डस्ट्रीज के यहां पकड़ी है, कौन-कौनसी दाल पकड़ी है, वह बता दो ।

श्री रामकिशन वर्मा : हां, पकड़ी है, जो दाल पकड़ी है, उसका केस बना दिया .... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक पाइंटेड प्रश्न पूछा था कि क्या यह सही है ...

डा. किरोड़ीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह पूछ रहा हूं कि इसमें केस कब बना, वह केस बता दो । माननीय मंत्रीजी, आपने ओम इण्डस्ट्रीज का केस बनाया तो कब बनाया, एफ.आई. आर. कब दर्ज की, यह बता दो । आपने केस एक ही दर्ज कराया है, पूरे राजस्थान में एक केस दर्ज हुआ है अजमेर में । आप इसका जवाब दो, ऐसे मत बैठो । (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : आप ओम इण्डस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर ही केस बनाया गया है जिनके पास तादाद से ज्यादा खाद्य पकड़ा गया ।

डा. किरोड़ीलाल : मंत्री महोदय, जयपुर में कोई केस ही नहीं बना इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं । आखिर12000 क्विंटल दाल पकड़ी तो केस क्यों नहीं बना ?

श्री रामकिशन वर्मा : हां, बना है ना, जांच चल रही है तथा इसकी नीलामी के हमने आदेश निकलवा दिये जिला कलक्टर के माध्यम से । इसमें क्या दिक्कत है ? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं ? समझा दीजिये कि यह कहना चाहते हैं ।

डा. किरोड़ीलाल : इतना बता दो, तो फिर सोयाबीन कैसे पकड़ी ? सोयाबीन तो लाइसेंस फ्री है ।

श्री रामकिशन वर्मा : जो माल पकड़ा, उसका केस बना दिया, उसकी नीलामी की डेट निकाल दी । छुड़ा लेना । अगर वह सही होगा तो उसको वापस रीइस्टेट कर देंगे ।

डा. किरोड़ीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 12000 क्विंटल दाल पकड़ी है और 12000 क्विंटल में से सोयाबीन भी इन्होंने पकड़ा है । सोयाबीन लाइसेंस फ्री है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह किसलिए पकड़ा और कितना पकड़ा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो 12000 क्विंटल दाल पकड़ी वह इन्फोर्मेशन आप कहां से लाये ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह अखबारों में भी आया है, अखबारों में है ।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने दी है ? सवाईमाधोपुर में जो केसेज रजिस्टर हुए हैं वे 10 हैं । (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, सोर्स बताना, यह जरूरी नहीं है; सोर्स

(श्री अमराराम)

कोई कहीं से भी ला सकता है।

श्री अध्यक्ष : करौली में है या सवाई-माधोपुर में है ?

डा. किरोड़ीलाल : नहीं, जयपुर का प्रश्न है, ग्रोम इण्डस्ट्रीज, जयपुर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, जयपुर का पूछ रहे हो।

डा. किरोड़ीलाल : इनका जवाब दिलवाइये, साहब।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से...

डा. किरोड़ीलाल : हमारा प्रश्न तो अधूरा रह गया। गहलोत साहब, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता तो मैं हूं, मेरे प्रश्न का जवाब तो मिले।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह सदन की प्रोपर्टी है। किसी भी सदस्य का रखा गया प्रश्न है वह सदन की प्रोपर्टी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : निश्चित तौर पर, परन्तु मूल प्रश्नकर्ता मैं हूं। मैंने पाइंटेड प्रश्न को यहां उठाया है, अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय से पहले इसका जवाब दिलवाइये। मैं जानना चाहता हूं कि आपने आठ तारीख को व्यापार संघ से किस शर्तों पर लिखित में समझौता किया और क्या किया ? अगर आपने किया है तो उसकी प्रति सदन की पटल पर रखें।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ना तो हमने कोई समझौता किया और ना ही कोई लिखकर दिया। आपकी सूचना बड़ी असत्य और गलत है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास प्रमाण है, प्रमाण है। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। आपने व्यापारी संघ को आश्वासन दिया कि आइंदा आपके प्रतिष्ठानों के ऊपर कोई छापे नहीं पड़ेंगे। यह आपने लिखित में आश्वासन दिया है। यह यदि गलत था और अखबारों में छपा था तो क्या आपने उसका खंडन किया ? आपने जनता को गुमराह किया। सारे न्यूजपेपर्स में आता है कि आपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संघों के साथ में लिखित में यह आश्वासन दिया कि अब आपके ऊपर, आपके प्रतिष्ठानों के ऊपर कोई छापे नहीं पड़ेंगे। यदि यह गलत था, अखबारों में छपा तो आपने खंडन क्यों नहीं किया ? देखिये, एक तरफ व्यापारी इससे जुड़े हुए हैं तो आम जनता भी इससे जुड़ी हुई है। यदि इतना बड़ा समाचार गलत आया कि राज्य सरकार और विशेष तौर पर खाद्य मंत्रीजी ने उनको लिखित में आश्वासन दिया, तो आपको

(श्री देवी सिंह भाटी)

खंडन करना चाहिए था कि हमने इस प्रकार का कोई समझौता नहीं किया है। अब सदन को गलत सूचना देकर गुमराह कर रहे हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप पूर्व मंत्री रह चुके हैं, आप जानते हैं न तो मैं बोला हूं, न हमने कोई आश्वासन दिया है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : लाइसेंस को सोयाबीन कैसे पकड़ा ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता से आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं...

श्री देवी सिंह भाटी : आपने छापे क्यों बंद कर दिये, छापे चालू रखते। देखिये, यदि आपकी मंशा सही थी तो छापे अभी तक चालू रहने चाहिए थे।

श्री रामकिशन वर्मा : एक सघन अभियान चलाया था। छापे चालू हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आपसे नम्रतापूर्वक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जिस दिन छापे प्रारम्भ किए थे उस दिन भाव क्या थे और जिस दिन आपने यह लिखित में समझौता किया उस दिन भाव क्या थे, इन दोनों का अंतर स्पष्ट करिये सदन में ताकि हमको इस बात का अहसास हो कि आपके छापे मारने के दिन इस दाल का भाव यह था तीन तारीख के दिन और आठ तारीख के दिन इस चने की दाल का भाव यह हो गया और आज चने की दाल का भाव यह है। आप ने किस आधार से छापे मारने शुरू किये ? भाव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। इसके बाद सरकार अगर व्यापारियों के सामने घुटने टेक कर लिखित में दे दे, इससे ज्यादा राजस्थान की जनता के लिए और क्या शर्म हो सकती है ? (व्यवधान) इससे ज्यादा राजस्थान की जनता के साथ क्या अन्याय हो सकता है ? सरकार जो इतनी शक्ति रखती है वह लिखित में यह दे दे कि अब छापे नहीं पड़ेंगे, इसका मतलब लूटखोरी चाहे जितनी करो, यह सरकार ने लाइसेंस दे दिया क्या ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जिन-जिन लोगों के माल पकड़े गये उनकी पैरवी करना चाहते हो क्या सदन में ?

श्री रामकिशन वर्मा : सघन अभियान चलाया था। (व्यवधान) छापे नहीं थे। छापे मारना बंद किया भी नहीं, सघन अभियान चालू रहेगा। (व्यवधान) दो सौ रुपया टिन का भाव कम आ गया, दालों के भाव कम आ गये (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप बताओ कि तीन तारीख को भाव क्या थे और आज जिन्सों के भाव क्या हैं ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

महोदय, इस तरह ये सदन में टाइम को बरबाद कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं.... (व्यवधान) इनका यह प्रश्न पूरा हो गया, इनको बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आपके टाइम में जो दाम बढ़ गये थे वे सब गिर गये। जब दाम गिर गये तो रोक दिये गये। आप और सदस्यों के सवाल नहीं आने देना चाहते हैं। और भी सदस्य हैं जिनके सवाल लगे हुए हैं आज की तारीख में। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद (मांडल) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि छापों के बाद मार्केट में भाव जिस तरह नीचे गिरे हैं, इनके भाव अखबारों में भी आये हैं, यह सबको मालूम है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक मिनट, मुझे इजाजत दी गई है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सदन के समय को देखियेगा आप। एक प्रश्न के कारण पूरे अन्य सदस्यों के प्रश्नकाल के समय को बरबाद करना चाहते हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : ... चावल के भाव जो थे वह ग्यारह रुपये रह गये हैं ... (व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय अध्यक्षजी, आलू और प्याज का क्या भाव था पहले और अब क्या भाव है? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्षजी सप्लीमेंट्री पूछ लिये गये हैं, अब नैक्स्ट प्रश्न काल करिये आप।

श्री शंकरलाल अहारी : आलू और प्याज का क्या भाव था और अब क्या भाव है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से..(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्याज की जगह सेब खाओ। आपकी तो यही सलाह थी, प्याज की जगह सेब खाओ और काम चलाओ। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जिन जिन्सों के भाव के कारण से आपने छापे मारे और जो जिन्सें आपने पकड़ी थीं, उनके भाव बताओ। आलू और प्याज के छापे में कितना पकड़ा था आलू, यह बताओ ?

श्री रामकिशन वर्मा : कौन बता रहा है आलू-प्याज का भाव ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आलू और प्याज के भाव बताकर सदन को गुमराह कर रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : वर्माजी, आलू और प्याज का नाम मत लेओ. (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह कोई सब्जी मण्डी है जो आप भाव पूछ रहे हैं ? यह कोई सब्जी मण्डी नहीं है जो भाव पूछ रहे हैं । आप प्रश्न पूछिये ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : छापे की कार्यवाही होने के बाद प्रति दिन अखबारों के अन्दर रेटें आती रही हैं ; शायद माननीय सदस्यों को मालूम नहीं है ।

श्री खेत सिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि ये जखीराखोरों के पैरोकार हैं इसलिए ये बहुत जोर-जोर से बोल रहे हैं । और छापे मारे जाएंगे । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको आपत्ति क्यों है ? सही बात कही गई है, सही मानिये, इसमें आपत्ति क्यों कर रहे हैं आप ? सही बात है, जमाखोरों की पैरवी कर रहे हैं आप इतनी देर से । (व्यवधान) और माननीय सदस्यों का सवाल नहीं आये इसलिए बोल रहे हैं ।

श्री देवी सिंह भाटी : बगैर कोई कार्यवाही आप अभियान बन्द कर देते हैं इसलिए हम जानना चाहते थे कि ये बन्द क्यों कर दिये गये । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने छापे क्यों नहीं मारे थे ? आपने तो छापे नहीं मारे । आपके जमाने में कोई भी छापे नहीं मारे गये । जब छापा पड़ा तो लोग विचलित हुए, आपके पास आये; आपके पास प्रैशर के रूप में आये । (व्यवधान) ये काले धन के व्यापारी, ये कालाबाजारी करने वालों की आप पैरवी कर रहे हैं । (व्यवधान)

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े विनम्र शब्दों में आपसे पूछना चाहता हूं .... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले सुन लीजिये, आपका उत्तर दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपको उत्तर देना पड़ेगा । ऐसे नहीं चलेगा ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : जवाब देना चाहते हैं, आप सुनिये तो सही । सुनिये आप । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये, माननीय सदस्य । बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य : ये दो सौ करोड़ रुपये व्यापारियों ने जो....

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया ने जो सप्लीमेंट्री पूछा है आप उसका उत्तर दीजिये पहले । और कोई भी माननीय सदस्य इस तरह से खड़े होकर, चूंकि मंत्री जी जवाब देने में सक्षम हैं, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य और कठूमर से आने वाले माननीय सदस्य और माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य रतना राम, आप बीच में खड़े हो रहे थे, वे सक्षम हैं....

श्री जगमाल सिंह यादव : इनको धमकाओ साहब, ट्रेनिंग दिलवाओ इनको ।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, छापे मारने के पहले चावल के भाव चौदह रुपये थे ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) : आप मान रहे हैं छापे मारे हैं इसका मतलब ।

श्री रामकिशन वर्मा : छापे मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूं क्योंकि सघन अभियान से आप समझे नहीं । (व्यवधान) चने की दाल अठारह रुपये थी, सोलह रुपये आ गई । अरहर की दाल अड़तीस रुपये से तैंतीस रुपये आ गई । चीनी सोलह रुपये...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब बोलो आप ।

डा. किरोड़ीलाल : सोयाबीन, सोयाबीन । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप यह भी बताइये कि प्याज और आलू के भावों में कितनी गिरावट आई । बहुत आ गई है ।

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आलू और प्याज में गिरावट, जिस रेशो में आजपा में गिरावट आई उतनी गिरावट आ गयी । अठारह-बीस-चालीस रुपये का प्याज तीन रुपये किलो आ गया, पैंतीस रुपये का आलू तीन रुपये आ गया । ये दोनों के भाव हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डा. रामप्रताप ।

डा. रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने आपके माध्यम से जो बताया है कि खाद्यान्न की कीमतें बहुत ज्यादा थीं इसकी वजह से छापे मारे गये..

एक माननीय सदस्य : और पूछो ।

डा. रामप्रताप : मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनने का थोड़ा माद्दा रखिये आप । अध्यक्ष महोदय, अखबारों में जो सूचियां थीं उसके हिसाब से इनके छापों से पहले और छापों के बाद में खाद्यान्न के भाव में जितनी गिरावट आई है, यह मैं आपकी सूचना के लिए थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं । 30.11 तारीख का भाव है गेहूं का 600 से 800 रुपये और उधर 9.12 को है 600 से 800 रुपये । बाजरा का 450 से 475 और 450 से 475 । इसी तरह से मक्का का है 510 से 515 और इधर 12 तारीख को है 500 से 525 । ज्वार का भाव है 500 से 550 और 12 तारीख को फिर 500 से 550 । चावल का भाव है 800 से लेकर के 6100 और 800 से लेकर 6100 । खाद्यान्न के भाव में....

एक माननीय सदस्य : 6000 ?

डा. रामप्रताप : 6000 बासमती के

(डा. रामप्रताप)

होते हैं। जब कोई फर्क ही नहीं आया तो फिर छापों की मानसिकता क्या थी? दूसरा आपने फरमाया है....

श्री हरिसिंह (महुवा) : रिटेल प्राइस में आया है। ये होल सेल के प्राइस हैं।

डा. रामप्रताप : एक मिनट, सुन तो लें आप। अध्यक्षजी सुन रहे हैं। आप सुनिये थोड़ा। माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया है कि चीनी के दामों में गिरावट आई है। तीस तारीख को चीनी के दाम थे 1405 से 1535 रुपये और 12.12 को थे 1521 से लेकर के 1575। गुड़ के अन्दर था ...

डा चन्द्रभान : साल बदल गया।

डा. रामप्रताप : 500 से 570 रुपये और 12 तारीख को हुए 500 से 600 रुपये। इसी तरीके से गुड़ पेडी में 730 से लेकर के 770 रुपये और 625 से लेकर 800 रुपये। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर भी अगर दालों में कोई आठ आने, चार आने का फर्क पड़ा है तो इतने बड़े पैमाने पर छापे मारने के बाद में मेरे ख्याल से कोई विशेष भावों में फर्क नहीं पड़ा। दूसरी चीज मैं यह जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब आपने खाद्यान्न पर इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर छापे मारे तो क्या खाद्य तेलों के भाव बिलकुल सही थे? वह अप्रत्याशित....

डा. किरोड़ीलाल : नहीं मारा तो फिर क्यों ले लिया? मारने के बाद वापस क्यों ले लिया?

डा. रामप्रताप : एक मिनट। क्या उनके भाव अप्रत्याशित नहीं थे? अगर उनके भाव अप्रत्याशित थे तो उसके लिए आपने क्या कार्यवाही की? फिर उसके बाद में तीन करोड़ का माल आपने पकड़ा जयपुर के अन्दर, क्या एक छोटा अपराध था यह? जब इसका डायमेंशन इतना बड़ा था तो क्यों नहीं आपने इसकी एफ. आई. आर. लॉज करवाई? क्यों नहीं आपने स्पेशलकोर्ट में इसका चालान पुट अप किया? यह गम्भीर मामला है, अध्यक्ष महोदय। इसके साथ-साथ आपने इनके यहां छापे मारे हैं 7.12 को और उसके बाद में जब्ती की कार्यवाही आपने 13 तारीख को की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, बहुत ही गम्भीर मामला है, छह दिन तक आपके कर्मचारी वहां क्या करते रहे? इस बात का जवाब इस सदन को चाहिए कि छह दिन की देरी क्यों की गई? और उसके बाद में, 13 तारीख के बाद में आप उसकी इन्टरिम डिस्पोजल की कार्यवाही करने जा रहे हैं? 9 से लेकर 12 फरवरी को जब 12 हजार क्विंटल आपने जखीरा पकड़ा है, इतना बड़ा माल पकड़ा है उसके बाद में क्या यह आपका दायित्व नहीं था कि इसका इंटरिम डिस्पोजल इमरजेंसी मेजर्स के तौर पर इमीजियेटली किया जाता? आपने तीन महीने का, दो महीने

(डा. रामप्रताप)

का समय किस लिए दिया उस पार्टी को ? यह सवाल बहुत गम्भीर है, इसको लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार सही मायने में पारदर्शिता रखती है तो मेरे पास जो सूचना है उसके अन्दर सोयाबीन भी आपने 5–7 सौ क्विंटल पकड़ी है। सोयाबीन कौन से कानून के तहत आपने पकड़ी है ? कौन से लाइसेंस में पकड़ी है ? क्या यह ऑयलसीड है ? आप मुझे इतना ही बता दीजिये कि सोयाबीन ऑयलसीड है या दाल है ? मैं सिर्फ एक सवाल से संतुष्ट हो जाऊंगा, बाकी बाद की बात है। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में यह बात जानी चाहिए कि इतना बड़ा तीन करोड़ का माल पकड़ने के बाद में आपने एफ. आई. आर. सात लॉज कीं, आपने ई. सी. एक्ट में एक चालान पेश किया स्पेशल कोर्ट के अन्दर, तो क्या यह तीन करोड़ का मामला छोटा-सा था ? इन दो सवालों की जानकारी मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, छानबीन के तहत ही इतना टाइम लगा और छानबीन में जो पाये गये उनके खिलाफ हमने कोर्ट में केस दर्ज कर दिये। न तो हमने किसी की बात पर ध्यान दिया न हमारे निरीक्षक गये, न हमारे जी. एस. ओ. गये। कलक्टर के माध्यम से केस दर्ज किये गये।

एक माननीय सदस्य : समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं।

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के मुताबिक आपने ढाई घंटे में वे बोरियां गिन लीं। बोरियां ही गिननी थी छानबीन में क्या छानना था और क्या बीनना था, मेरी समझ में यह नहीं आता। इतना इमरजेंसी मैटर है आपने उसको इमीजियेटली कलक्टर से आदेश लेकर इंटरिम डिस्पोजल क्यों नहीं किया ? अगर आपकी नीयत थी कि इससे भाव नीचे गिरने हैं तो जनता के बीच में जाना चाहिए था। 12 हजार क्विंटल दाल पूरे जयपुर जिले को 15 दिन के लिए काफी है, क्यों नहीं आपने इसको निकाला ? 12-15 दिन तक आप जयपुर जिले के लिए इस 12 हजार क्विंटल दाल से फीड कर सकते हो। क्यों नहीं किया, इस बात को स्पष्ट किया जाए।

श्री रामकिशन वर्मा : पार्टी से बात की कि अगर अपने-आप यह बता सकते हैं....

डा. रामप्रताप : पार्टी से बात किस लिए की आपने ? क्यों बात की ?

श्री रामकिशन वर्मा : उनको मौका दिया कि वे ... (व्यवधान) ....

एक माननीय सदस्य : कितने करोड़ रुपयों में सौदा हुआ था... (व्यवधान)....

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, उनको मौका दिया कि आप अपना रिकार्ड

(श्री रामकिशन वर्मा)

लाकर बता दें कि किस-किस का है। वह बताया नहीं गया और एक ही जगह पकड़ा गया।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, उनको मौका दिया कि इतनी देर में नोट ले आओगे आप, तब इसका समझौता कर लेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : रिकार्ड तो छापे के दौरान ही सीज कर लिया जाता है, रिकार्ड छोड़ा थोड़े ही जाता है। रिकार्ड में हेराफेरी करने का अवसर थोड़े ही दिया जाता है, रिकार्ड बाद में थोड़े ही मंगाया जाता है, मंत्री महोदय। सामान के साथ ही रिकार्ड सीज कर लिया जाता है।

श्री मदन दिलावर : यह बताएं कि इस मौके पर नोट कितने आये ?

श्री रामकिशन वर्मा : तीन लोग हैं।

श्री अध्यक्ष : असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत विभिन्न आर्डर्स हैं और व्यापारियों के पास में स्टाक कितना रहेगा, यह भी उस आर्डर में निश्चित किया हुआ होता है। निश्चित तौर पर उन्होंने यह जांच की और जांच के बाद में पाया कि यह निर्धारित मात्रा के अन्दर उसके पास है तो उसका कोई कसूर नहीं है। प्रश्न यह रहा कि वह माल बिका क्यों नहीं पूरा का पूरा, तो वह तो बाजार में डिमाण्ड और सप्लाई के प्रिंसिपल के अनुसार काम करेगा। इसलिए छापे मारे हैं यह जानकारी करने के लिए कि यह असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के प्रावधानों की अनुपालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर निर्धारित मात्रा में उनके पास स्टाक है ...(व्यवधान)..

श्री मदन दिलावर : सरकार जवाब देगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, निर्धारित मात्रा में अगर उनके पास स्टाक है तो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अन्दर कोई भी कसूर नहीं किया है। और अपराध किया है तो उसको वायोलेट किया है। अब प्रश्न रहा सोयाबीन का, सोयाबीन के संबंध में इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि दाल है कि तेल है, यह माननीय सदस्य के पास इन्फोर्मेशन है क्या ?

श्री रामकिशन वर्मा : सोयाबीन की 570 बोरी—सोयाबीन का बीज दाल नहीं होता, दाल आपके यहां होती होगी.... (व्यवधान) ...उसमें तेल निकलता है। ....

डा. रामप्रताप : फिर कैसे सीज किया ?

श्री रामकिशन वर्मा : उसकी बोरियां पकड़ी गई हैं 570.

डा. रामप्रताप : किसकी ?

श्री रामकिशन वर्मा : सोयाबीन की।

डा. रामप्रताप : फिर कैसे आपने सीज

(डा. रामप्रताप)

किया ? जब ऑयलसीड है तो सीज किसलिए किया आपने ? कौन-से लाइसेंस के तहत किया आपने ? जब लाइसेंस फ्री है यह कमोडिटी तो फिर आपने जब्त क्यों किया ?

डा. किरोड़ीलाल (बामनवास) : लाइसेंस फ्री है।

डा. रामप्रताप : दाल-दूल में नहीं है, ऑयलसीड और ऑयल दोनों लाइसेंस फ्री हैं। तब आपने कौन से कानून के तहत 570 बोरियां सीज कीं ? मुद्दा यही है, यह आप मान रहे हैं खुद।

श्री रामकिशन वर्मा : हां, की हैं। क्यों नहीं की है ?

श्री देवीसिंह भाटी : कौन-सी धारा के तहत ?

डा. रामप्रताप : कौन-से कानून के तहत कीं आपने ?

श्री रामकिशन वर्मा : धारा नहीं, वह तो उसी में आया न, साहब।

डा. रामप्रताप : सीध में आ गया वह सारा पकड़ लो।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : परेशान करने के लिए, बातचीत करने के लिए, किसलिए, बताएं तो सही आप ?

डा. रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मुख्य मंत्री जी से आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि सदन के सदस्यों को इस बात का तो स्वागत करना चाहिए था कि नयी सरकार के गठन के बाद राज्य सरकार ने ये निर्देश जारी किये। महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अन्दर और पूर्ववर्ती सरकार उसको रोकने में पूरी तरह नाकामयाब रही थी, मैं समझता हूं कि एक हद पार कर गयी थी। ऐसे हालात में जब नयी सरकार का गठन हुआ तो एक निर्देश जारी हुआ कि हमें जिला प्रशासनों के माध्यम से-क्योंकि महंगाई का मुद्दा खाली राज्य से ताल्लुक नहीं रखता है, केन्द्र सरकार से भी ताल्लुक रखता है इसलिए आपकी भी सीमाएं थीं। मैं इस बात को मान सकता हूं पर हमारा कर्तव्य था कि हम लोग जो अपने स्तर पर कर सकते हैं, राज्य स्तर पर कर सकते हैं, जिला प्रशासन के स्तर पर कर सकते हैं डी. एस. ओ. के माध्यम से, उसमें कम से कम इतना इन्श्योर कर लें कि जिससे जितनी महंगाई कम हो सके उसको कम करने की कोशिश होनी चाहिए। और वह कोशिश की गई। अभियान के रूप में समझ लीजिये या चाहे एक प्रकार से जांच के रूप में समझ लीजिये, लेकिन ओवरआल उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंडिवीजुअल छापा मारा उससे कितना भाव कम

(श्री अशोक गहलोत)

हो गया । मैं समझता हूं कि उसका आम जनता में एक अच्छा संदेश गया । यही काम आप कर देते तो मेरे ख्याल से आज वह स्थिति नहीं बनती जो आज आपकी बनी है । मैं समझता हूं कि....

एक माननीय सदस्य : इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं ।

डा. किरोड़ीलाल : आपने छापे की कार्यवाही की यह तो स्वागत योग्य है लेकिन छापे की कार्यवाही वापस क्यों ली, हम तो यह कह रहे हैं । छापे की कार्यवाही वापस क्यों ली, हम तो यह कह रहे हैं ।

श्री मदन दिलावर : जिनके छापे मारे उनको छोड़ दिया । उनसे कितने रुपये मिले, माननीय मुख्य मंत्री महोदय बताएं । आपने छापे वापस बंद क्यों कर दिये ? (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह स्वयं ने स्टेटमैंट दिया था कि नयी सरकार के अन्दर इच्छा तो है लेकिन इच्छाशक्ति का अभाव है। इच्छा तो जाहिर कर दी कि ये छापे पड़ने चाहिए लेकिन जहां दबाव पड़ा संघों का, व्यापारियों का वहां आपने तुरन्त अपना जो आर्डर जारी किया था वह विथड्रा कर लिया । यहां इच्छाशक्ति का अभाव है । इसलिए आपकी नीयत में फर्क है यह हमारे पूरे सदन की चिन्ता है ।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं है । सरकार जखीराबाजों, जमाखोरों, कालाबाजारियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी । जो माननीय सदस्य हनुमानगढ़ से आये हैं उन्होंने भी कुछ मुद्दे उठाये हैं, अन्य सदस्यों ने भी उठाये हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं कि छापे के दौरान जो जखीरा पकड़ा गया उसमें अगर सरकारी कर्मचारी/अधिकारी के स्तर पर कोई कमी रही है तो मैं खुद उसकी जांच करवाऊंगा और पूरी सजा देंगे । (व्यवधान) .... आप लोग बैठिये । बात खत्म कर दें....

डा. किरोड़ीलाल : यह कमी तो आपके स्तर पर ही है, मुख्य मंत्री जी । सोयाबीन वाला महत्वपूर्ण है एक .... (व्यवधान) .... दूसरा ....

श्री रघुवीरसिंह मीणा (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, बैठाइये इनको ।

डा. किरोड़ीलाल : आपने यह आदेश दिया था कि 15 दिसम्बर तक उचित मूल्य की दुकानें .. (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : नेता महोदय बोल रहे हैं इनको बात तो कह लेने दीजिये । बैठिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सदन की परम्परा रही है कि जब मुख्य मंत्री (व्यवधान) ....

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): (व्यवधान) क्यों नहीं हमारे नेता को सुनना चाहते हो ? ग्राप भ्रष्टाचारियों से जुड़े हुए हो, ग्राप भ्रष्टाचारियों से मिले हुए हो। क्यों नहीं सुनने की क्षमता रखना चाहते ? बात करते हो। नेता जब बोलते हैं तो बोलने नहीं देते हो। ग्राप भ्रष्टाचारियों से मिले हुए हो।

एक माननीय सदस्य : आपकी सरकार तो व्यापारियों से मिली हुई थी।

श्री अध्यक्ष : ग्रासन पैरों पर। इस सदन की परम्परा रही है कि मुख्य मंत्री या प्रतिपक्ष के नेता जब बोलते हैं तो उनके बीच में व्यवधान नहीं डाला जाए। इस सदन की यह स्वस्थ परम्परा रही है। जब मुख्य मंत्री जी बीच में उत्तर दे रहे थे तो माननीय सदस्यों को उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिये, एक। दूसरा, आपस में ग्रगर माननीय सदस्य बात करेंगे तो जिस ग्रभिप्राय से यह प्रश्न पूछा गया है इसका हाउस में जवाब भी नहीं ग्राएगा ग्रौर एक प्रश्न के ऊपर जैसा कि प्रक्रिया ग्रौर कार्य सचालन का नियम 31 है, एक प्रश्न पर सप्लीमेंट्री पूछने के लिये ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट का समय लिया जाएगा ग्रौर ग्रगर एक प्रश्न पर ग्राधा घण्टा हो जाता है, 35 मिनट हो जाते हैं तो दूसरे माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर ग्राने से वे महरूम हो जाते हैं। इस-लिए माननीय सदस्य ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछें और सप्लीमेंट्री पूछें, लेकिन पहले सप्लीमेंट्री का राइट जिस माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा उसको है। उसमें बीच में ग्रगर ग्रापस में कोई बातचीत करेंगे तो प्रश्नकाल का जो महत्व है वह कम हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : जिस गाय को माल चराया बी.जे.पी. ने उसको दुहा कांग्रेस ने, कुल मिलाकर पीड़ा यह है। इन्होने जिनको माल चराया उनको कांग्रेस गवर्नमेंट ने दुह लिया है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : पैरवी किस की करना चाहते हैं, समझ में नहीं ग्रा रहा। सदन के ग्रन्य ग्रवेश्चन भी हैं।

डा. रामप्रताप : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय ग्रापने फरमाया है कि जमाखोरों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। (व्यव-धान) सीमा से माल ज्यादा होगा जब ही जमाखोरी लगाई जाएगी। जब सिवाय दलहन, वालों ग्रौर खांडसारी के कोई चीज स्टाक में नहीं है तो ग्राप जमाखोरी कैसे कहेंगे ? हम इसका स्वागत करते हैं, पूरा प्रदेश स्वागत करता है आपने जो कार्यवाही की लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का ग्रौर ग्रापका भी दायित्व है कि राज्य सरकार ने क्या लिख कर दिया है ग्रौर क्या ग्रखबारों में ग्राया है। कहां चले गये थे मुख्य मंत्री जी उस वक्त ? हम चाहे कुछ भी कर रहे थे। मेरे को ग्रध्यक्ष जी ने बोलने का ग्रधिकार दिया, ग्रध्यक्ष जी ने ग्रभी मुझे इजाजत दी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : संरक्षण आपने दिया, ग्राप मंत्री होकर संरक्षण देते रहे। ग्राप खुद संरक्षण देते रहे ग्रौर ग्राज बात कर रहे हो।

डा. रामप्रताप : यह राजस्थान पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर आया है कि आपने लिखित में आश्वासन दिया। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप इनकी पैरवी करने के लिये थे या इनको बचाने के लिये थे ? (व्यवधान)

डा. रामप्रताप : अगर माननीय मंत्री जी ने कार्यवाही नहीं की तो क्यों नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर कार्यवाही की ? और अगर यह गलत है तो इसका खण्डन क्यों नहीं किया गया ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : लिखकर यह दिया है और.. (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : जमाखोरों और महंगाई ने ही आपका राज गंवाया क्यों भूल जाते हो आप। उनकी हमेशा रक्षा करते रहे आप। (व्यवधान) आवाज तो कभी उठायी नहीं, अब आप उनकी वकालत कर रहे हो। अच्छे कदम की सराहना करनी चाहिए आपको। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : जिन व्यापारियों के पास लाइसेंस के मुताबिक; सीमा के मुताबिक सामान है उनके ऊपर कार्यवाही नहीं की जाएगी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : छापे बंद क्यों किये गये; माननीय अध्यक्ष महोदय; इसका जवाब चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, व्यवस्था रखें।

डा. रामप्रताप : इस पर बयान आना चाहिये माननीय मुख्य मंत्री जी का, इस पर कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बता दिया कि इनको बंद करने का क्या कारण था।

डा. रामप्रताप : और इससे लाभ किसको मिला किसानों को मिला या किसको मिला, स्पष्ट किया जाए। पांच दिन तक किसान अपना माल मंडी में लिए बैठे रहे, उनका माल खराब हुआ। आपने हासिल क्या किया उससे, सदन को और पूरे प्रदेश को इसकी जानकारी मिलनी चाहिये (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : किसानों को लाभ हुआ इससे और सफाया हुआ इससे। आज आपको दुःख हो रहा है। भ्रष्टाचारियों के साथ आप लगे हुए हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य; आप आपस में क्या बात कर रहे हो ? टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य, मैं विनम्रता के साथ कहूंगा कि आपस में बात नहीं करें। प्रभारी मंत्री जी ने जिस अखबार में जो समझौते की जो बात आई है, इसका जो आप उल्लेख कर रहे हैं, उन्होंने इसका

(श्री अध्यक्ष)

उत्तर दिया है कि हमने इसमें कोई समझौता इस प्रकार का नहीं किया है।

श्री भवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो समझौते की तथाकथित बात आई है उसके बाद कितने छापे मारे आपने ? जो समझौता आपने किया उस समझौते के बाद कितने छापे मारे, वह बता दीजिए आप।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, अभी केबिनेट की मंत्री कमला जी यह कह रही हैं कि आप इंटरप्रेट दूसरा कर रहे हैं। समझौता हुआ है, लिखित में दिया है। लेकिन इंटरप्रेट दूसरा कर रहे हैं। कमला जी केबिनेट की मंत्री हैं, वे कह रही हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से कोई न कोई लिखित समझौता सरकार और व्यापारियों के बीच में हुआ है क्योंकि तीन दिन तक राजस्थान की मंडियों में हड़ताल रही और हड़ताल करने वाले व्यापारी संघों के साथ सरकार के प्रतिनिधि की वार्ता हुई ... (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : कोई समझौता नहीं हुआ। बार-बार आप गुमराह कर रहे हैं। और अगर है तो आप लाकर दिखा दीजिए। (व्यवधान) कोई समझौता नहीं हुआ।

श्री अमराराम (धोद) : इस सदन के बीच कमला जी ने खड़े होकर कहा है यह नहीं हो सकता एक मंत्री यह कहे और एक कहे कि समझौता नहीं हुआ है। राजस्थान की सरकार की रेस्पोंसिबिलिटी कम्बाइंड है।

श्री रामकिशन वर्मा : कह दिया हमने कोई समझौता किसी से नहीं किया।

श्री अमराराम (धोद) : रेस्पोंसिबिलिटी कम्बाइंड है। एक मंत्री कह रहे हैं कि इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं और (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप जिस समझौते का उल्लेख कर रहे हैं उसी का दूसरे अखबार में दूसरे दिन खंडन आया है कि इस तरह का कोई समझौता नहीं किया है कि छापे नहीं मारे जाएंगे, अभियान नहीं चलाया जाएगा।

श्री अमराराम (धोद) : कौनसे अखबार में ?

श्रीमती कमला : सिर्फ यह बात हुई है कि जिन व्यापारियों के पास लाइसेंस के (व्यवधान) आप सुनना क्यों नहीं चाहते ? आप सुनिए मेहरबानी करके, जो मैं कहना चाहती हूं। (व्यवधान) सुनने की चेष्टा करिए, सुनने की क्षमता रखिए।

मैं सिर्फ यह कहना चाह रही हूं कि जो बात हुई है, जो अखबारों में आई है उसमें सिर्फ यह बात हुई है कि जिन व्यापारियों के पास लाइसेंस के अंतर्गत, सीमा के अंतर्गत स्टाक है उनको कतई तौर पर तंग नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह कहे जाने के बाद-

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

शुरू कि किसी प्रश्न की सप्लीमेंट्री के लिये पांच मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा.... (व्यवधान) यह सदन का अपमान है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है कि यह जो समझौता हुआ उसके बाद कितने छापे मारे ? (व्यवधान) उस तारीख के बाद कितने छापे मारे गये ?

श्री जगमाल सिंह यादव : इसका जवाब मुख्य मंत्री जी से दिलवा रहे हैं, कमला जी से दिलवा रहे हैं या फूड मिनिस्टर से दिलवा रहे हैं ? सारे ही मंत्री बोल रहे हैं। आपने किसको निर्देश दिया जवाब देने के लिये ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न पर चालीस मिनट तक सवाल होते रहेंगे तो बाकी सवालों का क्या होगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है कि यह जो समझौते की बात आप कर रहे हैं, समझौता हुआ चाहे नहीं हुआ, उसके बाद कितने छापे पड़े, यह बता दीजिए। उस तिथि के बाद कितने छापे पड़े, यह बता दीजिए.... (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह अभियान चल रहा था, व्यापारियों का एक शिष्टमंडल मिला। मिलकर उन्होंने बातें कीं तो हमने भी उनसे यह कहा कि कार्यवाही करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि, साहब, कुछ हमारी भी खाल बचा लो, इस तरह की बात करो। जो दिया वह भी मैं पढ़कर सुना देता हूं :–

> "आज राजस्थान खाद्य व्यापारी संघ, जयपुर का एक शिष्टमंडल माननीय मुख्य मंत्री जी और खाद्य मंत्री जी से मिला। संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी परेशानियों के बारे में अवगत कराया। माननीय मुख्य मंत्री जी और खाद्य मंत्री महोदय ने शिष्टमंडल की भावना को ध्यान में रखकर उचित कार्यवाही की और कार्यवाही का आश्वासन दिया एवं सही व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को परेशान नहीं करने का भी आश्वासन दिया।"

और क्या चाहते हो ?

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, इसमें नई कौनसी बात है ? एक दूसरी बात, 15 तारीख को राशन की दुकानों पर जांच का लिखा है। राशन की दुकानों की जांच.... (व्यवधान) यह आदेश दिया, फिर यह बंद किसलिये किया ? आपने राशन की दुकानों का आदेश बंद क्यों किया ?

एक माननीय सदस्य : आपने परेशान किया है उनको।

डा. रामप्रताप : 15 दिसम्बर से जांच की जाएगी, ये आदेश आपने कैसे वापस लिये ?

डा. किरोड़ीलाल : राशन की दुकानों की जांच के आदेश दिये हैं लेकिन 15 दिसम्बर से अभी तक जांच चालू नहीं की। यह जांच क्यों नहीं प्रारम्भ की, इसका जवाब दीजिए। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : पाइंट ग्राफ इन्फारमेशन है। क्या अखबार के अन्दर छपे समाचार के आधार पर सदन के अंदर चर्चा की जा सकती है? क्या उसको प्रमाण माना जा सकता है?

श्री रतनाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल खत्म हो गया है। पूरे 12 बज गये हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : क्या इसके माध्यम से करोड़ों रुपये कांग्रेस पार्टी में जो खर्च हुए हैं वे वसूले गये हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर वसूले गये हैं? इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। करोड़ों रुपये जमाखोरों से वसूले गये हैं.... (व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री अमराराम (धोद) : क्या बात कर रहे हो? +++ पांच साल तक लूटने की छूट देती रही। अब कांग्रेस छूट दे रही है तो इनको तो कम से कम दुःख नहीं होना चाहिए। कांग्रेस जो छूट दे रही है वह अपना कमीशन बांध रही है लेकिन कम से कम बी. जे. पी. को तो यह नहीं कहना चाहिये कि व्यापारियों पर छापे पड़े। ये और डलवाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जनता को इस माध्यम से लूटा गया है, इसका विरोध है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा नहीं हुई है पूरी, न उत्तर आये हैं पूरे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पूरे उत्तर नहीं आये हैं इसमें। अभी पूरे उत्तर कहां आये हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो अभी पूरे उत्तर नहीं आये हैं। इसको स्थगित कर दीजिये। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह जो समझौता हुआ उसके बाद कितनी बार छापे मारे आपने? (व्यवधान) इसका जवाब कहां आया?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला सीकर के आबकारी ठकेदारों का बकाया प्रकरण

17. श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सीकर के आबकारी ठेकेदारों में सरकार की कितनी-कितनी राशि बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में नीमकाथाना ग्रुप के हिस्सेदारों में अब तक कितनी राशि बकाया है ? उक्त बकाया की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि शराब के ठेकेदारों के लिये अलग-अलग तरह की मदिरा की खरीद व बिक्री की दर निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चालू बन्दोबस्त वर्ष 1998-99 में माह सितम्बर, 98 तक की पूर्ण जमा हो चुकी है। माह अक्टूबर, 98 की राशि रु. 45.50 लाख एवं माह नवम्बर, 98 की राशि रु. 111 45 लाख, इस प्रकार कुल रु. 156.95 लाख बकाया है जो चालू बकाया (Running dues) है तथा विभाग द्वारा जमा करवाई जाती रहती है। बकाया राशि पर नियमानुसार ब्याज वसूल किया जाता है।

(2) मदिरा समूह नीमकाथाना की चालू बन्दोबस्त वर्ष 1998-99 में अक्टूबर, 98 तक की सम्पूर्ण राशि जमा हो चुकी है। माह नवम्बर, 98 की 17,90,000/- बकाया है जिसकी वसूली की कार्यवाही चालू ठेकों में नियमित चलती रहती है।

(3) मदिरा के ठेकेदारों को देशी मदिरा राजस्थान गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा संचालित गोदामों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निम्न दरों पर उपलब्ध कराई जाती है :—

क्र.सं.	मदिरा किस्म	रुपये प्रति ब.लीटर
1.	केसर कस्तुरी 5 यू.पी.	80/-
2.	गुलाब 40 यू.पी.	18/-
3.	सादा 40 यू.पी.	18/-
4.	प्लेन 60 यू.पी.	12/-

(आबकारी मंत्री)

भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर को क्रय करने की दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है।

राज्य में आब नीति के अनुरूप एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली स्थापित है। इस आधार पर अनुज्ञाधारी अपनी मदिरा अपने स्वयं द्वारा निर्धारित दर पर विक्रय करता है। इसमें राज्य सरकार द्वारा विक्रय दर निर्धारित नहीं की जाती है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला सीकर के रायल्टी नाके

15. श्री अमराराम (धोद): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर में बजरी/पत्थर के टैक्स का ठेका दिया गया है? यदि हां, तो उसमें किस दर से टैक्स लिया जा रहा है?

(2) क्या जयपुर जिले में भी इसी दर पर टैक्स लिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) सीकर के ठेकेदार को कहां-कहां पर टैक्स नाका लगाने की स्वीकृति दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि राजस्व जिला सीकर एवं झुंझुनूं से सम्बन्धित बजरी/पत्थर पर बिक्री कर वसूली का ठेकेदार श्री किशनसिंह पुत्र श्री शेतानसिंह, पोस्ट पुरनपुरा वाया लोसल, सीकर को दिनांक 20-6-98 से 30-6-99 तक की अवधि के लिये दिया गया है। ठेकेदार को रुपये 10/- प्रतिटन से कर वसूली हेतु अधिकृत किया हुआ है।

(2) जी नहीं। स्थान विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों एवं पूर्व में उद्गृहित किये जा रहे कर की वस्तुस्थिति को दृष्टिगत रखकर पृथक-पृथक स्थानों के लिये पृथक-पृथक दरें विनिश्चित की जाती है।

(3) सीकर जिले में —नीमकाथाना तहसील में गुहाला, कोटडी, सरोही नदी एवं कांवट। तहसील दाता रामगढ़ में रानोली, गौरिया, गोवटीलढाना, सुमेरामंढा। तहसील लक्ष्मणगढ़ में ग्राम लक्ष्मणगढ़। तहसील सीकर में ग्राम देवीपुरा, सांवली, दादिया, पीपराली, रेलवे स्टेशन सीकर एवं खूड़ी।

झुंझुनूं जिले में — भेरुघाट (उदयपुर वाटी), भैसावता एवं माणकसास पर नाका लगाने की स्वीकृति दी गई है। (सूची संलग्न है)

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

चुंगी समाप्ति के आर्थिक प्रभाव

16. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) राज्य सरकार द्वारा चुंगी समाप्त किस तारीख से की गई ? उक्त के कारण प्रति माह राज्य कोष पर कितना भार पड़ा है ?

(2) क्या यह सही है कि चुंगी समाप्ति के बाद बिक्री कर भी कम वसूल हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? एक जनवरी, 1998 से दिसम्बर, 1998 तक माह वार सैल्स टैक्स की वसूली का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1-8-98 से चुंगी कर समाप्त किया गया है। चुंगी समाप्ति के कारण नगरपालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगमों एवं ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों को चुंगी के बदले रुपये 24,69,63,000 व प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा पुनःभरण किया जा रहा है।

(2) यह सही नहीं है कि चुंगी समाप्ति के बाद बिक्री कर भी कम वसूल हुआ है। चुंगी समाप्ति के पश्चात् माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, 1998 की बिक्री कर की राजस्व आय रुपये 622.68 करोड़ हुई है जो गत वर्ष की आलोच्य अवधि की आय रुपये 555.98 करोड़ से 66.70 करोड़ अधिक है। वर्ष 1997 व 1998 में माह जनवरी से नवम्बर तक बिक्री कर से प्राप्त आय का विवरण निम्न अनुसार है :—

राशि लाखों रुपयों में

माह	वर्ष 1997	वर्ष 1998
1	2	3
जनवरी	16386.79	18489.58
फरवरी	14348.50	15673.77
मार्च	16688.52	17845.01
अप्रेल	13747.55	16377.32
मई	14918.98	15451.66
जून	14410.94	15361.15

(वित्त मंत्री)

1	2	3
जुलाई	15063.37	16671.50
अगस्त	12902.15	15365.73
सितम्बर	13082.42	14649.55
अक्टूबर	14591.99	16156.17
नवम्बर	15021.74	16096.13
योग	161162 95	178137.57

माह दिसम्बर, 1998 की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

अतारांकित प्रश्न संख्या–17

(स्थगित)

तहसील बस्सी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु लम्बित आवेदन पत्र

18. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण में अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के क्या नियम हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में जयपुर विकास प्राधिकरण में अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने हेतु कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ? उक्त तहसील बस्सी के किन–किन व्यक्तियों ने आवेदन किया और किस–किस को कब–कब अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण, में मास्टर प्लान में भूउपयोग के अनुसार चैक लिस्ट में विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर लैण्ड यूज जोनिंग कोड एवं इसके अन्तर्गत जारी गाइड लाइन के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिला कलक्टर एवं विभिन्न तहसीलों से प्राप्त प्रकरणों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं। चैक लिस्ट, लैण्ड यूज जोनिंग कोड एवं खनन स्टोन क्रेशर यूनिट के सम्बन्ध में जारी गाईड लाईन की प्रतियाँ (परि.अ,ब, स) संलग्न है।

(2) गत तीन वर्षों में जयपुर विकास प्राधिकरण में कुल 330 प्रकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त हुए। प्राप्त प्रकरणों

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

में तहसील बस्ती के कुल प्राप्त आवेदन पत्र एवं उनसे सम्बन्धित जानकारी संलग्न परिशिष्ट-द पर है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला चूरू हेतु प्रस्तावित आवास योजना

19. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में आवासन मण्डल की कितनी योजनाएं कौन-कौन से शहर में अपूर्ण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि आवंटियों को 5 वर्ष से अधिक समय कब्जा लेने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) चूरू में आवासन मण्डल की कितने मकान बनाने की योजना कब स्वीकृत हुई और इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत है ? उक्त योजना कब तक पूर्ण कर आवंटियों को कब्जा दे दिया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल कॉलोनी चूरू को सम्पर्क सड़क से जोड़ने हेतु पक्की सड़क का निर्माण भी अभी तक नहीं हुआ है । क्या सरकार उक्त सड़क बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में आवासन मण्डल की 127 योजनाओं का कार्य प्रगति में है। शहरवार सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) यह सही है कि कुछ प्रकरणों में आवंटी को आवंटन के पश्चात पांच वर्ष से अधिक अवधि तक कब्जा नहीं दिया जा सका। ऐसे प्रकरणों में मुख्यतः आवंटियों द्वारा आवासन मण्डल द्वारा मकान के पेटे मांगी गई राशि जमा नहीं करवाना, न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होना एव मण्डल में अभ्यावेदन आदि प्रस्तुत कर पुनः विचार हेतु विचाराधीन होना प्रमुख कारण हैं।

(3) चूरू में प्रथम चरण में 69 मकान बनाने की योजना 5-2-97 को स्वीकृत हुई, जिसकी परियोजना लागत 72.07 लाख एवं ऋण राशि हुडको से 51.96 लाख स्वीकृत हुई। आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा इनका आवंटन लाटरी के माध्यम से 18 जनवरी, 99 को किया जायेगा। आवंटन उपरान्त आवंटन पत्र के अनुसार मांग राशि जमा कराने पर आवासों का कब्जा दे दिया जायेगा। इसके अलावा 95 मकान और बनाने की योजना हुडको से दिसम्बर, 98 में स्वीकृत हुई, जिसकी परियोजना लागत 116.84 लाख एवं ऋण राशि रु. 94.02 लाख है। इस योजना का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ करना है।

(4) कालोनी को जोड़ने वाली सम्पर्क सड़क का डब्लू.बी.एम. का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। रिमेटलींग व कारपेटिंग के

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

कार्य को अब आवंटियों को कब्जा देने से पूर्व पूर्ण कर लिया जावेगा।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

परसरामनगर (जयपुर) का अनुमोदन प्रकरण

20. श्री हीरालाल (किशनगंज) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर रोड स्थित मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की परसराम नगर स्कीम नं. 5 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आवासीय स्कीम है ? यदि हां, तो यह स्कीम कब अनुमोदित हुई ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति ने उक्त स्कीम के नक्शे आदि जयपुर विकास प्राधिकरण में पेश नहीं किये थे ? क्या समिति की ओर से नक्शे पेश नहीं करने पर सरकार ने परसराम नगर स्कीम नं. 5 का नक्शा अपने स्तर पर तैयार करवा कर स्कीम को अनुमोदित की है ? यदि हां, तो उक्त अनुमोदित नक्शे की प्रमाणित प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कालोनी में नाली निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की परसराम नगर स्कीम नं. 5 बी पी. सी. द्वितीय की 44वीं बैठक दिनांक 1-3-85 में योजना तकनीकी दृष्टि से स्वीकार की गई है। बैठक दिनांक 1-3-85 में लिये गये निर्णय की छाया प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। अनुमोदित मानचित्र पर अंकित नोट Traced from the drawing obtained from individual society के अनुसार मानचित्र ट्रेसिंग तैयार किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत मानचित्र एवं अनुमोदित मानचित्र की प्रति संलग्न है।

(3) योजना में भूखण्ड स्वामियों द्वारा विकास शुल्क जमा नहीं कराया गया है। जबकि प्राधिकरण की नीति है कि सहकारी समितियों की स्वीकृत योजना में भूखण्ड स्वामियों द्वारा विकास शुल्क जमा कराये जाने पर विकास कार्य कराया जाता है। अतः विकास शुल्क जमा कराये जाने पर ही नालियों का निर्माण कराया जा सकेगा।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

उप स्वास्थ्य केन्द्र सांगानेर (जयपुर) का भवन निर्माण प्रकरण

21. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री

(श्री रामस्वरूप मीणा)

यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने जगतपुरा (सांगानेर) में राजकीय प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र को भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराई है ? यदि हां, तो कब एवं कितनी ? खसरा नम्बर एवं मानचित्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय के आस—पास जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि भी है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी एवं कौन-कौन से खसरे नम्बर की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भूमि पर बिक्री के आधार पर मेडिसिन व अन्य व्यापार के लिये जमीन/दुकानें बेचने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में कौन कौन से खसरे नम्बर में ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम मनोहरपुरा खसरा नम्बर 273 में से 3159.72 वर्गगज भूमि दिनांक 5-6-97 को निःशुल्क आवंटन की गई हैं। खसरा नम्बर एवं आवंटित भूमि का मानचित्र संलग्न है।

(2) जी हां। चिकित्सालय के आस-पास खसरा नम्बर 273 ग्राम मनोहरपुरा की भूमि है व चिकित्सालय के आस—पास 1200.00 वर्गगज भूमि उपलब्ध है।

(3) जी नहीं; वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण में इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र डेगाना की पेयजल योजनाएं

22. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पेय—जल की कुल कितनी योजनाएं कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंडवाला (डेगाना) में पेयजल की भयंकर समस्या है? यदि हां, तो सरकार इसके निवारण हेतु क्या कदम उठा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम गोल (डेगाना) में विभाग द्वारा दो ट्यूब-वैल खोदे जा चुके हैं ? यदि हां, तो अब तक ग्राम गोल में पेयजल की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जा सका है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(4) उक्त दोनों ग्रामों को नियमित

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

पेयजल कब मिलना शुरू हो जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) ग्राम मोरियाना (डेगाना) में और ग्राम चुआ तहसील डेगाना में पेयजल की क्या व्यवस्था है ?

(6) क्या यह सही है कि ग्राम ईटावड़ा भोजा एवं ग्राम मोरियाना में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो वहां पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पेयजल की 141 योजनाएं कार्यरत हैं । सूची परिशिष्ट-"क" में संलग्न है ।

(2) जी नहीं । वर्तमान में गांव पंडवाला में क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना भोगास खातसु के अन्तर्गत भोगास स्थित नलकूप से एवं गांव के एक गंवाई कुएं से लगभग 40,000 लीटर प्रतिदिन पेयजल वितरण किया जा रहा है ।

(3) जी हां । ग्राम गोल में विभाग द्वारा दो नलकूपों का निर्माण कराया गया था । वर्तमान में ग्राम गोल को इन दोनों नलकूपों से लगभग 35,000 लीटर प्रतिदिन पेयजल वितरण किया जा रहा है ।

(4) उपरोक्तानुसार

(5) ग्राम मोरियाना में 2 हैण्डपम्प चालू हैं व एक हैण्डपम्प परित्यक्त है । ग्राम चुआ तहसील डेगाना में जनता जल योजना के अन्तर्गत दो खुले कुएं से लगभग 20,000 लीटर प्रतिदिन पेयजल वितरित किया जा रहा है ।

(6) जी नहीं । ग्राम ईटावड़ा भोजा पारम्परिक जलस्रोत योजना से लाभांवित है । तथा योजना वर्तमान में चालू है । ग्राम मोरियाना में 2 नग हैण्डपम्प कार्यरत है एवं एक हैण्डपम्प परित्यक्त है । गांव की पेयजल योजना के सुधार हेतु संवर्धन योजना बनाया जाना प्रस्तावित है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील नगर एवं पहाड़ी (भरतपुर) हेतु पेयजल की आपूर्ति

23. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर के तहसील नगर व पहाड़ी में नागरिकों को किन-किन स्रोतों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ? स्रोत क्षमता व लाभान्वित क्षेत्र का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त तहसीलों में वर्तमान में पेयजल की अपर्याप्त आपूर्ति को दूर कर पेयजल सुलभ कराने के लिए क्या योजना है ?

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

(3) उक्त तहसीलों में फ्लोराईड व दूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों व असुविधा से छुटकारा दिलाने की क्या कोई योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र नगर की तहसील नगर व पहाड़ी में नागरिकों को हैण्डपम्प, नलकूपों व खुले कुओं इत्यादि जल स्रोतों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। स्रोत क्षमता व लाभान्वित क्षेत्र का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है ।

(2) उक्त दोनों तहसीलों के गांवों के लिये अपर्याप्त आपूर्ति के सुधार हेतु योजना का विवरण प्रपत्र-'ब' पर सलग्न है ।

(3) उक्त दोनों तहसीलों में फ्लोराईड व दूषित जल के कारण होने वाली किसी बीमारी की सूचना विभाग में प्राप्त नहीं हुई है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम कानरपुरा (जयपुर) की पेयजल योजना

24. श्री हीरालाल (किशनगंज) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर में फ्लोराईडयुक्त पानी है ? क्या उक्त पेयजल से ग्रामीणों के कई तरह की बीमारियां हो गई हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने उक्त ग्राम में टंकी का निर्माण कराया है ? यदि हां, तो उक्त टंकी निर्माण कार्य किस तिथि को पूर्ण कर दिया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि पानी की सप्लाई के लिए बिजली का कनेक्शन भी लगाया जा चुका है ? यदि हां, तो किस तिथि को ?

(4) क्या पानी की सप्लाई जारी किये बिना भी बिजली के मीटर का किराया आदि का भुगतान किया जाना होगा ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार ग्रामवासियों को दूषित जल से मुक्ति दिलाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु इस टंकी को पाइप लाइन से जोड़ कर शीघ्र पानी की सप्लाई कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम कानरपुरा में फ्लोराईडयुक्त पानी है जिससे ग्राम के कुछ व्यक्ति पीड़ित भी हुये हैं ।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा ग्राम में भूतल जलाशय का निर्माण कार्य दिनांक 31-12-98 को पूर्ण किया जा चुका है।

(3) पानी की सप्लाई हेतु नलकूप पर विद्युत कनेक्शन दिनांक 28-12-98 को विद्युत विभाग द्वारा चालू किया गया है।

(4) जी हां। नियमानुसार बिजली मीटर किराया आदि का भुगतान किया जायेगा, क्योंकि पाइप टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है जिसके लिये पेयजल उत्पादन किया जा रहा है।

(5) जी हां। विद्युत कनेक्शन जारी हो चुका है। पाइप लाइन टेस्टिंग का कार्य जारी है एवं शीघ्र ही ग्राम को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम झाजवाड़ (जयपुर) के हैण्डपम्प

25. श्री हीरालाल (किशनगंज) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हैण्डपम्प लगाने हेतु क्या सरकार ने कोई मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं ? यदि हां, तो कितनी आबादी पर एक हैण्ड पम्प की स्वीकृति होती है ? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम झाजवाड़ तहसील बस्सी जिला जयपुर में कितने हैण्डपम्प लगे हुए हैं ? उक्त हैण्डपम्पों में से कितने खराब हैं?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम के खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने का विचार रखती हैं ?

(4) क्या सरकार उक्त ग्राम में खराब हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्डपम्प स्वीकृत कर लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सामान्य जाति क्षेत्र में 1991 की जनगणना के अनुसार 250 की आबादी व अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्र में 150 तक की आबादी पर 1 हैण्डपम्प स्वीकृत किया जाता है। वांछित प्रति परिशिष्ट "क" पर है।

(2) ग्राम झाजवाड़ तहसील बस्सी में 8 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं, जिनमें से 2 हैण्ड पम्प परित्यक्त हैं।

(3) 2 हैण्डपम्प परित्यक्त हो चुके हैं, जिन्हें ठीक करना सम्भव नहीं है।

(4) राज्य सरकार की नीति के अनुसार अनु. जाति एवं जनजाति क्षेत्र के परित्यक्त हैण्डपम्प के स्थान पर नये हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं, इसी नीति के अनुसार ग्राम के परित्यक्त हैण्डपम्पों में से जमादार मोहल्ले के परित्यक्त हैण्डपम्प के स्थान पर नये हैण्डपम्प की

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। स्वीकृति पश्चात इसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक लगाया जाना संभव होगा इसी प्रकार गूजर मोहल्ले के परित्यक्त हैण्डपम्प के स्थान पर 32 जिला 32 काम के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से नये हैंडपम्प स्वीकृति प्रस्तावित की गई है। स्वीकृति के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

ग्राम कानरपुरा का वार्षिक वृत्ति प्रकरण

26. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : क्या मुख्य (देवस्थान) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मंदिर श्री सीतारामजी ग्राम कानरपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर की वार्षिक वृत्ति स्वीकृति का प्रपत्र 12(ख) आयुक्त देवस्थान, उदयपुर द्वारा जारी कर उसकी प्रति तहसीलदार चौमू को भिजवाई जा चुकी है? यदि हां, तो प्रपत्र 12 (ख) की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। मंदिर श्री सीताराम जी ग्राम कानरपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर के वार्षिक वृत्ति की स्वीकृति 12(ख) दिनांक 20-7-98 को जारी की जा चुकी है। प्रति सदन की पटल पर रखने हेतु संलग्न है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था

27. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या मुख्य (गृह) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधायकों की सुरक्षा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु क्या–क्या प्रबन्ध करने का विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 25 नवम्बर, 1998 को चूरू के विधायक को जान से मारने का प्रयास किया गया था? यदि हां, तो किसके द्वारा?

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 19 दिसम्बर, 1998 को विधायक चूरू के घर पर पथराव हुआ था? यदि हां, तो पुलिस द्वारा क्या–क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 17 दिसम्बर, 1998 को स्थानीय थाना अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था हेतु कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? यदि हां, तो क्या? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माननीय विधायक द्वारा सुरक्षा चाही जाने पर क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक व जोन अधिकारी से उन्हें मिली धमकी अथवा खतरे का आंकलन किया जाकर आवश्यकता होने पर उचित सुरक्षा प्रदान की जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली, चरू में अभि. सं.440/98 दि. 19-12-98 धारा 336, 427, 504, 147 भा.द.स. में दर्ज कर पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका, तथा अनुसंधान जारी है।

(4) जी नहीं।

थाना जसवन्तगढ़ (नागौर) में दर्ज प्रकरण

28. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या मुख्य (गृह) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुकदमा नं. 53/98 थाना जसवन्तगढ़ जिला नागौर में दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो किस किस्म का तथा उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि स्थानीय पुलिस द्वारा मामले में ढिलाई बरतने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक नागौर को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो कब तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई।

(3) उक्त मामले का अन्तिम रूप से निस्तारण कब तथा क्या हुआ और किस-किस मुल्जिम का चालान कब-कब हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 13-8-98 को श्रीमती संतोष देवी बेवा पत्नी रामू नाथ जाति नाथ निवासी दयालपुरा पुलिस थाना मौलासर ने अपनी पुत्री बिमला को दहेज हेतु मार कर कुएं में डालने बाबत उसके पति श्री उगमनाथ पुत्र मूरनाथ, सास श्रीमती गोदावरी पत्नी मूरनाथ, बहनोई प्रकाश नाथ पुत्र बनवारी नाथ के विरुद्ध अभियोग संख्या 53/98 धारा 498ए, 304बी भा.दं.सं. के अन्तर्गत थाना जसवन्तगढ़ में दर्ज कराया। प्रकरण के अनुसंधान से उक्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर दिनांक 23-12-98 को उनके विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) दिनांक 2-9-98 को परिवादी श्रीमती संतोष देवी व ग्रामवासी दयालपुरा द्वारा अभियोग में शीघ्र कार्यवाही हेतु परिवाद पुलिस अधीक्षक नागौर को पेश किया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक नागौर ने वृत्ताधिकारी डीडवाना को अनुसंधान दिनांक 7-9-98 तक पूर्ण करने के आदेश दिये।

(मुख्य (गृह) मंत्री)

(3) विवरण बिन्दु संख्या-1 के उत्तर में अंकित है ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट--7 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सड़क निर्माण कार्य

29. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में गत तीन वर्षों में किस-किस सड़क का निर्माण कार्य कृषि विपणन द्वारा कराया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? क्या सरकार अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा बस्सी क्षेत्र में गत तीन वर्षों में चार सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया है । वर्ष बार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष 1995-96

इस वर्ष बस्सी विधान सभा क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया गया ।

वर्ष 1996-97

1. सम्पर्क सड़क तुंगा से महादेवपुरा

2. सम्पर्क सड़क दूधली से झर वाया ढोलकों की ढाणी

वर्ष 1997-98

1. सम्पर्क सड़क बांसखो रेल्वे स्टेशन से पोतली वाया गूजरों की ढाणी

2. सम्पर्क सड़क जटवाड़ा बड़वा रोड से झाजवाड़

(2) जी हां । सम्पर्क सड़क तुंगा से महादेवपुरा का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । सम्पर्क सड़क दूधली से झर वाया ढोलकों की ढाणी 4 कि.मी. स्वीकृत थी, की बजाय 3.37 कि.मी. तक बन चुकी है एवं तीसरी सड़क बांसखो रेल्वे स्टेशन से पोतली वाया गूजरों की ढाणी 5.00 कि. मी. स्वीकृत थी, जिसमें से 3.56 कि.मी. बन चुकी है एवं शेष पर भूमि विवाद के कारण कार्य सम्पादित नहीं हो सका है । चौथी सम्पर्क सड़क जटवाड़ा बड़वा रोड से झाझवाड़ 2.20 कि.मी. का कार्य प्रगति पर है ।

विधान सभा क्षेत्र धोद (सीकर) के चिकित्सालयों में रिक्त पद

30. श्री अमराराम (धोद) : क्या मुख्य (चिकित्सा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अमराराम)

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद में स्वास्थ्य कर्मियों के कहां-कहां कितने समय से कितने-कितने पद रिक्त हैं ? उक्त क्षेत्र में कहां-कहां क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त रिक्त पद कब तक भर दिए जावेंगे ?

(3) क्या सरकार सामुदायिक भवन लोसल में एक्स-रे मशीन की स्थापना करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद में स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त पदों का विवरण मय रिक्त होने की अवधि के तथा क्षेत्र में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद पर पदस्थापन किया जा चुका है। लैब टैक्नीशीयन, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/प. क. कार्यकर्ता के रिक्त पदों को प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) बजट में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर राज्य सरकार विचार करेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट--8 देखें)

उचित मूल्य की दूकानों का निरीक्षण

31. श्री अमराराम (धोद) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में राशन वितरण की व्यवस्था समुचित है ?

(2) क्या सरकार ने राशन की दुकानों की जांच का प्रोग्राम तय करके निरस्त कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 5-12-98 द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण हेतु एक सघन अभियान चलाने के निर्देश जारी किये गये थे। यह अनुभव करते हुये कि सघन अभियान की बजाय निरीक्षण की कार्यवाही विभाग के प्रवर्तन स्टाफ द्वारा नियमित रूप से जांच कर की जा सकती है, दिनांक 14-12-98 के आदेश से उक्त सघन अभियान के स्थान पर नियमित जांच कराने के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में उचित मूल्य की वस्तुओं का वितरण

32. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कितनी मात्रा में केरोसीन, चीनी एवं अन्य खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? वर्ष 1995 से नवम्बर, 1998 तक का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार चीनी डीलरों का कमीशन बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कितना–कितना और कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में जितनी मात्रा में केरोसीन चीनी एवं अन्य खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराई गई, का वर्ष-वार संख्या विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) चीनी डीलरों का कमीशन केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। केन्द्र सरकार से संशोधन आदेश प्राप्त होने पर कमीशन बढ़ा दिया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

गजनाई लघु सिंचाई योजना में सड़क निर्माण

33. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गजनाई लघु सिंचाई योजना के निर्माण से पूर्व ग्राम पंचायत बीजागुड़ा से गजनाई एवं लाखा-खेल मेटल सड़क से जुड़े हुए थे? यदि हाँ, तो बांध निर्माण के बाद इन गांवों को पंचायत मुख्यालय तक क्यों नहीं जोड़ा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बांध निर्माण की योजना अनुसार इस सड़क निर्माण हेतु कितनी राशि रखी गई थी? उक्त राशि का उपयोग कैसे व किस प्रकार किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब सरकार बीजागुड़ा से गजनाई तक सड़क तथा नयी पुलिया निर्माण कब तक करा देगी?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) बांध निर्माण के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य का कोई प्रस्ताव ही नहीं था परन्तु सा.नि.वि. द्वारा गजनाई तक सम्पर्क सड़क का कार्य सुनिश्चित रोजगार के अन्तर्गत राशि 8.94 लाख का खर्च किया जा रहा है।

(3) उक्त सड़क का निर्माण सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत सा.नि.वि. द्वारा करवाया जा रहा है।

सुन्दरपुरा नहर (जयपुर) पर अतिक्रमण

34. श्री रामचन्द्र (जमवारामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामचन्द्र)

(1) जमवारामगढ़ बांध से निकलने वाली सुन्दरपुरा नहर की चौड़ाई कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नहर पर ग्राम खींवास में कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर पक्के कुए का निर्माण कर रखा है ? यदि हां, तो किस-किस ने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु ग्राम खींवास के नागरिकों ने सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग जमवारामगढ़ को प्रतिवेदन दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मुख्य नहर से निकलने वाली सुन्दरपुरा ब्रांच की तल की चौड़ाई आठ फुट है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) उक्त अतिक्रमण हेतु कोई प्रतिवेदन सहायक अभियन्ता जमवारामगढ़ कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है।

डेगाना (नागौर) के ग्रिड सब–स्टेशन

35. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्तमान में कुल कितने 33/11 के.वी. के ग्रिड सब स्टेशन कार्यरत हैं ? सूची ग्राम वार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने नये 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाये जाने प्रस्तावित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्तमान में निम्न ग्यारह 33 के.वी. सब स्टेशन कार्यरत हैं:—

क्र.सं.	सब स्टेशन का नाम
1	2
1.	गोरडी वाया डेगाना
2.	हरसौर
3.	डाबला

(ऊर्जा मंत्री)

1	2
4.	निम्बड़ी चांदावतान
5.	डूमोर
6.	सांजू
7.	बुटाटी
8.	डाढ़रिया कलां
9.	थांवला
10.	मेड़न्दा
11.	पालनियावास

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में निम्नलिखित पांच 33 के.वी. सब स्टेशन बनाये जाना प्रस्तावित है :—

क्र.सं.	प्रस्तावित सब स्टेशन का नाम
1.	बरणा
2.	ईडवा
3.	पेचरछाखुर्द
4.	डेहला
5.	अतिरोली

ग्राम खींवास (जयपुर) में नियम विरुद्ध विद्युत कनेक्शन

36. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकारी/गैरमुमकिन/सिवाय चक भूमि पर सरकार द्वारा किस आधार पर विद्युत कनेक्शन दिया जाता है ? निर्धारित मानदण्डों/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम खींवास तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर की गैर मुमकिन तलाई खसरा नं. 71 में कोई विद्युत कनेक्शन दिया हुआ है ? यदि हां, तो किस के नाम एवं किस आधार पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कनेक्शन अवैध/अनियमित तरीके से दिया हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत सम्बन्ध को विच्छेद करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मण्डल नियमानुसार घरेलू/अघरेलू/औद्योगिक कनेक्शन स्वामित्व या कब्जेदारी या किरायेदारी के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत एवं रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको की अनुशंषा व अनापत्ति प्रमाण-पत्र व किरायेदारों/कब्जेदारों को इण्डेमिनिटी बाण्ड के आधार पर जारी किए जाते हैं । कृषि कनेक्शन संबंधित पटवारी/तहसीलदार द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किए जाते हैं । आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है ।

(2) जी हां । ग्राम खींवास, तहसील

(ऊर्जा मंत्री)

समवारामगढ़ के अन्तर्गत एक 7.5 हार्स-पावर का औद्योगिक कनेक्शन श्री केदारनाथ पुत्र हर सहाय शर्मा के नाम से सरपंच ग्राम पंचायत नेवर द्वारा भूमि के स्वामित्व के प्रमाण-पत्र के आधार पर दिनांक 15-10-87 को जारी किया गया था। सरपंच, ग्राम पंचायत, नेवर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त विद्युत कनेक्शन नियमों के अंतर्गत ग्राम पंचायत के द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण-पत्र के आधार पर दिया गया था, फिर भी स्वामित्व संबंधी दस्तावेज आदि गलत पाये जाने पर मण्डल द्वारा नियमानुसार यथा उपभोक्ता से अतिरिक्त अमानत राशि की वसूली व इन्डेमिनिटी बॉण्ड भरवाये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

तहसील नगर व कामां (भरतपुर) के ग्रामों का विद्युतीकरण

37. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले के कौन से विद्युतिकृत गांव ऐसे हैं, जिनमें लाइन अभी तक नहीं खींची है ? अब उक्त ग्रामों को कब तक पूर्ण विद्युतिकृत कर दिया जायेगा?

(2) सरकार चालू वित्तीय वर्ष में तहसील नगर व कामां के किन-किन ग्रामों को कब तक विद्युतिकृत करने का विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में विद्युतिकृत घोषित ग्रामों में से 48 ग्रामों में लाइनें आंधी-तूफान से क्षतिग्रस्त होने/सामान चोरी होने आदि कारणों से नहीं खिंची हुई है। मण्डल के पास सीमित संसाधन होने के कारण ऐसे सभी ग्रामों का एक साथ कार्य किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः इसके लिए नीति निर्धारित कर वित्तीय संसाधनों के अनुरूप शनैः शनैः ही कार्य किया जा सकेगा। विद्युतिकृत ग्रामों में से जिन ग्रामों में लाइनें नहीं है, की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला भरतपुर की तहसील नगर व कामां के क्रमशः 11 एवं 2 ग्रामों को चालू वित्तीय वर्ष 1998–99 के विद्युतीकरण कार्यक्रम में विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित किया गया है। इन गांवों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। तहसील नगर के 5 तथा कामां के 1 ग्राम को अब तक विद्युतिकृत किया जा चुका है, शेष बचे गांवों को इसी वित्तीय वर्ष में विद्युतिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

दयालपुरा (जयपुर) की अव्यवस्थित विद्युत लाइन

38. श्री हीरालाल (किशनगंज) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दयालपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर की अनुसूचित जाति की बस्ती, जो रेल्वे लाइन के पास बसी हुई है, में विद्युत लाइन के तार ढीले हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या उक्त तार खम्बे की ताड़ टूटने के कारण ढीले हुए हैं ?

(3) क्या सरकार इन तारों को ताड़ लगवाकर खिचवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) अब उक्त तार कब तक खिचवा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम दयालपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर की रेल्वे लाइन के पास बसी हुई अनुसूचित जाति की बस्ती में विद्युत लाइन के तार विगत माह में ढीले हो गये थे।

(2) जी हां, पोल का स्टे-वायर टूटने के कारण तार ढीले हुए थे।

(3) जी हां, पोल के स्टेवायर (ताड़) लगाकर दिनांक 2-1-1999 को तार सही कर दिए गये हैं।

(4) उपरोक्तानुसार

तहसील क्षेत्र चूरू का विद्युतीकरण

39. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1997-98 में तहसील चूरू के कितने गांव/ढाणियां विद्युतिकृत करके उनमें कितने किलोमीटर एल. टी. लाइन खींची गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील चूरू के स्वीकृत ग्रिड सब स्टेशन घांघू, घीरासर, दुधवाखारा का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ हो जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि तहसील चूरू में किसानों व सामान्य उपभोक्ताओं के कनेक्शनों के डिमांड नोटिस जारी होना लम्बित है ? यदि हां, तो कब से और सरकार अब कब तक लम्बित डिमांड नोटिस जारी करने का विचार रखती है ?

(4) शहर चूरू व तहसील चूरू के ग्रामों के कनेक्शन हेतु कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं तथा इनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1997-98 के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में चूरू तह. का कोई भी ग्राम विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित नहीं था, लेकिन ग्रामीण विद्युतीकरण की ओ.ए. स्कीम के विद्युतीकरण बजट के अनु-

(ऊर्जा मंत्री)

सार ढाणी-सारणान में 0.5 कि.मी. एल. टी. लाइन खींची गई ।

(2) तह. चूरू में घांघू व धीरासर 33 के.वी सब स्टेशन का कार्य वर्ष 1998-99 के वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित है, जिनका कार्य इसी वर्ष शुरू करना प्रस्तावित है । दूधवाखारा में कोई जी.एस.एस. निर्माण हेतु प्रस्तावित नहीं है ।

(3) जी हाँ, तह. चूरू में घरेलू, अघरेलू श्रेणी के सितम्बर, 1998 से, कृषि (सामान्य श्रेणी) के मार्च, 1994 के बाद से तथा औद्योगिक आवेदन जुलाई, 1998 से लम्बित है । घरेलू, अघरेलू व औद्योगिक श्रेणी के लम्बित आवेदनों को माह फरवरी, 1999 तक मांग पत्र जारी करने के प्रयास किये जा रहे हैं । कृषि श्रेणी में लम्बित आवेदनों का निस्तारण निर्धारित कृषि कनेक्शन नीति के अनुसार किया जा सकेगा।

(4) तह. चूरू के, चूरू शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न श्रेणियों के लम्बित आवेदन पत्रों व जारी किये गये मांग पत्रों का विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्र.सं.	श्रेणी	चूरू शहर		चूरू ग्रामीण	
		लम्बित आवेदन पत्र	मांग पत्र जारी	लम्बित आवेदन पत्र	मांग पत्र जारी
1.	घरेलू	348	136	1031	315
2.	अघरेलू	52	6	62	15
3.	औद्योगिक	9	6	4	1
4.	कृषि	4	—	312	28
5.	जलदाय	1	1	—	—

जिन आवेदकों के मांग पत्र जारी हो चुके हैं उनके द्वारा मांग पत्र की राशि जमा कराने व अन्य औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने पर, संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार कनेक्शन दिया जाना संभव हो सकेगा ।

प्रगति एवं प्रेरणा संस्थान का पंजीयन प्रकरण

40. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या "प्रगति एवं प्रेरणा संस्थान" एवं "राजस्थान तकनीकी शिक्षा अनुसंधान परिषद्" के नाम से दो संस्थाओं का पंजीकरण उप रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो दोनों के पृथक्-पृथक् रजिस्टेशन नम्बर, कार्यालय का पता, तारीख, सदस्यों की सूची, उद्देश्यों एवं कार्यक्षेत्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संस्थायें अपने उद्देश्यों के अनुरूप ही कार्य कर रही है ? यदि हां, तो रजिस्ट्रेशन की तारीख से आज तक इन संस्थाओं ने क्या-क्या कार्य किये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त संस्थायें इसकी पास महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य भी रखती है ? यदि हां, तो प्रारंभ से आज तक कितनी बेरोजगार महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया है और वे कहां–कहां कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त दोनों संस्थाओं का पंजीकरण किया गया है। वांछित विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि, रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं को अधिनियमान्तर्गत ऐसी सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

(3) जी नहीं। वांछित सूचना के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं को अधिनियमान्तर्गत ऐसी सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

अकाल सहायता पर व्यय राशि

41. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1995 से 1998 तक कुल कितनी अकाल सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान की गई तथा उक्त राशि कब-कब एवं किस-किस मद में खर्च की गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार अब अकाल राहत कार्य कब से शुरू कर रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में कुल 36,509 लाख रुपये की राशि व्यय की गई तथा 1 अप्रैल, 98 से 2-1-99 तक 20310.6 लाख रुपये की राशि का आवंटन जिला कलक्टर्स को

(अकाल राहत मंत्री)

किया गया है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) विभाग द्वारा प्रभावग्रस्त क्षेत्रों में 1–10–98 से राहत कार्य चलाये जाने के निर्देश 30-9-98 को ही जारी कर दिये गये हैं।

(विवरण के लिए, कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी

42. श्री अमराराम (धोद) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्तमान में कितने प्रोफेसर्स, ऐसोसिएट प्रोफेसर्स, स्थायी असिस्टेन्ट प्रोफेसर्स एवं अस्थाई एडहोक असिस्टेन्ट प्रोफेसर्स कार्यरत हैं ?

(2) वर्ष 1985 में राजस्थान विश्वविद्यालय में कितनी संख्या में प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, स्थायी असिस्टेन्ट प्रोफेसर्स एवं अस्थायी/एडहोक असिस्टेन्ट प्रोफेसर्स कार्यरत थे ?

(3) वर्तमान में कितनी संख्या में प्रोफेसर्स, ऐसोसिएट प्रोफेसर्स, स्थायी एवं अस्थायी असिस्टेन्ट प्रोफेसर्स को प्रशासनिक पद, मानद पद, विभिन्न समितियों के समन्वयक एवं सदस्यों के पद प्रदान किये गये हैं तथा इनके उत्तरदायित्व क्या हैं ?

(4) उक्त पदों पर कार्यरत शिक्षकों को कितना मानदेय प्रदान किया जाता है, तथा इन्हें इन पदों के संदर्भ में कितना अतिरिक्त डी.ए. एवं टी.ए./ वाहन अथवा वाहन भत्ता प्रदान किया जाता है ?

(5) उक्त शिक्षक प्रशासकों को मानदेय के अतिरिक्त और अन्य क्या सुविधाएं (टेलिफोन, आवास, कर्मचारी आदि) प्रदान की जाती है ?

(6) उक्त मानदेय राशि एवं सुविधाओं पर राजस्थान विश्वविद्यालय में 1985 से 1998 तक प्रतिवर्ष कितनी राशि का व्यय किया गया है ?

(7) क्या ऐसे प्रशासनिक पदों पर राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा उन्हें कितना मानदेय दिया जाता है ?

उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की संख्या निम्न प्रकार है :—

प्रोफेसर	15
एसोसिएट प्रोफेसर	389
सहायक प्रोफेसर्स	340

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

1.	स्थाई	41
2.	तदर्थ	164
3.	न्यायालय के आदेश से	135

(2) सूचना एकत्र की जा रही है।

(3) विवरण सूची "अ" के रूप में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) उक्त पदों पर कार्यरत शिक्षकों को देय वाहन भत्ता की दरें निम्न प्रकार हैं :—

— संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्य/चीफ प्रोक्टर/छात्र कल्याण अधिष्ठाता को 300/- रुपये प्रतिमाह।

—संघटक महाविद्यालयों के उप प्राचार्य / चीफ वार्डन / एसोसिएट छात्र कल्याण अधिष्ठाता/एसो. प्रोक्टर-200/-रुपये प्रतिमाह।

—संघटक महाविद्यालयों के सहायक प्राचार्य/विश्वविद्यालय छात्रावासों के वार्डन एवं एसो. वार्डन्स-100/- रुपये प्रतिमाह।

—समिति के सभी सदस्यों को 25/- रुपये वाहन भत्ते के रूप में प्रत्येक बैठक पर आने पर दिया जाता है।

(5) विश्वविद्यालय में कार्यरत उक्त अधिकारियों को मानदेय/वाहन भत्ते के अतिरिक्त विश्वविद्यालय की ओर से स्वयं के निवास पर टेलीफोन सुविधा भी दी जाती है। स्वयं के फोन पर भी नियमानुसार पुनर्भरण की सुविधा दी जाती है।

शिक्षक प्रशासकों में केवल चीफ वार्डन वार्डन, असिस्टेन्ट वार्डनों को ही आवास सुविधा उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाती है। प्राचार्य महारानी एवं महाराजा कालेज के लिए आवास सुविधा है किन्तु वर्तमान में इस सुविधा का उनके द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है।

चपरासी की सुविधा किसी भी शिक्षक प्रशासक को उपलब्ध नहीं है।

(6) वर्ष 1985 से 1998 तक मानदेय एवं सुविधाओं पर व्यय की गई राशि का विवरण सूची "ब" के रूप में सदन के मेज पर रख दिया गया है।

(7) जी हां। विवरण सूची "स" के रूप में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

विश्वविद्यालयों का एक्रीडेशन

43. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

(1) क्या राज्य के विश्वविद्यालयों का एक्रीडेशन (रेटिंग व रैंकिंग) होता है ? यदि हां, तो राज्य के किन-किन विश्वविद्यालयों का एक्रीडेशन कराया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के विश्वविद्यालयों का एक्रीडेशन नहीं कराये जाने के क्या कारण है ? क्या सरकार अब कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय ने अभी तक एक्रीडेशन नहीं कराया है।

(2) एक्रीडेशन ऐच्छिक है अनिवार्य नहीं, जिसके कारण किसी भी विश्वविद्यालय ने अभी तक एक्रीडेशन नहीं कराया है। इस विषय पर विश्वविद्यालय ही निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

लाडनूं (नागौर) में होम्योपैथी चिकित्सालय

44. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम फिरवासी, तहसील लाडनूं जिला नागौर में होम्योपैथिक चिकित्सालय में क्या–क्या पद सृजित है, उन पर कौन-कौन कब-कब से कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालय में चिकित्सक व कम्पाउंडर का पद कब से रिक्त है ? उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

(3) क्या ग्रामवासियों ने इस सम्बन्ध में कई बार शिकायत भी की है ? यदि हां, तो कब-कब तथा उन पर क्या–क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, फिरवासी जिला नागौर में चिकित्सक, नर्स-कम्पाउण्डर एवं परिचारक का एक-एक पद सृजित है, जिन पर पदस्थापित कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है—

1. श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़, चिकित्सक पद पर दिनांक 17-10-96 से पदस्थापित।

2. श्री बाबूलाल, कम्पाउण्डर पद पर दिनांक 23-9-97 से पदस्थापित।

3. श्री श्रवणलाल माली, परिचारक पद पर दिसम्बर, 1985 से पदस्थापित।

(2) उक्त औषधालय में चिकित्सक व कम्पाउण्डर का पद रिक्त नहीं है।

(3) ग्रामवासियों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री देवीसिंह भाटी एवं 11 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जन प्रतिनिधियों की सुरक्षा एवं उन पर हो रहे हमले पर पुलिस प्रशासन द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दिनांक 6 जनवरी, 1999 को स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी।

इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से कल दिनांक 12 जनवरी, 1999 को वक्तव्य दिया जाएगा। स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर में 7 जनवरी को पानी छोड़ दिये जाने का आश्वासन दिये जाने के बाद भी 10 जनवरी तक पानी नहीं छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले की स्वीकृत सी.ए.डी. चक आबादियों एवं नव घोषित राजस्व ग्रामों में पेयजल हेतु बनी सेनिटरी डिग्गियों के समुचित रखरखाव के संबंध में।

(2) श्री रमेश चन्द खींची, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र कठूमर में खारे पानी की वजह से पेयजल की समस्या उत्पन्न होने के संबंध में।

(3) श्री जौहरी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय, सेठी कालोनी, जयपुर में सफाई ठेके में हुई कथित अनियमितताओं के संबंध में।

(4) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पेयजल की समस्या के संबंध में।

(5) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पेयजल से वंचित गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने के संबंध में।

(6) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से बड़ी सादड़ी में सरकारी आवास गृह एवं डाक बंगला बनाये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला पाली की सोजत पंचायत समिति के राजस्व गांव गजनाई को ग्राम पंचायत घोषित करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढने की अनुमति होगी। श्री भीमसेन चौधरी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपसे थोड़ी राहत चाहूंगा, वैसे आपका निर्णय शिरोधार्य है। जो इन्दिरा गांधी मुख्य नहर में बंदी मांगी गयी थी उसके लिए आपने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन यह विषय, अध्यक्ष महोदय, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन्होंने पहले 15 दिन की बंदी मांगी और जब तक राज्य सरकार की जानकारी आऐगी वहां स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। गत वर्ष भी विभाग ने बंदी ली थी और एक महीने तक पानी नहीं आया। यदि गेहूं, सरसों, चने को एक महीने तक पानी नहीं मिले तो बरबादी हो जाएगी, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहूंगा, चाहे दो मिनट के लिए भी दिन में जब भी कोई समय हो यह स्थिति स्पष्ट कर दें। क्योंकि तीन दिन और इन्होंने बंदी बढ़ा दी आगे और कल तक पानी छोड़ा नहीं गया था इसलिए मैं चाहूंगा कि सिंचाई मंत्री इसके ऊपर स्थिति स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सोइंग का सीजन चल रहा है। इसलिए मैं लम्बित नहीं रख रहा हूं लम्बे समय तक, मैं जल्दी सरकार से इसकी जानकारी प्राप्त कर लूंगा। मैं उसके बाद में व्यवस्था दे पाऊंगा।

श्री भीमसेन चौधरी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सी.ए.डी. बीकानेर की आबादी में बनी डिग्गियों का रख-रखाव

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मेरा प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। बीकानेर जिले में विभिन्न सी.ए.डी. की स्वीकृत आबादियों में करीब 300 सेनिटरी डिग्गियां बनी हुई हैं। इन डिग्गियों का निर्माण सी.ए.डी. से प्राप्त राशि से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा करवाया गया था। इन स्वीकृत आबादियों में से काफी आबादियां राजस्व ग्राम भी घोषित हो चुकी हैं एवं कई जगह ग्राम पंचायत मुख्यालय भी स्थापित हैं।

इन सेनिटरी डिग्गियों के नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी किसी विभाग के पास नहीं है एवं न ही रखरखाव हेतु किसी विभाग के पास बजट उपलब्ध है। इस अभाव में अधिकतर डिग्गियों में मिट्टी भरी हुई है, फिल्टर चोक होकर काम नहीं कर रहे हैं एवं स्वच्छ जलाशय गन्दे पड़े हैं। हैण्डपम्प भी नहीं लगे हुए हैं। इस क्षेत्र के निवासियों को दूषित पेयजल पीना पड़ रहा है। ग्राम पंचायतें यह कार्य करने में

(श्री भीमसेन चौधरी)

समर्थ नहीं हैं क्योंकि इनके पास न तो बजट है एवं न ही तकनीकी ज्ञान है। अतः इस समस्या के समाधान हेतु निम्न सुझाव हैं:–

(1) जो आबादियां राजस्व ग्राम घोषित हो चुकी हैं उनका नियमित रख-रखाव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अपने हाथ में ले। इस हेतु विभाग को करीब 10 हजार रुपये प्रति वर्ष प्रति डिग्गी बजट मंजूर किया जाए।

(2) जिन आबादियों की वर्तमान जनसंख्या 1500 से अधिक हो चुकी है उनमें पम्प एवं टैंक योजना लागू की जाए।

(3) डिग्गियों की स्थायी मरम्मत हेतु सी.ए.डी. विभाग प्रति वर्ष एकमुश्त राशि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्थानान्तरण कर दे ताकि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अपने स्तर पर ही यह निर्णय ले सके कि किस डिग्गी में क्या मरम्मत की जानी है ताकि टूटी हुई डिग्गियां ठीक हो सकें। स्थायी मरम्मत में, डिग्गियों व खालों से भरी हुई मिट्टी निकालना एवं हैण्डपम्प लगाना भी शामिल किया जाए।

(4) सभी डिग्गियों के फिल्टर्स का फिल्टर मीडिया भी प्रति वर्ष जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नया डाले ताकि नियमित स्वच्छ पेयजल मिल सके।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त सुझावों पर गौर कर लागू करवाएं ताकि समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान नहर के बाबत में जो मुद्दा उठा था उसकी सूचना देना चाहती हूं कि 8 तारीख को जो पानी चालू होना था वह पंजाब सरकार की किन्हीं आवश्यक मजबूरियों के कारण से चालू नहीं हो पाया था। वह आज चालू हो गया है और पांच हजार क्यूसेक्स पानी उसमें चल रहा है और बाकी सब चालू है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ राज्य सरकार को यह सूचित करना चाहता हूं कि 15 दिन की बंदी और फिर तीन दिन बाद में पानी छोड़ा गया है। इसमें हम जब तक 13-साढ़े 13 हजार क्यूसेक्स पानी नहीं छुड़वाएंगे तो टेल तक पानी नहीं पहुंचेगा और सारी वितरण प्रणाली के अन्दर कम से कम 10 दिन और लग जाएंगे पानी पहुंचाने के लिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार अपने स्तर पर यह कार्यवाही करे।

श्रीमती कमला : व्यवस्था की जा रही है, आप उसके लिए निश्चित रहें।

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार प्रति वर्ष ही ऐसे काम करती है। पंजाब सरकार प्रतिवर्ष ऐसे डिले करती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य रमेश चंद खींची।

विधान सभा क्षेत्र कठूमर में खारे पेयजल की समस्या

श्री रमेश खींची (कठूमर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत श्रीमान् जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कठूमर में पिछले काफी समय से खारे पानी की वजह से पेयजल की समस्या बनी हुई है जिससे जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

अतः माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि क्या कठूमर के समस्याग्रस्त गांवों को चिन्हित किया गया है ? यदि हां, तो कितने गांव चिन्हित किये गये हैं ? भविष्य में क्षेत्र को खारे पानी की समस्या से मुक्ति हेतु विभाग द्वारा कोई स्थायी कार्य योजना बनायी गयी है या नहीं ? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जौहरीलालजी।

जयपुर स्थित मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय के सफाई ठेके में अनियमितता

श्री जौहरीलाल (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यान मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय, सेठी कालोनी, जयपुर में सफाई कार्य हेतु दिये गये ठेके में बरती गयी अनियमितता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस प्रकरण में निवेदन निम्न प्रकार है :—

1. मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय, जयपुर द्वारा 24-7-98 को टेण्डर निकाल कर सफाई कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। उक्त कार्य हेतु 08 फर्मों ने निविदा भरी। निविदा की शर्तों के अनुसार चिकित्सालय में प्रतिदिन 20 सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने थे और सफाई सामग्री भी ठेकेदारों को ही उपलब्ध करानी थी। साथ ही निविदा की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि सम्बन्धित फर्म को अन्य चिकित्सालयों में सफाई का अनुभव होना चाहिए। उक्त आधार पर निविदा मांगी गई थी परन्तु जब ठेका देने का समय आया तो बिना अनुभव प्रमाण पत्र पर विचार किये ही मैसर्स राममोहन वर्मा एण्टरप्राइजेज को ठेका दे दिया गया। इस ठेकेदार द्वारा सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु उस अनुभव प्रमाण-पत्र पर किसी अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, न ही कार्यालय का प्रेषण क्रमांक है और न दिनांक है। एक प्रकार से प्रथम दृष्टि में ही वह फर्जी प्रमाण पत्र नजर आता है जिसकी शिकायत होने पर भी अधीक्षक, चिकित्सालय ने यह जांच करने की कोशिश नहीं की कि क्या यह प्रमाण पत्र सही है और क्या सम्बन्धित फर्म सफाई कार्य का अनुभव रखती है।

2. उपरोक्त फर्म को यह ठेका 26,500 रुपये में मय मजदूरी, सफाई सामग्री दिया गया है जबकि ठेकेदार को न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से प्रति कर्मचारी 44 रुपये प्रतिदिन भुगतान करना

(श्री जौहरीलाल)

है। इस हिसाब से 44×20×30–26,400 रुपये सिर्फ मजदूरी पर खर्च होगा। क्या फर्म झाड़ू, फिनाइल और अन्य सामान सिर्फ 100 रुपये में उपलब्ध करा पाएगी ? इससे स्पष्ट है कि फर्म द्वारा पूर्ण मजदूर उपलब्ध नहीं कराये जाएंगे। इसलिए इतनी कम दर पर दिया गया यह ठेका अव्यवहारिक है और अनियमित है।

इसका प्रमाण इस बात से भी प्राप्त होता है कि इस निविदा से पूर्व भी एक निविदा मांगी गई थी और उक्त निविदा को स्वयं अधीक्षक ने इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि जो दरें आयी हैं उनमें न्यूनतम वेतन देने के बाद सामान और लाभ के लिए कुछ भी नहीं बचता है और दरें अव्यवहारिक हैं। इस सम्बन्ध में अधीक्षक द्वारा 3-6-98 को पत्रावली पर आदेश किये गये तो प्रश्न यह उठता है कि अधीक्षक ने पुराने टेण्डर को निरस्त कर नये टेण्डर क्यों आमंत्रित किये और जिस आपत्ति के आधार पर उन्होंने पूर्व टेण्डर को निरस्त किया था उस पर पुनः टेण्डर दे दिये। इससे स्पष्ट है कि इसमें कहीं न कहीं गम्भीर अनियमितता हुई है। अतः मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस पूर्ण प्रकरण की जांच कराएं और वर्तमान ठेके को निरस्त कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए ताकि जनता में यह विश्वास बने कि यह सरकार उच्च स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कृत संकल्प है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामस्वरूप जी।

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती से जो माड़ एरिया के नाम से जाना जाता है, पानी पीने के लिए एक मात्र उपाय नल योजना ही है। कुओं में खारा पानी है एवं हैण्डपम्प में भी पानी खारा है। योजनाएं जो पहले कांग्रेस के समय से चल रही थीं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी सरकार आने पर बंद कर दिया गया। नई योजना जिसमें कैमरी की ढाणियों की योजना 67 लाख की है, इसमें मोहनपुरा से ट्यूबवैल लगाकर पानी देना है। ट्यूबवैल भी बन गये, पाइप भी बिछ गये पर आज तक लोगों को पानी नहीं दिया गया। पूरी गुर्जरवाटी प्यासी मर रही है। सरकार संवेदनशील आई है, महान मुख्य मंत्री बने हैं और निकम्मी सरकार चली गयी है, अब सरकार से मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस को अवश्य चलाएगी।

इसके साथ ही टोडाभीम कस्बे की एक योजना जो सरकार में विचाराधीन है, उसमें दो टंकियों का प्रावधान है पर पिछली सरकार उस योजना को बार-बार टालती रही। नगरपालिका एरिया, टोडाभीम की आबादी 60 हजार से भी ऊपर है, इस योजना को टंकियों सहित पिछली सरकार

(श्री रामस्वरूप)

ने इसलिए मंजूर नहीं किया कि वहां दोनों बार निर्विरोध नगरपालिका आयी है। अब आप अवश्य टंकी सहित इसे मंजूर करेंगे।

इसके साथ ही पांच ग्रामीण योजनाएं भी सरकार के पास विचाराधीन हैं जिसमें मायटा शेखपुरा, पहाड़ी, मडेंक भाड़ोसा है। इसके साथ ही क्षेत्र में ग्राम में एक टंकी भी बने 10 वर्ष हो गये पर आज तक पानी उसमें नहीं भरा गया और सरकार का 10 लाख रुपया बेकार चला गया। उक्त क्षेत्र में जी.एल.आर. भी काफी पड़े हैं।

अतः मैं इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन योजनाओं को स्वीकृत करवाकर चालू करें। साथ ही मेरे क्षेत्र की नादौती तहसील में सहायक अभियन्ता जो पहले भी अलग बैठता था, उसको संग बैठावें ताकि वहां पर पानी की व्यवस्था सुचारू चल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

एक माननीय सदस्य : माननीय रामस्वरूपजी, आपने भाषण दिया है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक विशेष लोक महत्व के मुद्दे पर उठाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आप फिर बाद में दे देना, पहले 295 पढ़ने दो। सूचना फिर बाद में दे देना। अध्यक्षजी ने मेरा नाम पुकार लिया है।

श्री अध्यक्ष : बाद में दे देना। नियम 295 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव आये हैं, पहले मैं उन माननीय सदस्यों को पुकार रहा हूं। आपने जो एक यह चिट दी है उसके संबंध में बोलना चाहते हैं?

श्री शैलेन्द्र जोशी : हां।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अवसर दूंगा, आप बीच में नहीं बोलें। पहले 295 के प्रस्तावों को लेने दीजिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : इन्होंने मेरा नाम पुकारा है।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं। नीमकाथाना में एक व्यक्ति ओमप्रकाश सांई नीमकाथाना को जिला बनाने के बारे में नौ दिन से आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। मैं आपके मार्फत इतना निवेदन करना चाहता हूं कि.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सदन में जो बात उठा रहे हैं उसके लिये मैं आपको 295 के प्रस्ताव पढ़ने के बाद अवसर दूंगा।

डा. किरोड़ी लाल : एक मौका मुझे भी दें। आवास विकास संस्थान के कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है। आवास विकास संस्थान के कर्मचारी भूखे मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने भिजवाया है न, आ जाएगा। श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

डेगाना विधान सभा क्षेत्र के पेयजल से वंचित गांवों में पेयजल की व्यवस्था

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य सचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डेगाना, नागौर के पेयजल की समस्या से ग्रस्त ग्रामों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना के कई ग्राम ऐसे हैं जिनमें पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। देश को स्वतंत्र हुए पचास वर्ष से अधिक हो गये तथा देश अब इक्कीसवीं सदी में जाने को अग्रसर है परन्तु फिर भी ग्रामीणों को पेयजल भी सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। डेगाना विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश भाग में खारा, फ्लोराइड युक्त पानी है जिससे आम नागरिक परेशान है तथा पशुधन को भी खारा पानी पीने को बाध्य होना पड़ रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गोल पण्डवाला, ईंटावड़ाभोजा, आकेली-बी, राताडूंडा आदि ऐसे अनेक गांव हैं जिनमें पेयजल का कोई स्रोत नहीं है, पेयजल की भयंकर किल्लत बनी हुई है। आने वाले गर्मी के मौसम में यह समस्या अत्यन्त उग्र रूप धारण कर लेगी। समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीणों एवं पशुधन के प्यासे मरने की नौबत आ जायेगी, ऐसी आशंका है।

अतः आपके माध्यम से मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कर पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि उपरोक्त ग्रामों को पेयजल सुलभ कराने हेतु नये नलकूप खुदवाकर इन ग्रामों को पेयजल से लाभान्वित कराने की कृपा करें। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी बिराजे हुए हैं, आप कुछ चमत्कार करेंगे, ऐसी उम्मीद है।

श्री रामसिंह बिश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के कई माननीय सदस्यों ने लूणकरणसर, बीकानेर, कठूमर, डेगाना, अलवर और टोडाभीम के माननीय सदस्यों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में पानी के बारे में समस्याओं का जिक्र किया है। कहीं पर पानी की डिग्गियों के मिट्टी से भर जाने की बात कही गयी है, कई माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र में पानी खारा होने की बात कही है और कई माननीय सदस्यों ने यह भी उल्लेख किया है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में योजनाएं बनी हुई नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अन्दर गांव और ढाणियों में पूरी स्कीम्स विभाग की बनी हुई हैं। यह बात सही है कि ज्यों-ज्यों पानी का दोहन प्रदेश में ज्यादा हुआ है,

(श्री रामसिंह विश्नोई)

पानी का स्तर नीचे चला गया है और कहीं पर प्रयास करने के बावजूद भी खारा पानी है। मीठा पानी सब गांवों में और सब क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है, यह बात सही है । तीन-चार माननीय सदस्यों ने जो अपनी समस्याओं को रखा है, मैंने नोट कर लिया है, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं अधिकारियों से बात करूंगा । मेरी जानकारी में भी है और मैंने जानकारी ले भी ली है । आप जो विकराल रूप बता रहे हैं, वैसी स्थिति तो नहीं है लेकिन यह बात सही है कि पानी की समस्या ज्यों-ज्यों गर्मी के दिन आएंगे, ज्यादा होगी । लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि समस्या आप जिस रूप में पेश कर रहे हैं, उसको मैं उसी अनुरूप में लेकर आपसे बात कर, आपके अधिकारियों को आपके साथ बैठाकर उन समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

बड़ीसादड़ी में सरकारी आवास गृह व डाक बंगले का निर्माण

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ीसादड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

माननीय, बड़ीसादड़ी उपजिला कलक्टर का कार्यालय है, साथ ही वहां मुंसिफ कोर्ट, ए.सी.जे. कोर्ट, रैफरल हास्पिटल है, तहसील मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय, कृषि उपज मण्डी, बिजली विभाग का ए.ईएन. सार्वजनिक निर्माण विभाग का ए.ईएन. तथा नगरपालिका का केन्द्र स्थान है, जहां प्रति दिन विभिन्न कामों के लिये सम्पूर्ण क्षेत्र की जनता आती रहती है । साथ ही इनसे संबंधित विभाग के बड़े अधिकारियों का भी आना जाना प्रति दिन होता रहता है। ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर इन अधिकारियों को जो वहां पर सेवारत हैं, रहने के लिये सरकारी आवास की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण अधिकारियों को अपने काम को सही ढंग से और न्यायपूर्ण कार्य करने में काफी परेशानियां महसूस होती है । साथ ही बाहर से आने वाले अधिकारियों को भी रुकने की कोई जगह उपलब्ध नहीं है । इसलिए मेरा यह आग्रह है कि यहां अधिकारियों को रहने के लिये सरकारी आवास की व्यवस्था प्रतिशीघ्र की जाए । साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एक डाक-बंगला बनाने की स्वीकृति जारी की जाए ताकि इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण कमी को पूरा किया जाए। एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर अभी साल भर पहले ही बना है ।

श्री हरिसिंह(महुवा) : आप आठ साल से क्या कर रहे थे, बनवा देते ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : बना ही अभी है, श्रीमान् ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप आज मिल रहे हो, आठ साल से क्या कर रहे थे ?

डा. किरोड़ी लाल : जो काम आप चालीस साल से छोड़ गये वे काम हम.. (व्यवधान)....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सदस्य, आठ साल से जो एस.डी.ओ. हैड क्वार्टर नहीं था, वह एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर बना है ।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : शिक्षा विभाग में कर-कर ट्रांसफर भट्टा बैठा दिया शिक्षा विभाग का । (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये तो भ्रष्टाचार कर रहे थे, अब आप कर दीजिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, एस.डी.ओ.; (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : जो काम आपने आठ साल में नहीं किया वह काम आप हमसे एक महीने में करवाना चाहते हैं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हुजूर, आप कुछ समझने की भी कोशिश करो । अभी एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर खुले मात्र एक साल हुआ है और एक साल से व्यवस्था प्रक्रिया में चल रही है । आपसे निवेदन है कि उसको आगे बढ़ाएं ।

एक माननीय सदस्य : महुवा साहब, ये तो आठ साल झक मार रहे थे, अब आप कर दो । (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : डाक-बंगले तो आप. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : करेंगे, तसल्ली रखो, करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान (व्यवधान) पढ़ने दो ।

गजनाई राजस्व गांव को ग्राम पंचायत बनाना

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिए मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

पाली जिले की सोजत पंचायत समिति में ग्राम पंचायत बीजा गुड़ा अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में आबाद है । इस ग्राम पंचायत में चार राजस्व गांव क्रमशः लाडपुरा, गजनाई, लाखाखेत व दो बनने वाले राजस्व गांव पोकरिया नाड़ी व सासरमाला है । ग्राम पंचायत के राजस्व गांव लाखाखेत व गजनाई नवनिर्मित लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत गजनाई बांध बनने से अब पंचायत मुख्यालयों से 10 से 15 किलोमीटर दूर पड़ते हैं । इस बांध के बनने से इस ग्राम पंचायत बीजागुड़ा का उक्त दोनों गांवों से सम्पर्क विच्छेद हो गया है क्योंकि दस से पन्द्रह किलोमीटर की दूरी तय कर बिना सड़क मार्ग के वहां के व्यक्ति अपने रोजमर्रा के कार्यों से पंचायत समिति से सम्पर्क नहीं कर सकते हैं ।

(श्री हीरासिंह चौहान)

लालाखेत व गजनाई दोनों गांव सड़क मार्ग से पूर्व से जुड़े हुए थे लेकिन अब बीच में बांध आ जाने से पन्द्रह किलोमीटर का चक्कर काटकर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दोनों गांव अलग-अलग ढाणियों में काफी दूर-दूर तक फैले हुए हैं।

बीजागुड़ा ग्राम पंचायत की आबादी पचास हजार से अधिक है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के उपलब्ध प्रावधानों में इस प्रकार के पहाड़ी व दूरस्थ स्थानों पर आबाद क्षेत्र को प्राकृतिक कारणों से व राज्य सरकार द्वारा उत्पन्न कारणों से नई ग्राम पंचायत सृजित करने के प्रावधान उपलब्ध हैं। ग्राम पंचायत बीजागुड़ा की लगभग दो हजार की आबादी के दो गांवों लालाखेत व गजनाई की एक ग्राम पंचायत गजनाई बनानी आवश्यक है ताकि इन दोनों गांवों का समुचित विकास सम्भव हो सके।

अब तक इन दोनों गांवों में प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं लेकिन दोनों गांव अब सड़क मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं तथा 15 किलोमीटर की दूरी तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। ग्राम पंचायत बन जाने से राज्य सरकार की नीति अनुसार इस पहाड़ी क्षेत्र के पिछड़े एवं गरीब किसान वर्ग के लोगों को जीवन की प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

अतः निवेदन है कि जिला कमेटी से शीघ्र प्रस्ताव आमंत्रित कर गजनाई राजस्व गांव को नयी ग्राम पंचायत शीघ्र घोषित फरमाएं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री श्रवण कुमार शपथ लेंगे।

सचिव (विधान सभा) : माननीय श्री श्रवण कुमार जी। (पिलानी)।

शपथ

नवनिर्वाचित सदस्य श्री श्रवण कुमार द्वारा शपथ ग्रहण

नाम सदस्य	शपथ/ प्रतिज्ञान	किस भाषा में
श्री श्रवण कुमार	शपथ	हिन्दी

पर्चों के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने शून्यकाल में जो पर्चियां मुझे दी हैं, जिस आर्डर में वे पर्चियां आयी हैं उसी आर्डर में मैं उन्हें संक्षेप में उस मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये अवसर देता हूं। श्री अमराराम (धोद)।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मुझे सूचना के बारे में कहा था कि अभी ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी उसके बाद आपका भी आ जाएगा। अभी समय दूंगा।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका, सदन का और सरकार का एक ऐसी घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिस घटना ने पूरे राजस्थान और देश के सम्मान पर ठेस पहुंचाई है और राजस्थान का नाम कलंकित किया है। शहीदे-आजम भगत सिंह की मूर्ति जो पिलानी के भगत सिंह चौराहे पर लगी हुई है उसको 28 दिसम्बर की रात्रि को खण्डित किया गया है उस मूर्ति के हाथों को, कानों को भयंकर रूप से और अपमानित करने की दृष्टि से। आज जहां पूरा देश स्वर्ण जयन्ती मना चुका है आजादी की, राजस्थान अपनी स्थापना की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहा है, ऐसे मौके पर शहीद-ए-आजम भगत सिंह की मूर्ति के साथ इस तरह का कुकृत्य करना, मैं समझता हूं प्रदेश और देश के सम्मान के साथ कुठाराघात करना है। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि 28 तारीख से आज तक यह कुकृत्य करने वाले, घृणित कार्य करने वाले लोगों में से एक को भी वहां के प्रशासन ने नहीं पकड़ा है। इससे यह साबित होता है कि राजस्थान को कलंकित करने वाले ऐसा कुकृत्य करने वाले लोगों के साथ झुन्झुनूं का प्रशासन निश्चित रूप से मिला हुआ है क्योंकि उस स्टेच्यू से कुछ ही दूरी पर थाना है। यह घटना आज ही नहीं हुई, इससे पहले 1982 में भी इसी घटना को इसी तरह से कर चुके हैं। वहां के विद्यार्थी नौजवान और झुंझुनूं की आम जनता 29 तारीख से लेकर आज तक धरना दे रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है और लगातार इस बात से उद्वेलित है कि कोई भी घटना घट सकती है। लेकिन सरकार और झुन्झुनूं जिले का प्रशासन निश्चित रूप से उनसे मिला हुआ है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती।

देश और प्रदेश को कलंकित करने वाले और देश की आजादी के दीवानों को कलंकित करने वाले, कुकृत्य करने वाले लोगों को अगर मुस्तैदी के साथ सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी तो राजस्थान में विस्फोटक स्थिति होगी और इसके लिये जिम्मेदार राजस्थान की सरकार और प्रशासन होगा; मैं सचेत करना चाहता हूं। समय रहते, लोगों की आत्माओं और भावनाओं को ठेस पहुंची है, उनको शांत करने के लिये ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और आगे से व्यवस्था की जाए। मैंने खुद ने जाकर देखा है उस भगत सिंह सर्किल को कि किस तरह से उसकी बेइज्जती कर रखी है, किस तरह से उसको अपमानित कर रखा है। पिलानी में जो दूसरे सर्किल हैं उनको सजा-धजाकर रखा है और भगत सिंह चौराहे की बेइज्जती कर रखी है। ऐसे हमारे दीवानों को जिन्होंने फांसी पर लटककर इस देश को आजादी दिलायी है, स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर अपमानित करने वालों को 15-15 दिन तक पकड़ नहीं सके, ऐसी सरकार के लिये लानत है, ऐसे प्रशासन के लिये लानत है। वहां पर कार्यवाही करेंगे, मुझे उम्मीद है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिलानी विधान सभा मेरा खुद का क्षेत्र है, मैं कल वहां जाकर आया हूं, वास्तव में लोगों में रोष है इसलिए जल्दी से जल्दी इसके लिये कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है शहीद भगत सिंह जी के बारे में, उनको तो पूरा देश नमन करता है और उनका त्याग और बलिदान यह देश कभी भूल नहीं सकता। उनकी मूर्ति के बारे में जो आपने घटना बतायी है, मैं उसको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निन्दनीय मानता हूं। उसकी पूरी निष्पक्ष जांच करवाएंगे और जो कोई दोषी होगा चाहे वह कर्मचारी हो या कोई व्यक्ति हो, उनको कड़ी सजा दिलाएंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर खम्भे और तार लगवा रखे हैं वे भी हटाये जाएं। जो स्टेच्यू सर्किल है उसके अन्दर खम्भे गाड़कर उसका पूरा वातावरण खराब कर रखा है, वहां तीन-चार खम्भे गड़े हुए हैं। हमने कल भी कहा है खम्भे हटवाओ वहां से।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : वह ठीक होनी चाहिये। मेरी भी देखी हुई है, बिलकुल थाने के सामने है।

श्री शैलेन्द्र जोशी(बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर में 24 मार्च, 1999 को भारत और पाकिस्तान का मैच सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी को विदित है, फिरोजशाह कोटला मैदान की क्रिकेट पिच को इसलिए खोद दिया गया कि शिव सेना के जो अध्यक्ष हैं बाल ठाकरे, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि पाकिस्तान की टीम भारत में आकर और मैच नहीं खेले।

ठीक इसी के अनुसरण में, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की शिव सेना की जयपुर इकाई ने आज चेतावनी दी है और शहीदी दस्ता बनाया है 100 आदमियों का। यदि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम पर आकर मैच खेलेगी तो न केवल पिच खोद दी जाएगी बल्कि उप प्रमुख दिलीप सिंह बेनीवाल की अध्यक्षता में 100 शिव सैनिकों का बलिदानी दस्ता बनाया गया है जो कि जयपुर की शांति को भंग करेगा और यहां पर साम्प्रदायिक तनाव को उत्पन्न करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय व सरकार का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहूंगा कि केन्द्र की सरकार के हमारे प्रधान मंत्री उनके लिए भी इसके प्रमुख बाल ठाकरे ने कहा है कि मैं प्रधान मंत्री से भी बात नहीं करना चाहता और मेरा निर्णय अटल है कि पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी। राष्ट्रीय एकता-अखंडता और धर्म निरपेक्षता बनी रहे इसके लिये यह जरूरी हो गया है कि दिल्ली में कोई भी स्थिति रहे किन्तु राजस्थान के अंदर 24

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

मार्च को भारत और पाकिस्तान का एक दिवसीय मैच बिलकुल शांतिपूर्ण वातावरण में, सद्भाव के वातावरण में हो, इसके लिये राज्य सरकार और गृह विभाग अभी से ही सुरक्षा के कड़े इन्तजाम करें । साम्प्रदायिक तनाव किसी तरह का बने, उसको दूर करने के लिये अभी से पहल करें जिससे कि किसी भी तरह की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हो। क्योंकि, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी सवाई मानसिंह स्टेडियम पर भारतीय जनता पार्टी के शासन में 26 जनवरी को बम कांड हो चुका है। उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और फिरोजशाह कोटला की पुनरावृत्ति नहीं हो इसलिये अभी से सख्ती से कदम उठाये जाएं । आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद ।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक इन्फार्मेशन आपकी इजाजत हो तो बताऊं। तीन आदमियों की हत्या रात को हुई है, तीन आदमियों की। तीन ही घर में थे, तीनों की हत्या हो गयी। बहुत जरूरी मामला है। अगर आप आदेश दें तो बोलूं ।

श्री अध्यक्ष : पूर्व में जिन माननीय सदस्यों ने मुझे सूचित किया है और पर्ची दी है उनको पहले समय दूंगा ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ठीक है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान ।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के रैफरेंस में माननीय मुख्य मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं ।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर यहां पर मैच हुआ तो पाकिस्तान की टीम को पूरी सुरक्षा दी जाएगी और पिच की सुरक्षा सरकार करेगी। इसमें कोई आपको शंका नहीं होनी चाहिये । बल्कि मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, प्रतिपक्ष के नेता महोदय नहीं हैं सदन में, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रभाव का उपयोग करें और बाल ठाकरे को समझाने का जरा प्रयास करें तो ज्यादा ठीक रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान ।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न जिला परिषदों में विज्ञापन जारी कर के पंचायत समितियों के अधीन सैकड़ों की संख्या में जो अध्यापकों के पद रिक्त थे, उसका प्रोसेस जून, 1998 में प्रारम्भ कर दिया गया था। इसके बीच में कोई आशार्थी हाई कोर्ट में चले गये उसके कारण से स्टे हुआ लेकिन 1 दिसम्बर, 1998 से वह स्टे भी वेकेट हो गया । उसके बाद भी लगभग दो महीने

(श्री हीरासिंह चौहान)

गुजर गये हैं और यह जो शिक्षा सत्र है इसका आधे से ज्यादा हिस्सा बीत गया है लेकिन विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में सैंकड़ों पद थर्ड ग्रेड अध्यापकों के रिक्त पड़े हैं। जो चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी उसमें मैरिट के आधार पर सब को चयन करने की प्रक्रिया थी और उसकी सारी छानबीन भी कर ली गयी इन्स्पाइट आफ आल दीज, लेकिन आज दिन तक उन प्राथमिक विद्यालयों में जो अध्यापकों के पद रिक्त हैं उनको भरने की आगे किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसी जानकारी मिली है कि उस प्रक्रिया को रोक कर नये सिरे से वापस कार्यवाही की जा रही है। इससे तो ग्रामीण जनता में बहुत भारी रोष है। विद्यालय खाली पड़े हैं।

एक माननीय सदस्य : आपके टाइम में।

श्री हीरासिंह चौहान : हमारे टाइम में यह प्रोसेस चालू कर दिया गया था, जून, 1998 में कर दिया गया था। यह हाई कोर्ट द्वारा डिस्टर्ब किया गया। हाई कोर्ट के इंटरफियरेंस के कारण से थोड़े दिन व्यवधान हो गया लेकिन दिसम्बर, 1998 से तो उन्होंने भी स्टे आर्डर वैकेट कर दिया। अब दो महिने गुजर गये, दो महिने से अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। नयी प्रक्रिया करोगे तो और छह महीने लगेंगे और जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ रहे हैं....

श्री चन्दनमल बैद : दिसम्बर, 1998 को दो महीने कहां से हो गये ?

श्री हीरासिंह चौहान : दो महीने नहीं तो, दूसरा महीना चला जाएगा।

श्री चन्दनमल बैद : हां, चला जाएगा तो....(व्यवधान)....दो महीने में कर ही देंगे हम।

श्री हीरासिंह चौहान : जनवरी चल रही है और काफी बेरोजगार हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : ओवर एज हो जाएंगे लोग। इस तरह की समस्या आ जाएगी।

श्री हीरासिंह चौहान : ओवर एज हो रहे हैं, तरह–तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। There are so many consequences. इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रोसेस को जल्दी पूरा करें। जो चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उसमें तो मैरिट के आधार पर लिया गया। इसमें सरकार पर भी कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता कि किसी प्रकार का पक्षपात किया होगा, हमारे मंत्रियों ने कुछ किया होगा, केवल मात्र मैरिट के आधार पर लिये गये हैं। इसकी कम्प्लीट छानबीन हो चुकी है, इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस विषय में अपना वक्तव्य दे। मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं, ग्रामीण विकास मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसी महीने में रिक्त पदों को भरने के आदेश दिये जाएं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर) : अध्यक्ष महोदय, परिषदों के सामने बेरोजगार शिक्षकों द्वारा धरने भी दिये जा रहे हैं। यह केवल टैक्निकल एजुकेशन के लोगों के कारण डबल बैंच में सरकार ले जा रही है, जबकि अगर उनकी भर्ती करनी है तो उनके लिए सीट वेकेंट छोड़ी जा सकती है और जो बेरोजगार शिक्षक हैं उनको भर्ती किया जा सकता है। हर जिला परिषद में लिस्टें तैयार पड़ी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पंचायती राज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर दिया है और निश्चित तौर पर इस सम्बन्ध में वे कार्यवाही करेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है उसके लिए तो सबसे पहले समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप ठहरिये। पहले मैं उनको समय दूंगा।

श्री हीरालालजी सहरिया।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, अभी पांच-छः तारीख को जो बरसात हुई है उससे बारां जिले के मेरे किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि से किसानों की फसल नष्ट हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिन गांवों में ओलावृष्टि से किसानों की सरसों और धनिये की फसल नष्ट हुई है उसका सर्वे कराकर उनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिये। इन गांवों में जलोनी, गणेशपुरा, घतूरिया, खैराई, सैमरा, बैराई, सूखासेमली, केदार-कुई, जेसवां, खांखरा, बैंठा और पहाड़ी हैं। बारां में भी तीन गांव इस ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं-चौसरी, फतेहपुर और रानी बड़ोद। साथ ही किशनगंज में भी ओलावृष्टि में फसल नष्ट हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी और विशेष तौर से मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ओलावृष्टि से जो फसल नष्ट होती है, प्राकृतिक आपदा से जो फसल नष्ट होती है उसके लिए नयी नीति निर्धारण करके उनको उचित मुआवजा दिया जाए। जो पहले मुआवजे की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की हुई है वह ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात चरितार्थ होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन करके नयी नीति की घोषणा की जाए तो अति उत्तम होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आवास विकास संस्थान के उन सैंकड़ों कर्मचारियों की ओर दिलाना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाहता हूं जिनको पिछले दो माह से वेतन नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय, सरकार शायद कुछ संस्थानों को बन्द करने जा रही है। निश्चित तौर पर जिन संस्थानों का उपयोग नहीं समझते उनको बन्द करें। एक तरफ तो हम पांचवें वेतन आयोग का लाभ दूसरे राज्य कर्मचारियों को दे रहे हैं और दूसरी तरफ कर्मचारी जो राजस्थान आवासन मण्डल की सिस्टर कन्सर्न के हैं राजस्थान आवास विकास संस्थान में उन तकनीकी लोगों को लिया गया जो मकान बनाना और दूसरे तकनीकी कामों को करते हैं—ऐसे योग्यताधारी लोगों को पिछले दो माह से वेतन भी नहीं मिल रहा है। वेतन के अलावा, अध्यक्ष महोदय जब कभी भी ये कर्मचारी अपने शिष्टमण्डल के साथ मंत्री महोदय के पास जाते हैं तो मंत्री महोदय कहते हैं कि इसके बारे में मैं निर्णय नहीं करूंगा, राजस्थान आवासन मण्डल के पास जाएं और राजस्थान आवासन मण्डल के पदाधिकारी कहते हैं कि सरकार के पास जाएं।

आज स्थिति यह है कि उनके सामने भुखमरी की स्थिति हो गयी है। आज सैंकड़ों की तादाद में ये लोग राजस्थान विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। नयी सरकार संवेदनशील सरकार है, इस तरह की बातें कहना आसान है परन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के विषयों पर तत्काल कोई निर्णय हो। निर्णय उन्हें हटाने का हो तो उनको वैकल्पिक रोजगार कहां दें, उस पर देखें। अगर उन्हें रखने का हो तो वैसा निर्णय करें। इस विषय पर मेरा आपके माध्यम से ऊर्जावान नगर आवासन मंत्री जो दिखने में सुन्दर हैं, उनसे निवेदन है कि इस बारे में सुन्दर-सी बात कह कर कोई न कोई फैसला करें।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, नीमकाथाना उप-खण्ड को जिला बनाने के बारे में संघर्ष समिति की ओर से ओमप्रकाश साई पिछले नौ दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी स्थिति बहुत गम्भीर है, उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विचार कर उनकी प्राण रक्षा की जाए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री ओचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, दूरदर्शन वाले बाहर खड़े हैं, उनको तो अलाउ कीजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था, नहीं, बाद में अलाउ करूंगा। अध्यक्ष महोदय, जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि शनिवार की रात 9 तारीख को श्रीगंगानगर की भांमू कालोनी में एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों का कत्ल कर दिया गया जिसमें उसकी पत्नी, एक खुद और एक उसका पांच साल का बच्चा है। उस परिवार में तीन ही व्यक्ति थे और तीनों का रात को कत्ल कर दिया गया। उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। इससे पूर्व भी इस तरह की तीन-चार घटनाएं, तीन कत्ल तीन महीने पहले हुए जो रामनगर पुरानी आबादी में हुए। उसकी भी अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से सरकार से आश्वासन चाहूंगा कि तुरन्त कार्यवाही कर ऐसे व्यक्तियों का पता लगाया जाए। पहले कांग्रेस के जमाने में वहां जिप्सी चला करती थी, कोई घटना होती थी, तीन मिनट में ही वह जिप्सी पहुंच जाती थी और इस तरह बड़ा अच्छा वातावरण बना हुआ था। फिर आठ साल बी. जे. पी. की गवर्नमेंट आयी, उन्होंने उस कार्य को बन्द कर दिया। गंगानगर एक ऐसा संवेदनशील इलाका है जो पंजाब हरियाणा और पाकिस्तान बोर्डर के साथ लगता है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि वहां उचित व्यवस्था की जाए। आये दिन कोई न कोई घटना कोई न कोई कत्ल या इस तरह की वारदातें होती रहती हैं कि लोग अपनी जिन्दगी को बचाने के लिए बड़े भयभीत रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन करता हूं कि इसमें चीफ मिनिस्टर साहब कुछ फरमाएं। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो और तुरन्त इन आदमियों को पकड़कर जनता के सामने नंगा किया जाए। धन्यवाद।

डा. किरोड़ी लाल : आवास विकास संस्थान वाले मामले में मेरा नाम रह गया, बोलने के लिए था।

श्री अध्यक्ष : वह तो आपके साथ ही था ?

डा. किरोड़ी लाल : हां। नयी सरकार ने बड़ी अच्छी घोषणा की-साठ से अट्ठावन वर्ष कर दिये, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, परन्तु जो रोजगार में लगे हुए हैं उनको तनख्वाह तो दिलवा दो, इतना सा निवेदन है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सरकार से थोड़ा कहलवाओ तो सही।

श्री हरिसिंह (महुवा) : दो महीने की बकाया तो आप दो।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन 1997-98

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर), डेयरी एवं पशुपालन राज्य मंत्री राजस्थान

(श्री अध्यक्ष)

राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (राज्य मंत्री, डेयरी एवं पशुपालन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, पढ़ने की तो आवश्यकता है नहीं क्योंकि साइक्लोस्टाइल कापी सबके पास में है, चली गयी है, बिजनेस में पहुंच गयी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

(प्रतिवेदन के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद हेतु समय का बंटवारा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है।

मैं विभिन्न पार्टियों के समय का बंटवारा इस प्रकार करता हूं :—

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	12.00घण्टे
भारतीय जनता पार्टी	02.50घण्टे
जनता दल	00.15मिनट
बहुजन समाज पार्टी	00.10मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	00.05मिनट
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	00.05मिनट
निर्दलीय	00.35मिनट

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद प्रारम्भ होगा।

(श्री अध्यक्ष)

श्री हरिसिंह (महुवा) सदस्य, विधान सभा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री हरिसिंह(महुवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नलिखित रूप में धन्यवाद प्रस्तुत किया जाए :—

> "इस सत्र में एकत्रित हम राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण राज्यपाल महोदय द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में पधारकर सदन के समक्ष अपना जो अभिभाषण प्रस्तुत किया उस पर मैं कुछ टिप्पणी करूं उससे पूर्व मैं अपनी तरफ से सदन के सभी नव-निर्वाचित सदस्यों को और आप स्वयं को भी निर्वाचन की बधाई देता हूं और नव वर्ष की शुभकामनाएं पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में मुख्यत: तीन बातों की ओर इंगित किया है। सन् 1951 से लेकर 1990 तक का 40 वर्ष का वह शासनकाल जिसमें कांग्रेस निर्बाध रूप से राजस्थान में शासन करती रही मात्र ढाई साल के छोटे से समय को छोड़कर, उस पर प्रकाश डाला है। कांग्रेस को विरासत में किस प्रकार का राजस्थान मिला, प्रगति के आयाम कितने थे, कृषि क्षेत्र की क्या स्थिति थी, सड़कों की क्या स्थिति थी, शिक्षा की क्या स्थिति थी, विद्युत की क्या स्थिति थी, सिंचाई के साधनों की क्या स्थिति थी, इस पर अपना अभिमत दिया है।

अध्यक्ष महोदय। इसके साथ ही महामहिम ने अपने अभिभाषण के पैरा आठ में भारतीय जनता पार्टी के आठ साल के कुशासन की तरफ इंगित किया है और शेष पार्ट अभिभाषण का जो है उसमें उनकी मौजूदा सरकार राजस्थान में किस प्रकार के प्रोग्राम करना चाह रही है, किस प्रकार की अभिलाषा-इच्छा विकास के सम्बन्ध में इस सरकार की है, इसके सम्बन्ध में इंगित किया है।

अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं ने राजस्थान का वह परिदृश्य देखा है जब राजस्थान के 19 रजवाड़ों, दो लाख छत्तीस हजार जागीरदारों, पांच हजार जमींदारों और बिस्वेदारों के अधिकारों को छीनकर कांग्रेस पार्टी जागीरदारी रिजम्पशन एक्ट लायी, लैंड रिफार्म्स के लिए टिनेंसी एक्ट लायी और लैंड रेवेन्यू एक्ट लायी। उस समय की जो राजस्थान की हालत थी, अध्यक्ष महोदय, आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं लेकिन हममें अधिकांश नयी पीढ़ी के लोग भी हैं जिन्होंने आजादी के बाद इस धरती पर जन्म लिया।

अध्यक्ष महोदय, उस समय का परिदृश्य था, उस तरह महामहिम ने पूरे सदन का ध्यान आकर्षित किया है। सिंचाई के क्षेत्र में अगर किसी ने कोई काम आजादी से पहले किया तो मैं साधुवाद देता हूं

(श्री हरिसिंह)

बीकानेर के महाराज गंगासिंहजी को, जो पंजाब से गंगानगर की रेगिस्तान की धरती को सिंचित करने के लिए पानी लाये। निश्चित रूप से राजस्थान के समस्त राजाओं ने जन कल्याणकारी कदम उठाये थे। हर राजा ने अपने-अपने राज्य में ग्रामीण बांध, कुछ छोटे, मझोले और लघु किस्म की सिंचाई के साधन थे उनको बनवाया था। हिन्दुस्तान का जो कुल सर–

(13.00 बजे)

फेस वाटर है, उसका मात्र एक प्रतिशत राजस्थान में है। जब कांग्रेस शासन में आयी तो हमारे सामने अहम मुद्दा था कि राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध थार के मरुस्थल को किस प्रकार से हरा भरा बनाया जाए। एक कल्पना थी। या तो इस प्रकार की कल्पना स्वर्ग से गंगा लाने के लिए भागीरथ ने की और या इस प्रकार की कल्पना या हिमालय के पानी को राजस्थान के रेगिस्तान तक लाने का भागीरथी प्रयास कांग्रेस के स्वप्नदृष्टा राजनेताओं का करतब था जिन्होंने संसार में एक महत्वपूर्ण सिंचाई योजना प्रस्तावित की, उसको पूर्ण करने के लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ अग्रसर हुई उसका निर्माण किया और हिमालय का पानी बाड़मेर तक पहुंचाया।

अध्यक्ष महोदय, कई बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। उनका शिलान्यास ही नहीं किया गया बल्कि उन्हें परिपूर्णता प्रदान की गयी। राणा प्रताप सागर, चम्बल डैम, गांधी सागर, माही परियोजना, इसके अलावा अनेक मध्यम और लघु दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं को बनाकर कांग्रेस ने यहां के किसान की प्यासी धरती को पानी दिया। पानी देकर मुझे राजस्थान में अन्न उत्पादन का सरप्लस क्षेत्र बनाया है, यह कांग्रेस की ही करामात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूं कि जब हम बिजली की बात करते हैं तो राजस्थान में जब कांग्रेस ने शासन संभाला था, उस समय की जो स्थिति थी मात्र 13 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था और मात्र 42 लोकेलिटीज को इलेक्ट्रिफाईड किया गया था। और सन् 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी को शासन सुपुर्द किया तब तक, अध्यक्ष महोदय, 13 मेगावाट से बढ़ाकर बिजली का उत्पादन साढ़े सत्ताईस सौ मेगावाट तक पहुंचा दिया था और 40 लोकेलिटीज जो इलैक्ट्रिफाइड थीं उसे बढ़ाकर 28 हजार गांवों, शहरों और कस्बों को विद्युतीकृत कर दिया। यह कांग्रेस के चालीस साल की वह उपलब्धि है जो स्वयं में कथा है। मेरे मित्र जो इधर बैठ रहे हैं, कई बार कह देते हैं भावावेश में या मैं कहता हूं अल्पज्ञता के कारण कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने चौपट कर दिया। चौपट किसने किया है यह तो मैं आगे बताऊंगा।

श्री नन्दलाल मीणा : मजा नहीं आया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मजा आएगा, डाक्टर साहब, आएगा। आप यहीं हैं और मजा आपको आएगा। मैं आपसे अनुरोध करूं, पूर्व मंत्री जी और हमारे विद्वान डाक्टर साहब, मैं ज्यादा चुटकियां लेऊंगा तो आप उत्तेजित हो जाएंगे और उत्तेजित हो जाएंगे तो मेरे बोलने पर व्यवधान पैदा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का जो परिदृश्य था, कांग्रेस ने राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना की। 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर में तत्कालीन प्रधान मंत्री व राष्ट्रनायक स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। मैं इसका विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि महात्मा गांधी ने 19 अक्टूबर, 1946 के 'हरिजन' में पंचायती राज की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए और स्वतन्त्र भारत में गांव की जनता को शासन सुपुर्द करने के लिए महत्वपूर्ण एक लेख लिखा था। मैं आपकी खुशी के लिए यह भी कह रहा हूं कि दीनदयाल जी उपाध्याय की एकात्मक शासन प्रणाली में भी गांव की इस इकाई को महत्वपूर्ण शासन इकाई मानने की बात कही गयी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो यहां पंचायती राज का दीप प्रज्वलित किया गया उसने पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया और यह श्रेय भी राजस्थान के तत्कालीन कांग्रेस के शासक और कांग्रेस पार्टी को जाता है कि उन्होंने ऐक विजन के साथ इस योजना को यहां लागू करवाया।

मैं, अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष समय नहीं लूंगा, माननीय सदस्यों के पास सबके पास महामहिम के अभिभाषण की प्रति है लेकिन मैं निवेदन करूं कि जो सड़कों की स्थिति थी वह साढ़े तेरह हजार किलोमीटर की हमको विरासत के रूप में मिली थी और हमने जब शासन आपको दिया तो वह 56,856 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके आपको दिया। गांवों को शहरों से जोड़ा, गांवों को कृषक की उपज पहुंचाने के लिए मंडियों से जोड़ा। एक महत्वपूर्ण योजना जो सरकार ने सड़कों के सम्बन्ध में उस समय बनायी थी उसकी पालना की। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, यह मैं आगे बताऊंगा।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, राजस्थान में मात्र 4336 प्राइमरी स्कूल थे, उनमें 3043 स्कूल 1990 तक आपको बनाकर दिये। मिडिल स्कूल 8600 थे, हाई स्कूल 2153 थे, कालेज 163, मेडिकल कालेज 6, इंजीनियरिंग कालेज 6, पोलीटेक्निक ट्रेनिंग सेन्टर 20 और विश्वविद्यालय एक एक के हिसाब से 6। यह प्रगति राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस ने की और आप आठ साल सोते रहे। सोते रहे, (व्यवधान) वह बाद में आगे बताऊंगा, ऐश करते रहे।

डा. किरोड़ी लाल : आप पांच साल में ही बता देना, सस्पेंस मत रखना।

श्री हरिसिंह (महुवा) : बताऊंगा डाक्टर साहब। मैं 15 मिनट में ही बता दूंगा, सस्पेंस नहीं रहेगा।

श्री नन्दलाल मीणा : आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा, आगे क्या बता रहे हो आप ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, इस दरमियान राजस्थान में कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी कदम उठाये। जीरो पाइंट से उठकर के तीन सौ हास्पिटल्स बने, 1059 पी. एच. सी. बनीं, आठ हजार सब सेण्टरों की स्थापना की, 190 सी. एच. सी. बनायीं, 117 एम. सी. डब्ल्यू. सेण्टर्स बने और 3250 आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना की जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और आपके आठ साल में मात्र तीस आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना की गयी। मात्र तीस आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना की आठ साल में। मैं इसलिए कह रहा हूं, इशारा किया है, इंगित किया है आपकी तरफ।

श्री चन्दनमल बैद : साल में चार भी नहीं हुए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आयुर्वेदिक औषधालयों के बाद में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा आठ पर आता हूं। अध्यक्ष महोदय, पैरा आठ में पिछली सरकार के आठ वर्षों के कुशासन में राज्य की कानून व्यवस्था एकदम चौपट हो गयी। इससे ...

श्री हीरासिंह चौहान : महामहिम राज्यपाल से तो बोला नहीं जा रहा, अभी भी आप कुशासन कर रहे हो। फिर कुशासन किस प्रकार का शासन करते हो ? आठ साल भी कुशासन नहीं था, बहुत बढ़िया शासन था।....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैंने एक शब्द का प्रयोग किया और आप तिलमिला गये। मैंने अपनी तरफ से नहीं किया। यह हमारे महामहिम ने लिखा है अपने अभिभाषण में, और मैं आपको कैटेगरिकली यह सिद्ध करूंगा कि यह शासन कुशासन था, कि कुशासन इसको जो अभिभाषण में कहा गया है वह सही कहा गया है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है।

माननीय महोदय, शायद आपको यह है कि यह कांग्रेस का शासन है इसलिए राज्यपाल महोदय ने यह कह दिया। भारतीय जनता पार्टी के शासन में राज्यपाल महोदय ने आपके शासन को क्या कहा है, मैं वह बताना चाह रहा हूं। महिला उत्पीड़न के सम्बन्ध में जब अखिल भारतीय स्तर पर महिला संगठन की अध्यक्ष श्रीमती दंडवते तत्कालीन राज्यपाल से मिलने राजभवन गयीं अपने प्रतिनिधि मण्डल के साथ में, अध्यक्ष महोदय, उस समय बड़ी पीड़ा के साथ में राज्यपाल महामहिम श्री बलिरामजी भगत ने कहा था कि गृह मंत्री ने संवैधानिक मर्यादा तोड़ी। यह आपकी सरकार के प्रति उनका आक्षेप था कैलाश जी मेघवाल के प्रति। उन्होंने महामहिम के लिए जिन अल्फाज का प्रयोग किया था, शासन की तरफ से समस्त मर्यादाओं को तहस-नहस कर दिया था।

(श्री हरिसिंह)

अध्यक्ष महोदय, पीड़ित और दुःखी महामहिम ने, यह इन्हीं महामहिम ने नहीं कहा, मैं चार लाइन पढ़कर सुनाना चाह रहा हूं जो उनके अल्फाज थे उस सरकार के प्रति, आपकी इजाजत हो तो। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल ने महिला नेताओं को बताया कि राष्ट्रपति को उन्होंने राज्य की कानून–व्यवस्था की रिपोर्ट नहीं भेजी है, सिर्फ महिला अत्याचार से सम्बन्धित मामलों की रिपोर्ट ही राष्ट्रपति को भेजी है। राज्य में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अत्याचारों, उन पर त्वरित कार्यवाही नहीं होने से सरकार की विश्वसनीयता संदिग्ध होने लगी है. यह रिमार्क था उनका। अपनी सरकार के प्रति यह रिमार्क था उनका। विश्वसनीयता संदिग्ध क्यों होने लगी? आगे उन्होंने कहा है, क्योंकि अपराधी कोई नहीं पकड़ा गया, कोई कार्यवाही नहीं हुई। शायद आपको यह कुशासन वाली बात बुरी लगी होगी लेकिन उस समय, तत्कालीन..,

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप देखते नहीं हैं, शर्म के मारे न नेता हैं, ना उप नेता हैं।

डा. किरोड़ी लाल : ---- (व्यवधान). सात साल की बच्ची, उसने तो आपके राज्य में आत्महत्या कर ली। इतने प्रचण्ड मतों में आये हो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : बताऊंगा, डाक्टर साहब, वह भी बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने दो महामहिम राज्यपालों की टिप्पणी का विवरण दिया है। अब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का क्या सोच था, लर्नेड जस्टिस अंशुमान सिंह के रिमार्क में आपको अनुरोध करना चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने राजकुमारी हत्याकाण्ड के केस में जो हाई कोर्ट में उस समय विचाराधीन था, तब कहे थे।

अध्यक्ष महोदय, राजकुमारी हत्याकांड वह केस है जिसमें मौत हुई नहीं और राजकुमारी की मौत के बदले उसके पति और उसके सात अन्य रिश्तेदारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मार–मार कर हत्या कबूल करवायी। उनको जेल में बन्द रखा, पुलिस रिमाण्ड लिया और 13 दिन बाद में वह राजकुमारी जिन्दा हाई कोर्ट में प्रकट हो गयी। उस समय की जांच एजेन्सी और पुलिस व्यवस्था का यह एक जीता जागता नग्न उदाहरण है। अंशुमान सिंह जी के शब्द हैं, जो अपना फैसला देते समय उन्होंने लिखे हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अंशुमान सिंहजी ने इसको शर्मनाक एवं दिल दहलाने वाली घटना बतलाया। यह माननीय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का रिमार्क इस सरकार के प्रति था। दो राज्यपाल और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो सबसे बड़ी डिग्नेटरी हैं, बुद्धिजीवी हैं।

अब मीडिया इनके सम्बन्ध में क्या सोचता था, यहां का विद्वान क्या सोचता था, यहां का बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचता था इस सरकार के लिए, उसके सम्बन्ध में मैं डाक्टर सत्येन्द्र चतुर्वेदी के लेख की चार लाइनें आपकी अनुमति से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। विद्वान हैं डाक्टर

(श्री हरिसिंह)

सत्येन्द्र चतुर्वेदी, सामाजिक समस्याओं पर लिखते रहे हैं, राजनैतिक समस्याओं पर अबाध रूप से, निर्बाध रूप से कलम चलती रही है। मैं आपकी इजाजत से चार लाइन पढ़कर सुनाना चाह रहा हूं कि इस सरकार के प्रति उनका क्या सोच था--"ऐसे अनैतिक अमंगलकारी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान का वर्तमान परिदृश्य"। यह, अध्यक्ष महोदय, 1 अप्रैल, 1997 को लिखा गया लेख है। उसी सन्दर्भ में मैं इसको आपको पढ़ कर सुनाना चाह रहा हूं "ऐसे अनैतिक अमंगलकारी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान के वर्तमान परिदृश्य में विनाशकारी सम्भावनाओं से पूर्ण भयावह कानून व्यवस्था की आज चतुर्दिक जैसी शिथिल स्थिति है, हम सब उससे परिचित हैं। परिचित ही नहीं भुक्तभोगी भी हैं। ग्राम, नगर, महानगर सर्वत्र एक ही अराजकता है। सांडे, गुण्डे, समाजकंटक, अपराधी तत्व खुलकर विचरण कर रहे हैं। सभ्य शालीन नागरिक जीवन पर जैसे ग्रहण लग गया।" ...(व्यवधान) जोर जबरदस्ती।

मैं आगे, अध्यक्ष, महोदय, एक लाइन और पढ़ना चाहूंगा। जोर--जबरदस्ती, ठगी और लूट की घाटनाएं कदम-कदम पर हमें भी स्तम्भित किये हुए हैं। अब उन्होंने लिखा है-पहले कांग्रेस के शासन में राजस्थान कैसा था? इसके प्रति रिमार्क पास किया है। पहले राजस्थान कानून-व्यवस्था सुशासन की दृष्टि से अपेक्षाकृत शांत, स्थिर, परम्परावादी प्रदेश माना जाता था, लेकिन मूल्यहीनता के चलते इनका भी चेहरा बदरंग हो गया। यह एक बुद्धिजीवी का विश्लेषण है। राजस्थान के महामहिम जो इनके शासन में राज्यपाल थे उनका मैंने अनुरोध कर दिया। चीफ जस्टिस का अनुरोध कर दिया कि सरकार के सम्बन्ध में क्या उनका सोच था। बुद्धिजीवी वर्ग का कर दिया और वर्तमान राज्यपाल महोदय जो रिमार्क्स पास कर गये हैं उसका भी कर दिया। और महामहिम के अभिभाषण में नहीं आया, शायद वे भूल गये अध्यक्ष महोदय, जब इसी सरकार में बैठे हुए मंत्रियों के लिए राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कुलिश ने कोल्ड स्टोरेज का आलू कह कर सम्बोधित किया। सड़ा हुआ ये रिमार्क थे। यह सरकार के प्रति सोच था जनता का, सरकार के प्रति सोच था बुद्धिजीवियों का, सरकार के प्रति सोच था न्यायपालिका का, सरकार के प्रति सोच था महामहिम राज्यपाल महोदय का।

अध्यक्ष महोदय, यह कुशासन क्यों है? यह महामहिम ने बड़ा सोच-समझकर कहा। इसलिए कहा है, अध्यक्ष महोदय, इनके शासन के मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। अपने भाषण का ज्यादा कलेवर नहीं बढ़ाना चाहूंगा लेकिन मैं कुछ उदाहरण देऊंगा। इनके शासन में रामगंज थाने में 18 टुकड़े कर फेंकी गयी लाश मिली, लेकिन हत्यारे नहीं पकड़े गये। थानेदार महलसिंह को सरेआम कत्ल करके उसकी लाश को जला दिया गया, अफसोस की बात है 12 महीने तक हत्यारों का सुराग तक नहीं लगाया गया। क्यों कुशासन कहा गया है? सांगानेर में सात साल

(श्री हरिसिंह)

की बच्ची के साथ हुआ बलात्कार, अध्यक्ष महोदय, बलात्कारी नहीं पकड़े गये। मेरे महुवा में 14 साल की बच्ची के साथ में हुआ बलात्कार। मैं और हमारे दौसा के जिला प्रमुख जो आज माननीय सदस्य हैं बामनवास से, हमने महुवा बन्द का आह्वान किया सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। दोनों ने एक मंच से सरकार से मांग की कि बलात्कारी को तुरन्त गिरफ्तार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, बलात्कारी गिरफ्तार नहीं हुआ, चार महीने बाद में उस बच्ची को आत्महत्या करनी पड़ी। आत्महत्या करनी पड़ी, यह कुशासन था और इसलिए महामहिम ने इसको कुशासन कहा है। अध्यक्ष महोदय, गांधी नगर में कैलाश मीणा की हत्या, अपराधी नहीं पकड़े जाए, विश्वकर्मा क्षेत्र में बिहारी किरायेदार की हत्या, नहीं पकड़े जाएं। बजाज नगर क्षेत्र में 300 गैस सिलिण्डरों की चोरी हो गयी। मैं यह सिर्फ राजधानी की बात कर रहा हूं न कि शेष प्रांत में क्या हुआ कतिपय उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ राजधानी के, जहां पर 8000 पुलिस फोर्स है, जहां पर डी.जी. बैठते थे, जहां पर कई आई.जी. बैठते थे, जहां पर कई डी आई. जी. बैठते थे। जो पचास के आस-पास थानों में बंटा हुआ परिक्षेत्र है, जहां चार-चार एस.पी. बैठते हैं, मैं उस जयपुर में क्या हुआ उस राज में, वह वर्णन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, शालिनी अपहरण काण्ड, बहुत-बहुत रोई, तीन-तीन बार अपहरण हुए लेकिन उस समय के शासन और कुशासन, पुलिस प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। पन्द्रह साल की बच्ची पुकारती रही, रोती रही अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं यह तस्वीर दिखा रहा हूं दोनों बच्चियों की जिनके साथ अन्याय हुआ, यह देखिये एक शिवानी और दूसरी शालिनी। इस लड़की शालिनी तंवर का तीन बार अपहरण हुआ, तीन बार उसको यातनाएं दी गई। यातनाएं ही नहीं, उसके परिवार को भी प्रताड़ित किया गया, उनको भी यातनाएं दी गईं। लेकिन अपराधियों को पकड़ने में बहुत देर हो गई।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस थानों में आये दिन मौतें होती रहीं। महारानी स्कूल की छात्रा, दसवीं में पढ़ने वाली, उसके पीछे दो लड़के लगे हुए थे। उसने शास्त्रीनगर थाने के थानेदार से अनुरोध किया कि ये लड़के मुझे रोज स्कूटर पर बैठाने के लिये ले जाने की धमकी दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उन लड़कों ने चिट्ठी लिखी कि अगर तू हमारे साथ स्कूटर पर बैठकर नहीं जाएगी तो तेरे बाप का कत्ल कर दिया जाएगा। वह बच्ची और उसका बाप शास्त्री नगर थाने में रोज मत्था टेकते थे, सुरक्षा की गुहार करते थे। जब उसको सुरक्षा नहीं मिल पाई, उसके बाप का जीवन खतरे में दिखा तो उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली। यह है कुशासन। यह है कुशासन और इसी कुशासन के कारण राजस्थान की जनता ने नीर-क्षीर निर्णय कर दिया। राजस्थान की जनता ने नीर-क्षीर निर्णय कर दिया और

(श्री हरिसिंह)

इधर बैठने वाले उधर बैठ गए। उधर बैठे तो मुट्ठी भर सीटों पर सिमट कर बैठे।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व अकाल राहत मंत्री से निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह कोई कांग्रेस के लिए पहली जीत नहीं है। यह ऐतीहासिक निर्णय ग्यारहवीं विधान सभा के चुनावों में राजस्थान की जनता ने किया है लेकिन हमने आपकी तरह इसको दूसरी आजादी नहीं बताया। यह प्रजातंत्र की सामाजिक प्रक्रिया के तहत राजस्थान की जनता का लिया हुआ निर्णय है जिसको हमने विनम्रतापूर्वक नतमस्तक होकर स्वीकार किया है। हमने अहंकार नहीं किया, हमने इस निर्णय पर खुशी जाहिर नहीं की। हम मदहोश नहीं हैं, हम होश में हैं। और होश में हैं तो राजस्थान की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने का हमने व्रत भी ले लिया है।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर में ही नहीं, शालिनी शर्मा-अलवर का देह शोषण कांड, क्या हुआ? जब शक की सुई अलवर के बड़े-बड़े राज नेताओं की तरफ घूमने लगी तो शासन में बैठे हुए लोगों ने उस पूरी की पूरी जांच में अपने पद के प्रभाव का दुरुपयोग करके उस जांच को दूसरी तरफ फेंक दिया। लेकिन जनता ने निर्णय कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, न यह सरकार समस्याओं के प्रति संवेदनशील थी न राजनीतिक इच्छाशक्ति सरकार में इन समस्याओं से निपटने की थी। कई जगह हरिजन दूल्हों को घोड़ी से उतार दिया गया। बाड़ी में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को नाक में नकेल डालकर गांव में घुमाया गया और जयपुर में बैठा हुआ अनुसूचित जाति का गृह मंत्री तमाशा देखता रहा। हंस रहा था। कोटा में नीलू राणा कांड था, क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय, उसको हश--अप करने की कोशिश की जा रही थी। उस पूरे हत्या प्रकरण को जो बलात्कार और हत्या का सम्मिलित प्रकरण था, आत्महत्या के रूप में परिभाषित करने की पुलिस ने कुचेष्टा की। लेकिन वहां की जनता का दबाव बढ़ा। फिर नीलम होटल कांड हो गया, उसके मैनेजर की हत्या हुई। उस मैनेजर की हत्या को भी आत्महत्या के रूप में परिभाषित करने की कोशिश की पुलिस प्रशासन ने। इसलिए कोशिश नहीं की कि पुलिस प्रशासन कोई राजी से चाह रहा है।

अध्यक्ष महोदय, नीलू राणा हत्याकांड और होटल हत्याकांड, ये दोनों एक दूसरे से मिली हुई कड़ियां हैं। मुझे आशंका है कि नीलू नाम की लड़की की हत्या उसी होटल में की गई और चूंकि वह मैनेजर प्रत्यक्षदर्शी था। इसलिए सबूत मिटाने के लिए उस मैनेजर की हत्या कर दी गई। फिर एक प्रकार से उन तफतीशों को मोड़ने की कोशिश की गई, हत्या के केसों को आत्महत्या में तब्दील करने की कोशिश की गई। उसमें और कोई नहीं, राजस्थान में सरकार में बैठे हुए केबिनेट स्तर के मंत्रियों के हाथ थे, जो सरे आम हत्याएं

(श्री हरिसिंह)

करवा रहे हैं, यह मेरा आरोप है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे शासन को भी अगर कुशासन महामहिम राज्यपाल महोदय नहीं कहते तो राजस्थान की साढ़े चार करोड़ जनता को बड़ी तकलीफ होती, बहुत तकलीफ होती, क्योंकि राजस्थान की जनता का निर्णय और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का फिर कोई मेल नहीं रह गया होता। राज्यपाल महोदय ने वही कहा है जो राजस्थान की जनता ने निर्णय किया।

अध्यक्ष महोदय, महामहिम ने वही उच्चारित किया है जो राजस्थान की जनता ने निर्णय किया है। राजस्थान की जनता की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने इस तंत्र को कुशासन तंत्र कहा।

डा. रामप्रताप : कोई मंत्री है उसका नाम लेना उचित रहेगा, बाकी सभी मंत्रियों के लिए ऐसा नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : वह बहुत अखबारों में छप चुका है। अभी मैं नाम लूंगा तो आप कहेंगे, सदन के सदस्य नहीं हैं, आप नाम उच्चारित न करें। अध्यक्ष महोदय, नाम लेने की ज्यादा उतावली हो रही है। अभी-अभी माननीय हमारे पूर्व खाद्य मंत्री यहां भाषण दे रहे थे; एक प्रश्न पूछा जा रहा था और तत्कालीन खाद्य मंत्री उसमें जवाब-तलब बड़े लम्बे-चौड़े कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय, जवाब सबके पास थे, जवाब दे दिये गये। लेकिन इसी विधान सभा में, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, जयपुर की पाश कालोनीज में जो आपने राशन की दुकानें बन्द करवाईं, चार हजार राशन कार्डों के लाइसेन्स को खत्म करवाया, उसके बाद में उन्हीं दुकानदारों को आपने चार हजार लीटर और तीस हजार लीटर ऑयल वितरण करवाया। मैंने इसी सदन में आपका ध्यान आकर्षित किया था।

(13.29 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

बहुत भयंकर घोटाला हो रहा है, आप ध्यान दीजिए, मैंने इसी सदन में कहा था

डा. रामप्रताप : जो कुछ भी आप कह रहे हैं, आपने यहां जो क्वेश्चन उठाया था उससे 15 दिन पहले मैंने जांच शुरू करवा दी थी। बैठकर सदन के पांच सदस्यों को ले आओ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप सुनिये

डा. रामप्रताप : आपने मेरी गैरहाजिरी में सवाल उठाया था। आपने जो सवाल उठाया उसके 15 दिन पहले मैंने उसी कार्यवाही की जांच शुरू करवा दी और जांच में जो दोषी पाया गया उसको सजा दी गई। डिटेल लेनी है तो ले लेना बाद में। आप तो पन्द्रह दिन बाद बोले हो। बाकी साफ हो गया पाटिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप दूसरों से ठीक हो इसलिए तो जीत गये हो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं बता रहा हूं, कितने ठीक हैं। सभापति महोदय, इसी सदन में जब माननीय डाक्टर साहब रामप्रताप सिंह यहां पर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे तब मैंने बैरल पाइंट का मसला उठाया था। मैंने ध्यान आकर्षित किया था कि बैरल पाइंट के अपाइन्टमेंट में घपला हो रहा है। आपने किस कानून के तहत ये बैरल पाइंट दिये हैं। (व्यवधान)... यही तो मैं कहना चाह रहा हूं।

डा. रामप्रताप : किस को दिया है? उस गरीब को दिया है। दे दी जो दे दी।

श्री रतनाराम चौधरी : आज केरोसीन बिक रहा है, किसान मारे जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आज, अध्यक्ष महोदय, आप ही के जिले में उन बैरल पाइंट्स पर केरोसिन भेजकर किसान के ट्रैक्टर और इंजन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है....

डा. रामप्रताप : जो गांव के किसानों के बेटे बेरोजगार थे उनको दिया है। दे दिया जो दे दिया।

श्री रतनाराम चौधरी : क्यों दिया आपने? लाखों का मुद्दा है....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह सब आपने +++को दिये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब आप अपनी पार्टी के लोगों को दे देना। आप उन्हें हटा कर अपनी पार्टी के लोगों को देना।

श्री अमराराम (धोद) : अब क्या आप टोपी वालों को देंगे? (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर .. (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, व्यवधान बहुत हो रहा है....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : सभापति महोदय, इस प्रकार +++शब्द यूज करना मैं समझता हूं, ठीक नहीं है। इस प्रकार के वरिष्ठ मंत्री को माफी मांगनी चाहिये।

श्री सभापति : मैं माननीय वक्ता महोदय से भी निवेदन करूंगा कि आप इनको इतना ज्यादा इंगित नहीं करें। प्रोत्साहित करेंगे तो बोलेंगे इसलिये मेरा निवेदन है। कृपया व्यवधान नहीं कीजिये, आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज, कृपया बैठिये।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, ये मंत्री महोदय इतने वरिष्ठ

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

हैं इनको बोलने का तरीका नहीं है। यह जो शब्द है इस शब्द को कार्यवाही से निकाला जाए। वरिष्ठ मंत्री इस प्रकार से बोलते हैं। इन्होंने +++ कहा, क्या होता है +++ ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : +++ हैं, वे +++ हैं। आप क्यों नाराज हैं ? आप +++ नहीं हैं तो नहीं हैं।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, इसको कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : आपके मुख्य मंत्रीजी ने नेकर क्यों पहनी थी ? फोटो छपी हुई है नेकर में।

श्री मदन दिलावर : इतने बुजुर्ग हैं, इनको बोलने का तरीका नहीं है किस प्रकार से बोला जाता है।....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया भाषण चालू रखिये अपना। (व्यवधान) सबने पहनी है नेकर।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। इन्होंने शायद बहुत सीमित भाषा का प्रयोग किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे प्रशासन तंत्र में बैठे हुए अधिकारियों को बाध्य कर दिया कि वे अपनी पेंट के नीचे जाकी नेकर पहनें। माननीय रामप्रतापजी, मैं उस समय जब कुछ आक्षेप नहीं लगा रहा था तब मुझसे कहा जा रहा था कि भाषण नीरस है। लेकिन मैं भयभीत था कि अगर मैं सही बातें कहूंगा तो आप व्यवधान डालेंगे और व्यवधान डालेंगे तो मेरे बोलने में आप रुकावट पैदा करेंगे। और वह आ गयी।

सभापति महोदय, मैं माननीय रामप्रतापजी को साधुवाद देते हुए एक बात के लिये उनकी फिर थोड़ी-सी आलोचना करना चाहूंगा। साधुवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा। मैंने यहीं इसी सदन में जयपुर में उस समय बन रहे ग्वाला घी का एक पैकिट सदन में पेश किया था। मुख्य मंत्रीजी के हाथ में दिया था। मैंने निवेदन किया था, मुख्य मंत्रीजी, यह ग्वाला घी देशी घी के नाम से जयपुर में जो बिक रहा है वह घी नहीं है, बटर आयल है और धड़ल्ले से बिक रहा है। उसकी जांच करवायी गयी। मंत्रीजी ने खुद करवायी। उसको बटर आयल पाया गया। मंत्रीजी ने छापा डाला। 32 लाख रुपये का घी बरामद किया गया लेकिन मंत्री महोदय, आगे क्या हुआ ? आप रामकिशनजी से कह रहे थे कि क्या हुआ 12 हजार करोड़ रुपये का ? मैं आप से पूछता हूं, क्या हुआ 32 लाख रुपये का?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

डा. रामप्रताप : मैं आपको साधुवाद दूंगा इस बात को यहां कहने के लिये। लेकिन आप मेरी यह भी सुन लीजिये कि यह हैल्थ इंस्पेक्टर और हैल्थ डिपार्टमैंट का मामला था। फिर भी मैंने इसमें छापा मारा और जांच करवायी। यह केस यह मेरे से संबंधित

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, यह खाद्य से संबंधित मामला था, आपने छापा मरवाया, डी.एस.ओ. से।

डा. रामप्रताप : डी.एस.ओ. से मरवाया, लेकिन गलत काम नहीं था।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं कह रहा हूं सही था।

डा. रामप्रताप : श्रीमान्‌जी, सुनिये। हाई कोर्ट तक वह केस गया है और मेरा कोई दोष नहीं है। यदि मेरे पर आरोप लगाएंगे तो निश्चित तौर से जवाब दूंगा। यह हैल्थ डिपार्टमैंट का था, मेरा नहीं था, आपकी जानकारी के लिये कह रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी बात करें आसन की ओर इंगित करके करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री सभापति :What is your point of order ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों में जो डिबेट के लिए माननीय सदस्यों को निर्देश दिये गये हैं उनके अनुसार जब इनकी बारी आए तब वे जो प्रश्न यहां उठें उसके बारे में बोल दें, बीच में ऐसे सीधे जवाब-सवाल नहीं कर सकते।

श्री सभापति : मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है और वक्तागण से भी निवेदन है, विधान सभा की परम्परा रही है कि जब कभी भी कोई वक्ता भाषण करे सदन में, आसन की ओर ही इंगित करके बोले। वाद-विवाद चलता है यह सवाल-जवाब के लिये नहीं है। आपका जब मौका आए उस समय जवाब दिया जाए, बीच-बीच में रोकथाम नहीं होनी चाहिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, धन्यवाद। सभापति महोदय, मैंने प्रसंगवश यह बात कही है। अभी माननीय पूर्व खाद्य मंत्री महोदय, वर्तमान खाद्य मंत्री महोदय से पूछ रहे थे कि जो खाद्य सामग्री आपने पकड़ी, जो दालें पकड़ी, उसका क्या हुआ? जब उनकी बारी आए वे जवाब दे दें मेरे प्रश्न का। 32 लाख रुपये का बटर आयल जिसकी रिपोर्ट आ गयी थी कि यह घी नहीं है, वह मंत्री महोदय के आदेश से सीज हुआ। उसकी एफ.आई.आर. सांगानेर थाने में दर्ज हुई। उस केस में एफ.आर. क्यों लगी और 32 लाख रुपये का माल क्यों रिलीज हुआ. (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : घी और बटर में कोई फर्क नहीं है, यह हाई कोर्ट में भी बात कही थी। क्या बात कर रहे हैं ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप मंत्रीजी से पूछ लें। इनके पैरामीटर्स में फर्क है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह आपकी समझ से बाहर की बात है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर।

डा. रामप्रताप : you cannot follow this thing.

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

डा. रामप्रताप : मुझे इस बात पर अफसोस है कि आप इसको इंटरप्रेट कर ही नहीं सकते।

डा. चन्द्रभान : कैसे अलाउ कर रहे हैं इनको ? कौनसे नियमों के अन्तर्गत आप इनको अलाउ कर रहे हैं ? यह कोई डिस्कशन हो रहा है क्या ?

डा. रामप्रताप : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जब बोल रहे थे इनका संबोधन भी आपकी तरफ होना चाहिये।

श्री सभापति : यह कोई तत्काल जवाब देने का नहीं है। वे अपना भाषण दे रहे हैं आपका मौका आए जब आप भी बोल जाइये। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं करें।

श्री सांवरलाल : माननीय सदस्य इधर देखकर नहीं बोलें, आपको संबोधित करके बोलें। अगर इधर करेंगे तो निश्चित रूप से जवाब मिलेगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, माननीय खाद्य मंत्रीजी ने चूंकि बहुत जोर लगाया था, मैं पूछना चाहता हूं गंगानगर और हनुमानगढ़ की मंडियों में, जब ये खुद खाद्य मंत्री थे, जब गेहूं की सरकारी परचेज की गयी, 50 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जा रही थी। उस समय गंगानगर और हनुमानगढ़ के व्यापारियों ने किसानों के नाम पर अपने गेहूं का स्टाक बेचा। 50 रुपये की सब्सिडी इनके विभाग से ली और करोड़ों रुपये का घपला किया। क्या मंत्रीजी इसकी जांच करवाने के लिए तैयार हैं ? इसके सबूत मैं दूंगा, मेरे पास इसके सबूत हैं। ये गंगानगर ही बैठे थे, हनुमानगढ़ ही बैठे थे और इनकी आंखों के सामने ये समस्त घपले हो रहे थे। मैंने इसलिये कहा है कि अभी मंत्री महोदय को इंगित करके इन्होंने कोई बात कही थी। सभापति महोदय, वे बातें मैं अब....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अभिभाषण पर यह स्पीच है आपकी ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : हां, मैं अभिभाषण की बातें कर रहा हूं, इसमें बहुत कुछ है। सभापति महोदय, ...(व्यवधान) मेरी तो कोई टाइम लिमिट नहीं है....

श्री सांवरलाल : इसीलिये आपको छोड़ दिया मंत्रिमण्डल से।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैंने कांग्रेस की चालीस सालों की उपलब्धियों का बखान किया, उनका विस्तृत ब्यौरेवार विवरण दिया। सात पंचवर्षीय योजनाओं में कांग्रेस की सरकारों ने मात्र 7 हजार 287 करोड़ रुपये खर्च करके ये भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कीं। 1990 में आप आ गये तो दो तो आपको वार्षिक योजनाएं बनानी पड़ीं 90-91 और 91-92, क्योंकि वहां तुरंत गति से केन्द्र में सरकारें बदल रही थीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्टिंग तैयार नहीं हुआ था इसलिये वार्षिक योजनाएं बनानी पड़ीं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना भारी भर-कम साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये की लेकर सरकार आयी थी। आज प्रतिपक्ष में बैठे हैं, पूर्व मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं, इनके केबिनेट के साथी मौजूद हैं, उस साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये की क्या उपलब्धियां रहीं, इस अभिभाषण के वाद–विवाद में जब वे जवाब दें तो कम से कम उनका उल्लेख तो कर दें। सबसे दुःख की बात यह है, मैं तो किसान का बेटा हूं....(व्यव-धान) आठवीं पंचवर्षीय योजना में किसान और उसकी खेती के लिये उन्होंने कोई पैसा निर्धारित नहीं किया जबकि राजस्थान का 70 परसेंट आबादी क्षेत्र खेती के ऊपर निर्भर है। खेती उसकी रीढ़ की हड्डी है, आर्थिक सम्बल है, सबसे बड़े नियोजन का साधन है राजस्थान में। लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना में तत्का-लीन सरकार ने खेती और किसान के ऊपर कोई खर्च करने की जरूरत ही नहीं समझी।

श्री सभापति : समाप्त करेंगे भाषण ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, मैंने तो अभी शुरू किया है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य निर्धारित किये गये थे कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार करेंगे, चिकित्सा क्षेत्र का विस्तार करेंगे। जन-जन तक चिकित्सा सुविधाएं पहुं-चाने का लक्ष्य निर्धारित किया। कि गांवों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाकर आर्थिक सम्बल प्रदान करेंगे। राजस्थान में आधारभूत ढांचे का विकास करेंगे। पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। पर कैपिटा इनकम में राजस्थान और केन्द्र के बीच में जो डिफरेंस है उस गैप को मिटाएंगे। राजस्थान का त्वरित गति से औद्योगिक विकास करेंगे और बेरोजगारी की समस्या का निराकरण करेंगे। आठवीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट था उसके 9 फोल्ड उद्देश्य ये थे। ये 9 उद्देश्य थे।

सभापति महोदय, उनमें से एक भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी, एक भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई और पैसा किस रास्ते से गया, कहां खर्च हुआ इसका उस समय की सरकार को पता तक नहीं चला। ये पूरे के पूरे जो 9 लक्ष्य थे, दिशाहीन सरकार के होने के कारण, दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव होने के कारण सर-कार अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में विफल रही। ना शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ। तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री जी यहीं विराजमान

(श्री हरिसिंह)

हैं, सभापति महोदय, गुणात्मक सुधार में किया क्या ? स्कूलों का टाइम टेबल बदल दिया। तुगलकी योजना लागू की, बच्चों को ड्रेसें बदलकर के इतिश्री कर ली। ट्रांसफर पालिसियों में पांच साल तक उलझे रहे लेकिन शिक्षा में कहीं गुणात्मक विकास नहीं हुआ। अगर शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए इस देश में सबसे पहले किसी ने सोचा तो वे स्वर्गीय राजीव जी गांधी प्रधान मंत्री थे जिन्होंने इस देश में शिक्षा के सुधार के लिए नई शिक्षा नीति निर्धारित की, देश में व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर ध्यान केन्द्रित करके व्यावसायिक शिक्षा का श्रीगणेश किया।

लेकिन उस समय राजस्थान में केन्द्र से व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर जो अनुदान आता था उसका प्रयोग नहीं हुआ। व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों का सिलेबस तक तय नहीं हुआ, ट्रेड टीचर्स तक उपलब्ध नहीं करवाये। अंत में थककर यह कह दिया कि व्यावसायिक शिक्षा के जो स्कूल हैं उनको हम बंद कर रहे हैं। यह शिक्षा में गुणात्मक विकास की बात इन्होंने की।

सभापति महोदय, जहां तक सड़कों के विकास का सवाल था, तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह कहते थे कि जब मैं सड़कों पर गड्ढे देखता हूं तो मेरे दिल पर फफोले उभरते हैं। राजस्थान की 56856 किलोमीटर सड़कों में, सिवाय नेशनल हाइवेज के, जो स्टेट हाइवेज हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, लोकल रोड्स हैं, लिंक रोड्स हैं पंचायतों की, एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिस पर गड्ढे न हों। सरकार का सड़कों के लिए निर्धारित पैसा किस रास्ते खर्च हुआ यह तो वे पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर जानें, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं कि जो उपलब्धि रही वह यह रही कि भारतीय जनता पार्टी के नाकारा बेरोजगार कार्यकर्ताओं को सड़कों के निर्माण के लिए ठेकेदार बना दिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चतुर्वेदी जी का लड़का ठेकेदार था।

श्री हरिसिंह (महुवा) : इनके वाक्य को मेरे ही संभाषण में जोड़ें। सभापति महोदय, लालसोट से आने वाले....

श्री नन्दलाल मीणा : अब आप दो ना ठेका। एक आदमी को ठेका ना दे सके तो क्या कर सकते हो ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ..(व्यवधान) जो आज सहकारिता राज्य मंत्री हैं ..

श्री सभापति : कृपया शांत रहें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य, सिकराय से आने वाले माननीय सदस्य और मैं, हमने डी.आर.डी.ए., दौसा में इनके द्वारा निर्मित कुछ लिंक रोडों की जांच करवाई थी और यह मसला विधान सभा में उठाया था। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि डी.आर.डी.ए की रिपोर्ट आ जाने दो। हमारी मांग थी

(श्री हरिसिंह)

कि एडीशनल चीफ से जांच करवा ली जाए। डी.आर.डी.ए. की रिपोर्ट आ गयी। रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवा दी गयी। कोई भी लिंक रोड पूरी नहीं हुई, किसी भी लिंक रोड पर अपेक्षित मोरम नहीं डाली गयी। किसी भी लिंक रोड में अपेक्षित चौड़ाई नहीं की गई, किसी भी लिंक रोड का जितना अपेक्षित था उतना अर्थ वर्क नहीं किया गया। यह रिपोर्ट आ गयी। जांच की थी डी.आर.डी.ए. के एक्स.ईएन. और ए.ईएन. ने, वह रिपोर्ट हमने पेश कर दी।

लेकिन उसके बाद में सरकार मुकर गयी। बार-बार हम इसी सदन में याद दिलाते रहे कि इसकी जांच करवा ली जाए। जांच नहीं करवायी क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो ठेकेदार बने हुए थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे वहां के छुटभैये राजनेता भ्रष्टाचार में लिप्त थे वहां के एक्स.ईएन., ए.ईएन. और जे.ईएन.। सभापति महोदय, जब जांच नहीं हुई तो मुझे शंका है, यह भ्रष्टाचार का पैसा राजस्थान भर से आकर यहां पर राज सत्ता के उच्चस्थ पदों पर बैठे हुए लोगों की जेबों तक पहुंचता था, इसलिए यह जांच नहीं हुई।

सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कभी सहकारिता मंत्री हुआ करते थे हमारे, कुम्भाराम जी आर्य। कांग्रेस का शासन था; माननीय शेखावत साहब उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे। कोई उपभोक्ता संघ में गुड़ के घोटाले का मामला उठाया और यहां आरोप लगाया कि माननीय राजस्व मंत्री कुम्भाराम जी आर्य एक करोड़ रुपये का गुड़ खा गये। जांच हुई वह अलग प्रकरण है, वे निर्दोष साबित हुए वह अलग प्रकरण है। सभापति महोदय, लेकिन मैं कह रहा हूं कि +++ लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सार्वजनिक निर्माण मंत्री अखाद्य को खा गये, तीन करोड़ रुपये की डामर खा गये कोटा में और डेढ़ करोड़ रुपये की डामर दौसा में खा गये।

श्री सभापति : +++ हरिसिंहजी, डामर कैसे खाया ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं यही तो कह रहा हूं कि वह +++

श्री मदन दिलावर : पुराना अनुभव है, पहले के आधार पर बता रहे हैं। पहले खायी थी, इसलिए यह बात है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, आपने आठवीं पंचवर्षीय योजना में टार्गेट निर्धारित किये थे कि सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवायी जाएंगी। मैं पांच साल की प्रगति का विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी के शासन की उपलब्धि कहा

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिसिंह)

जा सकता है। आपने आठवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य निर्धारित किया था कि 350पी.एच.सी. खोलेंगे लेकिन 243 खोलीं। सी.एच.सी. 155 खोलेंगे यह लक्ष्य था, लेकिन 55 खोलीं। आयुर्वेदिक औषधालय 125 खोलेंगे लेकिन 30 खोले। कहां गया यह पैसा साढ़े 11 हजार करोड़ ? किस रास्ते निकल गया ? हकीकत यह है कि यह निर्धारित राशि को भ्रष्टाचार का घुन खा गया। जो पैसा विकास के कार्यों में लगना था भ्रष्ट शासन तंत्र की जेबों में चला गया। उनकी आलीशान कोठियां जयपुर में बन गयीं। उन्होंने सात पुश्तों तक की व्यवस्था अपने पास करने का प्रण कर लिया था। एक पुश्त की व्यवस्था में तो उनका काम भी नहीं चला।

सभापति महोदय, यही स्थिति आई.आर.डी.पी. की रही। चयनित परिवार का यह लक्ष्य था कि हम गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का उत्थान करेंगे और लक्ष्य निर्धारित किया था 7.45 लाख परिवारों का कि सात लाख 45 हजार परिवारों को आर्थिक ससाधन उपलब्ध करवाकर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाएंगे। लेकिन लक्ष्य के अगेंस्ट में उपलब्धि पूरी पंचवर्षीय योजना में 4 लाख 47 हजार परिवारों की रही। जे.आर.वाई.की जो उपलब्धि रही वह भी 47 प्रतिशत है।

सभापति महोदय, मैं जानता हूं, इधर से यही गीत गाया जाएगा कि आपने जितना सातों पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च किया उससे दुगना तो हमने एक ही पंचवर्षीय योजना में खर्च कर दिया। लेकिन सातों पंचवर्षीय योजनाओं में जो हमारी भौतिक उपलब्धियां हैं, हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमने जो बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था, उसकी प्राप्ति की। वह साढ़े सात सौ मेगावाट की थी। इन्होंने साढ़े चार सौ मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया आठवीं पंचवर्षीय योजना में, जिसके मुकाबले 265 मेगावाट बिजली बना पाए। यह भी वह योजना थी जिसकी आधारशिला, जिसकी कल्पना, जिसका ड्राफ्ट, जिसको पूरा करने का लक्ष्य मेरे बगल में बैठे हुए माननीय शिवचरणजी माथुर ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में सूरतगढ़ में रखा। प्रोग्राम हमारा था, वाहवाही वे ले गए। सभापति महोदय, यह स्थिति आठवीं पंचवर्षीय योजना में इनकी रही।

सभापति महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना की विफलता के साथ, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस वर्तमान सरकार के सम्बन्ध में, उसकी कार्य प्रणाली निर्धारित करने के सम्बन्ध में जो बात की है, मैं उसके सम्बन्ध में आपसे अनुरोध करूंगा। सभापति महोदय, मैं दो महत्वपूर्ण बातें आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। इस सरकार ने, वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने शासन की कुर्सी सम्भालने के सात दिन के अंदर–अंदर महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मंत्रिमंडल की पहली जो मीटिंग हुई, पूरे प्रदेश को वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने एक दिशा-निर्देश दिया। चुनाव होते हैं,

(श्री हरिसिंह)

चुनाव में घोषणा पत्र लिखे जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इन घोषणा पत्रों को न तो उम्मीदवार पढ़ पाते हैं, न मतदाता पढ़ पाते हैं। यह सच्चाई है।

सभापति महोदय, आप स्वयं जानकार हैं, आप कई चुनाव लड़ चुके हैं। मैं भी कई चुनाव लड़ चुका हूं लेकिन पहली बार इन घोषणा पत्रों का कुछ महत्व हो, इसके महत्व को इंगित करने के लिए, इसके महत्व को प्रदर्शित करने के लिए पहली केबिनेट मीटिंग में राजस्थान के मुख्य सचिव के हाथ में कांग्रेस का घोषणा पत्र थमा दिया कि हमारी यह गीता है, यह हमारी बाइबल है, यह हमारी रामायण है, यह हमारी कुरान है और इसमें जो लिखा है उसकी अनुपालना आपको करनी होगी। हमारी सरकार ने पारदर्शिता, उत्तरदायी शासन, संवेदनशील सरकार और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है, जो पूर्ववर्ती सरकारें आठ वर्ष में नहीं कर पाईं।

सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण काम और किया है और उसका श्रेय निश्चित रूप से भारत में पहली बार अगर किसी को जाता है तो राजस्थान के वर्तमान मुख्य मंत्री माननीय अशोकजी गहलोत को जाता है। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने केबिनेट के साथियों को, कांग्रेस के समस्त माननीय सदस्यों को एक परिपत्र जारी करके यह कहा है कि आप अपनी परिसम्पत्तियों की घोषणा करेंगे और लिखित में कांग्रेस पार्टी को देंगे। साथ ही यह मांगा है कि आप अपनी आय के संसाधनों को डिसक्लोज करेंगे कि आपके पास अपनी आय के संसाधन क्या हैं। यह भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए पहला कदम है। कोई राजनेता हिन्दुस्तान में सिवाय अशोक गहलोत के, इतनी प्रबल, दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाया। सभापति महोदय....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बधाई हो, पक्का नम्बर हो गया आपका।(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : हां, हां, वह तो पूछ लेंगे, वह तो डिसक्लोजर में आ गया न।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, यह राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रख रहे हैं या मुख्य मंत्रीजी के प्रति....

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह सब इसमें आया है। अभिभाषण अगर आपने पढ़ा हो तो ये सब बातें आई हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पढ़ लिया, यह बात नहीं है उसमें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : किसमें ? सरकार कोनसी है, सरकार किसकी है ?

श्री सभापति : आप तो सुनाइए, सब सुनिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह इसलिए किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा—वह सरकार जिसके महामहिम प्रमुख हैं, जो यहां पर अभिभाषण करके गए हैं, उनकी सरकार ने यह इसलिए किया है कि जीने की अगर सफाई करनी है तो ऊपर की सीढ़ी से हो, नीचे की सीढ़ी से नहीं हो। हम राजनेता नीचे के अधिकारियों को कोसते रहें कि वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, प्रशासन तंत्र बिगड़ गया, ब्यूरोक्रेसी बिगड़ गई, पुलिस रिश्वत खा रही है, डाक्टर रिश्वत खा रहे हैं, तो भ्रष्टाचार नहीं मिटने वाला। भ्रष्टाचार अगर मिटाना है तो हमको पहले अपने आपको सफाई के साथ पेश करना पड़ेगा।

अगर इस देश से भ्रष्टाचार का कलंक मिटाना है तो पहले राजनेताओं को स्वच्छ और साफ-सुथरा बनना पड़ेगा। अगर ये नहीं बने तो भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा और भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा तो विकास के अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। चाहे हम अभिभाषण कितनी भी लच्छेदार भाषा में दे लें, चाहे हम कोई भी घोषणाएं कर लें, अगर अपेक्षित परिणाम लाने हैं तो जीने की सफाई ऊपर से करनी पड़ेगी और ऊपर से जब सफाई होगी तो नीचे की सीढ़ी की सफाई निश्चित होगी, इसमें कोई कहीं कमी नहीं रहेगी।

सभापति महोदय, यह इस सरकार की दो प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्तियों का दिग्दर्शन महामहिम के इस अभिभाषण के मार्फत हुआ है और मैंने आपके सामने इसका सिर्फ विश्लेषण किया है। सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि काफी लम्बी बात हो गई। सभापति महोदय, सरकार ने जो आठवीं पंचवर्षीय योजना बनाई थी उसमें लक्ष्य था कि सम्पूर्ण रोजगार देंगे। यह आठवां उद्देश्य था उस योजना का कि हम सम्पूर्ण रोजगार देंगे। लेकिन रोजगार तो नहीं दे पाए, उलटे बेरोजगार युवकों को हतोत्साहित किया, उनको आंसू बहाने के लिए मजबूर किया, उनको अपने भविष्य के प्रति चिंतित होने के लिए मजबूर किया, कोई रोजगार के साधन सृजित नहीं किये। सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कोटा, अलवर और भिवाड़ी में औद्योगिक क्षेत्रों की संरचना की, जिनमें बड़े-बड़े कल-कारखाने स्थापित हुए, जिनमें राजस्थान के बेरोजगारों को रोजगार मिला।

आप उद्योग नीति तो लाए लेकिन उस उद्योग नीति के अनुरूप कर्म नहीं किया। राजस्थान में कोटा में, भिवाड़ी में, अलवर में स्थापित बड़े-बड़े उद्योगों की तालाबन्दी हो गई, नए उद्योग लगाना तो दूर की बात है। सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री बन्द हो गई, भीलवाड़ा में बन्द हो गई, कोटा में बन्द हो गया जे. के. सिंथेटिक्स। भिवाड़ी में स्थापित 810 यूनिटों में से, आज इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस प्रदेश का नहीं हो सकता कि 500 यूनिटें सिक पोजीशन में हैं, पीड़ित हैं। ये सब महत्वपूर्ण काम आज हमको ही करने पड़ेंगे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद): आप कब चालू करा देंगे ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के नाम पर कहीं आप अमेरिका घूम आए और सौर ऊर्जा की बातें कह दीं। सभापति महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के नाम पर बातें की गई लेकिन बेरोजगार युवकों के लिए कुछ नहीं सोचा गया। सबसे बड़ा कुठाराघात अगर उसके ऊपर किया तो यह किया कि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमैंट की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष कर दी, क्योंकि सरकार का खजाना खाली था। सरकार के पास एक हजार करोड़ रुपए का इंतजाम नहीं था।

लेकिन राजस्थान की वर्तमान सरकार ने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति का प्रदर्शन किया है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, 15 हजार युवकों को रोजगार देने के लिए, उनको नियोजित करने के लिए उस एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार उठाने का संकल्प जाहिर किया और रिटायरमैंट की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी। आपने तालाबंदी में युवकों को बेरोजगार कर दिया, औद्योगिक क्षेत्र जो विकसित होने थे वे बंद कर दिए। औद्योगिक नीति लाये लेकिन सिर्फ किताबी बातें बन कर रह गई। उद्योगों का विनाश हुआ। उद्योग लाने के लिए देश में यात्राएं की गई कि मारवाड़ियों को आकर्षित करेंगे, विदेश यात्राएं की गई कि वहां से भारतीय मूल के जो उद्योगपति हैं उनको आकर्षित करेंगे, लेकिन आकर्षित करने के नाम पर कुछ नहीं हुआ। भारतीय मूल का मात्र एक उद्योग, मात्र चार करोड़ रुपए का श्री राम फैट्स जयपुर के पास लगा हुआ है, यह उपलब्धि है। (व्यवधान)

(14.00 बजे)

सभापति महोदय, एक दिवास्वप्न दिखाया मुख्य मंत्री जी ने विद्युत में। पूरी आठवीं पंचवर्षीय योजना में आठ किलोवाट बिजली पैदा नहीं की। जो बिजली पैदा की थी वो वह थी जिसकी माननीय शिवचरण जी माथुर के समय में आधारशिला रखी जा चुकी थी, जिसके लिए बजट निर्धारित कर चुके थे। वह वो थी बाकी नहीं किया। जैसलमेर गये, बाड़मेर गये। 300 किलोवाट सौर ऊर्जा उत्पादित करने की बात थी कि एक किलोमीटर ऊंची चिमनी बनेगी। सौर ऊर्जा प्राप्त करेंगे और राजस्थान को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के मंच पर हम प्रदर्शित कर देंगे। फोटो वोल्टेज से सौर ऊर्जा लेंगे, चिमनी से लेंगे। मुझे तो पता नहीं, 300 किलोवाट की बात, सभापति महोदय, की थी, लेकिन एक यूनिट भी बिजली पैदा नहीं की। पांच साल तक एम.ओ.यू. करते रहे, उदारीकरण की बात करते रहे। प्राइवेट कम्पनियों से इन्होंने 22 एग्रीमैंट किये, लेकिन पूरा एक नहीं किया, एक का काम शुरू नहीं हुआ। क्या हुआ बरसिंहसर का ? क्या हुआ सूरतगढ़ का ? क्या हुआ धौलपुर का ? क्या हुआ भीलवाड़ा का ?

श्री किरोड़ी लाल : भीलवाड़ा में क्या था ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी भीलवाड़ा में। बिजली का संयंत्र लगाने की घोषणा की थी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप सूरतगढ़ का नाम तो लीजिए। सूरतगढ़ पूरी हुई उसका भी तो नाम लीजिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं ले रहा हूं। सभापति महोदय, कुछ आशंकाएं हैं इनको। 22 कम्पनियों से एग्रीमेंट किया, एक भी वापस नहीं आया लौटकर। अभी कलपरसों कोई बात हो रही थी तो कह रहे थे, उद्योगपतियों का यह कहना था कि मुख्य मंत्री चाय पिलाकर भेज देते हैं, इंजीनियर से बात करने की बात कहते हैं और इंजीनियर पूर्ण विराम, कामा और अल्प विराम की उसमें कमी निकालकर हमारे एग्रीमेंट को उठाकर दराज में फैंक देते हैं। क्योंकि कभी दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं थी, विद्युत उत्पादन का लक्ष्य नहीं था, सिर्फ घोषणाएं की गयी थीं। मुख्य मंत्री जी राजस्थान के मुख्य मंत्री न होकर घोषणा मंत्री बन गए। बिजली के संबंध में एक जनवरी, 95 से लेकर 2 फरवरी, 96 तक जो मुख्य मंत्री जी ने विभिन्न स्थानों पर घोषणाएं कीं, मैं उनको नोट करता रहा हूं, सभापति महोदय, अगर मैं इनकी गिनती करूं तो ये 76 हैं। एक वर्ष में 76 घोषणाएं कीं।

मैं कतिपय उदाहरण देना चाह रहा हूं। जोधपुर में 3 जनवरी, 1995 को 4400 मेगावाट की बिजली योजनाओं को अंतिम रूप मुख्य मंत्री जी की घोषणा। यह बात मुख्य मंत्रीजी ने पंचायत चुनाव के भाषणों में कही चुनावों को प्रभावित करने के लिए आज तक 4400 मेगावाट की योजनाएं कागजों में पड़ी हुई हैं। इन योजनाओं में चित्तौड़गढ़, मथानिया, धौलपुर, और रामगढ़ भी शामिल हैं।

31 जनवरी, 95 को फिर घोषणा की कि बरसिंहसर में बिजली बनाने का ठेका मार्च, 95 तक दे दिया जाएगा। वह नहीं लगा। जयपुर, फरवरी 25 को फिर एक घोषणा की, आर.पी.जे. के काम देने का मानस सरकार ने बना लिया है और सरकार इन अगले वर्षों में राजस्थान को सरप्लस बिजली का प्रदेश घोषित करेगी। पांच हजार मेगावाट बिजली पैदा करने के एग्रीमैंट्स सरकार ने कर लिए हैं। यह अम्बार घोषणाओं का किया गया लेकिन एक यूनिट बिजली की नहीं बढ़ायी गयी।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अभी बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य भीलवाड़ा की बात कर रहे थे। अभी आप भीलवाड़ा की बात कर रहे थे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : चित्तौड़गढ़ के लिए मैं कहना चाहती हूं, 1980 में शिवचरण जी माथुर मुख्य मंत्री थे। चित्तौड़गढ़ की घोषणा तो 1981 की थी, 17 साल पहले की, वह अब तक पूरी नहीं हो पा रही है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : भीलवाड़ा, 21 मई। भीलवाड़ा में 100 मेगावाट विद्युत

(श्री हरिसिंह)

संयंत्र शीघ्र लगाना घोषणा। 21 मई का अखबार पढ़कर देख लो। उसके बाद जब इसी सदन में यह बात कही गई तो यहां पर मुकर गये। इसी में साथ के साथ राजस्थान के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री जी भी सम्मिलित हो गए और ऊर्जा मंत्रीजी ने 15 जनवरी, 96 को एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि चार वर्ष बाद मांग पर विद्युत कनेक्शन दिये जाएंगे: कौशल जी। सूरतगढ़, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, बरसिंहसर, कपूरड़ी की प्रगति को देखने के बाद विद्युत मंत्रीजी यह कहेंगे कि कितने वर्ष बाद में यह मांग पूरी करेंगे, कनेक्शन देंगे। उन्होंने देखा नहीं और घोषणाएं करते रहे। थोथी घोषणाओं का राज खुल गया और क्षेत्र की जनता ने न्याय कर दिया। अब हम आपको वो मौका नहीं देंगे कि आप राजस्थान के इस सर्वोच्च पवित्र सदन में आकर असत्य प्रवचन करें, बयानबाजी करें।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अगर जीतने की उम्मीद होती तो चुनाव जरूर लड़ते। जीतने की उम्मीद हो तो राजनेता नहीं मानता है, चुनाव लड़ना चाहता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बीच में निवेदन कर रहा हूं। सभापति महोदय, माननीय हरिसिंह जी ने सही बात कही है। यहां पर मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की थी, हम 7 हजार मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। यहां विराजे थे उन दिनों में, हम उधर थे। हमने कहा था, साहब, इतनी बिजली का फिर क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि हम दूसरे राज्यों को और पूरे हिन्दुस्तान को सप्लाई करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : भंवरलाल जी, आप बगल में बैठे थे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यही नहीं, शीघ्र बिजली उत्पादन की योजनाएं कीं 11 दिसम्बर, 96। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, राजस्थान की वर्तमान सरकार ने जिनका लेखा-जोखा यहां महामहिम देकर गए हैं अपने अभिभाषण में, राजस्थान के किसान को आठ घण्टे बिजली देने का वायदा किया है। राजस्थान की वर्तमान सरकार एक करोड़ रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त भार उठाकर किसानों को आठ घण्टे बिजली दे रही है और सरकार का यह सोच है कि किसान को अनवरत 15 घण्टे बिजली देंगे। यह व्यवस्था हम चार साल के अंदर पैदा कर देंगे।

डा. किरोड़ीलाल : इस अभिभाषण में कितने घण्टे की घोषणा है?

श्री हरिसिंह (महुवा) : इसमें चार घण्टे की है। आठ घण्टे की चल रही है।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान में जो ला एण्ड आर्डर की स्थिति थी....(व्यवधान) सभापति महोदय, राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति....

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, बिजली की व्यवस्था है उसमें बहुत सुधार हुआ है। यदि नहीं होता तो आज कोई न कोई 295 का प्रस्ताव जरूर आता बिजली पर। एक भी नहीं आया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, राजस्थान में (व्यवधान) मैं अभी संक्षिप्त बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : हरिसिंह जी, आपने सवा घण्टा ले लिया है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : 5 मिनट, मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : 5 मिनट और ले लीजिए। मुझे निर्देश मिले हैं कि आप सवा घण्टे तक बोलेंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मैं मात्र 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। इसमें से अगर आप व्यवधान का समय निकाल दें तो शायद मेरा एक घण्टा भी नहीं हुआ। व्यवधान का समय निकाल दें।

श्री सभापति : थोड़ा-बहुत व्यवधान नहीं होता है तो बोलने में नीरसता आ जाती है। थोड़ा-बहुत चहल-पहल तो रहनी चाहिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उत्पीड़न और अल्पसंख्यकों के साथ में अत्याचार, अनाचार इस सरकार में हुआ। सभापति महोदय, टाडा के अन्दर बंदियों को देखें तो साम्प्रदायिक सद्भाव इस प्रांत का खत्म किया गया। गोहत्या का कानून लाये, मैं गोहत्या का कानून लाने के पक्ष में हूं, लेकिन जिस ढंग से, जिस जल्दी में वह कानून लाया गया था उससे बहुत सारी व्यवस्थाएं और त्रुटियां इसमें रह गईं। राजस्थान, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान की रीढ़ जो हड्डी पशुपालन का जो काम है उस पर कुठाराघात हुआ। विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ताओं की कमेटियां बनीं, पशुपालन के धन्धे से जुड़े हुए अल्पसंख्यक भाइयों पर जोर-जबरदस्ती कुठाराघात हुआ, अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ।

चूंकि व्यापार में लगे हुए मुसलमान भाई थे, सांचोर में 8 ट्रकों को आग लगा दी, भीलवाड़ा में दो ट्रकों को आग लगा दी, झालावाड़ में रोक दिये गये। जब कलक्टर को ये सुपुर्द किये गये तो काटने के नाम पर बाहर जाने की बात की। गौ धन के कारण राजस्थान का नागौर और बालोतरा का बैल्ट आज पूरे उत्तरी भारत में ही नहीं, दक्षिणी भारत में भी नामी है। गुजरात में जाता है, उत्तर प्रदेश में जाता है, हरियाणा में जाता है, पंजाब में जाता है। आज उस नस्ल की कीमत पशुपालक के लिए टके जैसी रह गयी है। यह सबसे बड़ा कुठाराघात हुआ है हमारे साथ में। विश्व हिन्दू परिषद् और आर. एस. एस. के कार्यकर्ताओं ने जो मुसलमान ट्रक ले जा रहे थे उनको रोका, उनमें आग लगा दी। जब जिला कलक्टर

(श्री हरिसिंह)

को सुपुर्द किये तो गोहत्या के प्यारों ने जाकर नहीं देखा, उनको घास, चारा तक नहीं पहुंचाया और सैंकड़ों की संख्या में पशुधन तड़प-तड़प कर कलक्टर के वहां मर गया। यह गो-हत्या प्रियता की बात है।

इस देश में, इस प्रांत में यह पहली सरकार हुई जिसने अपनी पुलिस पर से विश्वास खो दिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : गो-शालाएं निर्मित कर रखी हैं। (व्यवधान) अलवर जहां से सबसे ज्यादा गायें जाती हैं, मेवात क्षेत्र है, हजारों गायों के लिए गो-शाला बना रखी हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : झालावाड़ की बात हो रही है। मैंने और लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य परसादीलाल जी ने झालावाड़ के कलक्टर को टेलीफोन किया था। लालसोट के व्यापारी थे, 15 बैल-बछड़े थे, वे मर गये।

सभापति महोदय, एक खतरनाक पहलू इस सरकार में पैदा हुआ था और एक खतरनाक प्रकार की अविश्वसनीयता पुलिस के प्रति सरकार में पैदा हुई थी वह देखने को मिली तो पहली बार इस भाजपा की 8 वर्ष की सरकार में मिली। कितनी ही बार भाजपा की सरकार ने अपनी पुलिस पर से विश्वास हटाकर यहां पर मिलिट्री को बुलाया। इससे बड़ा खतरनाक दृश्य प्रशासन के लिए कोई दूसरा हो नहीं सकता। जब शासन तंत्र का विश्वास अपने प्रशासन के अधिकारियों से उठ जाए, अपनी पुलिस से उठ जाए तो यह प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक पहलू है।

सभापति महोदय, इस राजस्थान में आठ साल के पीरियड में 20 बार आर्मी को बुलाया जबकि कांग्रेस के 40 साल के पीरियड में अगर आप संख्या गिनेंगे तो नगण्य है। सभापति महोदय, मैं आपको अनुरोध करना चाह रहा हूं कि 24-10-90 को जोधपुर शहर में सबसे पहले आर्मी को बुलाया। जयपुर शहर में आरक्षण विरोधी संगठनों द्वारा जब जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया तो रामविलास पासवान, केन्द्रीय मंत्री के आने की सम्भावना को देखते हुए 6 कालम सेना बुलायी। क्या पासवान जी यहां पर कुछ गड़बड़ कर रहे थे? आरक्षण का मुद्दा था, ओ. बी. सी. के लोगों को बुलाया था।

श्री सांवरलाल जाट—(भिनाय) : ओ. बी. सी. को लो तो सही सबको, आधे बाहर बैठे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप हमारे चुनाव घोषणा पत्र को पढ़ लो।

जोधपुर में 24-10-90 को अयोध्या में राम जन्म भूमि मन्दिर की स्थापना को लेकर उत्पन्न हुई साम्प्रदायिक स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए जोधपुर शहर में सेना बुलायी और 7-10-90 को भी बुलायी। 24-10-90 को नागौर सेना के सुपुर्द कर दिया, 24-10-90 को ब्यावर

(श्री हरिसिंह)

सेना के सुपुर्द कर दिया और जयपुर शहर 24-10-90 को सेना के सुपुर्द कर दिया। यह वह वक्त था जब आडवानीजी की रथ-यात्रा निकली थी। पहली बार एक फिनोमिना इस भाजपा की सरकार में देखने को मिला। कोई बन्द होता है, सरकार उसको विफल करने की कोशिश करती है लेकिन आडवानी जी की रथयात्रा को जब बिहार के मुख्य मंत्री लालूप्रसाद यादव ने रोका तो जयपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने त्रिपोलिया पर एक पब्लिक मीटिंग की, जनता का आह्वान किया कि जयपुर में ऐसा बन्द कर दो जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। इतिहास के पन्नों में लिखा गया और शान्ति के टापू के नाम से जाना जाने वाला जयपुर खून-खराबे के लिए प्रसिद्ध हो गया। कितने लोगों की हत्याएं हुईं और जयपुर को सेना के सुपुर्द करना पड़ा। किसी सरकार का मुखिया अपनी सरकार के खिलाफ यह आह्वान करे कि बन्द ऐसा कर दो जो जयपुर के इतिहास में लिखा जाए, यह हिन्दुस्तान के 50 वर्ष के इतिहास में पहली बार घटना घटी तो राजस्थान में घटी। साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार थी अल्पसंख्यकों का विश्वास सरकार से उठ गया। अल्पसंख्यकों को आज भी शक और संदेह की दृष्टि से देखा जाता है।

सभापति महोदय, वह मुसलमान जो भारत के प्रति वफादार नहीं था, जो राष्ट्र भक्त नहीं था वह बंटवारे के समय 1947 में ही पाकिस्तान चला गया और जो मुसलमान आज यहां रह रहा है वह राष्ट्र भक्त है; इस देश का वफादार है, इस देश का सपूत बेटा है, उसकी विश्वसनीयता पर शंका नहीं की जा सकती। 6 को शास्त्री नगर में मार दिया, गालिब नगर में पुलिस ने गोलियां चलायीं। कितनी-कितनी घटनाओं का उल्लेख करूं, सभापति महोदय; फिर आप मुझे समय की बात सुनाएंगे। लेकिन मैं अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व....

श्री सभापति : अपना भाषण पूरा कीजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, इस सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण में सिर्फ पांच मिनट में आपको सुनाना चाह रहा हूं। आप समय नहीं देंगे तो चार मिनट में सुना दूंगा।

श्री सभापति : संक्षिप्त कीजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : इस सरकार ने जो अपना भाषण दिया है उसमें पहली बार आशा जगायी है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इतना लम्बा समय तो महामहिम ने भी नहीं लिया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नारियों के प्रति यह सरकार महिला आयोग का गठन करेगी, यह सरकार अल्पसंख्यक आयोग

(श्री हरिसिंह)

का गठन करेगी, यह सरकार ओ. बी. सी. कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। सभापति महोदय, जब आप उपाध्यक्ष हुआ करते थे इस सदन में, तो मैंने मांग की थी कि ओ. बी. सी. कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया जाए।

लेकिन वह अनुसूचित जाति और जन-जाति का बोर्ड बना हुआ था उसी में दर्ज कर दिया गया। उसके लिए उस समय विधान सभा में हंगामा भी हुआ था। उस समय के समाज कल्याण मंत्री बैठे हुए हैं, सरकार मैचिंग मनी देने के लिए तैयार नहीं थी। मैचिंग शेयर जो सरकार को देना है वह देने के लिए तैयार नहीं थी। गांव में रहने वाले ओ.बी.सी. के लोग जिनमें वहां के परम्परागत दस्तकार बन्धु हैं, बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, जुलाहे हैं, लुहार हैं, खाती हैं, उनके युवकों को वहां से ऋण उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा तो रोजगार की समस्या का निराकरण होगा क्योंकि यह सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। 9 लाख बेरोजगार आज पंजीयन कार्यालय में दर्ज हैं और कुल मिलाकर हम इनकी संख्या आंकें तो आज राजस्थान में 30 लाख युवक बेरोजगारों की तरह घूम रहे हैं।

हमें तुरन्त औद्योगिक विकास करना होगा, हमारे बेरोजगार युवकों को खेती की तरफ आकर्षित करना होगा, खेतीजनित उद्योगों को पनपाना होगा और किसानों के लिए, जो विलेजेज में रहते हैं, उनको स्वरोजगार की बात हमको करनी होगी। खादी ग्रामोद्योग का विकास करना होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं सरकार ने की हैं।

नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया। नयी कृषि, पर्यटन एवं आवास नीति बनायी जाएगी। उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। समय-समय पर व्यापार मेले लगाकर राजदूतों को आमंत्रित करने का निर्णय इस सरकार ने लिया है। जयपुर में अन्तरराष्ट्रीय पत्थर मेले का आयोजन किया जाएगा जिससे राजस्थान की विपुल पत्थर सम्पदा....

श्री सभापति : हरिसिंहजी, अब समाप्त कीजिये आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) : ... के लिए विदेशों के बाजार खुलेंगे। भ्रष्टाचार मिटाने का दृढ संकल्प, इच्छा शक्ति इस सरकार ने जाहिर की है। पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण की बात की है।

सभापति महोदय, मैं पंचायती राज की बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत लम्बे समय से, जब से संविधान का 73वां और 74वां संशोधन विधेयक....

श्री सभापति : हरिसिंह जी, आपके समर्थक ताम्बी जी कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब बैठ जाओ। अब वे कह रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : संशोधन विधेयक जो पास हुआ, राजीव जी गांधी महात्मा गांधी के सपनों को साकार करना चाह रहे थे, अपने नाना नेहरू के सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया। राजस्थान में महिलाओं को आरक्षण दिया, ओ.बी.सी. को आरक्षण दिया, मैं साधुवाद देता हूं लेकिन यह था तो उसके अनुरूप जो विधेयक वहां पर संविधान संशोधन का पास किया गया था। निश्चित रूप से एक बात कह सकता हूं, एक बात खुली छोड़ दी, कि ओ.बी.सी. को चाहे तो राज्य सरकार आरक्षण दे सकती है। तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी ने ओ.बी.सी. को भी आरक्षण दिया था, संविधान संशोधन में नहीं होते हुए भी दिया था इस बात के लिए मैं उनकी प्रशंसा कर सकता हूं। मैं कोई हमेशा आलोचना का विषय नहीं कह रहा हूं। जो कर्म किया है वह अच्छा किया है तो उसकी प्रशंसा करने की क्षमता भी मेरे में है।

सभापति महोदय, मैं आपसे आज अनुरोध करता हूं कि इस सरकार ने संकल्प लिया है कि डी. आर. डी. ए. को जिला परिषदों के सुपुर्द किया जाए।

(14.20 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी भूल सुधार करना चाह रहा हूं। ओ.बी.सी. के रिजर्वेशन की बात का श्रेय भैरोंसिंह जी शेखावत को जो मैंने दिया था, वह मुझे अभी जानकारी मेरे बराबर के बैठे साथी दे रहे हैं और मैं अपनी भूल सुधार कर रहा हूं; क्षमा प्रार्थना के साथ में भूल सुधार कर रहा हूं कि ओ.बी.सी. के लिए रिजर्वेशन माननीय राज्यपाल महोदय बलिराम जी भगत ने दिया था और वे बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण विकास की आकांक्षाएं, ग्रामीण विकास की अभिलाषाएं, ग्रामीण विकास का सोच तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को जनता के चुने हुए जन प्रतिनिधियों के हाथों में सुपुर्द न कर दिया जाए। हम चार साल तक यह मांग करते रहे कि जिला परिषद को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को दे दिया जाए। अब यह सरकार एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है, यह ग्रामीण विकास के लिए एक अभिनव प्रयोग होगा और निश्चित रूप से यह सरकार इसकी बधाई की पात्र है।

इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय राज्यपाल महोदय जो कृपा करके यहां पधारे, अपना अभिभाषण दिया, मैं इस समूचे सदन से प्रार्थना करता हूं कि मेरे द्वारा रखे हुए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वे अपनी शालीनता दिखाएं सहृदयता दिखाएं, पक्ष–विपक्ष की समरसता दिखाएं और यह सब कुछ उपस्थित करते हुए आप बिना हिचक के इस प्रस्ताव को पास करके राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चार चांद लगाएं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : महा माग्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय हरिसिंह जी, महुवा क्षेत्र से आने वाले सदस्य ने महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा विधान सभा में दिये गये अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करना चाहता हूं।

सर्वप्रथम मान्यवर अध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा के बहुत ही वरिष्ठ, अनुभवी और परिपक्व अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर मैं अपनी ओर से, अपने क्षेत्र की जनता की ओर से आपको बधाई देता हूं। एक गौरव गरिमा के साथ आप निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उसके लिए आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात कहना चाहूंगा।

मान्यवर, राजस्थान निर्माण के बाद प्रतिवर्ष महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होता है और सरकार की रीति-नीति, कार्यकलाप, उपलब्धियां और सरकार आगे क्या करना चाहती है, उसका दिग्दर्शन उसमें होता है। वर्तमान में राजस्थान की जनता ने यह ऐतिहासिक और अभूतपूर्व तीन चौथाई से अधिक बहुमत इस सरकार को दिया है। एक व्यापक समर्थन जन कल्याणकारी नीतियों को लागू करने की दृष्टि से और कथनी एवं करनी में कोई अन्तर नहीं आए, इस आकांक्षा के साथ दिया है। इस सरकार ने लीक से हटकर अपना एक चुनाव घोषणा पत्र जनता के समक्ष रखा जिसे जनता ने इतना व्यापक समर्थन दिया। उस घोषणा पत्र को आधार बनाकर यह सरकार काम करेगी, यह ऐसी पहली सरकार है।

मान्यवर, मुझे याद आता है, 1954 में आजाद के आन्दोलन के एक युवा सेनानी और आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल जी सुखाड़िया 38 वर्ष की उम्र में मुख्य मंत्री बने थे। आजादी के पहले पैदा हुआ एक नौजवान जिसकी बहुत महत्वाकांक्षा थी राजस्थान की जनता के उत्थान के लिए, जब उनको यह भार दिया गया था तब लोग यह समझते थे और यह कहते भी थे कि यह नौजवान इतना क्या कर लेगा। मगर राजस्थान के सबसे कम उम्र के उस मुख्य मंत्री ने भूमि सुधार के कानून, जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने के कानून, किसान को जमीन का मालिक बनाने के कानून और पंचायती राज का सारे देश में एक अभूतपूर्व ढांचा जो दिया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता।

आज आजादी के बाद 1951 में पैदा हुए युवा अशोक गहलोत जी को मुख्य मंत्री के रूप में राजस्थान की जनता ने नई आशा और आकांक्षा के साथ स्वीकार किया है। यह तरूणाई नई अंगड़ाई लेगी। पिछले नौ वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में हालात खराब हुए-कुछ कानून व्यवस्था के, कुछ आर्थिक हालात के और विकास के जो तरीके बनायें गये उनके। लेकिन अब आधारभूत ढांचा 1949 के बाद, राजस्थान के एकीकरण के बाद जो कांग्रेस की सरकार ने दिया, वही राजस्थान के विकास का सारा नक्शा और कार्यक्रम आपके सामने

(श्री रतनलाल ताम्बी)

नजर आएगा। मैं यह मानकर चलता हूं कि बातें बहुत कही जाती हैं, पहले भी यह कहा गया कि इस कांग्रेस की सरकार ने क्या किया 40 सालों में।

मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के महानुभावों से कि 40 सालों में जो कांग्रेस ने किया, वह सारा राजस्थान जानता है और आपने राजस्थान में नौ सालों में क्या किया, उसका जनादेश जनता ने अभी चुनावों में दिया है। लोक सभा के चुनावों में भी दिया था लेकिन विधान सभा के चुनावों में तो इतना भारी बहुमत दिया कि जिससे जनता का अहसास परिलक्षित होता है। कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन में देश की जनता को रोटी, कपड़ा और मकान, पढ़ाई, दवाई की व्यवस्थाओं का, जनता को राज सौंपने का जो वादा किया, उसे कांग्रेस की विभिन्न सरकारों ने पूरा किया है। आज क्या है यह राजस्थान ? जैसा मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य महुवा से आने वाले ने जिक किया, आधारभूत ढांचा चाहे शिक्षा का हो चाहे चिकित्सा का हो, चाहे तालाब, बांध, सड़कें या बिजली का हो, वह राजस्थान में कांग्रेस की देन है। अभी यह कहा गया कि करीब 6883 करोड़ रुपया सातवीं योजना पर खर्च हुआ। हमारे विपक्ष के नेता और उस समय के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत यह कहा करते थे कि कांग्रेस ने केवल इतनी योजना बनाई, इतना रुपया खर्च किया और हमने 27500 करोड़ रुपये की योजना बनाई।

मैं पूछना चाहता हूं कि आज चम्बल का बांध हो या इन्दिरा गांधी नहर हो, बड़े बड़े कल-कारखाने हों, बिजली के बड़े बड़े स्टेशन हों या लाखों किलोमीटर सड़कें हों या गांव-गांव में विद्यालय हों, गांव-गांव में विकास के सारे काम उन 6883 करोड़ रुपये में हुए हैं। और उसके बाद आपकी योजना का आप देख लो, आपने क्या भौतिक रूप से उपलब्धि की ? इस बात की तुलना करने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है।

मैं इस मौके पर यह मानकर चलता हूं कि जिस तरह की आर्थिक स्थिति राजस्थान की सरकार ने संभलाई है-23000 करोड़ रुपये का कर्जा, 2200 करोड़ रुपये का ब्याज, प्रति व्यक्ति 6000 रुपये से अधिक का कर्जा पिछली सरकार ने सौंपा है, खजाना खाली सौंपा है इसलिए मेरा यह मानना है कि कांग्रेस ने जनता से जो वादा किया है, जिस वादे को जनता के सामने रखा है, कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि गीता, बाइबिल और वेद की तरह है, उसको सामने रखकर कांग्रेस काम करेगी।

मैं वर्तमान स्थिति में यह भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि 'वह पथ क्या पथिक की कुशलता क्या जिस पर ये बिखरे शूल नहीं हों, पथिक के धैर्य की अपेक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल न हों।' मेरा यह मानना है, प्रतिकूल धाराओं के बीच कुशल नाविक के रूप में राजस्थान के वर्तमान मुख्य मंत्रीजी को काफी चुनौतियों के

(श्री रतनलाल ताम्बी)

साथ काम करने का यह मौका राजस्थान की जनता ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी जान रही थी कि लोक सभा के चुनाव के बाद राजस्थान में हमारा शासन नहीं रहना है इसलिए लम्बे चौड़े वादे किये। अथाह खजाना जाते-जाते खाली कर दिया।

मैं यह मानकर चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन किसान विरोधी शासन था, मजदूर विरोधी शासन था, छात्र विरोधी शासन था, कर्मचारी विरोधी शासन था, गरीब विरोधी शासन था वह युवा विरोधी सरकार थी, रोजगार के विरोध में काम करने वाली सरकार रही। बड़े कल-कारखाने बंद कर दिये, बड़े-बड़े राजकीय उपक्रम घाटे में पहुंचा दिये। राजस्थान में जो औद्योगिक ढांचा कांग्रेस सरकार ने दिया उसको चरमरा कर कहां पहुंचा दिया। आज भीलवाड़ा की टैक्सटाइल मिल, ब्यावर की मिल, आज कोटा का जे.के. उद्योग और सवाई माधोपुर की मिल जिसके लिए तत्कालीन मुख्य मंत्री, विपक्ष के नेता कहा करते थे इसका धुंआ निकाल कर मैं बताऊंगा, वह धुंआ उसका तो नहीं निकला मगर राजस्थान की जनता ने उनका जरूर धुंआ निकाल दिया। यह बात भी साफ-साफ है। इस सरकार को कोई होश ही नहीं था।

वर्तमान सरकार के सामने स्थिति आई कि पिछली सरकार ने किया क्या, भीलवाड़ा की मिल की बिना किसी कानून-कायदे के तालाबंदी हो गई। तालाबंदी के बाद तत्कालीन उप मुख्य मंत्री भाभड़ाजी के समक्ष भीलवाड़ा के कई जन प्रतिनिधि, भीलवाड़ा के इंटक के लोग, मजदूरों के नेता और कार्यकर्ता सब आये, उन्होंने कहा यह मिल इस तरह चल सकती है, इसको चलाने की बात करो। केवल इसलिए कि इंटक के हाथों में वहां की यूनियन थी, भाभड़ा जी गर्वोक्ति के साथ कहते रहे, यह मिल नहीं चल सकती। भाभड़ा जी आज मौजूद नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, मिल तो नहीं चलेगी, करोड़ों रुपया आपको मजदूरों को चुकाना पड़ेगा क्योंकि आपकी सरकार के नियम-कायदों को जानने वाले अधिकारियों ने आपको यह भी नहीं बताया कि मिल की तालाबंदी अवैधानिक, अघोषित है। तत्कालीन श्रम मंत्री बैठे हैं सामने, आप कानून देखते। यह बात सामने आती आपके कि वह तालाबंदी अनुचित थी, उसका सारा पैसा मजदूरों को आपको चुकाना होगा। आज आपके सामने यह स्थिति है।

आपने यही नहीं किया, कृषि उद्योग निगम और ऐसे बड़े-बड़े कई उपक्रमों का बिलकुल सफाया करके छोड़ दिया जिनको बड़ी मुश्किल से खड़ा किया था तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने। आज औद्योगिक अशांति राजस्थान में पैदा कर दी। जिस कांग्रेस सरकार ने औद्योगिक क्रांति के रूप में राजस्थान में काफी लोगों को नियोजित किया था, पूंजी निवेश किया था, वह सारी चौपट कर दी। इसलिए राजस्थान की जनता ने एक शानदार फैसला दिया, इस बात को मानते हुए कि आपकी सरकार काम करने वाली सरकार नहीं थी। बड़ी-बड़ी बातें बहुत करते थे। योजनाओं

(श्री रतनलाल ताम्बी)

को बड़ी–बड़ी बातें करते थे। जैसी बताई बिजली के जनरेशन की स्थिति, नया जनरेशन आप कर नहीं पाये और पुराने में आपकी पच्चीस, सत्ताईस परसेंट के आस–पास चोरी और छीजत होती है। जितनी बिजली की राजस्थान में आवश्यकता थी उसकी पूर्ति उससे हो सकती थी। (व्यवधान) आप बैठे रहें, बड़ी कृपा होगी आपकी। पहले बात भी कर ली थी मैंने आपसे।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि नई सरकार ने, जो यह किसानों की हितैषी सरकार है..

श्री मदन दिलावर : सच तो बोलो। यहां सच तो बोलो।

श्री गुलाब सिंह (सहकारिता मंत्री) : आप तो सुनो। अभी शांति धारीवालजी आ रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं कहना चाहता हूं, अशोक गहलोतजी ने एक किसान के बेटे को जिस दिन ऊर्जा मंत्री बनाया, सबसे पहले फैसला किया कि राजस्थान के किसानों को आठ घण्टे बिजली मिलेगी। एक करोड़ रुपये रोजाना का घाटा...

श्री मदन दिलावर : बिजली चार घण्टे से ज्यादा नहीं मिल रही है, थोथी घोषणाएं हैं ये।..(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आप मेरे मामले में बोलेंगे, मैं आपकी बहुत पोल खोल दूंगा। आप चुप बैठ जाइये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : दो घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है।

श्री मदन दिलावर : लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह सही है कि आप किसान विरोधी हैं, किसान की बात नहीं सुनना चाहते हैं, यह मैं मानता हूं। आपका किसानों से कभी लेना-देना नहीं रहा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा: दो घण्टे से ज्यादा नहीं मिल रही है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बीस गांवों में कल और परसों पहुंचा हूं और लोगों से मैंने बात की है। आठ घण्टे बिजली की बात मैंने सबसे पहले पूछी। उन्होंने कहा कि आठ घण्टे हमको मिल रही है बिजली। आप लोग तो हर काम को उलटा बताएंगे, दिन को रात और रात को दिन। पर राजस्थान की जनता जानती है कि एक करोड़ रुपये रोजाना घाटा उठा कर इस कांग्रेस की किसान हितैषी सरकार ने आठ घण्टे बिजली सुनिश्चित की है।

आप बड़े लम्बे-चौड़े भाषण देते रहे, साढ़े चार हजार मेगावाट बिजली पैदा कर देंगे, हम राजस्थान से बाहर बिजली देंगे, आपने क्या पैदा की, मेरे पूर्व वक्ता ने सारा बता दिया। और हम क्या करना

(श्री रतनलाल ताम्बी)

चाहते हैं, इस अभिभाषण में मौजूद है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार बिजली की जो राजस्थान में कमी है उसका अब उत्पादन करेगी, जनरेशन करेगी और राजस्थान के किसान और आम उपभोक्ताओं को, उद्योगों को बिजली देकर राजस्थान में औद्योगिकीकरण और कृषि का विकास करेगी, यह निश्चित बात है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, आंकड़ों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस सरकार गई, उसके बीच ....

श्री मदन दिलावर : बारां जिले में डकैत लोग सक्रिय हो गये कांग्रेस सरकार आई तब से। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : सब हो गये वे तो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मदन दिलावरजी का काम यही है डिस्टर्ब करने का, बस।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं निवेदन करना चाहता हूं आंकड़ों के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी आप तुलना करवा लीजिये, जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कृषि निवेश सब से कम होता चला गया। निरन्तर कृषि निवेश कम किया इस सरकार ने किसान विरोधी होने से, यह सामंतों की वह सरकार थी। राजस्थान में भूमि सुधार कांग्रेस सरकार ने प्रारम्भ किये, सीलिंग प्रारम्भ की। मैं पूछना चाहता हूं, आपने आठ सालों में किसानों की भलाई के लिए कौन-सा कानून बनाकर भूमि सुधार कार्यक्रम दिया, सीलिंग में क्या किया ? ये सब आंकड़े आपके सामने मौजूद हैं इसलिए आप यह दावा नहीं कर सकते हो कि आप किसानों के हितैषी हो। आप जमाखोरों के, बड़े-बड़े उद्योगपतियों के जरूर हितैषी रहे हो। बड़े-बड़े धन्धे बटोर कर करोड़ों रुपये राजस्थान के खजाने को खाली करके आपने जो काम किये उसका फैसला राजस्थान के गरीब किसान, मजदूरों ने गांवों में जाकर किया।

श्री मदन दिलावर : अजमेर का ब्लैकमेल काण्ड भी बता दो थोड़ा-सा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करके कहिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे अभी बात नहीं कर रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो उनको संबोधित करके कहिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप बिना अध्यक्ष महोदय के बात कर रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप उधर ही बोलिये, हमें गालियां मत दीजिये।

श्री मोहनलाल मोदी : यह मदन दिलावर काण्ड भी बता दीजिये थोड़ा-सा।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि श्वेत क्रांति, हरित

(श्री रतनलाल ताम्बी)

क्रांति कांग्रेस की देन है। मैं आपकी पोल खोलना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने पहली बार राजस्थान में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम शुरू की थी। जलोत्थान सिंचाई योजनाएं, उनको किसान की दर पर, कृषि की दर पर बिजली मिलती थी। पिछली सरकार ने क्या किया? विधान सभा में मैंने उठाया था, राजस्थान में चौदह सौ-पन्द्रह सौ ऐसी योजनाएं हैं, इनसे करीब नब्बे हजार किसान लाभान्वित होते थे। मैंने आंकड़े भी उस समय दिये थे। उस पर आपने क्या किया? पचास पैसे प्रति यूनिट जो किसानों को बिजली मिलती है, आपने उसको कामर्शियल मानकर पिच्चासी पैसे कर दिया। आज राजस्थान में वन-थर्ड तो कट चुके हैं उनके कनेक्शन। फिर मिनिमम चार्जेज प्रति माह पचहत्तर रुपये प्रति हार्स पावर और उन पर थोप दिया अधिभार। इससे राजस्थान का किसान दिवालिया हो गया। मेरे इलाके में आज करीब बीस जलोत्थान सिंचाई योजनाएं बंद हैं और दस बारह के नोटिस पड़े हैं बंद करने के लिए। यह हालत आपने पैदा की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की यह सरकार, यह गरीबों की सरकार है, इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं जोरदार शब्दों में, कि जलोत्थान सिंचाई योजनाओं पर जो कांग्रेस सरकार के समय रेट थी, जिस कृषि की रेट के आधार पर वे योजनाएं चलती थीं, पुनः वह कायम की जाए और उस पर मिनिमम चार्ज पचहत्तर रुपये प्रति हार्स पावर प्रति माह जो आपने लगाये है उसको समाप्त किया जाए, तब जाकर लाखों किसानों की वे योजनाएं चलेंगी। हरित क्रांति राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जो समाप्त कर दी वह फिर आएगी।

मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस सरकार की नीयत और नीति ठीक होती है वह वास्तव में जनता की कल्याणकारी सरकार कहलाती है। यदि आपकी सरकार की नीतियां ठीक होतीं, नीयत ठीक होती तो आपकी यह दुर्दशा नहीं होती। आप उधर भी बैठे हैं तो बहुत सिमट कर बैठे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले आपकी नीयत ठीक नहीं थी क्या?

श्री रतनलाल ताम्बी : राजस्थान निर्माण के बाद....

श्री मदन दिलावर : पहले आपने बेइमानियां की थीं, भ्रष्टाचार किया था इसीलिए गये थे उधर? थोड़ा-सा स्पष्ट कर दें, क्यों गये थे।

श्री रतनलाल ताम्बी : वह गाथा भी मैं खोलूंगा आपके भ्रष्टाचार की। बाद में। समय आने दो उसका। मैं आपके भ्रष्टाचार की बातें भी खोल दूंगा मौका आने पर।

श्री मदन दिलावर : हां, हां, मेरे भ्रष्टाचार की बात तो बताइये ।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, आपको बिना संबोधित करते हुए बार-बार मुझे इंगित करते हुए कह रहे हैं ।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इन्होंने कहा है मेरे भ्रष्टाचार की बात बताएंगे । मैं जानना चाहता हूं इनसे, मेरे भ्रष्टाचार की बात बताएं इस सदन में ।

श्री रतनलाल ताम्बी : आज शांति धारीवालजी मौजूद नहीं हैं इसलिए आपका इतना हौसला बढ़ रहा है ।

श्री मदन दिलावर : नहीं तो माफी मांगिये, मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, बताइये और सिद्ध करिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी : बता दूंगा, मैं सब बता दूंगा ।

श्री मदन दिलावर : बताइये, अभी बताइये, कौन से भ्रष्टाचार के आरोप हैं ? (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : आपके सारे भ्रष्टाचार आ जाएंगे फिर ।

श्री रतनलाल ताम्बी : अलवर की शालिनी का याद कीजिये किस्सा । अलवर की शालिनी के किस्से को भी याद रखकर चलिये ।

श्री मदन दिलावर : आप कितने हरिजनों की जमीनों को.... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलें, जब भ्रष्टाचार की पोल हम खोलेंगे तब पता लगेगा ।

श्री रतनलाल ताम्बी : बता देना, बता देना । बोल देना, आपका अधिकार है बोलने का ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिनकी नीतियां हो ठीक नहीं होती हैं, नीति और नीयत में खोट होती है, जनता सबसे बड़ा थर्मामीटर है, जनता का मापदण्ड है, इसीलिए राजस्थान की जनता ने आपकी यह स्थिति कर दी । राजस्थान के इतिहास में राजस्थान निर्माण के बाद सत्तारूढ़ दल की इतनी दुर्दशा पहली बार हुई है चुनावों के माध्यम से । आप कितने लोग यहां पहुंचे हैं, यह समझ कर चलिये । आपने राजस्थान में कानून व्यवस्था बिलकुल चौपट कर दी । कानून की हालत क्या थी ? बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार, उत्पीड़न के नतीजे सामने हैं, यह आपको मालूम है । शालिनी जडेजा का किस्सा सामने है । आपको नीलू राणा का किस्सा मालूम होगा ही ।

माननीय दिलावर साहब, नीलू राणा का किस्सा मालूम होगा ही । आपकी सरकार के ये काले कारनामे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे, यह मालूम होना चाहिए । ऐसे अनेकों किस्से हैं, राजस्थान में बहुत लम्बा-चौड़ा इतिहास है । आपके

(श्री रतनलाल ताम्बी)

काले कारनामों की कहानी सुनाने के लिए घंटों चाहिए, वे घंटे अभी उपलब्ध नहीं हैं, मौके-मौके पर आपको वे भी पेश किये जाएंगे इसलिए आप धैर्य से सुनिये।

श्री मदन दिलावर : मुझे नीलू राणा कांड भी याद है, हरिजन महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ है वह भी मुझे याद है, देख लीजिये, ताम्बी जी।

श्री रतनलाल ताम्बी : अब आप देश की बात करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में राज कर रही है। कांग्रेस की जब सरकार थी विकास की दर 10% थी और आज साढ़े पांच प्रतिशत पर पहुंच गई। आपने दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान को कहां पहुंचा दिया? यह आप लोगों की जबानी है, यह कहानी मेरी गढ़ी हुई नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मध्य प्रदेश में ननों के साथ बलात्कार हुआ... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : साढ़े पांच प्रतिशत विकास दर देश की पहुंची है और राजस्थान की क्या हालत हुई है, यह आपको मालूम है। आपको यह मालूम है कि आपकी भी एक राजनीतिक पार्टी है, चुनावों में आप भी घोषणा पत्र देते रहे हैं, उन घोषणा पत्रों के आधार पर वोट लेते रहे हैं। आपके राज में घोषणा पत्र मिट्टी जमते हुए आलमारियों में देखे गये हैं। हमने कभी सुना नहीं कि वापस विधान सभा में आपने जनता को उपलब्धि बताई हो कि हमने यह कहा, वह किया। लेकिन यह सरकार कथनी और करनी में भेद करके नहीं चलना चाहती। जो कहेगी वह करेगी। आप समय देखिये, अब डेढ़ महीना हुआ है। डेढ़ महीने में उपलब्धियों का मैं थोड़ा-सा विवरण आपको देना चाहता हूं।

अभी एक प्रश्न आया था विधान सभा के प्रश्न काल में महंगाई और जमाखोरों को लेकर। बढ़ती महंगाई और जमाखोरी के खिलाफ इस सरकार ने कार्यवाही कारगर की, उसके परिणाम भी सार्थक आये। महंगाई पर अंकुश लगा, यह निर्विवाद बात है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। प्याज क्या भाव था? टमाटर क्या भाव था? नमक क्या था आज क्या भाव है? कांग्रेस की नीतियों को देन नहीं मानेंगे आप? आप राजस्थान के सारे युवाओं का भविष्य अंधकार में डालना चाहते हैं, आपने 58 से 60 वर्ष किया।

इस सरकार ने पहला निर्णय किया है 60 वर्ष के स्थान पर 58 वर्ष। राजस्थान के लाखों युवकों ने हृदय से इसका स्वागत किया यह आपकी नियत और नीति का कितना फर्क है। एक तरफ रोजगार कार्यालयों में लाखों आदमी दर्ज हैं बेरोजगार और दूसरी तरफ आप ऐसे दकियानूसी यथास्थिति वादी निर्णय लेकर राजस्थान को कहां ले जाना चाहते थे? हमने हजारों बार मांग की यहां कि राजस्थान में विद्यालय खाली पड़े हैं, शिक्षक भरो, ये भरो, वो भरो। हमने सौ रुपये महीने में कह दिया। कह देने से क्या होगा? मिले ही नहीं तो कहां से लाओगे आप? आपने भर्ती बंद नहीं की।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मैं चार्ज लगाना चाहता हूं सरकार पर, कांग्रेस सरकार के समय जो विषय खोले गये थे अध्यापकों के अभाव में, आपने अध्यापकों की व्यवस्था नहीं की, उन विषयों को आपने तोड़ दिया। इसके उदाहरण मेरे पास मौजूद हैं, आप चाहें तो मैं नाम बता दूंगा। इस सरकार ने विद्यालयों के अनुदान एवं मान्यता के अधिकार शिक्षा निदेशकों को दे दिये। आप केन्द्रित करके रखते थे और कोई कार्यवाही समय पर नहीं होती थी। विकेन्द्रीकृत व्यवस्था को इस सरकार ने प्रोत्साहन दिया है। पाठ्यक्रम में विशेष पृष्ठभूमि को समाविष्ट कर कर के आप देश को कहां ले जाना चाहते थे? संविधान की प्रस्तावना और धर्मनिरपेक्षता के विपरीत आपके आचरण और काम थे। राजस्थान के पाठयक्रम की समीक्षा की जाए तो ये सारी बातें आपके सामने आएंगी।

इस सरकार ने मानवाधिकार आयोग, महिलाओं के आयोग का गठन किया और अल्पसंख्यक आयोग और पिछड़े वर्ग आयोग की बातें आपने सुनीं। सरकार की नीति और नीयत में कहां फर्क है, यह सामने आता है। कृषि कनेक्शनों की नर्सरी योजना! हमने बहुत विरोध किया था इसका, खूब चली थी बात लेकिन आपने जबरदस्ती वह लागू कर दी। कांग्रेस की सरकार के समय नसबंदी के खिलाफ बहुत प्रचार करके एक दफे सरकार में आये थे, यह वही चीज है। यह नर्सरी योजना आपके लिए अभिशाप थी, किसान विरोधी थी....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह कांग्रेस के टाइम की नर्सरी योजना है, बाद में हमने इसको लागू किया।

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं-नहीं, फिर हमने समाप्त कर... नहीं यह आपने किया था इसलिए ...

डा. चन्द्रभान : वन मिनट। वह नर्सरी योजना नर्सरी परपज के लिए थी, इस नर्सरी योजना को आपने एग्रीकल्चर परपज के लिए कर दिया। इसको हमने खत्म कर दिया। यह नर्सरी के लिए रह सकती है, एग्रीकल्चर के लिए नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : फिर राजस्थान की यह कांग्रेस सरकार 1 अप्रेल, 1999 से विद्युत कनेक्शन की नयी नीति लेकर जब आएगी और आठ घंटे की बिजली सुनिश्चित करेगी तब आपको मालूम होगा कि यह सरकार क्या करना चाहती है। आपने लाखों किसानों को लटकाये रखा। वर्षों तक उनके पैसे जमा रहे, उनको कनेक्शन नहीं दिये और ऐसी नीतियां बना-बना कर उनके साथ अन्याय किया। यही नहीं, कृषि की नयी नीति, पर्यटन की नयी नीति, आवास की नीति बनायी जाएगी, यह भी सरकार ने कहा है। आदिवासी कल्याण विभाग का गठन, ग्रामीण विकास अभिकरण जिला परिषदों को सौंपने की बात, सूचना का अधिकार। आपकी सरकार के समय इतने भ्रष्टाचार, घोटाले पंचायती राज में, नगरपालिका में होते थे। कोई कापी मांगे, प्रति मांगे, महीनों तक चक्कर लगाने के बाद देते नहीं थे।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इस सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ कहा है कि हम सूचना का अधिकार देंगे। कोई व्यक्ति जानकारी ले सकता है, कापी दी जाएगी। पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक वर्ग आयोग के गठन की बातें थीं, इस सरकार ने इसको मशा जाहिर करके इसका गठन करने का निश्चय किया है। यही नहीं, महिलाओं को 20% आरक्षण के स्थान पर 30% आरक्षण देने का भी इस सरकार ने निर्णय किया है। ये उपलब्धियां हैं, इसको आपको उपलब्धियों के जादू रूप में मानना होगा। कृषि एवं कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु नयी कृषि नीति लागू करके राजस्थान के गांव में रहने वाले किसानों की आर्थिक हालत सुधारने का इस कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में भी कहा है और उसके बाद जो निर्णय किया है उसमें भी साफ झलकती हैं बातें।

अकाल राहत कार्यों के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। अकाल राहत कार्य भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया था। आपको मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, अजमेर और भीलवाड़ा की मैंने 10 बार मांग की सी.बी.आई. से जांच कराने की। लाखों करोड़ों रुपये एक वर्ष में अकाल के नाम पर तो दूसरे वर्ष वर्षा ज्यादा हो गयी तो बाढ़ के नाम पर उन्हीं तालाबों पर लगातार 5-5, 7-7 बार खर्च किये। असत्य, फर्जी मस्टर रोल बना कर, पंचायती राज संस्थाओं के व्यक्तियों को हटा कर अपने चहेतों की कमेटी बना कर लाखों-करोड़ों रुपये के घोटाले हुए हैं।

मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के अकाल राहत कार्यों का भौतिक सत्यापन करके मौके पर सारी जांच कराएं तो पोल खुल जाएगी, कितना बड़ा भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी के लालू तर्ज के घोटालों को यहां राजस्थान में भी देखा जा सकता है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : चित्तौड़गढ़ की बात कर गये आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : भीलवाड़ा, अजमेर कहा है, चित्तौड़गढ़ नहीं कहा मैंने। वह गलती मैं विथड्रा करता हूं।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि किसी भी सरकार का मूल्यांकन कैसे होगा ? सरकार का मूल्यांकन होता है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और प्रजातन्त्र की रक्षा के आधार पर। वह उसका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इस सरकार ने सबसे पहले यह कहा है कि यह सरकार संवेदनशील होगी, यह सरकार पारदर्शी होगी यह सरकार जवाबदेह या उत्तरदायी सरकार होगी। किसी भी सरकार के प्रति जनता की आस्था और विश्वास होना चाहिए, लेकिन राजस्थान की पिछली सरकार ने इन सब बातों से हटकर काम किया। तत्कालीन मुख्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी या और वर्तमान विपक्ष के नेता यह कहा करते थे कि राजस्थान में भ्रष्टाचार को नाकों से निकलवा दूंगा। अब वे नाक कहां चले गये ?

(श्री रतनलाल ताम्बी)

भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा ? एक का भी निकलवाया कहीं ? बल्कि आपके कई मंत्रियों का भ्रष्टाचारियों से सीधा संबंध था। प्रमाणित तौर से आरोप देने के बाद, जांच करने के आरोप देने के बाद एक दिन आपने चेयरमैन को सस्पेंड किया और तीसरे रोज वापस उसको बहाल कर दिया। आप इसमें लिखते थे, प्रथमदृष्ट्या आरोप बहुत गम्भीर हैं, सदस्यता के साथ अध्यक्ष सहित इसको।

आपने पांच-पांच साल तक नगर पालिकाओं और पंचायती राज में भ्रष्टाचार के प्रमाणित आरोपों को लंबित रखा और भ्रष्टाचारियों को खुली सांठ-गांठ से प्रोत्साहन दिया, इसलिए आज पंचायती राज की दुर्दशा है। राजस्थान का जो इतिहास में नाम था पंचायती राज और स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के माध्यम से विकास की गंगा को विनाश में बदल डाला। यह काम आपने किया, लेकिन स्वच्छ प्रशासन देने की राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं प्रतिबद्धता कांग्रेस की सरकार ने जाहिर की है, उसके आधार पर काम करना चाहती है। नयी आर्थिक सोच राजस्थान के अवरुद्ध विकास को बढ़ाने वाली होगी। यह भी दृष्टिकोण दिया आपको।

आपने बहुत सारी नीतियों की बात कही। खनिज एवं मिनरल विकास की बात मैं कहना चाहता हूं कि धारा-65 के अन्तर्गत सरकार के अधिकार हैं। इस धारा का जितना दुरुपयोग पिछली सरकार ने किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत जांच की मांग करना चाहता हूं। एक व्यक्ति ने दरख्वास्त दी तो धारा-65 के अन्तर्गत यह लिखा गया कि यह इस नीति के अन्तर्गत नहीं आता है और दूसरे व्यक्तियों को करोड़ों रुपयों की खानें उसी धारा के अन्तर्गत दी जाती हैं। यह भेदभाव इनका है। इसकी चर्चा पिछली विधान सभा में आयी थी। एक कंसर्न, कितना किसका संबंध था, करोड़ों रुपयों की किससे सौदेबाजी हुई, कैसे क्या हुआ, वह भी आया था। इस प्रकार इन्होंने राजस्थान में खनिज नीति के नाम पर गड़बड़-घोटाले किए हैं और अवैज्ञानिक तरीके से खनिजों का खनन करके राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मैं समझता हूं खनिज एवं मिनरल विकास के लिए इस राजस्थान की नयी सरकार को फिर से सोचने की आवश्यकता है। श्वेत एवं हरित क्रांति के नाम पर राजस्थान के ग्रामों में रहने वाले किसानों का, पशुपालकों का बहुत विकास हुआ था, उसमें भी इन्होंने कई रोड़ेबाजी अटका कर जो स्थितियां पैदा कीं, आज आवश्यकता है उसको वापस मजबूत करने की। मैं समझता हूं सरकार इस दिशा में सोचेगी।

कांग्रेस सरकार ने हमेशा प्रजातन्त्र की रक्षा की है। हमारे संविधान में जो परिभाषा है उसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र को बहुत महत्व दिया गया है। आपने राजस्थान में प्रजातंत्र की क्या दुर्दशा की ? आपने नगरपालिका और पंचायती राज संस्थाओं में खरीद-फरोख्त

(श्री रतनलाल ताम्बी)

की मंडी के आधार पर प्रजातन्त्र को कुचलने की कोई कमी नहीं छोड़ी। राजस्थान की पिछली सरकार जनता के बहुमत से नहीं बनी थी, वह जोड़-तोड़, खरीद-फरोख्त और प्रलोभन के आधार पर बनी। उसको गांव तक, नीचे पंचायती राज तक और स्वायत्तशासी संस्थाओं तक पहुंचा कर इस राजस्थान में पंचायती राज का और स्वायत्तशासी संस्थाओं का आपने गला घोंट दिया। यह काम किया आपने इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रजातन्त्र को मजबूत बनाया जाए। समाजवाद की उन नीतियों को वापस लागू किये बिना जो आपने समाप्त कर दीं, देश का आर्थिक आधार मजबूत नहीं हो सकता, इस बात को वापस सोचना होगा। यह कांग्रेस की सरकार है जिसने पहली बार यह कहा है कि मंत्रियों और विधायकों को सम्पत्ति की घोषणा करनी होगी। आचार संहिता की बात उन्होंने कही है।

मैं यह समझता हूं कि यह एक सुदृढ़ परिपक्व निर्णय है जिससे सरकार की इच्छाशक्ति जाहिर होती है कि यह सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहती है। जिस भ्रष्टाचार को आपने गांव-गांव, गली-गली पहुंचा दिया उस भ्रष्टाचार को खतम करने की दिशा में यह एक सही और कारगर कदम है।

अब मैं सीधी बात करना चाहता हूं। राजस्थान में पिछले 9 सालों में जितना साम्प्रदायिक सद्भाव भारतीय जनता पार्टी के राज में बिगड़ा, जयपुर जैसे नगर का..

श्री मदन दिलावर : कुछ तो सच बोलो भगवान के नाम पर।

श्री रतनलाल ताम्बी : दंगे इस बात के द्योतक हैं। हमने एक बार नहीं अनेक बार मांग की थी कि टिबरेवाल आयोग की रिपोर्ट सदन में लाओ। मैं राजस्थान सरकार से मांग करना चाहता हूं उस रिपोर्ट को सदन में रखा जाए और उसके आधार पर जो लोग दोषी हैं उनको दंडित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साम्प्रदायिक तत्वों से खुले आम मिलकर राजस्थान में जो हालात पैदा किये, उसके लिये यह रिपोर्ट और इस पर कार्यवाही अपेक्षित है।

यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है, तो आपकी ही सरकार होगी वहां। ईसाई समुदाय पर हो रहे हमले आपकी साम्प्रदायिकता की नीतियों के द्योतक हैं। उसकी आग कहां तक पहुंच रही है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में संविधान की खुली अवहेलना आप लोग कर रहे थे। धर्मनिरपेक्षता को आप मानते नहीं, समाजवाद को आप मानते नहीं, प्रजातंत्र को आप मानते नहीं। संविधान के प्रति आपकी यह स्थिति हो, उसको क्या कहा जाए? इसीलिए चार प्रदेशों में चुनाव हुए, आपका बिलकुल सफाया कर दिया। बिलकुल आपका सूपड़ा ही साफ कर दिया जनता ने, यह बात आपको समझनी है।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मैं अब कुछ क्रिया-कलापों पर आना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान में पिछली सरकार ने सड़कों की दुर्दशा की है। कांग्रेस सरकार ने लाखों किलोमीटर सड़कें बनाईं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं खड्डे भी नहीं भरे होंगे। इसलिए नई सरकार ने निजी निवेश की भागीदारी कर सड़कों के संचालन के आधार पर जिलेवार सड़कों का सर्वेक्षण करके जो नीति बनाई है वह स्वागत योग्य है। उससे राजस्थान की सड़कों की स्थिति ठीक होगी। यही नहीं, 1991 की एक हजार की जनसंख्या के ग्रामों को सड़कों से जोड़ना और राष्ट्रीय राज मार्गों के विस्तार एवं निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना सरकार ने अभिभाषण के माध्यम से आपके सामने रखी है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिये। 60 वर्ष से 58 वर्ष की जो उम्र की है उससे युवकों में उत्साह बढ़ा है। 1,37,971 आशार्थी राजस्थान के रोजगार कार्यालयों में जो पंजीबद्ध हैं, उनके लिये पिछली सरकार ने सोचा नहीं। इसलिए स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से रूग्ण इकाइयों को फिर से ठीक करने के लिये और ग्रामों में कुटीर एवं छोटे उद्योगों के विकास के साथ उन लोगों की रोजी-रोटी के बारे में सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता मैं महसूस करता हूं।

मैं इस मौके पर अकाल राहत कार्य की भी चर्चा करना चाहूंगा। अकाल राहत कार्य मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्यों को आप ढंग से चलाने की बात सोचें। केवल मस्टररोल भरने या सामूहिक बिल बनाने से काम नहीं चलेगा, गुणवत्ता के साथ, पारदर्शिता के साथ राजस्थान में यह पद्धति चालू की जाए। यह पहली सरकार है जिसने राजस्थान में इस बात को कहा है कि बिना किसी भेद-भाव के, बिना किसी सीमा के जितने लोग काम करने आएं उन सबको रोजगार दिया जाएगा, हर परिवार में एक व्यक्ति को। आज से ही सीलिंग बांध दी 30 हजार, 20 हजार-20 लाख जनता और 20 हजार मजदूर; बहुत अच्छा काम किया आपने।

जैसा मैंने पहले भी कहा, अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में करोड़ों का घोटाला हुआ। अकाल राहत के बही तालाब, वही बाढ़ के तालाब। उन सारे मामलों को इस बार जांच में रखकर आगे ऐसा नहीं हो, इस बात की कारगर व्यवस्था राजस्थान में की जाएगी, ऐसा मेरा निवेदन है।

पेयजल की बहुत गंभीर समस्या राजस्थान में आने वाली है। इस सरकार ने कहा है कि 6 हजार बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यह गंभीर समस्या हर वर्ष आती है। पानी का स्तर नीचे जा रहा है और पेयजल की स्थिति बहुत गंभीर हो रही है बढ़ती जनसंख्या के कारण। इसलिए

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक 10 वर्ष का, 20 वर्ष का मास्टर प्लान बनाकर अभी से ही राजस्थान में आने वाली गंभीर स्थिति के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। मेरे जिले में करीब साढ़े चार सौ, पांच सौ गांव फ्लोराइड के पानी से युक्त हैं, खारा पानी पीना पड़ रहा है। भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और राजसमन्द जिले से पानी बनास नदी में बह कर आ रहा है और किनारे पर लोग प्यासे बैठे हैं। वे इंतजार कर रहे हैं कि पानी उनको कब मिलेगा और आप महत्वाकांक्षी योजना बनाकर दूर-दूर ले जाने की बात करते हैं।

मैं कहना चाह रहा हूं ईसरदा का बांध बनाकर आप जयपुर की समस्या का समाधान कीजिए, पर भीलवाड़ा की जनता इस अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि वहां फ्लोराइड का और खारा पानी पीना पड़े और वो भी उपलब्ध नहीं हो। इसके लिये भी आपको कोई योजना तैयार करने की आवश्यकता है। इसी तरह राजस्थान में कई हिस्सों में, मेवाड़ के हिस्सों में, फ्लोराइड और खारे पानी की गंभीर समस्या है। इसका स्थाई हल कैसे हो ? लाखों-करोड़ों रुपये आप कंटिंजेंसी प्लान के नाम पर हमेशा लगाते रहते हैं। भीलवाड़ा नगर की बहुत गंभीर समस्या है, उस समस्या पर आज तक सरकार ध्यान नहीं दे पाई। इस नई सरकार से जनता अपेक्षा करती है कि पेयजल जैसी समस्या का गंभीरता के साथ सरकार समाधान करेगी।

मैं अब शिक्षा पर आना चाहूंगा। इस सरकार ने एक शानदार निर्णय किया कि दो सौ जनसंख्या पर प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे और जनजातीय और रेगिस्तानी इलाकों में डेढ़ सौ की जनसंख्या पर खोले जाएंगे। हर पंचायत में मिडिल स्कूल स्थापित किये जाएंगे। मेरा ख्याल है कि हर पंचायत में मिडिल स्कूल वाली बात बहुत बाकी नहीं रह गई है। जहां तक मेरी जानकारी है, पिछली सरकारों के लगातार खोलते-खोलते मिडिल स्कूल की मांग अब बहुत कम रहेगी। अभी से हमको यह प्लानिंग करनी चाहिये कि आने वाले समय में हर पंचायत मुख्यालय पर सैकण्डरी स्कूल हो, हर पांच पंचायतों के बीच में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हो और हर तहसील पर एक कालेज हो। हम शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह प्लान हमको लेकर चलना पड़ेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, 1983 में राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति देश को दी। गोऐबल की पुरानी शिक्षा नीति अंग्रेजों की जो दकियानूसी नीति थी, उसको बदलकर पहली बार राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति इस देश को दी है। उस शिक्षा नीति के अंतर्गत हमको पाठ्यक्रम में चलना चाहिये कि वैसा पाठ्यक्रम बने। आज राजस्थान में जैसा पाठ्यक्रम बना है, उस पाठ्यक्रम में बहुत कुछ साम्प्रदायिकता की बू आती है, बहुत कुछ संकीर्ण भावना की बू आती है। उसको आप समाप्त करें। इसके साथ ही परीक्षाएं भी सुनिश्चित समय पर और ठीक प्रकार से हों, पेपर

(श्री रतनलाल ताम्बी)

आउट नहीं हों, ये सब व्यवस्थाएं भी राजस्थान में किये जाने की आवश्यकता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, 1800 करोड़ रुपये की राजस्थान जल संघनन परियोजना सरकार ने राजस्थान में प्रस्तावित की है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। राजस्थान में साढ़े सात लाख हैक्टेयर में जल वितरण की व्यवस्था काश्तकारों को सौंपने का उसमें उनकी भागीदारी का निर्णय किया है, यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसका मैं स्वागत करता हूं। 1198 लघु सिंचाई योजनाओं के आधुनीकीकरण के लिए एक स्वीडिश अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंसी के माध्यम से इस सरकार ने निर्णय किया है कि व्यवस्था करेगी। यह बहुत आवश्यक था। राजस्थान में बांध बनते जा रहे हैं और नहरों की हालत खराब हो रही है। पानी जगह-जगह खराब होता जा रहा है। स्लूज खराब पड़े हैं, नहरें टूटी-फूटी पड़ी हैं, किसानों के छोरे ठीक नहीं, दूसरी व्यवस्था ठीक नहीं। ये योजनाएं स्वागत योग्य हैं, इनसे राजस्थान की जनता को काफी बड़ा लाभ मिलेगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूं।

(15.00 बजे)

इंदिरा गांधी नहर योजना के अंतर्गत सहवा, गजनेर, पोकरण, फलोदी की जलोत्थान सिंचाई योजनाएं चालू करने का इस सरकार का लक्ष्य भी मैं समझता हूं, बहुत ही क्रान्तिकारी और वर्षों से लम्बित स्थिति को ठीक करने का होगा। राजस्थान में औद्योगिक उपक्रमों की समीक्षा अर्थशास्त्रियों के साथ, उद्यमियों के साथ, विशेषज्ञों से चर्चा करके उनका पुनरावलोकन, करके करने की आवश्यकता है ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक मिले।

मैं इस मौके पर नगरपालिकाओं की स्थिति पर भी निवेदन करना चाहता हूं। छोटी नगरपालिकाओं एवं बड़ी नगरपालिकाओं के बीच बड़ा असन्तुलन है। राजस्थान की छोटी नगरपालिकाओं की हालत बहुत खराब है। चुंगी समाप्त करना एक सद्‌देश्य हो सकता है लेकिन उसकी व्यवस्था के लिए राजस्थान के खजाने पर भार डालते चले जाना कोई लाभकारी नहीं है। अभी भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान में कई नगरपालिकाओं को वहां की चुंगी की आय के आधार पर आप जो पैसा दे रहे हैं, उनके स्टाफ पर खर्च नहीं होता उतना आप चुंगी का लाभ दे रहे हैं। ऐसी नगरपालिकाएं भी हैं जहां पर चुंगी की चोरी बहुत होती थी, मिलीभगत होती थी, आय कम बतायी इसलिए उनको कम दिया जा रहा है जब कि उनका वेतन ज्यादा है। इस असन्तुलन को समाप्त किया जाना चाहिए। इन घोटालों का और भ्रष्टाचार का भी कोई श्वेत-पत्र जारी किया जाए ताकि राजस्थान की जनता को मालूम हो सके कि पिछली सरकार ने राजस्थान में क्या किया।

एक मैं राजस्थान के लिए सुझाव देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार ने

(श्री रतनलाल ताम्बी)

साम्प्रदायिक सद्भाव कायम करने के लिए, बिगड़ती हुई साम्प्रदायिक स्थिति की रोक-थाम करने के लिए एक परिषद बना रखी है। उसके मुख्य मंत्री जी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष मंत्री स्तर के हैं और सब पार्टी के समाजसेवी और इन नीतियों में विश्वास करने वाले लोगों की एक पूरी परिषद गठित की हुई है। जो मैंने जानकारी प्राप्त की उसके अनुसार सद्भाव पैदा करने की दृष्टि से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उन्होंने दिया। उस पैटर्न को मंगवाकर राजस्थान में भी लागू किया जाए क्योंकि 9 सालों में राजस्थान में साम्प्रदायिक सद्भाव समाप्त हो गया और एक दूसरे समाज के प्रति दुराव पैदा किया गया।

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं। भूमि सुधार, सीलिंग को गत सरकार ने भुला दिया। वह तो वापस देखा जाएगा, लेकिन राजस्थान नहर पर साढे 7 लाख हैक्टेयर जमीन अभी शेष है। अब पैसे वाले तो बहुत हैं, कोई 50 एकड़ ले ले, कोई सौ एकड़ ले ले, इसके बजाय मेरा यह निवेदन है कि 5 एकड़ तक, जो भूमिहीन हैं उनको सरकार सामान्य किश्तों पर पहले जमीन उपलब्ध कराए उनको रोटी-रोजी पहले मिले। वरना पैसे वाले तो सब जमीन खरीद लें। ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे उन पर अंकुश लग सके और छोटे-छोटे किसानों को 5 एकड़ तक जमीन सामान्य किश्तों में दी जाए ताकि उसमें उपार्जित करके वे दे सकें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

अब मैं पंचायती राज पर आना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो राजस्थान के निर्माण के साथ ही बराबर राजस्थान के विकास से, राजस्थान के पंचायती राज से, भूमि सुधार से जुड़े हुए हैं, परिपक्व हैं, अनुभवी हैं इसलिए मुझे आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को निवेदन करना है कि राजस्थान ने 1959 में राष्ट्र के निर्माता पंडित नेहरू के कर-कमलों से दीप प्रज्वलित करके जिस पंचायती राज की शुरूआत की थी उस पंचायती राज की पूरे देश में सराहना हुई, उसका अनुकरण किया गया। राजीव गांधी जी ने 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज में परिवर्तन के कुछ दिशा-निर्देश और नीति निर्धारित करवायी थी। जहां-जहां राजस्थान सरकार को अधिकार था वहां वहां आपने और हम सब ने बहुत कोशिश की, सलाह भी की, मीटिंगें भी हुईं, लेकिन वे केवल दिखावे की मीटिंगें थीं, सुझावों को उन्होंने कोई मान्यता नहीं दी, इसलिए राजस्थान में जो हश्र पंचायती राज का हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान का विकास करने में पंचायती राज का बहुत बड़ा योगदान मिल सकता है इसलिए मेरा यह निवेदन है कि पंचायत राज की अवधारणा को, गांधी जी के स्वराज को राजस्थान में जिस प्रतिकूल ढंग से लागू किया गया उसको वापस ठीक किया जाना चाहिए। पंचायती राज की जो पवित्र संस्थाएं होती हैं राजस्थान में उनको भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, जिस पवित्र सदन में

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हम बैठे हैं विधान सभा में, वैसे ही विधान सभा नई बन रही है, उस विधान सभा में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, कितना घटिया मैटीरियल लगा, क्या हालत हुई, वही की वही हालत पंचायत राज की इन्होंने राजस्थान में कर रखी है। आई. आर. डी. पी. के कार्यक्रम में भ्रष्टाचार, इन्दिरा आवास में भ्रष्टाचार, जीवन धारा में भ्रष्टाचार, कहीं बिना लिये–दिये कोई काम ही नहीं होता, यह हालत कर दी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पंचायती राज के पवित्र उद्देश्यों की जो अवधारणा है इसको वापस कायम किया जाए। तीन स्तरीय ढांचा जो पहले राजस्थान में था, राजस्थान की जनता चाहती है कि उस ढांचे को आप वापस लागू करने की कोशिश करें ताकि राजस्थान में पंचायती राज मजबूत हो।

अभी आपने एक अच्छा निर्णय लिया कि डी. आर. डी. ए. को जिला परिषद् के अन्तर्गत लिया। उस निर्णय को लागू करने से पहले आप थोड़ी समीक्षा कीजिये। वर्तमान जो स्थिति है, पंचायती राज इतना भार वहन नहीं कर सकता। मेरा सुझाव है कि जिला परिषद् में आई. ए. एस. अधिकारी दिया जाए और पंचायत समितियों में आर. ए. एस. के नीचे के अधिकारी नहीं रखे जाएं। काम बहुत बढ़ गया, योजनाएं बहुत बढ़ गयीं और उसके बाद ये छोटे-मोटे मवेशी डाक्टर, कोई मास्टर रिटायर्ड हैं, ऐसों को आपने बी.डी.ओ. बना दिया। अब वहां लाखों के वारे–न्यारे हो रहे हैं, हिसाब-किताब का ही पता नहीं है। एक करौली ही नहीं, राजस्थान में अनेक "करौली" पंचायत समितियां हैं जिनमें करोड़ों के घोटाले हैं।

अध्यक्ष महोदय, अगर उनका विशेष आडिट कराया जाए तो रिकार्ड ही सब गायब मिलेंगे, रोकड़ गायब है। कोई सुनने समझने वाला नहीं है। विधान सभा में झूठे प्रश्नों के जवाब देते हैं। कोई कार्यवाही करवाओ तो उसको दबाकर बैठ जाएं। सारे मंत्री जुट जाते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए और उनको शरण देते हैं। जिनकी एफ. आई. आर. दर्ज करवाएं उनको बचाने के लिए मंत्री तैयार रहते थे उस राज में। इसलिए पंचायती राज का आपरेशन करना पड़ेगा और जनता का विश्वास अर्जित करने जैसा पंचायती राज राजस्थान में स्थापित करना पड़ेगा।... आप बैठ जाइये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ये सही कह रहे हैं। पहले बात की थी जिला प्रमुख और प्रधान सब एम. एल. ए. बन जाएंगे और आप लोग रह जाओगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : हां, वह चिन्ता मुझे नहीं है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सुझाव दे दिया कि वी. पी. सिंह जी का नाम मत जोड़ना क्योंकि इनको समय बहुत कम मिला था।

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान में पंचायती राज को फिर जनता की आशा और आकांक्षाओं के अनुसार बनाया जाए, उसके लिए बहुत कुछ किया जाय।

श्री अध्यक्ष : पंचायती राज संस्थाओं में समन्वय और सामंजस्य के लिए पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में जब तक आप हिन्दुस्तान के संविधान में संशोधन नहीं कर देते हैं, यह सम्भव नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सुझाव से इत्तफाक करता हूं। तीनों संस्थाओं का समन्वय नहीं है।

श्री मदन दिलावर : कुछ पढ़कर आया करें, सोचकर बोला करें। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं, नहीं, मैं तो पढ़कर नहीं आया, आपकी वहां सरकार दिल्ली में है, संविधान का संशोधन आप करवा दो, मुझे क्या आपत्ति है। ऐसा करवा दीजिये, समर्थन करने को तैयार बैठे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पंचायती राज में न तो ग्राम सभाएं ठीक से होती हैं, न पंचायत समिति की बैठकें ठीक से होती हैं। लीपापोती के अलावा कुछ होता नहीं है इसलिए पंचायती राज संस्थाओं से जन आस्था हट गयी है। जनता की आस्था कैसे कायम हो, इसके लिए मैंने सुझाव दिया है कि एक तो बी.डी.ओ. आर.ए.एस. लगाइये और दूसरे एक ए.ईएन. और दो जे.ईएन. पंचायत समिति में होने चाहिए। काम बहुत बढ़ गया और कोई कंट्रोल नहीं है। गुणवत्ता कम हो गयी, फर्जी मस्टर रोल भर दें, हिसाब किताब बना दें, आगे पहुंच जाएं यह हालत हो रही है।

अब मैं आपसे यह निवेदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं कि राजस्थान में इस नई सरकार को तीन चौथाई से अधिक जनता ने बहुमत दिया है और सरकार पर इतना दायित्व डाला है कि वह जन आकांक्षाओं के अनुसार काम करें, इसलिए पिछली सरकार की जन विरोधी नीतियों का पूरे तौर से पुनरवलोकन किया जाए, राजकीय उपक्रमों को ठीक किया जाए, उद्योग नीति, खनिज नीति, पर्यटन नीति, कृषि नीति ये सारी नीतियां फिर से ठीक प्रकार से बनायी जाएं जिनमें पारदर्शिता हो जिसमें संवेदनशीलता हो, जिसमें समय पर काम करने की सारी स्थितियां हो और भ्रष्टाचार से विमुख हो। राजस्थान में इतना बड़ा जनमत आपको मिला है, इस जनादेश का आदर करने के लिए हमारे पास यही एक तरीका होगा कि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार की जन विरोधी नीतियों का बड़े स्तर पर पुनरवलोकन किया जाए। जो अच्छे शिक्षाविद् हैं, अच्छे अर्थशास्त्री हैं, अच्छे राजनेता हैं, इनके अपने अनुभव हैं, उनके स्तर पर अलग-अलग ढंग से कमेटियां बनाकर एक नया राजस्थान फिर से बनाया जाए, जिसका 8-10 साल में सारा ढांचा बिगाड़ दिया। जनता ने पूर्ववर्ती सरकार को कुल मिलाकर ठुकराकर उसमें

(श्री रतनलाल ताम्बी)

अविश्वास प्रकट कर दिया और आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान की कांग्रेस सरकार को सौंपी है। कितने नौजवान हैं, अनुभवी भी आ गये, काफी उल्लास के साथ काम करने की भावनाएं सब की हैं उसके अनुरूप राजस्थान में कानून व्यवस्था ठीक हो, राजस्थान में प्रशासन की स्थिति ठीक हो, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। मैं दो मिनट कहकर समाप्त कर रहा हूं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : भीलवाड़ा से कोई मंत्री बनाइये।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में तहसीलें, जिले, उप खण्ड बहुत बरसों पहले गठित हुए, अब 4-4, 5-5 गुना जनसंख्या बढ़ गयी इसलिए प्रशासन ठीक प्रकार से नहीं चलता है। तहसीलों का बढ़ाना, उप खण्डों का बढ़ाना, उप तहसीलों का बढ़ाना, गिरदावर सर्किल बढ़ाना, पंचायतों का पुनर्गठन पिछली सरकार ने राजनीतिक आधार पर कहीं-कहीं किया, कहीं नहीं किया।

मैं मेरे क्षेत्र का ही उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में 1951 की जनसंख्या में 35 पंचायतें थीं। उसमें एक नगरपालिका बन गयी, बचीं 34। इस सरकार ने 1992 में केवल तीन पंचायतें बढ़ायीं। इतना बड़ा भेदभाव। कहीं आठ सौ, हजार पर बना दी गयीं, कहीं 3-3, 4-4, 8-8 हजार पर नहीं बनायीं। तो इन लोगों ने जिस तरह का राजस्थान में पंचायती राज में असन्तुलन पैदा कर दिया उसको सन्तुलित बनाने के लिए मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूं कि पंचायतों का भी और पुनर्गठन करके वे बढ़ायी जाएं। 3-3, 4-4 लाख पर 2-2, 3-3 लाख पर पंचायत समितियां हैं, उनको लगभग एक-एक लाख पर पुनर्गठित करके राजस्थान में पंचायती राज को विकेन्द्रित करके तहसीलों को, थानों को, इन सबको एक बार देखकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशासन की सुविधा मिल सके, इस बात की कोशिश करेंगे। इसके साथ-साथ कुछ जिले भी बनाएं। ब्यावर के जिले की बात भी आती है। भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा की बात भी सोची जा सकती है, वहां 16-17 लाख की जनसंख्या है।

श्री नन्दलाल मीणा : प्रतापगढ़ की बात भी है।

श्री रतनलाल ताम्बी : और भी हो सकती हैं। प्रतापगढ़ आपकी सरकार ने कायम नहीं किया, आप भी तो मंत्री थे।

इसलिए जहां जहां भी आवश्यकता हो उसके लिए पूरी तरह से व्यवस्था की जानी चाहिए। क्योंकि राजस्थान की जनता को निकटतम प्रशासनिक सुविधाएं और राहत मिले, इसकी बहुत आवश्यकता है।

इसके साथ मैं एक बात और निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। वह बात यह है कि परसों डीजल के रेट 10 प्रतिशत प्रति लीटर कम हुए।

श्री मदन दिलावर : भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कम किया है।

श्री रतनलाल ताम्बी : भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में रोडवेज का किराया इतना भारी बढ़ा दिया जिससे लोगों को यात्रा करना भी संभव नहीं रहा। हमने उसका विरोध किया था। अब मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 10 पैसे कम हुए हैं डीजल के, किराये में भी कुछ कमी करके जनता को राहत दें। बिजली की दरों का भी पुनरवलोकन करें।

मैं यह निवेदन करता हुआ, अपनी बात समाप्त करता हुआ, महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां पधारकर जो अभिभाषण दिया, उस पर माननीय हरिसिंहजी महुवा ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और आप सब महानुभावों से मांग करता हूं कि इतने शानदार, इतने जानदार अभिभाषण के माध्यम से राजस्थान की नयी सरकार ने जो कार्यक्रम, नीतियां, उपलब्धियां आपके समक्ष रखी हैं उन सबको आप एकमत होकर समर्थन देंगे। मैं समर्थन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी। धन्यवाद प्रस्ताव पर आपको जो संशोधन देने हैं, वे संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, महुवा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका मैं तहे दिल से, पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए अपना एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी संशोधन इस प्रकार है महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्न शब्द जोड़े जाएं-'अच्छा होता यदि राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में आरक्षण के लाभ से वंचित रहे कुछ वर्गों, जातियों को भी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में सम्मिलित कर आरक्षण का लाभ देने के सम्बन्ध में भी जिक्र करते।'

माननीय अध्यक्षजी, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के पैरा 58 में जिक्र किया है कि अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसका मतलब बहुत सही है कि अन्य पिछड़े वर्ग को कुछ फायदे, कुछ राहत देने का राज्य सरकार का मन है। राज्य सरकार की इस मंशा का स्वागत है। लेकिन साथ ही यह पक्ष निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत-से वर्ग इस प्रकार के रह गये जो अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किये जाने चाहिए थे। केन्द्र में आयोग बना, केन्द्र के आयोग ने इसका विश्लेषण किया और अपनी मान्यता दी कि कुछ श्रेणियां, कुछ जातियां ऐसी हैं आरक्षण का लाभ जिनको मिलना चाहिए और पिछड़े वर्ग की श्रेणी में उनको लिया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान में भी आयोग बना हुआ है, उसके समक्ष भी यह सवाल काफी लम्बे अर्से से चला आ रहा है। माननीय अध्यक्षजी, मैं आपको स्मरण

(श्री शिवनाथ सिंह)

कराना चाहता हूं, सदन को यह स्मरण कराना चाहूंगा कि 1993 में राजस्थान विधान सभा के लिए आम चुनाव हुए थे, हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था। चुनाव घोषणा पत्र में यह स्पष्ट अंकित किया था कि कुछ अन्य श्रेणियों में दूसरी जो जातियां रह गयी हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। खास तौर से जाट जाति का उसमें नाम लिया गया था।

माननीय अध्यक्षजी, 1998 में जो चुनाव घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया स्टेट के लिए, उसमें भी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अन्य पिछड़ा वर्ग में जो जातियां रह गयी हैं उनको हम सम्मिलित करेंगे। इस हिसाब से मैंने यह संशोधन प्रस्ताव रखा है। आज राजस्थान में ऐसे वर्ग और जातियां हैं जिन्होंने आजादी के समय, आजादी के संघर्ष में अपना बड़ा योगदान दिया। सामन्तशाही के अत्याचारों से पीड़ित रहे। ऐसी जातियां आज भी हैं जिनकी सामन्ती तत्वों द्वारा मूंछें काटी गयीं, कांटों पर चढ़ाया गया और अन्य प्रकार से पीड़ित किया गया। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं कि कुछ राहत तो हमको मिली और उस श्रेणी से जो वंचित रह गये....

(15.17 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

श्री खेतसिंह राठौड़ : भरतपुर में क्या हुआ ?

श्री शिवनाथ सिंह : राजा–राजा सब एक होते हैं, कोई जयपुर और भरतपुर का फर्क नहीं है। भरतपुर में भी वही अत्याचार होते थे जो जयपुर में हुआ करते थे, जोधपुर में हुआ करते थे। राजाशाही का मामला है, यह सामन्तशाही का मामला है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चुप रहोगे तो ठीक रहेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप आते हो क्या उस सामन्तशाही में ?

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापतिजी, मेरा निवेदन है कि कुछ जातियां इस आरक्षण से वंचित रह गयी हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं आरक्षण का पक्षधर नहीं हूं। आरक्षण अपने आप में सरकार की विफलताओं का प्रतीक है कि 50 साल के बाद भी हम सब जातियों को, वर्गों को समान स्तर पर नहीं ला पाए। यह सरकार की नीति की खामियां हैं और उसके लिए हमको आरक्षण सोचना पड़ता है।

दूसरा प्रश्न यहां उठता है कि आरक्षण का आधार क्या हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, अन्य अदालतों ने भी कहा है कि आरक्षण का आधार आर्थिक स्तर होना चाहिए। लेकिन यह माना नहीं गया और जो प्रचलित व्यवस्था है उसके अन्दर जातियों को आधार माना गया। अच्छा होता कि आर्थिक आधार को मानकर सभी जातियां,

(श्री शिवनाथ सिंह)

जिसमें चाहे ब्राह्मण हों, राजपूत हों, बनिये हों, कोई भी हो जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हों उन सबको आरक्षण का फायदा मिलता। लेकिन यह हमारे बस में नहीं है। केन्द्र ने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी। आज जो व्यवस्था है उसी के अन्दर हमको चलना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत-सी जातियां जिनमें जाट हैं, विश्नोई हैं, मेव हैं, सिन्धी मुसलमान हैं, और भी जातियां ऐसी हैं जो उन वर्गों के बराबर, जातियों के बराबर हैं जिनको आरक्षण मिला हुआ है। उन भाइयों को उस लाभ से वंचित रखना अन्याय है। आज कुछ अगड़ी जातियां हैं। वे अपनी जगह समय के हिसाब से रहती आयी हैं और आज भी वे अग्रणी हैं, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। लेकिन जो पिछड़ी हैं, उनमें जो बच गयी हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। आज जाट, मेव, गुर्जर, अहीर, माली, ये सब जातियां ऐसी हैं जिसमें हुक्के–पानी का मेल है, भाईपन का मेल है। काका-भतीजा के नाम से बोलते हैं। एक थाली में खाते हैं। इसलिए इनमें जो भेदभाव रखा गया है उस भेद–भाव को मिटाया जाकर अपने भाइयों के साथ उनको मिलाया जाए, यह मेरा निवेदन है।

कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में इस बात का संकेत दिया है, स्पष्ट रूप से लिखा है। घोषणा पत्र की हम क्रियान्विति करते हैं, घोषणा पत्र के आधार पर हम सब काम करने को आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इस घोषणा पत्र की भी पूर्ति की जाए और इन जातियों को जो मैंने गिनायी हैं–पिछड़े और भी हो सकते हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाए। यह जो राज्य स्तर पर आयोग बना हुआ है, उस आयोग में भी सक्रियता लायी जाए। यह आयोग बैठा हुआ है, अपना काम जिस सीमा में इनको करना चाहिये उसमें सुस्ती बरती जा रही है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको भी सक्रिय किया जाए। इस सम्बन्ध में सभापति महोदय, मुझे इतना ही निवेदन करना है कि सब इस बात के जानकार हैं कि क्यों दिया जाए आरक्षण, इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से मैमोरेण्डम पेश हो चुके हैं, सरकार के सामने सब स्थितियां आ चुकी हैं इसलिए मैं इनको दोहराना नहीं चाहूंगा।

माननीय सभापतिजी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत बड़े अन्तराल के बाद राजस्थान को एक अच्छी पार्टी का शासन मिला है। आज तक जो पिछली दो सरकारें थीं उनकी पार्टी का मुखिया किसी पार्टी का हो सकता है लेकिन वह एक अजीब ढांचा था। सिर उसका एक धातु का बना हुआ था, धड़ दूसरी धातु का बना हुआ था और पैर मोम के बने हुए थे। किसी भी क्षण मोम के पिघलने का डर मुखड़े को हुआ करता था और इसलिए वे कोई भी इच्छाशक्ति से काम आगे नहीं बढ़ा पाये। हमेशा यह डर रहता था कि कब मोम के पैर फिसल जाएं, गल जाएं

(श्री शिवनाथ सिंह)

और हम गिर जाएं। इसीलिए जो सिंह कहलाते थे- राजस्थान का एक ही सिंह, उनके कार्यकलाप, मेरे ख्याल से कोई दूसरा सिंह है तो मैं देना नहीं चाहूंगा लेकिन सिंह के लायक नहीं रहे और वे अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाये। और करना भी नहीं चाहिये क्योंकि उनके मुखड़े के आगे सामन्तवाद की छाप थी।(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : ये कांग्रेस पार्टी के शेर हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : क्या पूर्व मुख्य मंत्री को मोम के पैर बता रहे हैं?(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो ? उनको कहने दो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप कह दो सिंह को गीदड़।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : सभापति महोदय, आप नयी परम्परा डाल रहे हैं। सत्ता पक्ष का कोई भी माननीय सदस्य संशोधन पेश नहीं कर सकता है। यह नयी परम्परा होगी। वैसे आपकी मर्जी है, अगर आप यह डालना चाहें तो।(व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : व्यवस्था तो दीजिये, साहब; मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : सभापतिजी, मैं निवेदन कर रहा था....(व्यवधान)....

श्री सभापति : विराजिये-विराजिये आप।

श्री रामसिंह बिश्नोई : संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : उनमें सामन्तवाद की छाया थी, वे सामन्तवाद के प्रतीक थे। किसान के लिये उनके हृदय में दया नहीं थी, गरीब के लिये मोह नहीं था इसलिए इच्छाशक्ति जो उनमें होनी चाहिये थी, वह नहीं हो पायी। इसलिए इस पिछली सरकार के कार्यक्रम....

श्री मदन दिलावर : यह आप किस आधार पर बोल रहे हैं, किस तर्क के आधार पर बोल रहे हैं, यह सदन को बताने की कृपा करें।

श्री शिवनाथ सिंह : ऐसे रहे, जिनकी पूर्व माननीय वक्ताओं ने..(व्यवधान)..

श्री मदन दिलावर : राजस्थान में जो डकैतियां हो रही हैं, बलात्कार के मामले हो रहे हैं, ठगी के मामले हो रहे हैं उनकी चर्चा कीजिये। यह क्या चर्चा कर रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, हम जानना चाहते हैं कि माननीय सदस्य संशोधन पर बोल रहे हैं या अभिभाषण पर बोल रहे हैं ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : क्या तकलीफ हो रही है, उनको बोलने दें। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : (व्यवधान) मैं अपनी बात कहना चाहता हूं और यह बात ....(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)....

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : यह बात कह रहे हैं कि जाटों के बीच में....(व्यवधान) ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य संशोधन पर बोल रहे हैं या अभिभाषण पर बोल रहे हैं ? किस विषय वस्तु पर बोल रहे हैं ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : ये संशोधन पर बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : संशोधन पर बोल रहे हैं ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : राजस्थान में जाटों को ओ. बी. सी. में नहीं जोड़ पाये, यह बोल रहे हैं, इसलिए इसमें कहां गलत बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : संशोधन पर इतना लम्बा भाषण नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इनका बैसाखियों पर कहना ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज, हाउस टू आर्डर। प्लीज, स्थान ग्रहण करें। प्लीज, स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : विपक्ष के नेता पर यह जो....(व्यवधान)....

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप यह बिलकुल नयी परम्परा डाल रहे हो। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : यह बहुत गलत है, सभापति महोदय। (व्यवधान)....

श्री मदन दिलावर : यह निन्दनीय है, इनको क्षमा मांगनी चाहिये सदन से। इस प्रकार से....(व्यवधान)....

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : संशोधन पर आज तक कोई भी सत्ता पक्ष का माननीय सदस्य नहीं बोला है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप क्या कहना चाहते हैं, माननीय सदस्य ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यदि ये अपनी बात कहना चाहें तो इसके लिये अलग से टाइम दिया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इनको संशोधन नहीं देना चाहिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के नेता पर ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : जाटों को भी आरक्षण देना चाहिये। (व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र सिंहजी।

श्री मदन दिलावर : आरक्षण किसी को भी दो या सबको दे दो। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जाटों को आरक्षण दो या नहीं दो, इसका मतलब नहीं है, पर ये नियमों में बोलें। यह नयी परम्परा होगी, सत्तापक्ष का कोई भी माननीय सदस्य संशोधन पेश नहीं करता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने इस माननीय सदन का जितना अपमान किया, उतना शायद आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। (व्यवधान) आप स्वयं याद कीजिये अपने आपको।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : यह नयी परम्परा होगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : पांच साल तक कोने में बैठे रहिये, उसके बाद बात करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है ...

श्री सभापति : बोलिये-बोलिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : आठ साल तक परम्पराएं याद नहीं रहीं और आज सिमट कर कोने में बैठ गये तो परम्पराएं याद आ रही हैं। (व्यवधान) राजस्थान की जनता ने आपको कोने में बैठा दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि माननीय सदस्य ने संशोधन पर बोलने की अनुमति लेकर उस पर चर्चा प्रारम्भ की और उस विषय वस्तु से हटकर प्रतिपक्ष के नेता के लिये यह कहना कि वे सामन्तवाद के प्रतीक थे....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ये ही नहीं, हैं। ये और हैं। +++ (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उनका मुख दूसरा था, उनका पैर दूसरा था। सभापति महोदय, राजस्थान की विधान सभा की परम्पराएं हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : और वह जनता ने दिखा दिया है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : प्रश्न तो यह है कि आज हाड़ौती में लगातार डकैतियां हो रही हैं कांग्रेस के शासन में आने के बाद, और बोल नहीं रहे हैं। बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : भाटी साहब की भावनाओं का आदर कीजिये आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इतना आरोप लगाने की छूट नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह सदन सर्वोच्च सदन है, यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है, अगर आपको कोई आरोप लगाना था तो आप पहले नोटिस देते।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं?

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसी माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के अन्दर इस तरह के आरोप लगाना, विषय-वस्तु एक ही है ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : यह क्या पाइंट आफ आर्डर हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं पाइंट आफ आर्डर पर बोल रहा हूं। यह राजस्थान की विधान सभा है, पारीक साहब, इसमें हम भी चुनकर आये हैं, संख्या की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, ये सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं। (व्यवधान) मेव, सिन्धी मुसलमान, इनको आरक्षण की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। ये ठीक कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : संख्या आप भूल गये हैं, 1980 के अन्दर आप कितने थे? सभापति महोदय, आरक्षण का कोई विरोध नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह क्या बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हीरासिंह चौहान : आरक्षण का कोई विरोध नहीं है, आप अपनी बात रखिये। हम यह बात कह रहे हैं कि आप व्यक्तिगत आरोप मत लगाइये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, यह बात है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि.. (व्यवधान)...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : वे बोल रहे हैं, माननीय राजेन्द्र सिंह जी खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैंने श्री राजेन्द्र सिंहजी को टाइम दिया है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ये सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, आरक्षण की विषय-वस्तु के हम भी विरोधी नहीं हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ये कह रहे हैं कि पिछड़े वर्गों को, पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए। यहां पर ये सिन्धी मुसलमान, मेव सबको सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : सामाजिक समरसता की मांग कर रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय सभापति महोदय, यह आप नयी परम्परा डाल रहे हैं। यह नयी परम्परा होगी; माननीय सभापति महोदय, आखिर क्या मतलब होगा?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आपने तो नहीं दिया, इनको तो मांग करने दो। यह गवर्नमेंट दे दे तो क्या....(व्यवधान) माननीय, सभापति महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इसके अलावा और बात क्यों कह रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी पार्टी के सदस्य आपका साथ नहीं दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य इस सदन के वरिष्ठतम माननीय सदस्यों में से हैं। सदन परम्पराओं से चलता है, सदन प्रक्रियाओं और नियमों से चलता है। जिस विषय-वस्तु को आपने रखा है उसके हम कोई विरोधी नहीं है। यह सरकार की इच्छाशक्ति है कि कौनसे वर्ग को वह पिछड़ा वर्ग में शामिल करे, आरक्षण दे या नहीं दे। सभापति महोदय, यह सदन इस देश के अन्दर अच्छी विधान सभाओं में है परन्तु प्रतिपक्ष के सम्माननीय नेता के लिये इस तरह के अलंकरणों से बात की जाए कि वे सामन्तवाद प्रतीक थे, वे भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, सभापति महोदय, माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि एक गरीब किसान का बेटा खाचरियावास जैसे छोटे से गांव से आकर इस राजस्थान में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तीन बार मुख्य मंत्री बन गया । ....(व्यवधान)....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : +++बात करते हो । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तीन बार मुख्य मंत्री बन गया । सभापति महोदय, संख्या बल पर इतना नहीं इतराना चाहिये । ये भूल जाते हैं कि सन 1977 के अन्दर क्या हालत हुई थी । हम भी इसी तरह बहुमत के अन्दर आये थे, एक सौ चालीस हम आये थे परन्तु 1980 के अन्दर सिमट कर हम भी 36 रह गये थे । परन्तु यह कोई सोचे कि इस राज के अन्दर आज जो लोग चुनकर आ गये, उनका स्थाई राज हो गया। सभापति महोदय, आपका प्रोटेक्शन चाहिये। इस सदन के अंदर इस तरह की बात किसी सदस्य की गैर–मौजूदगी में नहीं कहनी चाहिये, यह मेरा पाइंट आफ आर्डर है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर । पाइंट आफ आर्डर ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय भाटी साहब ने जो कहा है, भोसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है वह आज की कार्यवाही से निकलवाइये आप । यह नहीं चलेगा, संख्या बल पर आप किसी के लिये.... (व्यवधान) नहीं जा सकते । (व्यवधान)

श्री सभापति : एक पाइंट आफ आर्डर चल रहा है । (व्यवधान) जब तक उसके बारे में निर्णय नहीं हो जाए

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर ।

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर पर पाइंट आफ आर्डर नहीं होता । माननीय सदस्य..(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर ।

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर के ऊपर पाइंट आफ आर्डर नहीं होता ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इन पर थोड़े ही कर रहा हूं मैं ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उसको एक्सपंज करवाइये आप । उसको कार्यवाही से निकलवाइये । माननीय सभापति महोदय, उसको कार्यवाही से निकलवाइये आप जो माननीय भाटी साहब ने सदन के प्रतिपक्ष के नेता के लिये कहा है । (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : क्या कहा है ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय,

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री मदन दिलावर)

प्रतिपक्ष के नेता महोदय के लिये कहा है ...(व्यवधान)

(15.30 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस सदन की गरिमा प्रतिपक्ष के नेता के रूप में बनाइये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको आप कार्यवाही से निकलवाइये। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अब सदन की गरिमा याद आने लग गयी, पिछले आठ सालों में कहां चली गयी थी वह गरिमा ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इसको कार्यवाही से निकलवाइये। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आकण्ठ जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वे दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते हैं। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : पाइंट आफ आर्डर के ऊपर ही बोल रहे हैं। (व्यवधान) पाइंट आफ आर्डर के ऊपर पाइंट आफ आर्डर नहीं होता।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं पाइंट आफ आर्डर पर पाइंट आफ आर्डर नहीं उठा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : पाइंट आफ आर्डर पर पाइंट आफ आर्डर होता है कि नहीं होता, आसन से इसका निर्देश होगा, आप क्या निर्देश फरमा रहे हैं वहां बैठे–बैठे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने आठ साल तक इस सदन के अन्दर कार्यवाही में भाग लिया। मुझे वे कई क्षण याद आ रहे हैं जब आप यहां से बोलने के लिये खड़ा हुआ करते थे और सत्ता पक्ष सहित सारे लोग बड़े सम्मान से आपकी बात सुना करते थे। आपकी सारी बातें वे बातें थीं जिन बातों को सरकार गंभीरता से लेती थी। सरकार का मार्गदर्शन भी कई बार आप करते थे।

अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक संशोधन प्रस्तुत किया। उस संशोधन में हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर संशोधन की विषयवस्तु पर बोलते-बोलते प्रतिपक्ष के नेता पर इस तरह के प्रहार करने चालू कर दिये कि वे सामंतशाही के प्रतीक, भ्रष्टाचार के प्रतीक और उससे आगे बढ़कर माननीय नरेन्द्र सिंह जी भाटी ने खड़े

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

होकर हठात इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप जड़ दिये। अध्यक्ष महोदय, सदन परम्पराओं से चलता है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैंने तो पांच साल तक किये हैं, आपका राज था तब भी और आगे अब भी करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप नोटिस देकर कुछ भी कार्यवाही करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, नोटिस देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सदन उन परम्पराओं से चलता है जिन परम्पराओं को आपने बनाया। अब अगर इस सदन के अन्दर नये आने वाले माननीय सदस्यों के सामने यह तस्वीर प्रस्तुत की जाए कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, चाहे वह सदन का सदस्य हो या सदन का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, मर्जी आये जो शब्द बोल दें तो, अध्यक्ष महोदय, यह पहला सत्र है और दूसरा दिन है, अध्यक्ष महोदय, इस सदन की गरिमा आपके अध्यक्ष बनने से बढ़ी है परन्तु क्या आप इस गरिमा को बचा पाएंगे ? इसलिये मेरा निवेदन है कि जो इस तरह के असंसदीय शब्द हैं उनको कार्यवाही से निकाला जाए वरना, अध्यक्ष महोदय, मैं उप नेता की अनुमति से कहता हूं हमें बहिर्गमन करना पड़ेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, मेरी बात भी एक मिनट सुनी जाए। अध्यक्ष जी, मैंने एक भी असंसदीय शब्द नहीं कहा और मैंने प्रतिपक्ष के नेता महोदय के लिये कुछ भी नहीं कहा। मैं पूर्ववर्ती सरकार के प्रति कह रहा था और उसमें चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, हो सकता है इनकी आपस में कोई गड़बड़ हो, उसके कारण से ये प्रतिपक्ष के नेता महोदय को बीच में लाये।

मैं व्यक्तिशः भैरोंसिंह जी...(व्यवधान) मेरी सुन तो लो (व्यवधान) मैं व्यक्तिशः आज के प्रतिपक्ष के नेता महोदय, पूर्व के सदन के नेता महोदय माननीय भैरोंसिंह जी के लिये पूरा सम्मान रखता हूं। पहले भी रखता था और आज भी रखता हू और उनकी शान के खिलाफ मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। यह तो माननीय राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ ने अपनी उनसे दुश्मनी निकालने के लिये इतनी अप्रिय चीज को सामने रखा और भाटी साहब के मुख से वे शब्द कहलवा दिये। मेरा आप पूरा भाषण देख लीजिये, कोई भी असंसदीय शब्द मैंने नहीं कहे हैं। मैंने पूर्ववर्ती सरकार के लिये कहा है, आज भी कहता हूं, पहले भी कहता आया हूं और सरकार में जो प्रतिपक्ष के नेता, मुख्य मंत्री थे, तब भी यह शब्द काम में लेता रहा हूं। कोई असंसदीय नहीं हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आगे बोलने की इजाजत दी जाए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : भ्रष्टाचारी हैं, मोम के पैर हैं—(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचारी कहा है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष जी, रिकार्ड देख लीजिये और रिकार्ड देखकर उसको एक्सपंज करिये।

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर जो पहला है, मैं खुद सुन रहा था चैम्बर में। गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूर्ववर्ती सरकार के मुख्य मंत्री और अभी सदन के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके संबंध में कोई बात नहीं की। लेकिन यदि किसी माननीय सदस्य ने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है +++ और ऐसी कुछ बात कही थी, किसने कही थी, मुझे मालूम नहीं, मैं वहां पर सुन रहा था लेकिन यह इस तरह की जो शब्दावली है वह असंसदीय है और मैं सदन की कार्यवाही से एक्सपंज करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। मैं तब खड़ा हुआ जब चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने परम्पराओं पर और चेयर पर आक्षेप लगाये कि परम्पराएं नयी डाली जा रही हैं। जो छबड़ा से सदस्य पधारे हैं, इन्होंने भी कहा। मैं उठकर यह कहना चाह रहा था कि, अध्यक्ष महोदय, आप भी प्रतिपक्ष के नेता थे पांच साल तक। आपने भी देखा कि पूर्व अध्यक्षजी जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उन्होंने कैसी-कैसी परम्पराएं डालीं। हम भी भुगते हैं उसके तहत, प्योरली ब्रूट मैजोरिटी के तहत।

अभी तो ये बौखलाए हुए हैं, जो गुढ़ा से आने वाले सदस्य ने फरमाया कि साहब, एक मुख्य मंत्री के राजस्थान का एक ही सिंह, एक ही सिंह के जो नारे लगते थे, वे भी कोई परम्पराएं थीं। आप अपने लहजे से बोल रहे थे, इनको तो टोका। अगर हम उठकर उस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ जनता का जो नतीजा निकला है, उसके अंदर जो मैंडेट मिला है कांग्रेस को, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस भ्रष्टाचार की नीतियों के खिलाफ अगर टिप्पणी करें तब तो परम्पराएं नई आ रही हैं इसमें। इस पर हम बोलना चाहते हैं। आज जो चूरू से आये हैं सदस्य, वे सही तरीके से क्यों नहीं मान लेते जनता ने जो नतीजा दे दिया है ?

श्री मदन दिलावर : उधर बोलिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपको क्या एतराज है ? मैं राजेन्द्र सिंहजी को एड्रेस कर रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : आप चेयर को सम्बोधित कीजिये।

+++ अनिश्चित अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उनको आब्जेक्ट करने दीजिये । (व्यवधान) ठीक है । अध्यक्ष महोदय, इनको तो शर्म आनी चाहिये । +++ कि वैसे ही नेता को, उसी नेता को, इनके पास और कोई चोइस नहीं थी, उसी को वापस अपना नेता बनाया । तो नेचुरली अगर जनता ने हमें डेढ़ सौ सीटें दी हैं और अगर पांच साल तक उस नेता के खिलाफ और भूतपूर्व मुख्य मंत्री के खिलाफ, उनकी कुनीतियों के खिलाफ यहां लड़े हैं तो उस आदमी को तो हम विपक्ष में भी नहीं बख्शेंगे, यह मेरा कहना है ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : (व्यवधान) कृपा करके, सदस्य महोदय, अपनी व्यक्तिगत चिढ़ न निकालें ।

श्री अध्यक्ष : पूर्ववर्ती सरकार के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह जी, माननीय सदस्य जो कुछ भी अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, अभी प्रस्तावक महोदय ने भी पूर्ववर्ती सरकार के संबंध में खुलकर बातें कही हैं, यहां पर चर्चा में उठाई हैं, उस पर कोई एतराज नहीं है । लेकिन व्यक्तिगत तौर पर किसी मुख्य मंत्री के बारे में और वह भी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये ।

दूसरी बात है, मैं आज देख रहा हूं कि जब कोई सदस्य राज्यपाल अभिभाषण के वाद-विवाद में भाग ले रहा है, बीच बीच में अपन टोका-टोकी कर रहे हैं । यह परम्परा, परिपाटी ऐसी गलत पड़ गयी । आज प्रथम दिन है, क्योंकि आठ तारीख को तो आप जानते हैं फॉर्मल, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था, आज पहली बैठक में सदन में वाद-विवाद और चर्चा हो रही है, इसलिये हमें इस प्रकार की परिपाटी नहीं डालनी चाहिये । मेरी किसी के विचारों से सहमति नहीं है । आपको अवसर मिलेगा आप उसका प्रतिवाद कर दें, लेकिन बीच में आप व्यवधान मत डालिये । श्री शिवनाथ सिंहजी ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकिण्ड । अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 15 की तरफ दिलाना चाहता हूं ।

'Amendments may be moved to the motion of thanks in such form as may be considered appropriate by the speaker.'

आपने कौनसा प्रस्ताव इनका स्वीकार किया, हमारी जानकारी में नहीं है । किस फार्म में यह था, यह भी हमको मालूम नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि कोई आपने अनुमति दी है किसी विशेष प्रस्ताव पर, उसकी कापी हमको मिलनी चाहिये ताकि हम उसका उत्तर भी दे सकें या विचार में हम भाग ले सकें ।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : भेज दी, अमेंडमेंट की कापी गयी है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अमेंडमेंट की नहीं है, हमारे पास नहीं है ।

श्री रामनारायण चौधरी । आप पढ़ो ।

श्री भंवरलाल शर्मा : ठीक है, देख लेते हैं । अगर दी है तो ठीक है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आज सदन में विचाराधीन है उसमें अगर कोई भी संशोधन करना चाहे तो उसकी जानकारी सदन के सभी माननीय सदस्यों को होनी चाहिये । बुलेटिन संख्या एक में जो संशोधन उन्होंने प्रस्तुत किया है उसका पूर्णतया उल्लेख है और इसे माननीय सदस्यों को सर्कुलेट कर दिया गया था । हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य के अगर यह ध्यान में नहीं आया है तो मैं अब इनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । कोई पाइंट आफ आर्डर है उसमें कोई बल नहीं है ।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, मैं नहीं चाहता कि माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों को कहीं पर कोई बात खराब लगे इसलिए सामन्तवाद की बात यहीं समाप्त करता हूं ।

अध्यक्षजी, पिछली सरकार के क्या कार्य थे, क्या कारनामे थे, क्या उपलब्धियां थीं, आज के स्टेट के हैड और उस वक्त के स्टेट के हैड, जब इनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी इन्हीं महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के पैरा 8 में जो चित्रण कर दिया वह मेरे खयाल से सभी माननीय सदस्यों ने पढ़ लिया होगा और वह सर्टिफिकेट काफी है पिछली सरकार के लिए । एक लाइन पढ़ना चाहूंगा-"पिछली सरकार के आठ वर्षों के कुशासन में राज्य की कानून व्यवस्था एकदम चौपट हो गयी । इस दौरान हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार, उत्पीड़न, अपहरण, चोरी, डकैती, पुलिस हिरासत में मौतें एवं लूट की घटनाएं आम बात हो गयी थी । दलितों एवं समाज के कमजोर तबकों पर अत्याचार की घटनाओं में भी निरन्तर वृद्धि होती रही ।

अध्यक्षजी, यह जुबान है हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय की जो उस वक्त भी महामहिम राज्यपाल महोदय थे और उनके समय में इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये घटनाएं घट रही थीं । इसलिए इन बातों को इनके अभिभाषण में हम सही मानते हैं, पूरा सही मानते हैं, पूरी तरह से विश्वास करते हैं । पूर्ववर्ती सरकार के लिए मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहूंगा ।

अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, महामहिम राज्यपाल महोदय ने एक योजना इस सरकार के कार्यक्रमों की दी है और सभी बिंदुओं को उन्होंने इस पर छोड़ा है । अध्यक्षजी, मैं आपके मार्फत सरकार से कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा । पिछली सरकार ने सड़कों की नीति बनायी थी और ध्यान दिया गया नेशनल हाई-वेज पर, स्टेट हाई-वेज पर । गांवों की जो सड़कें थीं, जिला हैडक्वार्टर

(श्री शिवनाथ सिंह)

को जो सड़कें थीं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य संशोधन पर बोल रहे हैं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहे हैं ? ये तो अभी सड़क पर बोल रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, मुझे मेरी पार्टी की तरफ से यह आदेश हुआ है कि मैं संशोधन....

श्री अध्यक्ष : संशोधन के साथ अभिभाषण पर भी आप बोल सकते हैं। इनको अधिकार है और उस अधिकार से माननीय सदस्य को वंचित नहीं किया जा सकता। संशोधन तो स्पेसिफिक था, इन पर्टीकुलर था लेकिन भाषण के ऊपर निश्चित तौर पर इस सदन के माननीय सदस्य के नाते वे इसमें अपने विचार रखेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, मुझे खेद है, सदन के इतने वरिष्ठ सदस्य होते हुए जो कुछ नियमों में है उससे भी एक सदस्य को, अपने भाई को वंचित करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से यह उचित नहीं होगा।

अध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रहा था कि सड़कों के मामले में इस सरकार को प्रायोरिटी देनी चाहिये और जो विलेज रोड्स हैं, जिले की रोड्स हैं उनको दुरस्त करना चाहिये।

अध्यक्षजी, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी यहां मौजूद हैं, 8 घण्टे की बिजली देने का इस सरकार ने एलान किया। इसकी पालना हो रही है लेकिन कुछ कठिनाइयां आज हैं जिनको भी हमें दुरस्त करना पड़ेगा। अध्यक्षजी, हमारे स्टेट में ट्रांसमिशन लॉसेज इतने भयंकर हो रहे हैं-30—35 प्रतिशत ट्रांसमिशन लॉसेज हो रहे हैं और उसके कारण से बिजली कम पड़ रही है, इसकी तरफ यह सरकार ध्यान दे। दूसरा, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं उन पर पिछले आठ-दस साल से कोई काम नहीं हुआ है, उनका विस्तार नहीं हुआ है। इस कारण से आप आठ घण्टे बिजली दूसरे प्रांतों से लेकर, दूसरे देशों से लेकर प्रांत को मुहैया करा सकते हैं लेकिन काश्तकार तक वह बिजली नहीं जाएगी, उसमें ट्रिपिंग होगी। इसलिए इसकी ओर भी आप ध्यान देने की चेष्टा करिये।

अध्यक्षजी, विकास कार्यों के सम्बन्ध में कहा गया। विकास कार्य हर सरकार का कर्तव्य है, करते हैं लेकिन एक समस्या हमारे सामने है। चाहे छोटे बांध हों, एनीकट्स हों, स्कूल के भवन हों, ये सब विकास कार्यों में आते हैं। ये बने हैं लेकिन इनके रखरखाव के लिए, मेंटिनेंस के लिए आज तक कोई प्रोविजन किसी भी सरकार ने नहीं रखा है। यह सरकार इसमें पहल करे और जो हमारे असेट्स बन चुके हैं उन बने हुए असेट्स को मेन्टेन किया जाए। उन पर खर्चा किया जाए और इस हिसाब से उनकी उपयोगिता बढ़ायी जाए।

अध्यक्ष जी, हमारे यहां साक्षरता कार्य-

(श्री शिवनाथ सिंह)

क्रम बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पूर्ववर्ती सरकार ने भिन्न-भिन्न योजनाएं अपने भाइयों को, अपने कार्यकर्ताओं को लूट करने वाली बनायीं। कहीं शिक्षाकर्मी योजना हो गयी, कहीं सम्पूर्ण साक्षरता हो गयी, कहीं अनिवार्य शिक्षा हो गयी तो कहीं दूसरी अनौपचारिक शिक्षा हो गयी। मेरा निवेदन है इस सरकार से कि इन सब बातों को एक साथ कर के प्राइमरी एजुकेशन पूर्ण रूप से हर बच्चे को मिले, इस प्रकार का निश्चय हम को करना चाहिये ताकि प्राइमरी एजुकेशन की जो हमारे पर एक बाध्यता है, कांस्टीट्यूशन की जो बाध्यता है उसको भी हम पूरा कर पाएं। इन सब कार्यक्रमों को एक जगह संगठित कर, एकजाई कर के फिर किया जाए। होता यह है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं और रुपया चाहे वह विदेशों से हमारे पास आए चाहे केन्द्र सरकार हमें दे या राज्य सरकार के साधन हों, उस पूरे रुपये का उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए उसका भी उपयोग करना चाहिये।

अध्यक्षजी, मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा, पंचायती राज के बारे में कहा गया। 73वां और 74वां संशोधन संविधान में हुआ। 73वें संशोधन के बाद उसकी भावनाओं को सही रूप में नहीं समझते हुए पिछली सरकार ने इन पंचायत संस्थाओं का सत्यानाश कर दिया। उस संविधान संशोधन में कहीं भी यह नहीं था कि ग्राम पंचायत के अधिकार छीन लो, पंचायत समिति के अधिकार छीन लो, जिला परिषद के अधिकार छीन लो। यह कहीं भी नहीं था इसलिए मेरा इस सरकार से निवेदन है कि पूरे पंचायती राज कानून को पुनरीक्षित किया जाए, उसको देखा जाए, उसकी समीक्षा की जाए और नया पंचायती राज कानून बनाया जाए और उसके माध्यम से हमारी पंचायतों को और पंचायत समितियों को सशक्त किया जाए।

आपने अभिभाषण में कहा है कि हम डी. आर. डी. ए. जिला परिषदों को देने वाले हैं। अच्छा कदम है लेकिन उससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जब तक इन संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तब तक यह पंचायती राज कामयाब नहीं हो पाएगा। और जो नेहरू जी के स्वप्न थे, राजीवजी के स्वप्न थे उन सब स्वप्नों की पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किया जाए, यह मेरा निवेदन है।

(समय : 15.50 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति जी, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, प्रांत का बहुत-सा भाग पीने के पानी की समस्या से ग्रसित है। इस समस्या के निराकरण के लिए केन्द्र सरकार के राजीव फाउण्डेशन में और दूसरे स्रोतों से बहुत धन उपलब्ध है लेकिन हमारी पूर्ववर्ती सरकार उसका उपयोग नहीं कर पायी। कहीं योजना स्वीकृत

(श्री शिवनाथ सिंह)

नहीं हुई, योजना स्वीकृत हो गयी तो उसकी क्रियान्विति नहीं हुई। इस सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या को लेना चाहिए। जहां खारे पानी की समस्या है वहां कैनाल से पानी आना चाहिए, जहां नीचे जमीन में पानी है वहां दूसरी व्यवस्था होकर इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। हैण्डपम्पों की जो योजना है वह मेरे खयाल से कुछ इलाकों में, मैं अपने सीकर–झुन्झुनूं की तरफ से कहता हूं कि उन इलाकों में जहां रेगिस्तानी भाग है, ये हैण्डपम्प कतई कामयाब नहीं हो रहे हैं। पूरा रुपया भेजा जा रहा है इसलिए इस तरफ भी ध्यान दें।

एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने और सदन के सामने रखना चाहूंगा। पूर्व प्रधान मंत्री श्री गुजराल साहब जब झुन्झुनूं जिले के बिसाऊ गांव में आये थे, उन्होंने एक योजना झुन्झुनूं जिले के लिए स्वीकृत करने की बात कही थी। वह स्वीकृत भी हो गयी। उस वक्त उप मुख्य मंत्री भामड़ा साहब मौजूद थे, उन्होंने उन लोगों से यह कहा था कि राज्य सरकार ने इसके लिए धन भी आवंटित कर दिया है। लेकिन वह योजना गुजराल साहब के जाने के बाद बिलकुल खटाई में पड़ गयी। झुन्झुनूं जिले का उत्तरी भाग और सीकर जिले का कुछ भाग खारे पानी की समस्या से पीड़ित है, उनको मीठा पानी देने के लिए योजना जो बनी थी उसकी क्रियान्विति होनी चाहिए और वे लोग जो आज लम्बे समय से प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए।

माननीय सभापति जी, मैं अन्य बातों को छोड़ता हुआ जो चिकित्सा और स्वास्थ्य की हालत हमारे प्रान्त में है, उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज सुबह भी एक प्रश्न आया था कि अस्पताल खाली हैं, हैल्थ सेन्टर खाली हैं, उप केन्द्र खाली पड़े हैं और कहीं संख्या निश्चित है वहां उससे भी अधिक कर्मचारी बैठे हुए हैं। आज गांव के आदमी को चिकित्सा के लिए पचासों-पचासों किलोमीटर जाना पड़ता है, उसको साधन उपलब्ध नहीं होते हैं इसलिए जिलों के हास्पिटलस को सशक्त किया जाए। सब प्रकार के साधन, सर्जरी के दूसरे साधन वहां उपलब्ध कराये जाएं। इसको भी सरकार को प्राथमिकता से लेना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना संशोधन पेश करते हुए और मूल प्रस्ताव का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, आज यह सदन एक ऐसी स्थिति में मिल रहा है जहां एक दल को बहुत अधिक सीटें मिली हैं और एक दल को बहुत कम। इसके पहले भी हिन्दुस्तान में कभी सत्ताएं पलटी होंगी कभी लोग चुनाव हारे होंगे, कभी कोई दल जीता होगा और कभी कोई दल हारा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

होगा, लेकिन अगर केवल यह कहकर कि चूंकि पूर्व सरकार ने सब गलत काम किये, इसके कारण से उसकी हार हो गयी, एक शब्द में समेटना चाहेंगे तो मैं बड़ी विनम्रता से यह पूछना चाहूंगा कि 1977 में सरकार का जो बदलाव हुआ ...

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : राजस्थान की सात करोड़ जनता है वह कह रही है, हम कह रहे हैं क्या ? जनता ने राज पलटा है, हमें क्या है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 1977 में जो बदलाव हुआ उस बदलाव के कारण अगर कोई यह कह दे कि उसके पहले सब कुछ ही खोटा किया था जिसके कारण से गाय और बछड़ा दोनों हार गये, तो कोई न्याय नहीं होगा। कई बार ऐसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं जिन प्रश्नों के आधार पर जनता के मन में कुछ गुस्सा होता है, कुछ तकलीफ होती है और उसके आधार पर निर्णय कर देती है। मैं सोचता हूं कि यदि जनता वास्तव में पिछले आठ सालों के कार्यकाल का अच्छाई और बुराई के आधार पर निर्णय करती तो हमें कोई एतराज नहीं होता।

हमें एतराज इस बात का है, और दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र का कि जबसे पोकरण के अन्दर विस्फोट किया, पोकरण के विस्फोट के बाद इस देश को जो गौरव प्राप्त हुआ, यह पहली बार हिन्दुस्तान दुनियां के नक्शे पर....(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय सभापति महोदय, इन्होंने बनाया था बम ? पोकरण का बम तो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमैंट ने बनाया था, इन्होंने तो लिया और खिलौने की तरह फोड़ दिया। यह नहीं सोचा कि इसको फोड़ने के क्या नतीजे निकलेंगे ? (व्यवधान) इसको बनाने में इनका योगदान नहीं है बल्कि इन्होंने तो देश को आर्थिक संकट में डुबो दिया। यह परिणाम नहीं देखा कि पोकरण में बम फोड़ने के क्या परिणाम होंगे। यह भी उपलब्धि है आपकी ? (व्यवधान)

श्री सभापति : अभी-अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि एक माननीय सदस्य जब बोल रहे हों तो दूसरा माननीय सदस्य बीच में बोलकर व्यवधान पैदा नहीं करे। सभी माननीय सदस्यों को इस मौके पर बोलने का अवसर मिलेगा, आप अपनी बात उस समय कह सकते हैं। माननीय सदस्य श्री गुलाब चन्द जी कटारिया अपनी बात कह रहे थे, उनको अपनी बात कहने दें उसमें व्यवधान नहीं करें। माननीय श्री कटारियाजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पाइन्ट आफ आर्डर। सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि अभी कटारियाजी बोलते-बोलते 1977 के चुनाव परिणामों का विश्लेषण कर रहे थे और इन्होंने एक सेटिरिकल भाषा का प्रयोग किया कि उस चुनाव में गाय भी हार गयी और बछड़ा

(श्री हरिसिंह)

भी हार गया। स्वर्गीय इन्दिराजी के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है जो विश्वविख्यात थीं, बहुत बड़ी नेता थीं। अगर उनकी तरफ इनका इण्डीकेशन है तो सदन की कार्यवाही से ये शब्द निकलवाये जाएं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसमें ऐसा कौनसा शब्द है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय सभापति महोदय, महुवा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जब अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखा था तो उस समय एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया था जो आज न इस सदन में हैं और न इस दुनिया में। चौधरी कुम्भारामजी आर्य के लिए आपने भी +++ कही थी। आपको भी नहीं कहनी चाहिए थी। जब न कोई बात थी....(व्यवधान) अब आप आपत्ति कर रहे हो। आप स्वयं ने भी अपने भाषण के अन्दर वह बात कही थी, जो आदमी आज दुनिया में नहीं है। जब कोई आदमी दुनिया में नहीं रहता तो लोग उसकी बुरी-बात को नहीं करते हैं। लेकिन जो बात इन्होंने छेड़ी है उस बात को भी नहीं सोचकर.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सभापति महोदय, मुझे अत्यन्त खेद है कि माननीय सदस्य एबसेन्ट माइन्ड से यहां बैठे हुए थे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उसका सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मैंने तो यह कहा था कि यहां सदन में माननीय कुम्भारामजी के ऊपर गुड़ के घोटाले का आरोप लगा था, उसकी जांच हुई तथा जांच में कुम्भारामजी निर्दोष पाये गये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह नहीं कहा, यह असत्य है। नहीं, असत्य बात कह रहे हैं। यह कहा था कि +++ यह डामर पीने की चीज नहीं थी ये डामर खा गये, यह बात कही थी। आप सदन में.. (व्यवधान) आपने जो कुछ कहा प्रोसीडिंग मंगवाकर देख लीजिये .. (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्रोसीडिंग्स मंगवा ली जाए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप अगर इसको गलत कहते हैं तो जो कुछ कहा है स्वर्गीय कुम्भारामजी आर्य के लिए वह भी ठीक नहीं है, उसे भी सदन की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप प्रोसीडिंग्स मंगवा लीजिए। प्रोसीडिंग्स को देख

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिसिंह)

लीजिए, मेरे भाषण में नहीं है। मैंने भाषण में कोई आरोप नहीं लगाया है। यह बिल–कुल निराधार है। (व्यवधान)... उस मामले की जांच हो गयी और माननीय कुम्भारामजी निर्दोष पाये गये, यह मैंने कहा है। (व्यवधान) अगर आपके आरोप को सत्य भी मान लिया जाए, लेकिन आप अधूरा भाषण पढ़ रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति जी, +++ कही है, उसको सदन की कार्यवाही से तुरन्त निकाला जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : महुवा से आने वाले माननीय सदस्य यह कह गये, यह सत्य है कि आप यह बात कह गये यहां पर।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैंने कहा ?

श्री जगत सिंह दायमा : हां, कह गये आप। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : क्या आज राजस्थान के किसानों को यह खातेदारी अधिकार दिलाया गया है कि जो खातेदारों की समस्या का समाधान स्वर्गीय कुम्भारामजी आर्य ने किया है....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सुमित्राजी कुछ कहना चाहती हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप न सन्दर्भ को समझे और न कंटेक्स्ट को समझे। (व्यवधान)

(16.00 बजे)

श्री सभापति : आप सदन की कार्य-वाही को मल्ल युद्ध में बदल रहे हैं। महुवा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आज सदन आपके प्रस्ताव पर ही विचार विमर्श कर रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा सबसे कि सदन की कार्यवाही मर्यादापूर्वक चलने दें।

अध्यक्ष महोदय अभी हाल ही में व्यवस्था देकर गये हैं कि एक माननीय सदस्य बोल रहा हो उस दरमियान दूसरा माननीय सदस्य बोलने की कोशिश नहीं करे। वे अपनी बात उनका नम्बर आए तब कह सकते हैं। अभी आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, ऐसा कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, आपने जो आसन से व्यवस्था दी यह तो ठीक है लेकिन यह बात भी बिलकुल सही है कि महुवा से आने वाले माननीय सदस्य के मुंह से यह निकला था कि +++ लेकिन डामर को खा गये थे तो। ये शब्द इनके मुंह से निकले थे।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने कहा था, डामर खाने की चीज है पीने की नहीं।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : सभापति महोदय, ऐसा कहा है तो यह शब्द कार्यवाही से निकाले जायं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और मैंने उस पर यह कहा था कि डामर तो पीने की चीज है इसलिए पी गये, डामर खाने की नहीं है पी गये।

श्री सभापति : आप ठीक कह रहे हैं, ये शब्द निकले थे मैंने भी सुने थे लेकिन वह तो बात पुरानी हो गयी, आयी गयी हो गयी। माननीय श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आयी गयी नहीं, इसको कार्यवाही से निकाला जाए, माननीय सभापति महोदय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन पर बैठकर के आयी-गयी बात कहकर आप व्यवस्था जो दे रहे हैं यह उचित नहीं है।

श्री सभापति : कितनी देर बाद उठा रही हैं आप ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, गलत बात है। आयी गयी नहीं कह सकते आप। आप आसन पर बैठे हैं, आपको व्यवस्था देनी होगी। ऐसे आयी गयी कैसे कर देंगे आप ?

श्री सभापति : आप क्या चाहती हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह चाहती हूं कि कुम्भाराम जी के लिए जो यहां शब्द कहे गये वे कार्यवाही से निकाले जाएं। ....(व्यवधान) ....

श्री सभापति : आप सुनिये।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय कुम्भाराम जी आर्य के लिए कहे गये हैं जो इस हाउस में नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : महुवा से आने वाले माननीय सदस्य खेद व्यक्त करेंगे कि गलत बात कही है इन्होंने।

श्री सभापति : सम्माननीय श्री कुम्भाराम जी के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तिजनक बात हुई होगी तो मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे कार्यवाही को देख लें। कार्यवाही को अध्यक्ष महोदय देख लेंगे, देखने के बाद जैसा मुनासिब समझेंगे वह कर देंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आसन पर तो आप हैं। आप आसन पर हैं, आपको व्यवस्था देनी पड़ेगी।

श्री जगमाल सिंह यादव : ... (व्यवधान) ... जब तक आप देखोगे तब तक तो प्रेस में चला जाएगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत चाहे उपाध्यक्ष बैठा हो, चाहे सभापति हो, आपके अन्दर वे समस्त शक्तियां निहित हैं जो अध्यक्ष में हैं । आप अधिकृत हैं इसको कार्यवाही से एक्सपंज करने के लिए । आप इसको टालिये मत ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आप इसको सुनिये । नियमों में यह कोई व्यवस्था नहीं है कि हाथों हाथ व्यवस्था दी जाए । आप नियम पढ़ लीजिए । बैठिये आप ।

श्री जगमाल सिंह यादव : फिर तो प्रेस में छप जाएगा (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति अधिकृत हैं .... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : वह प्रेस तक नहीं जाए, आम जनता तक नहीं जाए ।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय कुम्भाराम जी हमारे किसान वर्ग के लिए आदर्श थे ।

श्री सभापति : यह घंटों बाद आप बात उठा रहे हैं किस प्रसंग में ? .. (व्यवधान) ....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, व्यवस्था आप से चाहते हैं, आसन पर आप विराजमान हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : (संसदीय कार्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था ...

श्री जगत सिंह दायमा : पहले हमारे निवेदन पर तो आ जाने दीजिये । आप जो निवेदन कर रहे हैं

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप सुनिये, मेरी बात सुनिये । कृपया आप बात सुनिये ।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं बराबर का हक है हमारा । हमारा बराबर का हक है, पहले हमारी तो व्यवस्था कर दीजिये । माननीय कुम्भाराम जी के लिए जो शब्द यूज किये गये हैं ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : यदि माननीय हरिसिंह जी ने अपने भाषण में माननीय स्वर्गीय कुम्भाराम जी के लिए ये शब्द प्रयोग में लिये हैं कि +++ तो इसको आप कार्यवाही से हटा दीजिये ।

श्री अमराराम (धोद) : राठौड़ साहब, इसके लिए आप माफी मांगो ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : खाली गलत बात कह कर कार्यवाही से निकालने का नहीं है, जो बात किसी व्यक्ति के लिए

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

गलत कही जाए उसको उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी होना चाहिए।

डा. किरोड़ी लाल : डामर और गुड़ दोनों ही असंसदीय हैं, दोनों को निकाला जाए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति जी, +++ यह असंसदीय है इसको निकाला जाए और माननीय हरिसिंह जी को कहा जाए कि वे समझदारी से .. (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उनको प्रताड़ना दी जाए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : देखो, आपको याद नहीं रहा, आपने कहा है।

श्री सभापति : आप आपस में चर्चा नहीं करें। माननीय माहिर आजद साहब, आप बहुत अनुभवी माननीय सदस्य हैं, आप आपस में चर्चा नहीं करें। विधि मंत्री महोदय ने और श्रीमती सुमित्रा जी ने जो बात उठाई इस सदन के सदस्य और किसान नेता माननीय स्वर्गीय चौधरी कुम्भाराम जी के बारे में, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर ऐसी बात कोई हुई है तो मैं अध्यक्ष महोदय को अनुरोध करूंगा, वे इस बात को हटा देंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : साहब, मैं कह रहा हूं, निकालो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डामर को भी निकालो, साहब।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, यह कहा गया था कि +++ ये तो डामर खा गये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : डामर कौन खा गया, किसी का नाम नहीं लिया था।

श्री मोहनलाल मोदी : कोई नाम नहीं लिया, इन्होंने कहा कि +++ यह तो डामर खा गये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : डामर तो अखाद्य चीज है फिर वह क्यों खाई, बात तो यह थी।

श्री मोहनलाल मोदी : किसी का नाम नहीं लिया कि कौन खा गया।

श्री सभापति : माननीय श्री कटारि य जी भाषण प्रारम्भ करें।

श्री गुलबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं बहुत नम्रता से निवेदन कर रहा था परमाणु विस्फोट के कारण से दुनिया की सारी शक्तियों ने हिन्दुस्तान को दबाने का प्रयास किया, उन्होंने हिन्दुस्तान की सरकार को एक तरह से कटघरे में लाने के लिए आर्थिक दबाव पैदा किये, इस प्रकार की शर्तें लादीं कि उनकी शर्तों को मान लिया जाए। दुनिया के बड़े बड़े

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

देशों को यह बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक परमाणु शक्ति सम्पन्न नया देश कैसे पैदा हो गया हम जैसे सूरमाओं के रहते हुए। इसके कारण से, गर्व के कारण से दुनिया की सारी शक्तियों ने लगकर जिस प्रकार का खेल इस चुनाव में किया, मैं आपको बहुत इत्मीनान के साथ कह रहा हूं कि इसीलिए आलू प्याज और नमक का बवंडर खड़ा हुआ।

मैं बड़ी नम्रता से पूछना चाहता हूं, 30 तारीख तक टी. वी. दिन में पच्चीस बार आलू और प्याज दिखाता था, 25 तारीख पांच बजे बाद आलू और प्याज क्या सस्ता हो गया था, क्या आलू और प्याज आसानी से मिलने लग गया था ? सारे के सारे विदेशी मीडिया ने ---

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस के नाम से ही सस्ता हो गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह एक षड्यन्त्र है जो आज नहीं दो साल बाद, पांच साल बाद खुलेगा कि यह कौनसा रहस्य था, आलू और प्याज कहां गायब हो गये। क्या आपके आलू और प्याज अटलबिहारी वाजपेयी की सरकार ने बोया था ?

श्रीमती शान्ति पहाड़िया : सभापति महोदय, आलू-प्याज 6 रुपये किलो बिक रहे हैं, पहले बिकते थे 50 और 60 रुपये किलो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : क्या आलू और प्याज बोने का समय अटल जी जिस समय राज पर आये थे उस समय था ? किसके कारण से आलू और प्याज की कमी हुई, इस बात को बार-बार दिखाकर, दुर्भाग्य है कि लोकतन्त्र का इतना..

एक माननीय सदस्य : जमाखोरों को इशारा कर दिया सरकार ने।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इतना घिनौना काम अपनी जिन्दगी में कभी नहीं देखा जो घिनौना काम इस चुनाव में देखा। जो कांग्रेस इतनी बढ़-चढ़ कर बात कर रही है, अगर वास्तव में उसमें कोई ताकत थी तो अपनी नीतियों का फोटो लगाते, अपनी नीतियों का प्रचार-प्रसार करते। पोलिंग स्टेशन के बाहर आलू देवता, प्याज देवता रखकर अगरबत्ती जलाकर गांव के लोगों को और शहरों के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गयी। मैं आज दावे के साथ इस सदन में पूछना चाहता हूं...

श्री हीरालाल बिश्नोई : आपने 1977 में क्या किया था ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं बहुत नम्रता से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आलू और प्याज के कारण से बहुमत आया, आज आलू और प्याज का भाव गिर गया क्या ये त्यागपत्र देने के लिए तैयार हैं जिसके नाम से ये जीतकर आए हैं ? इन बातों को खड़ा करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार का षड्यन्त्र हुआ यह उसके कारण

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

से है। माननीय सदस्य जिस प्रकार की बात कहते हैं, मैं..

श्रीमती शान्ति पहाड़िया : सभापति महोदय, आलू प्याज तो छोड़िए आप, नमक तक सौ रुपये किलो बेच दिया आपने तो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं बहुत नम्रता से आपकी बात को..

श्री परसादीलाल मीणा : दिल्ली में क्या हुआ, मध्यप्रदेश में क्या हुआ ?

श्रीमती शान्ति पहाड़िया : नमक तक इतना मंहगा हो गया..(व्यवधान)...

श्री शैलेन्द्र जोशी : जनादेश का आदर सीखो ..(व्यवधान) ..आपको तो माफी मांगनी चाहिए जनादेश से।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : और इसके कारण से आपको कुछ ही समय बाद इस बात की जानकारी मिलेगी कि आलू और प्याज मार्केट से कहां चला गया, कैसे गायब हुआ, किन लोगों ने आलू, प्याज की खरीद करके इसको कोल्ड स्टोरेज में डाला। किसके कारण से देश में इस प्रकार का वातावरण बना, यह एक रहस्यमय विषय है जो आज नहीं कल जरूर खुलेगा। इस देश की जनता इस बात को जरूर समझेगी कि आखिर यह नाटक क्या था। इस बात को जरूर समझेगी।

श्री खेत सिंह राठौड़ : लोकसभा के चुनाव में पांच ही कैसे रह गये थे ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उस समय केवल पांच लाख वोट आपको ज्यादा मिले थे, सीटें मिली थीं 18 और हमको आपसे पांच लाख वोट कम मिले लेकिन सीटें मिली थीं पांच ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। यह हार और जीत चलती रहेगी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि 1984 में इन्दिरा जी की हत्या के बाद जो आपको बहुमत मिला वह नाना जी को भी नहीं मिला और किसी को भी नहीं मिला, क्या इसी कारण से था वो बहुमत ? बहुमत के कारण से....

श्री शैलेन्द्र जोशी : आयात किसने किया? प्याज के आयात का किसने घोटाला किया ? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : केवल कोई इस बात को समझे कि हमें इतनी सीटें मिलीं यह हमारी काबलियत से मिल गयीं, ऐसा भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। जब सीटें मिलती हैं तो कोई काबलियत के आधार पर भी नहीं मिलतीं। काबलियत के आधार पर लोक सभा में सीटें मिलतीं तो क्या नेहरू जी में कम थी, क्या इन्दिराजी में कम काबलियत थी ? केवल उनके लड़के ही क्या राजीव गांधी इतने काबिल थे कि जिनके कारण से उनको लोक सभा में 417 सीटें मिलीं ? और हमको मात्र केवल दो सीटें मिलीं।

केवल दो सीटों के आधार पर उस समय के शासन दल ने हम पर यह वार किया था कि अब तो आप दो और तीन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बस हो गये। लेकिन हम वह दो और तीन बस वाले नहीं हैं, हम यहां संख्या में भले ही 33 बैठे होंगे लेकिन हजारों-हजारों कार्यकर्ताओं के खून पसीने से सींची हुई पार्टी है। यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। इस गलतफहमी के आधार पर भगवान ने चाहा तो जैसे 1984 में अभिमान था उसको हमने 1989 में चूर करके रख दिया, आज इस पार्टी को इतना अभिमान है, भगवान मौका देगा तो इसको चूर करके आपके सामने दिखाएंगे। हम इस प्रकार के लोग हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी में अगर काम करना शुरू किया तो कोई कुर्सी के कारण से नहीं किया। हमारे कुछ अपने अरमान हैं जिन अरमानों को पूरा करने के लिए हमने प्रयास किया।

सब कह रहे हैं कुशासन था हमारा शासन। हमने 9 साल, 10 साल काम किया, कुशासन इसलिए क्योंकि हमारे राज्य में ही पहली बार बलात्कार हुआ था। क्योंकि हमारे राज्य में ही पहली बार हिन्दुस्तान में बलात्कार शब्द का आविष्कार..(व्यवधान). अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में पहली बार चोरी और डकैती हुई होगी। पहली बार किसी मां और बहन की इज्जत भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही राजस्थान में लूटी गयी होगी। शायद इसके पहले तो कोई बलात्कार का शब्द जानता था नहीं, न कोई भ्रष्टाचार का शब्द जानता था। ना किसी आदमी ने चोरी और डकैती देखी। सब सोने धोये हुए थे, बड़े दूध से धुले हुए लोग थे।

मैं आज आपसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार आने के बाद अब कोई बहन के साथ बलात्कार नहीं होगा? ..(व्यवधान).. कोई ऐसा रास्ता है आपके पास? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : लड़की भगाने वाले थे कैबिनेट मंत्री..(व्यवधान)..

श्री शैलेन्द्र जोशी : पुलिस कन्ट्रोल में पहली बार परीक्षा हुई। आपके शासनकाल में थानेदार और डीवाई.एस पी. खड़े रहे, तब परीक्षा करवायी। शिक्षकों का बहिष्कार हुआ। (व्यवधान).. पुलिस संरक्षण में पहली बार परीक्षाएं करवायीं 1952 से लेकर आज तक। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके एम.एल.ए. के खिलाफ उदयपुर में चालान हुआ लड़की के साथ. (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं इन सब प्रकरणों की ओर नहीं जाना चाहता।

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक महीने तक शिक्षकों ने हड़ताल रखी, पुलिस संरक्षण में परीक्षाएं करवायीं, यह था आपका कुशासन, क्या बोलेंगे आप ? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं बहुत विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूं.. (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान का कबाड़ा कर दिया, अब आप..(व्यवधान)

श्री संयम लोढा : मुख्य मंत्री का भतीजा पकड़ा गया बलात्कार के आरोप में। महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्य मंत्री मुंडे के लिए नर्तकी के कन्ट्रोल में नारे लगे..(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (सहकारिता राज्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप मंत्री हैं, माननीय सदस्य ।

श्री हीरासिंह चौहान : आप मंत्री हैं, व्यवधान पैदा नहीं किया जा सकता । माननीय मंत्रीजी ही कर रहे हैं ।..(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : कटारिया जी, जब जैन मुनि मरे थे ना तब आपने ही भारतीय जनता पार्टी को कुशासन कहा था। आपकी आंखों में आंसू थे। (व्यवधान) क्या जवाब है आपके पास ? (व्यवधान) आपने इस्तीफा देने की कही थी.. (व्यवधान)..

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने आंसू बहाये थे जनता पार्टी के शासन में जब जैन मुनि मरे थे । वही कुशासन है ।..(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आपने कुशासन कहा, अपने मुंह से कहा । (व्यवधान) आज उसकी बड़ाई कर रहे हैं । आपने खुद ने कहा यहां पर ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं सम्मान करता हूं ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने खुद ने कुशासन कहा जैन मुनि प्रकरण में.... (व्यवधान) आपने खुद ने कुशासन कहा ।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने इस्तीफा नहीं दिया ? आपकी आंखों में आंसू नहीं आये ? आपने कुशासन नहीं कहा ? ....(व्यवधान) दो स्पष्टीकरण । आज कर रहे हैं पोकरण-पोकरण । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने इस्तीफा देने की घोषणा की थी । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आपने गलतियां की हैं । भैरोंसिहजी ने पांच सीटें आने के बाद यह कहा था कि मैं ब्याज सहित बदला लूंगा । भैरोंसिहजी नही ले सके, भैरोंसिहजी की सरकार से ले लिया राजस्थान की जनता ने और आपको वहां कोने में बिठा दिया ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माफी मांगिये । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप उसके लिए जनता से माफी मांगें....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जनादेश का आदर करो, जनादेश का आदर ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, हाउस ऐसे चलेगा क्या ?

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, शालिनी काण्ड के ऊपर हमने सी.बी.आई. की जांच मांगी थी, अगर ये सही होते तो जांच करवाते। (व्यवधान) जांच नहीं करवायी इन्होंने।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह बदलती हुई जुबान से . (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : जैन मुनि प्रकरण में .. (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : फूट-फूट करके, फफक-फफक करके रोये थे, विलाप किया था यहां पर।....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : जैन मुनि की हत्या के सम्बन्ध में ....(व्यवधान) आप बात कर रहे हो।

श्रीमती शान्ति पहाड़िया : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था सरकार के बारे में।

श्री सभापति : आप क्यों खड़े हो गये? आपकी तरफ से आपकी पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं।

श्रीमती शान्ति पहाड़िया : इन्होंने जो परीक्षण किया है उसका मैं बताती हूं नतीजा क्या क्या हुआ है।

श्री सभापति : गुलाबचन्द जी कटारिया बोल रहे हैं।

श्रीमती शान्ति पहाड़िया (वैर) : एक मिनट बैठ जाइये, बैठ जाइये आप। सुन लीजिए, गलत हो तो मत मानिये। सभापति महोदय, इनका गलत संशय है। सबको टाइफाइड हुआ, सबको चेचक निकली, बड़ी बड़ी चेचक हुई। दुनिया भर की बीमारी फैली और पानी से जाने क्या क्या हो रहा है अभी तक, लोग कोढ़ी बन गये। ....(व्यवधान).... ऐसी ऐसी बीमारियां फैली हैं। और यह कहते हैं सस्ते भाव की, नमक से रोटी गरीबों का खाना है, नमक तक महंगा कर दिया। 100 रुपये किलो कोई नमक बिकवाता है क्या? प्याज, प्याज से गरीब खाते हैं। दो प्याज का गट्टा बांध ले गया और रोटी खा ली। ये अमीरों का खाना महंगा करते हैं, गरीबों का खाना महंगा करते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। 100 रुपये किलो नमक, 100-100 रुपये किलो प्याज, 50 रुपये किलो आलू, हमारे जमाने में जो हमारी कांग्रेस के राज में पांच रुपये किलो बिकता था इन्होंने 100-100 रुपये पाव कर दिया। कैसे यह सरकार चलायी? पब्लिक के अन्दर आपको सर्टिफिकेट मिल गया। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप जोर से बोलिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का..(व्यवधान)

श्रीमती शान्ति पहाड़िया : इन्होंने 100 रुपये किलो कर दिया, कैसे यह सरकार चलायी ? हाउस के समय को भी क्यों बरबाद करते हैं ?

श्री सभापति : आप जोर से बोलिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 10 साल के राज्य में हमने जो जो अच्छे काम किये हैं उनकी कोई गिनती नहीं ?

श्रीमती शान्ति पहाड़िया : जो करा है ना, उसका तो पब्लिक ने सर्टिफिकेट दे दिया आप लोगों को।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मतलब, हमने 10 साल में कोई काम किया ही नहीं ? आज की तारीख के हिसाब से और इस सदन की चर्चा के हिसाब से यह लगता है कि हमने दस साल में बुरे के अलावा कोई काम ही नहीं किया और चालीस साल तक जो कांग्रेस राज में रही उसने देश को चमन कर दिया। यही कहना चाहते हैं ना ?..(व्यवधान) अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि चालीस साल तक राज करने के बाद भी....

श्री सभापति : ऐसा है, माननीय कटारिया साहब, आपसे प्रार्थना यह है कि आप भाषण देते समय आसन की तरफ निगाह रखें। आप घूम घूम करके बोलेंगे तो उधर से भी लोग उत्तेजित होंगे। आप अपनी नजर आसन की तरफ हो रखिये, घुमाइये मत इधर उधर। वाणी को घुमाते रहिये, नजर मत घुमाइये।

श्री हीरालाल विश्नोई : जानते थे पहले, इसलिए रोष आ रहा है इनको।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, 10 साल के राज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका जिक्र हुआ कि यह भी खराब हुआ, यह भी खराब हुआ। कुछ नहीं किया, यह नहीं किया। चालीस साल तक जिस पार्टी का राज रहा उसके राज्य में तो सब अमन-चैन ही था ? कोई देश में भ्रष्टाचार की घटना हुई ही नहीं चालीस साल में, कभी कोई बलात्कार हुआ ही नहीं।

अगर चालीस साल का सबसे बड़ा कोई दोषी आदमी है तो केवल एक शिक्षक रहने के नाते यह कह सकता हूं कि वे लोग हैं जिन लोगों ने देश की आजादी के बाद संविधान की शपथ खा कर यह कहा था कि हम दस वर्ष में सबको शिक्षित कर देंगे। हमने अपने निर्देशक तत्वों में इसको डाला था। लेकिन दस साल तो छोड़ दीजिए, चालीस साल गुजर जाने के बाद भी राजस्थान को अंगूठा छाप राजस्थान बनाया तो इसका दोष किसको दिया जाए ? इसके बारे में किससे सवाल पूछा जाए ? और फिर आपने अपने अभिभाषण में राज्यपाल महोदय से भी जैसे कोई आपने बहुत बड़ी उपलब्धि की हो वैसी उपलब्धि की तरह से उसको बताया कि 8 दशमलव इतने प्रतिशत साक्षरता थी जब हमने चार्ज लिया और हमने जब छोड़ा, 1991 के एक साल बाद जनगणना हुई उसमें 38.5 प्रतिशत राजस्थान की साक्षरता हुई। मतलब 20 प्रतिशत आपने चालीस साल में साक्षरता

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बढ़ाई। मैं बहुत नम्रता से इस सदन में निवेदन करना चाहता हूं, अभी राष्ट्रीय सर्वे जो हुआ सैम्पल सर्वे उस सैम्पल सर्वे की रिपोर्ट कुछ दिन पहले आयी है, चालीस हजार परिवारों से सम्पर्क करके रिपोर्ट बनी उस रिपोर्ट में कहा गया कि राजस्थान एक मात्र हिन्दुस्तान में राज्य है जिसका 1991 से लेकर 1997 तक अपना साक्षरता प्रतिशत 55 प्रतिशत हुआ। इसका रिकार्ड है, कोई कुछ भी कहे। इसलिए मैं सोचता हूं कि कोई बात कही जाए तो तर्क के आधार पर कही जाए। यही नहीं, उन्होंने उसमें और कहा है कि जब 2001 में यह साक्षरता की गिनती और हमारी जनगणना होगी तो राजस्थान की साक्षरता का प्रतिशत 60 परसेंट के लगभग जाएगा।

ये मेरे शब्द नहीं हैं, यह मेरे द्वारा किया हुआ सर्वे नहीं है, यह हिन्दुस्तान की एक संस्था के द्वारा सभी राज्यों का सर्वे किया गया है। केवल अंडमान निकोबार एक ऐसा राज्य था जिसका साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा, बाकी जम्मू कश्मीर का साक्षरता प्रतिशत घटा। हिन्दुस्तान का जो साक्षरता प्रतिशत का उन्होंने अनुमान लगाया वह 60 प्रतिशत का लगाया। कहां हिन्दुस्तान की साक्षरता का प्रतिशत 52 और कहां वह 38 प्रतिशत? लेकिन अब हम जो सन 2001 में जाएंगे तो पिछड़े राज्यों में नहीं जाएंगे, हम अगूठाछाप राज्यों में नहीं जाएंगे, हम हिन्दुस्तान के अन्दर एक स्वाभिमानी राजस्थान और पढ़ा-लिखा राजस्थान लेकर जाएंगे। कोई कुछ देखना चाहे तो देखे, कोई कुछ कहना चाहे तो कहे। सत्येन्द्र मित्र पुरस्कार मिले हैं साक्षरता के काम में। सम्पूर्ण देश में पिछले दो सालों में केवल सात पुरस्कार कुल मिले थे उसमें से चार पुरस्कार राजस्थान ने साक्षरता में प्राप्त किये हैं। उसको भी आप उपलब्धि नहीं मानेंगे? यह हमने अच्छा किया, यह भी आपको शायद शोभा नहीं देता।

आप लोगों ने बार-बार यह कहा कि आपने 23 हजार के कर्जे में डुबो दिया, आपने 23 हजार के कर्जे में डुबो दिया। जो कुछ भी 1990 तक का आपका कर्जा था वह 6 हजार करोड़ रुपये था। अब यह 23000 करोड़ रुपये लेकर कोई हलवा तो नहीं घोटा, कोई हमने माल तो नहीं खाया, कोई इसमें से ...(व्यवधान) अगर मान लो खाया, मैं यह कह रहा हूं कि खाया हो तो आप मर्द हो और सरकार लेकर बैठे हो, आप हमको कटघरे में खड़ा करके तालियों में बंद कर दो अगर हमने गुनाह किया है तो। लेकिन यह कह करके खरीद-फरोख्त करने का प्रयास मत करो.... (व्यवधान) यह कहकर राजस्थान के प्रति देने वाले उदार हैं उनका रास्ता मत रोको।

आपकी हमारी राजनैतिक द्वेषता हो सकती है, आपका और हमारा किसी बात में झगड़ा हो सकता है। आप व्यापारी रहे हैं, वित्त मंत्रीजी, आप उस परिवार से आते हैं, हम कई बार जब अपना व्यापार करते हैं घर में कौड़ी नहीं होती तब भी रिश्तेदारों से लाखों रुपया उधार लेकर दुकान लगाते हैं और कमाकर वापस देते हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कोई दीवाला निकालने के लिये नहीं। मगर राजस्थान, पिछड़े राजस्थान को तरक्की की ओर लाने के लिये हमने कर्जा लिया तो कोई पाप नहीं किया, हम कोई गुनहगार नहीं हुए जिसकी वजह से आप बढ़ा-चढ़ा करके भाषण किये जा रहे हो।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं सातवीं पंचवर्षीय योजना तक आपने जो सारा खर्चा किया विकास पर, वह विकास पर खर्च केवल 7190 करोड़ था। चालीस साल तक राज करने वाली पार्टी इस पिछड़े और गरीब राजस्थान को भूखा और नंगा देखना चाहती है ताकि वह आपको वोट देती रहे और अब उसमें समझ पैदा हो रही है तो तकलीफ पैदा होने लगी है। हमने आठवी पंचवर्षीय योजना बनायी, कोई हमारी सरकार नहीं थी दिल्ली में, तब तक तो आपकी सरकार थी। ऊपर भी आप, नीचे भी आप, सब आप थे फिर भी आप राजस्थान के विकास के लिये क्या कर पाये ? यह तो ये आंकड़े बताते हैं कि आपने चालीस साल में राजस्थान को विकास की दृष्टि से दिया तो क्या दिया। हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना 11,650 करोड़ की बनायी। राजस्थान हिन्दुस्तान में ऐसे राज्यों में है, उन चार राज्यों में से है जिन्होंने जितनी योजना बनायी। अक्षरशः उसका पूरा-पूरा पालन किया, उसका पैसा खर्च किया। यही नहीं, हमने सौ करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करके हमारी विकास की योजनाओं को रुकने नहीं दिया। ऐसे हिन्दुस्तान के केवल चार राज्य थे और उन चार राज्यों में राजस्थान था।

जब आपने हमको राजस्थान सुपुर्द किया उस समय राजस्थान अपनी योजना को दृष्टि से हिन्दुस्तान में ग्यारहवें नम्बर पर आता था। हम नीचे से गिनती गिना करते थे। लेकिन इन वर्षों के प्रयास के कारण से अब राजस्थान ग्यारहवें स्थान पर नहीं है। हमारी योजना के आकार के आधार पर हम हिन्दुस्तान में पांचवें अंक पर पिछली बार आये हैं और अब की बार का यह जो नवी पंचवर्षीय योजना में.... (व्यवधान) मैं जो कुछ भी बात कह रहा हूं वह आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। आपमें से कोई अगर इसे ना करना चाहे तो तर्क के साथ ना कहे। यह विधान सभा कोई लड़ने की जगह नहीं है, विधान सभा में अपनी तर्कशक्ति के साथ समझाने की जरूरत है। ...(व्यवधान) मुझे बड़ा दुःख और अफसोस है इस बात का कि अगर राजस्थान की विधान सभा को केवल कुश्ती लड़ने की जगह बनाया तो राजस्थान की 4 करोड़ जनता निराश हो जाएगी।

इस लोकतंत्र की व्यवस्था से उसका मन टूट रहा है। विभिन्न विधान सभाओं में और लोक सभा में हंगामे होकर जिस प्रकार धीरे-धीरे लोकतन्त्र का मखौल बनता जा रहा है, राजस्थान कम से कम अभी तक बचा हुआ है। राजस्थान का नाम अभी भी हिन्दुस्तान के लोग लेते हैं कि विधान सभा और उसकी कार्यवाही कहीं ठीक प्रकार से संचालित होती है तो वह राजस्थान में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

होती है। मैंने अगर कोई गलत बात कही तो आप उसको तर्क के आधार पर काटिये; मैं आपका स्वागत करता हूं लेकिन यह नहीं हो सकता है कि हमारे पास बहुत मेजोरिटी है इसके कारण से हम किसी दूसरे की बात नहीं सुनना चाहें। यह लोकतन्त्र का भला नहीं होगा। हम तो 1984 में दो ही रह गये थे तो भी हमने अपनी पार्टी को खड़ा किया है और 1989 में आप यहां थे हमने अपना दल बड़ा किया। इस अभिमान में नहीं भूलना चाहिये कि हमने कोई बहुत बड़ा तुर्रा मार लिया। जैसे हम जीत गये तो कोई हमने बड़ी फतह कर ली, इतना अभिमान पालने की लोकतन्त्र में आवश्यकता नहीं है। यह जनता जिसको चुनती है उसको रगड़ना भी जानती है। जनता ने हमेशा ऐसा काम किया है। आप हिन्दुस्तान की जनता को, राजस्थान की जनता को गरीब समझ सकते हो, राजस्थान की जनता कम पढ़ी-लिखी हो सकती है लेकिन लोकतन्त्र के बारे में उसकी समझ पक्की होती जा रही है इसलिये इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है। कोई कारण रहा होगा लेकिन उसके कारण से आपको इस प्रकार का वर्ताव नहीं करना चाहिये।

मैं आज आपसे विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि हमने कुछ नहीं किया? हमने 1977 से लेकर अपना राज आया तब भी कुछ नहीं किया? अभी हमारा राज आया तब भी हमने कुछ नहीं किया? हमने अन्त्योदय योजना प्रारम्भ की वह भी शायद कोई काम की नहीं थी? काम के बदले अनाज योजना, पहली बार पंचायत में अगर कोई कांकरी भी लगा तो काम के बदले अनाज योजना में लगा, इसको गांव का हर आदमी जानता है, वह भी हमने काम नहीं किया? हमने राजस्व अभियान चला कर कलक्टर को गांव की चौपाल पर किसान के सामने चबूतरे पर ले जा कर बैठा दिया और उससे निर्णय कराया; वह भी हमने काम नहीं किया। वह भी हमारा काम नहीं था।

हमने उद्योग नीति बनायी खनिज नीति बनायी हमने कुछ नहीं किया। "अपना गांव अपना काम" चला कर हमने गांवों का विकास करने के लिये जन सहभागिता को आमंत्रित किया, वह भी हमने कोई काम नहीं किया। हमने "गोपाल" योजना के आधार पर किसान के बेटे को, गांव के बेटे को शिक्षित करके लायक बनाया, वह भी आपको अच्छा नहीं लगता। हमने "सरस्वती" योजना बनायी कि बहनें अपने आंगन में ही 15-20 बच्चियों को लेकर एक छोटा-सा स्कूल दोपहर में 12 से 3 भी चला सकें ताकि हमारी शिक्षा और साक्षरता बढ़े, वह भी हमारा काम नहीं था। हमनें "गुरुमित्र" योजना बनायी वह भी हमारा काम नहीं था। हमने शिक्षाकर्मी योजना के माध्यम से राजस्थान के दूर-दराज में जहां अध्यापक नहीं पहुंचता, उस गांव के दो बच्चों को शिक्षित करके हमने उसमें लगाया। मेरा आज भी यह दावा है, यह सरकार चाहे जितना प्रयास कर ले, राजकीय विद्यालय के पांचवीं के बच्चे को और मेरे शिक्षाकर्मी स्कूल के पांचवीं के

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बच्चे को एक साथ परीक्षा में बैठा दो, आपको लगेगा कि वह बच्चा....

श्री मोहनलाल मोदी : आर.एस.एस. के लोगों को लगाया शिक्षाकर्मी में आज इतना बड़ा भट्टा बैठ गया शिक्षा का। शिक्षाकर्मी का आप मुकाबला कर लीजिये। प्राइमरी स्कूलों को बंद करके शिक्षाकर्मी स्कूल चला दिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप बदल देना वापस, आपके पास पूरा अधिकार है जैसा आप चाहते हो वैसा करना। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

"तीस जिला तीस काम" हमने शुरू किया, वह भी हमारा विकास नहीं था। "राजलक्ष्मी" प्रारम्भ किया उससे भी भला नहीं हुआ। जन मंगल योजना शुरू की, मैं सोचता हूं हमने तो सब काम बेकार ही किये। हमने कोई काम इस प्रदेश की भलाई के लिये किया नहीं था। एक हमको वोट नहीं मिला। एक बार हार गये तो हमारे किये हुए यह सब काम रद्दी की टोकरी में चले गये। इस प्रकार का अगर लोकतंत्र में व्यवहार होगा तो मैं सोचता हूं, शायद कोई भी इसके लिये प्रयास करेगा ही नहीं। फिर तो यही लगेगा कि जीतने के लिये कितना भी किया जा सकता है, कितनी सब्सिडी दी जा सकती है, कितना बिना कनेक्शन दिये हुए कनेक्शन कोई ले तो उसके बारे में पूछना नहीं चाहिये। चाहे कोई अध्यापक न पढ़ाए और उसके कारण से उसका जीरो परसेंट रिजल्ट हो, कोई बात नहीं। इस सदन में डिस्कस हुआ था कि आठवीं के बोर्ड का जीरो परसेंट रिजल्ट 360 प्रधानाध्यापक ऐसे थे 12,000 स्कूलों में से जिनका जीरो परसेंट रिजल्ट था। इस सदन की सहमति से और आप सब लोगों की मंशा के आधार पर मैंने कहा, इनको एक जिले से दूसरे जिलों में भेजो ताकि बाकी लोगों को भी यह संदेश जाए कि आखिर गरीब का बेटा पढ़ता है, वह भूखा मरता है, उसकी मां थेगले की साड़ी पहन कर अपनी औलाद को पढ़ाने के लिये भेजती है, उसके मन में क्या गुजरती है।

लेकिन हम तो वाहवाही लूटना चाहते हैं। हम तो सोचते हैं जैसे कोई अमरफल खा करके आए हैं, हम तो मरेंगे ही नहीं। इस तरह हम इस देश को चलाना चाहते हैं? हम नहीं होंगे, हमारा कोई दूसरा भाई आकर चलाएगा लेकिन देश को गलत दिशा में डालने का प्रयास मत करो। सुधारों के आधार पर कोई विकास का और अच्छा काम होता है उसको इस तरह से हल्केपन से लेना कोई अच्छी स्थिति मुझे नहीं लगती। शिक्षा की दृष्टि से भी पता नहीं क्या शब्द जोड़ लिया। कोई कभी देखने का भी प्रयास करता है कि राजस्थान में इन वर्षों में शिक्षा में क्या काम हुआ? यह मैं अपनी तरफ से आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैंने ये पांच साल की उपलब्धियां बनाकर हर साल आप सबको वितरित की हैं। पांच साल की उपलब्धियों में मैंने एक-एक बिन्दु इसमें दिया है कि किस आधार

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पर राजस्थान के शिक्षा विभाग का काम हुआ है।

केवल यह कह देने से कि राजस्थान में शिक्षा में प्रगति नहीं हुई, राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा है, राजस्थान में कोई गुणात्मक सुधार नहीं हुआ, मुझे बड़ा अफसोस है आज यह बात कहते हुए कि ठीक प्रकार से बात को बिना समझे कह दिया जाता है। हो सकता है मैं विरोधी दल का सदस्य हूं, हो सकता है मैं एक छोटे दल का सदस्य बन गया हूं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हो सकता कि कोई अच्छे काम को भी आप अच्छा काम न कहें। मेरी प्रार्थना है मेरी बात को आप सुनें। अच्छा लगे तो करें। आपके पास बहुत मैजोरिटी है, आप चाहे जैसा डंडा घुमाएं। मगर इस प्रदेश को यही मंजूर होगा यह भुगतेगा और यह देश की जनता भुगतेगी। अच्छा करेंगे धन्यवाद देंगे और अच्छा नहीं करेंगे तो जनता आपका भी विरोध करेगी।

मैं आज आपसे एक विनम्र प्रार्थना और कर सकता हूं। वित्त मंत्री जी जिस दिन राजस्थान को आपने हमें सुपुर्द किया था उस दिन शिक्षा का बजट राजस्थान का कुल कितना था? उस दिन राजस्थान का शिक्षा का बजट केवल 663 करोड़ रुपये था। और पिछले साल राजस्थान का शिक्षा का बजट कितना था? 2895 करोड़ रुपये था। यह कोई विकास ही नहीं है? तो क्या यह सब पैसा मैं खा गया? हमारे शिक्षा विभाग का तो जितना भी बजट आता है उसका 98 प्रतिशत पैसा केवल तनख्वाह चुकाने में जाता है, तनख्वाह चुकाने में।

लेकिन वह भी आपको अच्छा नहीं लगता है कि हमने 663 से 2895-2900 करोड़ रुपये शिक्षा पर खर्च कर दिये। हमने कुछ नहीं किया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो आपका पूरा शिक्षा का योजना व्यय था वह 270 करोड़ रुपये था; हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना में उसको 1040 करोड़ रुपये किया। और यदि नवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान का शिक्षा का खर्चा 2694 करोड़ रुपये हमने किया, तो क्या हमारी मंशा नहीं थी राजस्थान में शिक्षा की तरक्की करने की? क्या हमारी इच्छा यह नहीं थी कि हमारे बच्चे पढ़ें? गरीब का बच्चा भी पढ़कर आगे बढ़े, क्या यह हमारी भावना इसमें से प्रकट नहीं होती?

मुझे बहुत दुःख के साथ यह निवेदन करना पड़ रहा है कि राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से क्या हुआ, शायद नये सदस्य आये हैं उनके पास यह फोल्डर नहीं पहुंचा। मैं कोशिश करूंगा कि यह फोल्डर आपके पास किसी तरह से पहुंचे। इसमें सारी जानकारियां दी हुई हैं।

(16.31 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

विद्यालयों की संख्या की दृष्टि से एक आंकड़ा बताया गया कि हमने जब राज छोड़ा तब 39855 स्कूलें खोली थीं सब

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मिलाकर। उसमें से 5 हजार स्कूल आजादी के पहले के हैं तो आपके समय में 34855 स्कूलें खुलीं। और मेरे कार्यकाल में, मैं अपने इस कार्यकाल की बता रहा हूं जो केवल 1991 से लेकर जब तक यह सरकार रही तब तक रहा, उसमें हमने 15618 स्कूल खोले हैं, जो लगभग 42 प्रतिशत हैं। मैं नहीं समझता कि इतनी नाराजगी क्या है ?

इस बात के आधार पर क्या कहना चाहते हैं राजस्थान की जनता को कि राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से कोई काम नहीं किया। अगर आप चाहें तो लिखिये प्राइमरी स्कूल हमने 6160 खोले, मिडिल स्कूल 3312 खोले, सैकण्डरी स्कूल 781 खोले और उच्च माध्यमिक विद्यालय 536 खोले। अब आपने राज्यपाल को जैसा लिखकर दिया, राज्यपाल महामहिम हैं उनको वही पढ़ाना था। आपने तो कह दिया कि अब हर पंचायत में हम मिडिल स्कूल खोलेंगे। यह काम तो हम पहले ही समाप्त कर चुके हैं आप क्या करना चाहते हैं ? आप शांति से इस अभिभाषण और आपके जो पुराने राज्यपाल के अभिभाषण हैं, इन दोनों अभिभाषणों को अगर मिलाने का प्रयास करें तो जो चीज हम कर चुके हैं उन चीजों को आप इसमें दोहरा रहे हैं और वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि शराब तो वही है बोतल बदल गयी है। लेकिन इसके कारण से सारा काम भी बदल गया क्या ?

मैं यह समझ नहीं पाया हूं कि किस तर्क के आधार पर आप इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा कि हम पंचायतों को सड़क से जोड़ेंगे। मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस सदन में बैठते हैं, हम चार करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं, हमारी पार्टी कुछ भी हो सकती है। जब पार्टी का निर्णय आए और दोनों के बहुमत को सिद्ध करने का मौका आए तब आप इस दृष्टि से विचार करें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन आप केवल इस दृष्टि का चश्मा चढ़ा दें कि हमने जो कुछ किया वह गुनाह ही गुनाह किया, हम गुनाहगार ही हैं, अगर गुनाहगार हैं तो आपसे विनम्र प्रार्थना है मेरी कि हम सबको सजा देकर जेल में ठूंस दें। हम वहां मर जाएं तो भी हमें कोई चिन्ता नहीं। हमने इस बात की कोशिश की कि राजस्थान को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, राजस्थान को कैसे तरक्की में आगे लाया जा सकता है। लेकिन हमारी सब अच्छी बातों को आपने नकार दिया।

अध्यापकों की भर्ती के बारे में जो बातें आपने कहीं, मैं यह सोचता हूं कि यह राजस्थान का रिकार्ड होगा, इस राजस्थान के रिकार्ड को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि इन सालों में हमने कितने नये अध्यापकों की भर्ती की। यह केवल मात्र शिक्षा विभाग था जिसमें 39739 अध्यापकों को नियुक्ति इस अवसर में दी गयी है। और उसमें से भी महिला शिक्षिकाएं कितनी लगायीं ? आप जो यह बता रहे हैं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कि हमने 20 से 30 प्रतिशत किया यह 20 परसेंट हमने किया। आपने 30 परसेंट किया सब सर्विसेज में उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा काम किया है।

लेकिन इस शिक्षा विभाग में तो मैरिट के आधार पर राजस्थान में इन 39 हजार में से 14983 तो मेरी बहनें ही सलैक्ट हुई हैं। राजस्थान में मैरिट की दृष्टि से बालिकाओं की जो स्थिति बनी है उनको आज सम्मान मिल रहा है। मुझे यह कहा गया कि कुछ नहीं हुआ, गुणात्मक दृष्टि से भी कुछ नहीं हुआ, मुझे बहुत अफसोस है। कम से कम कुछ अच्छी बातों को आप में से कोई बुजुर्ग तो कहते कि आपने यह अच्छा भी किया। मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा, शिक्षा का कौनसा मापदण्ड हुआ है, कौनसे थर्मामीटर से आप शिक्षा को नापेंगे? अभी तो हमारे पास एक ही थर्मामीटर है और वह है परीक्षा। वह परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है। मैंने इस सदन में, आपमें से कई माननीय सदस्य पहले भी थे, बहुत विनम्र निवेदन किया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम के बारे में केवल मेरे समय के ही ले रहा हूं, बहुत पहले के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। 1994 में जब मैंने चार्ज लिया था तब राजस्थान में नियमित छात्रों का, सारे बच्चों का नहीं प्राइवेट वाले बच्चों का इसमें मैंने नहीं मिलाया, उन बच्चों का रिजल्ट 51 प्रतिशत था जो 1998 में आकर 60 प्रतिशत रिजल्ट बना। यह 8.5 प्रतिशत की जो बढ़ोतरी सैकण्डरी स्कूल के परीक्षा परिणाम में आयी है यह तरक्की नहीं है? केवल सैकण्डरी स्कूल के परीक्षा परिणाम में ही यह बढ़ोतरी नहीं है, श्रीमान्, मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि राजस्थान के दसवीं के प्रथम श्रेणी में पास होने वाले लड़के जो 1994 में केवल 12 प्रतिशत थे वे पिछले साल 21 प्रतिशत हुए हैं। 1994 में 33 प्रतिशत दसवीं की परीक्षा में सैकिण्ड डिवीजन में पास हुए थे, 1998 की परीक्षा में 45 प्रतिशत सैकिण्ड डिवीजन में पास हुए।

मुझे बहुत अफसोस इसलिए होता है, बार-बार मन में पीड़ा और दुःख मुझे सताता है कि अगर इसी प्रकार से छीछालेदार होती रहेगी तो शायद कोई आदमी आगे बढ़ने का कभी मन नहीं करेगा। फिर तो जैसा ढर्रा चल रहा है उसे चलने दें। हमको तो जीत कर आना है अमर होना है। हमें सुधार की चिन्ता नहीं है। हमको तो अमर होना है, 100-100, 500 साल तक। इस विधान सभा में मेम्बर बनेंगे। पता नहीं कल कौन आए और कल कौन नहीं आए। मेरी आने वाली पीढ़ी न बिगड़े, इसकी चिन्ता तो हम राजनीतिज्ञों को करनी पड़ेगी। आखिर हम कभी इस बारे में सोचकर शांति से बैठने का प्रयास भी करेंगे या नहीं? सीनियर माध्यमिक विद्यालय में जब मैंने चार्ज लिया था 52 प्रतिशत रिजल्ट था और आज जो रिजल्ट आया वह 68 प्रतिशत रिजल्ट आया है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि कौनसे विकास, कौनसे गुणात्मक विकास की बात करते हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

यही नहीं, आपको कहते हुए मुझे ताज्जुब है कि 22 हजार बच्चे विज्ञान की परीक्षा में बैठे थे, उस 22 हजार में से केवल 643 बच्चे थर्ड डिवीजन पास हुए बाकी सब फर्स्ट और सैकिण्ड डिवीजन पास हुए हैं। क्या आपको इस बारे में गर्व नहीं होगा ? पहली बार इन चार सालों का अनुभव होगा। पहले मैरिट में कहीं सेन्ट जेवियर आता था दूसरे स्कूल आते थे। पिछले साल की मैरिट लिस्ट को आप उठाकर देखिये, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और बारहवीं की परीक्षा में पहले से लेकर छह अंक तक जो मैरिट बनी है उसमें राजकीय विद्यालय के बच्चे ने दस्तक देकर बताया है कि राजकीय विद्यालय में पढ़ाई होती है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले भी आते थे, कांग्रेस के टाइम में भी आते थे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप केवल इस बात के आधार पर इस प्रकार की बात करते हैं तो मैं सोचता हूं कि यह उचित नहीं होगा। कृपया कम से कम इस प्रकार न करें। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो सब गुनाह ही गुनाह किया है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

जिस आदिवासी क्षेत्र को आप लोगों ने 40 साल तक राज किया, आपके ध्यान में यह नहीं आया कि उस आदिवासी का पढ़ा-लिखा एस.टी.सी.,बी.एड. बच्चा मारा मारा फिरता है। उसके मां–बाप ने टापरे बेचकर उसको एस.टी.सी. और बी.एड. करवायी, लेकिन वह नौकरी के लिए लंबी लाइन में खड़ा रहता था। यह हमारी सरकार थी जिसने भैरोंसिंह जी के नेतृत्व में उस क्षेत्र में 45 प्रतिशत का एक से छह स्केल तक की नौकरी में आरक्षण दिया। मेरा दावा है कि एक भी बच्चा एस.टी.सी. और बी.एड. उस क्षेत्र में ऐसा नहीं है जो आज अनएम्प्लायड है। क्या यह उपलब्धि नहीं है ? क्या आपको यह भी उपलब्धि नहीं लगती कि किसी गरीब की बेटी बांसवाड़ा में जिला प्रमुख लक्ष्मी नीनावा बन जाएं ? आपको इसमें भी कोई प्रसन्नता नहीं होगी कि उदयपुर में एक जिला प्रमुख वन्दना मीणा बन जाएं। आपने आरक्षण किया था, 73वां, 74वां संशोधन किया था, क्या चेयर पर्सन का किया था ? क्या आपने कुर्सी पर बैठाने के लिए किया था ? वह तो सम्पूर्ण देश में लागू करना था जो किया। यह राजस्थान पहला राज्य है और मध्यप्रदेश ने उसके बाद किया, जिसने चेयर पर्सन को भी आरक्षण देकर उस गरीब के बेटे और बेटी को भी प्रधान और जिला प्रमुख बनने का मौका दिया। वह कोई दया के आधार पर आपसे भीख नहीं मांगता अपने हक और कानून के कारण मांगता है तो भी आपको अच्छा नहीं लगता।

हम लोगों ने यह प्रयास किया कि उस क्षेत्र का आदिवासी बच्चा भी कोई आई.ए.एस., आर.ए.एस. बने। इसके लिए भाई नन्दलाल जी मीणा ने प्रयास करके इनकी कोचिंग क्लासेज चलाईं एस.टी.सी. की

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कोचिंग क्लासेज चलाईं, बी.एड.की क्लासेज चलाईं और आर.ए.एस. की कोचिंग क्लासेज चलाईं। यह मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि यह पिछली परीक्षा थी जिसमें उस क्षेत्र के तीन बच्चे आर.ए.एस. में पास होकर नौकरी पर लगे हैं। यह कोई उपलब्धि नहीं है ? हम लोगों ने इस बात का भी प्रयास किया कि आखिर ये बच्चे कब तक इस तरह से ठोकरें खाते रहेंगे। पढ़ा-लिखा बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़े ? वह गरीबी में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता इसलिए हमने आवासीय स्कूलों की योजना प्रारम्भ की। राजस्थान में छह आवासीय स्कूल बन कर तैयार हो रहे हैं। आपको पता होगा कि सलूम्बर के आवासीय स्कूल में चार सौ आदिवासियों के बच्चे पढ़ेंगे। प्रतापगढ़ का तैयार हो गया।

पिछली बार हमने कोटड़ा और उसके बाद में आबू रोड़ और उसके साथ ही कुशलगढ़ और शाहबाद हमने ये जो नए स्वीकृत किए हैं छह स्कूल, किसके लिए किए ? हमने सोचा कि आखिर इस गरीब का बच्चा अपने पैसे से पढ़ नहीं पाएगा, उसके मां-बाप उसको पढ़ा नहीं सकते तो सरकार उसकी चिंता करेगी और उसके कारण से रहने खाने से लेकर हमने सब दृष्टि से बालक को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैं नहीं समझता....

श्री खेत सिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : फिर वे आपके साथ रहे क्यों नहीं, जब इतना काम किया आपने ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नहीं रहे, कोई बात नहीं। न रहने से किसी का गला नहीं काटा जाता। कोई हमको वोट नहीं दे, इसका मतलब यह नहीं कि उसका गला काटा जाए। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी, हम गलती सुधारेंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि हम उनका भला नहीं करेंगे। आपने उनको बांधे रखा और उनको अंगूठा लगाने के लिए मजबूर किया, हमने उनको खुली हवा में लाने का प्रयास किया। आज नहीं कल वे इस हकीकत को समझेंगे और समझने के बाद पाई-पाई का चुकारा लेंगे, इतना भी हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हर दृष्टि से एक ही बात कही जाती है, इसमें भी आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया।

कृषि में राजस्थान को 6 पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर मिले, क्या ये कुछ उपलब्धियों के कारण से मिले होंगे या ऐसे ही मिल गए होंगे ? इससे पहले कभी मिले हों तो कम से कम उसका जिक्र करते। कभी 6 राष्ट्रीय पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में राजस्थान को मिले हैं क्या ? आप इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि 1990 में केवल 51 लाख हैक्टेयर में बुआई होती थी और हमने रबी की फसल की बुआई 82 लाख हैक्टेयर में की। कोई गुनाह किया, पाप कर दिया, जिसके कारण से आपने हमको इस तरह से लाकर खड़ा करने के लिए कहा कि हमने सब पाप किए इसलिए उधर से इधर आ गए। इतना ज्यादा अभिमान करना भी वाजिब नहीं होगा।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं कि हम तर्क के आधार पर बात करें। मुझे बड़ा दुःख इस बात का है कि राजस्थान में खाद्यान्न की पैदावार हुई इन वर्षों में, वह रिकार्ड पैदावार हुई है। कोई आंकड़ों को उठाकर देखना भी चाहता है कि नहीं देखना चाहता है? कोई उससे मिलान करके तर्क के आधार पर बात करना चाहता है कि नहीं चाहता? मैं सोचता हूं कि खाद्यान्नों का जो उत्पादन हुआ, हमारे यहां पिछली बार 128 लाख टन पैदावार हुई जो रिकार्ड पैदावार है। तिलहन की पैदावार का हमारे जिस प्रकार से क्रम बढ़ा है, 37 लाख टन तिलहन राजस्थान ने पैदा किया, यह कीर्तिमान कोई कम है? अगर हमने फव्वारा सैटों के आधार पर लाभ दिया तो क्या हर प्रकार की हद दे दी? आप तो सब पाप ही मढ़े जा रहे हैं कि हम किसानों के दोषी हैं, हम किसानों का यह चाहते हैं।

मैं आज आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 40 साल तक राज करने के बाद भी आपको यह ध्यान में बात नहीं आई कि वह गरीब आदमी भगवान भरोसे खेती करता है, बारिश होती है तो उसकी जमीन में दो मक्की के दाने पकते हैं, नहीं तो उसका बीज चला जाता है और उसके कारण से वह कर्जदार होकर मरता है। उसके बारे में अगर इस सरकार ने यह कहा कि लगान की कोई आवश्यकता नहीं; हमने उसका लगान माफ कर दिया तो हमने कोई पाप किया? हमने उससे कोई लेन देन करके किया होगा, यह जिस प्रकार का सोच बनता जा रहा है, यह ठीक नहीं है।

हमने किसानों का 10 हजार तक का कर्जा माफ करने के लिए 1989 में जब अभियान छेड़ा था तो आप ही लोगों ने भाषण दिए थे कि ये असत्य बोलते हैं, कर्जा माफ हो ही नहीं सकता। बैंक डूब जाएगा, यह डूब जाएगा। बैंक इससे नहीं डूबता है, बैंक डूबता है उन पूंजीपतियों से जो एक-एक आदमी एक-एक करोड़ का दिवाला निकाल कर चला जाता है। उसकी लंगोटी को आप नहीं पकड़ सकते और उस किसान की लंगोटी को पकड़ना चाहते हैं, जिसने केवल दो हजार रुपये इकट्ठे लिए उसके कारण से आपने कितने मुर्गे बनाए होंगे, कितने लोगों के ऊपर पत्थर रख कर वसूली की होगी। अपने पुराने दिनों को भी याद करते जाओ, दोनों का मिलान करके बाद में बोलेंगे तो अपनी आत्मा से कुछ निकलेगा। नहीं तो ऐसा लगता है कि यह सब बनावटीपन चलता रहेगा। बनावटीपन से कभी भी देश नहीं बनता है, इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए।

मैं नहीं समझ पाया हूं इसलिए मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं। फसली ऋणों के बारे में आप कहते हैं, हमने कुछ नहीं किया। आपने 1990 में फसली ऋण जो दिए थे वे केवल 103 करोड़ रुपये दिये थे, हमने फसली ऋण का धन दिया 620 करोड़ रुपये। फसली

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ऋण दिए किस के लिए ? हमने अपने लिए दिए थे ? हमने किसानों को तरक्की देने के लिए दिए क्योंकि किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है । जब तक उसके घर में दीपक नहीं जलेगा, आप भले ही 10–20 लोग बड़े मकान में रह जाना लेकिन उससे नहीं जलेगा ।

मैं आज आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, 40 वर्ष में अगर हिन्दुस्तान में गांव को देखना चाहते हो तो एक तीसरी पढ़े हुए बच्चे को एक गेरू का डिब्बा दे दो और कहो कि जाओ बेटा, इस गांव में घूमो और जहां-जहां तुम्हें खपरैल का और टूटा मकान मिले, उसके आगे लिख देना यह किसान का मकान है और जहां रास्ते में पक्का मकान आए, वहां लिख देना कि यह नौकरी करता है, व्यापार करता है । क्या इस देश की गरीब जनता के साथ न्याय हुआ है ? क्या आपने उसका भला किया था ? कुछ ऐसे जज्बातपूर्ण सवाल हैं जिन सवालों के बारे में आपने बहुत ढिंढोरा किया कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई । किसको मिला इसका पैसा ? अगर गरीब किसान को मिल जाता है तो क्या ऐसी तकलीफ है, क्या आसमान पड़ रहा है ? कभी उसको वाजिब दाम दिलाने की कोशिश की ? क्या मेहनत मजदूरी करता है, खाद-बीज क्या डालता है, कितना पानी सींचने में लगता है और उसके बाद क्या मिलता है, उसका दाम कौन तय करेगा ? मंडी की नीलामी की बोली तय करेगी ।

40 साल, 50 साल देश में लोकतंत्र होने के बाद भी हर आदमी मुनाफा जोड़ कर कीमत तय करता है, साबुन की बट्टी बनाने वाला भी मुनाफा जोड़ता है, जूता बनाने वाला मुनाफा जोड़ता है, हर फैक्ट्री वाला मुनाफा जोड़कर कीमत तय करता है, लेकिन एकमात्र गरीब व्यक्ति बचा है जिसका मूल्य तय करेगा बाजार की नीलामी की बोली और वही बोली । अगर कोई काम करना था 40 साल में तो इस ओर सोचा जाता । आप वास्तव में गरीब के हिमायती होते, गरीब का भला करने वाले होते तो कुछ विचार करते । अब इस दिशा में विचार करो । आखिर में गरीब के बच्चे को भी पढ़ने के लिए उदयपुर आने की जरूरत है, लेकिन उसका बच्चा पढने में होशियार होते हुए भी पढ़ नहीं सकता ।

आप जिस बारे में कह रहे हो कि राजस्थान का विकास अवरुद्ध कर दिया, इस वन के कारण से किया, किया किसने है ? इसकी जिम्मेदारी किसको दी जाए, किसको दण्ड दिया जाय इसका ? यह वन का जो हमारे पास अधिकार था 1976 में, आपने राज्य सूची से इसको समवर्ती सूची में डाला था कि नहीं डाला था ? इस समवर्ती सूची में डालने के बाद 1980 में आपने वन संरक्षण अधिनियम बनाया । इस वन संरक्षण अधिनियम के कारण से हमारे यहां का पूरा का पूरा आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी मोहताज हो गया । अपने खेत पर कोई उसका झोपड़ा जला जाता है, कोई उस पर कुछ कर जाता है । उसके पुराने कब्जों को रेगुलराइज करने के लिए बहुत प्रयास किया । आप लोग भी तो थे न, 1990 से लेकर 1990 तक राज किया

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

था न, कुछ नहीं तो कम से कम गरीबों को उनकी जमीन मिल जाती, उनकी जमीन का पट्टा मिल जाता, इस ओर, दिल्ली में भी आप थे और यहां भी आप थे, कुछ प्रयास करना चाहिए था लेकिन वह प्रयास आपने नहीं किया।

इस भारतीय जनता पार्टी के नेता भैरोंसिंह ने टीम बना करके, गांव का सर्वे कराकर 1980 के पुराने कब्जों की फाइल बना कर दिल्ली भेजी, आधी फाइलें उसमें से क्लीयर हो कर के आ गईं, जिनको अधिकार मिला। आधी अभी भी नहीं आई हैं। आज तक वन विभाग में इस कारण से सड़क नहीं बन सकती, बिजली का कोई प्रोजेक्ट नहीं लग सकता, आप कोई खम्भा नहीं गाड़ सकते। आज आप जितना दोष दे रहे हो, हमको दे रहे हो। यह पता नहीं कि यह वन विभाग का कानून है जिसने हमारे विकास को अवरुद्ध कर दिया, जिसके कारण से आज राजस्थान पिछड़ा राज्य बनने की स्थिति में आया। वह इस काले कानून के कारण से आया। न उसमें किसी प्रकार की कोई ... (व्यवधान) .... मेरी आपसे कोई नाराजगी नहीं, पर मैं आपसे हकीकत कहना चाहता हूं। हम सब लोगों को मिल बैठ कर इस बारे में फैसला करना पड़ेगा, हम सबको मिल कर कोशिश करनी पड़ेगी। अगर राजस्थान की खानें बंद हैं तो उसमें कितने हजार मजदूर आज बेरोजगार बैठे हैं ? उनको रोजगार नहीं है। वे कम से कम पेट तो पालते थे। वहां एक तिनका भी नहीं उग रहा है उसके कारण हमने कुछ फाइलें बना करके भेजीं। कुछ की स्वीकृति मिली, कुछ अभी प्रोसेस में चल रही हैं। आप प्रयास करें। उतना का उतना वन आप दूसरी तरफ लगा सकते हैं, उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। जमीन आपके पास बहुत है, खनिज पदार्थ जहां है उसको निकाल करके और कोई दूसरी जमीन लेकर उसमें वन उपज पैदा करके, हम उसकी खानापूर्ति कर सकते हैं, लेकिन रोजगार उससे लोगों को मिलेगा।

हमने विद्युत में कुछ नहीं किया। यह जो कल आप मंता में गए थे, यह आपने ही किया होगा ? परसों से आकर शुरू किया होगा। उस तारीख से, समझ में नहीं आया... (व्यवधान)।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : जो खानें फोरेस्ट में आई, बी.जे.पी. के स्टेट गवर्नमेंट के जमाने में आई। डिफोरेस्ट करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के वन और पर्यावरण विभाग को है 7 मई, 1992 के गजट नोटिफिकेशन के द्वारा दोष किसको दे रहे हो ? खानें बंद कराईं तो इन्होंने कराईं, बी.जे.पी. ने कराईं और अगर डीफोरेस्ट करेगी तो वह भी दिल्ली में बैठी बी.जे.पी. सरकार करेगी, राजस्थान गवर्नमेंट नहीं करेगी। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कानून 1980 में बना हुआ था। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : टोटल असत्य कह रहे हैं, टोटल तथ्यों से परे कह

(श्री जगमाल सिंह यादव)

रहे हैं। जो फोरेस्ट में आई, वह इनके जमाने में आई और जो डीफोरेस्ट होनी है, वह दिल्ली गवर्नमेंट करेगी, भारत सरकार का वन और पर्यावरण मंत्रालय करेगा। कांग्रेस से क्या पूछ रहे हैं, 8 साल से आप बैठे हैं, दो साल से दिल्ली में आपकी सरकार है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हम आठ साल से तो यहीं बैठे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : तो आप करते न उनको।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हम आठ साल से वहां नहीं हैं, आठ साल से तो राज कोई दूसरों का है। (व्यवधान) मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि हमारा अपराध अगर कुछ है, दिल्ली का तो 10 महीने का है, उससे पहले तो कांग्रेस और कांग्रेस से निकले हुए लोगों ने हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली में काम चलाया है, हमारा दोष नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : वह अमेंडमेंट कब आया है? (व्यवधान) 7 मई, 1992 को आया है और इस तिथि को राजस्थान में बी.जे.पी. की गवर्नमेंट थी।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : राजस्थान की सरकार ने कानून बनाया क्या? (व्यवधान) हां, पर यह कानून राजस्थान की सरकार ने बनाया था या भारत सरकार ने बनाया था?

श्री अमराराम (धोद) : दोष किसको दे रहे हो? वाजपेयीजी सक्षम प्रधान मंत्री हैं, हटवा दो।

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षाकर्मी योजना कांग्रेस के शासन में शुरू हुई, इन्होंने इसका आजपाईकरण जरूर किया, बाकी शिक्षाकर्मी योजना कांग्रेस की थी।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी, राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव के ऊपर जब सरकार की तरफ से पार्टिसिपेशन हो तो यह कोई जरूरी नहीं कि सदन के नेता या मुख्य मंत्रीजी बोलें, शिक्षाकर्मी योजना के बारे में अगर आपको कोई विस्तार से कहना है तो मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जब तक माननीय कटारिया जी अपना भाषण समाप्त न कर दें तब तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : पहले ही समाप्त हो जाएगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जिन विषयों को लेकर यहां बहुत अधिक चर्चा की जा रही है कहा गया कि विद्युत के बारे में हमारी नीतियां गलत थीं, हमने नर्सरी योजना लागू की। मैं माननीय सदस्यों को जो दसवीं विधान सभा के सदस्य थे, उनसे बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह विषय इस हाउस में नहीं आया था और इस हाउस

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

में सरकार ने अपनी यह मंशा प्रकट नहीं की थी कि हम नर्सरी योजना खत्म कर रहे हैं ? प्रोसिडिंग निकालकर देखा जाए, आपकी बैंच की तरफ से, विपक्ष की तरफ से यह आग्रह था कि नहीं, इस योजना को चालू रखा जाए और इसके कारण से हमने आपकी बात को मानकर किया। उसका प्रचार आपने यह किया कि हमने किसान को लूट लिया, हमने यह कर दिया। हमने तो यहां तक किया कि जिस नर्सरी योजना के तहत...

श्री अमराराम (धोद) : आप किसानों की बात कर रहे हैं, हिन्दुस्तान में वह राज्य बता दो जिसमें 9 हजार रुपये पोल के लेकर किसान को कनेक्शन दिया है; किसी भी प्रांत में। मैं यह नहीं कह रहा, किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे वह कांग्रेस की, मोर्चे की, जनता दल की, किसी भी पार्टी की सरकार ने 9 हजार रुपये, 12 हजार रुपये प्रति पोल के प्रदेश में लिए हों। फिर किसान की बात कर रहे हो। ..(व्यवधान)..

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह क्या हो रहा है ? हम अपनी बात बहुत अच्छी तरह से रख रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : हमारी तरफ से तो इसका भी विरोध किया गया था कि नर्सरी योजना लागू नहीं रहनी चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हाउस में डिसकस किया था। मैं अगर गलत हूं तो प्रोसिडिंग निकालकर देख सकते हैं कि क्या उसमें सच्चाई थी या नहीं थी। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस नर्सरी योजना में जो कमी थी वह कमी यह थी कि उसको जिस प्रकार का बिल भरना पड़ता था वह सामान्य किसान से बहुत अधिक था। तो सरकार ने एक निर्णय यह भी लिया कि दो साल के बाद जैसे सामान्य किसान का बिजली का बिल आएगा उसी प्रकार से उससे चार्ज किया जाएगा। हमने क्या गुनाह किया था उसमें ?

मैं सोचता हूं जितना हम कर सकते थे उतना हमने करने का प्रयास किया। मैं नहीं सोचता कि आपके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है जो आप घुमाएंगे और सब हरा ही हरा हो जाएगा। अगर इतने ही चमत्कारी हैं तो भगवान आपको और ताकत दे। आप चमत्कारी बनें, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन इस हकीकत को भी आप ना नहीं कर सकते कि जब आपने राज छोड़ा था 1989–90 में, उस समय किसान को जितनी यूनिट बिजली मिलती थी वह थी 1025 करोड़ यूनिट खेती की दृष्टि से। हमने 90-97 के पीरियड में उसको 2500 करोड़ यूनिट बिजली उपलब्ध करायी थी। आपके समय में टोटल जितनी बिजली की खपत होती थी। उसका केवल 27 परसेंट किसान को देते थे और हमने अपनी टोटल बिजली की खपत में 35 परसेंट किसान को मुहैया करायी। किसी कारण से कोई कमी-खामी रही होगी तो मैं नहीं कह सकता।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया, हमने प्रयास ही नहीं किया, यह कैसे हो सकता है। हमारे मन में यह था कि राजस्थान में बिजली पैदा हो जाएगी तो हमको कोई पीड़ा हो जाएगी? जिन कारणों से हमारे प्रोजेक्ट रुके थे, जिन कारणों से दिल्ली की सरकार ने हमारे प्रोजेक्ट को क्लीयर नहीं किया था, क्या उसमें हकीकत नहीं? हमारी तरफ से प्रयास में कोई कमी थी? हमने अपनी दृष्टि से सारे प्रयास किए लेकिन कोई यह मानने को तैयार ही नहीं कि हमने कुछ किया भी है।

श्री राजेन्द्र पारीक : और कुछ नहीं किया। आपने तो मुंगेरीलाल के भाई नौरंगीलाल के सपने दिखाए जनता को और कुछ नहीं किया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सदस्य, आपको अधिकार मिला है, आप उसका उपयोग करके हमारे मुंगेरीलाल के सपने को धूल-धूसरित कर देना; आप कुछ बनाना। अगर राजस्थान के किसान का भला होता है तो हम तो आपको धन्यवाद देंगे, हमें क्या एतराज है। हमें किसी बात से कोई पीड़ा और तकलीफ नहीं होती।

पर मैं इस समय चाहता हूं कि हम किसी बात को बिलकुल ....(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि सूरतगढ़ का जो बिजली का प्रोजेक्ट चालू हुआ क्या वह पुरानी सरकार ने तैयार नहीं किया? क्या अंता की भूमि पूजन के लिए गए थे उसकी तैयारी भी हमने नहीं की थी? आपने आते ही सारा प्रोजेक्ट बनाकर तैयार कर दिया और अंता में जाकर नाटा लगा दिया? किस प्रकार की स्थिति है और किस प्रकार की मानसिकता लेकर हम तर्क और वितर्क करते हैं? अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी किया जा सकता है, केन्द्र की सरकार के साथ जद्दो जहद करनी पड़े वह जद्दो-जहद हम करेंगे। हम उसमें सब शरीक हैं, हम सब शामिल हैं क्योंकि आखिर यह प्रदेश हमारा है। हम किसी भी पार्टी के होंगे, लेकिन पार्टी से बड़ा तो हमारा यह प्रदेश है, हमारा देश है। इसको हम आगे रखेंगे या केवल पार्टी का झण्डा लेकर घूमते रहेंगे।

मैं सोचता हूं कि इससे कोई बहुत ज्यादा भला होने की स्थिति नहीं है। इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि किसान का किस प्रकार भला हो, लेकिन कोई यह कदम उठाने को तैयार नहीं। क्या आपको यह नहीं पता कि छीजत बहुत है? आपको यह जानकारी नहीं है? किसी को यह जानकारी नहीं है कि बहुत छीजत है? लेकिन कड़वा कदम ले कौन? कौन कड़वा बने? ट्रिपिंग हो रही है, कौन रोके? किसको पता नहीं है? पूरे के पूरे गांव में रात को हांकड़ियां डालकर कुए चल रहे हैं। जो पैसा देकर अपने कुएं का कनेक्शन लेता है वो तो सफर करता है और जो पैसा नहीं देता है वह आराम से बिजली जला रहा है।

लेकिन इसके लिए माद्दा हो तब हो ना। इसके लिए किसी का मन बने कि मैं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बुरा होऊंगा तो होऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस सुधार को करूंगा। अगर 35 परसेंट बिजली अतिरिक्त हो तो राजस्थान के किसान को जो 2 लाख पैंडिंग केस हैं, जिनको हमें बिजली देनी है वह हम दे सकते हैं। लेकिन हमारे मन में इतनी हिम्मत और साहस होना चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप पूरा सहयोग देंगे तो वह भी करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप करो तो सही।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप पूरा साथ दो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हम तो हमेशा ही साथ दे रहे हैं आपको। इस दृष्टि से कम से कम विचार करना चाहिए।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं देवस्थान विभाग के बारे में इस पूरे के पूरे अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान में अगर कोई सबसे धनाढ्य डिपार्टमेंट है, तो यह है जिसके पास अरबों-खरबों की सम्पत्ति है। मैं उसका मंत्री रहते हुए उसमें जिस प्रकार से अपेक्षित सुधार कर सकता था वह मैं नहीं कर पाया। मेरा प्रयास जरूर रहा था कि इस सारी सम्पत्ति को किसी प्रकार से बचाएं और इसके कारण प्रदेश को आगे बढ़ाएं।

लेकिन उन पांच सालों में हमने यह प्रयास तो किया कि 10 लाख से ज्यादा जिनकी माली हालत है उन सबका आडिट कराया, उनके सारे गहनों को हमने आइडेंटिफाई कराया कि कितने कम हैं, कितने ज्यादा हैं। जहां कमी पड़ी उसके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रयास किया।

मैं सोचता हूं एक शुरूआत हमने की। अगर यह कहा जाए कि आपके राज में कुछ नहीं हुआ, आपके राज में भैरोंसिंह जी ने डुबो दिया, हमने भ्रष्टाचार कर दिया। हमने कर दिया अब आपके पास राज है, फाइलें हैं, सब आपके पास है, अगर हमने कोई गुनाह किया, आप यहां निकालो, हमको जिस प्रक्रिया के तहत दण्ड दे सकते हो वह दण्ड दीजिए, हमें दंड लेने में भी प्रसन्नता होगी। हमें अपने प्रदेश की भलाई के लिए अगर दण्ड मिलेगा तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

लेकिन केवल भाषणबाजी के आधार पर प्रदेश को पिछड़ा छोड़ने का आप प्रयास न करें। इस प्रदेश को कभी भी इस तरह से न डालें। जो गति विकास की बनी है, 27,650 करोड़ रुपये की हमने नौवीं पंचवर्षीय योजना बनायी, क्या आपको यह आश्चर्य नहीं लगता? हिन्दुस्तान में कोई ऐसा राज्य बता दो जिसने पांच साल तक राज किया हो और एक नये पैसे का टैक्स नहीं बढ़ाने के बाद भी अपनी योजना को पूरा किया हो। यह भैरोंसिंह शेखावत का नेतृत्व था जिन्होंने एक नया पैसा टैक्स न लगाने के बाद, इतनी छूट देने के बाद भी विकास का काम किया।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मैं समझता हूं, किसी तर्क के आधार पर हम किसी बात को करें तो समझ में आ सकता है। देवस्थान के मंदिर जीर्ण-शीर्ण हो रहे थे, 50 साल में किसी ने सुध नहीं ली। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया पांच साल का और 60 मंदिरों में से 12–12 मंदिर हर साल रिपेयरिंग की दृष्टि से, जीर्णोद्धार की दृष्टि से लिए। राज्य सर–कार से पहली बार मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए बजट से डेढ़ करोड़ लिया और सवा करोड़ रुपया हमने अपने निधि फण्ड से जोड़कर मंदिरों के निर्माण का काम शुरू किया।

मैं सोचता हूं किसी अच्छे काम को करने के लिए प्रयास तो जरूर करना पड़ेगा और उसके लिए हमको बुरा भी बनना पड़ेगा। कुछ लोग पसन्द करेंगे, कुछ लोग पसन्द नहीं करेंगे, लेकिन इसकी बिना चिन्ता किये हुए अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। मुझे बहुत अफसोस है कि राजस्थान के मन्दिरों में जो भोग सामग्री दी जाती थी, पहले 1972 में वह काइंड में दी जाती थी कि एक किलो घी होगा, इतनी शक्कर होगी, लेकिन 1972 में आपने कानून बनाकर उस काइंड को पैसों में कन्वर्ट कर दिया। पैसों में कन्वर्ट किया तो हालत क्या हुई कि 100 ग्राम, सवा सौ ग्राम घी जाता था मन्दिरों में और कोई सेवा–पूजा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। हमने उसको बढ़ाकर पांच गुना किया, पांच गुना करके हमने भोग राशि बढ़ायी। हम यह चाहते थे कि हर चीज में, हर क्षेत्र में उसका सुधार हो, उसका विस्तार हो, अच्छी प्रकार से हो। यही नहीं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत

श्री जगमाल सिंह यादव : अयोध्या में क्या करेंगे ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अयोध्या में मन्दिर तो सात जन्म में भी बनकर रहेगा, चाहे हम रहें या न रहें, आप रहो या नहीं रहो। अयोध्या में मन्दिर कोई खुदा का बंदा नहीं रोक सकता है, वह हमारा अभि-मान है।

श्री जगमाल सिंह यादव : देश को लड़ा दिया, तोड़ दिया। अयोध्या के असली मुद्दे पर अब आये हो आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ये सब बातें, अयोध्या....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : असली है तो आप अपने प्रधान मंत्रीजी से कहलवाइए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मन्दिर निर्माण को कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अयोध्या में मन्दिर होगा, वहीं होगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : देश टूट जाएगा। ऐसे-ऐसे मंत्री राजस्थान में रहे हैं तो कल्पना कर लो कि क्या विकास और क्या बात होगी।

श्री अध्यक्ष : दिलावर जी, बैठ जाइए। तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य, बैठ जाइए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

सदन की बैठक का समय जब तक गुलाबचन्द जी कटारिया अपना भाषण समाप्त नहीं कर दे तब तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी : ये तो एक घण्टे तक नहीं करेंगे, मान्यवर।

(17.00 बजे)

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री गुलाबचन्द कटारिया : पांच मिनट और लूंगा मैं।

मैं सोचता हूं कि चाहे किसी भी विभाग को आप लें, शिक्षा विभाग के बारे में अगर आप माननीय सदस्यों को याद हो तो 1994 में मैं जब शिक्षा मंत्री के नाते भाषण देने के लिए खड़ा था तो मैंने अपने भाषण में कहा था कि इस विभाग के कारण से मैं दुबारा विधायक बनकर नहीं आऊंगा लेकिन मैं इस विभाग में सुधार करने का प्रयास जरूर करूंगा। मुझे बहुत सन्तोष है, मुझसे कोई नाराज हो चाहे कोई राजी हो, किसी का ट्रांसफर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा लेकिन मैंने एक नीति बनायी। क्योंकि आखिर इस ढाई लाख की फौज को बिना नीति के ट्रांसफर कैसे कर सकते हो। 24 घण्टे ट्रांसफर और दरख्वास्तें अगर चलती रहेंगी तो हमारा जिला शिक्षा अधिकारी कोई तरक्की नहीं कर सकता, कोई शिक्षा का निरीक्षण भी नहीं कर सकता।

इस कारण से हमने जहर के घूंट पीकर भी इस विभाग को सही लाइन में ला दिया। छोटी-छोटी मान्यता के लिए बीकानेर जाना पड़ता था, अपने विद्यालय की मान्यता के लिए, छोटे-छोटे काम के लिए उदयपुर से आदमी चलता। हमने वह सारी की सारी मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी और डिप्टी डायरेक्टर को दी है। क्योंकि बीकानेर का दवाब रहता था। एक तरफ कहते हैं कि हम विकेन्द्रीकरण करेंगे और दूसरी तरफ वह सारे अधिकार ले जाकर फिर बीकानेर में ठूंस दिये ताकि एक छोटे-छोटे काम के लिए, छोटे से कागज के लिए उदयपुर का आदमी, बांसवाड़ा का आदमी बीकानेर का चक्कर लगाता रहे। इसमें कौनसा रहस्य है? हम या तो दोहरी बात नहीं करें, या यह कहें कि विकेन्द्रीकरण में हमारा विश्वास नहीं है। अगर विकेन्द्रीकरण में विश्वास है तो हमने दो डायरेक्टर किसलिए बनाये? हमने इसलिए बनाये कि आखिर इन 55 हजार स्कूलों को कोई एक डायरेक्टर संभाल सकता है? एक डायरेक्टर कोई उसके साथ न्याय कर सकता है? आप उसको कितना ही लाद दो, वह 16 और 18 घण्टे काम करने के बाद भी इस विभाग को ईमानदारी से नहीं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

चला सकता जब तक आप इसके छोटे-छोटे टुकड़े नहीं करेंगे।

मेरी तो यह मान्यता थी कि हर सम्भाग स्तर पर शिक्षा का अलग डायरेक्टर बनाकर वहां कमिश्नर बिठाइये जो नीतिगत फैसला करके राजस्थान की शिक्षा को एक नया रूप दे सके। हमने दो डायरेक्टर किये, एक प्राइमरी स्कूल शिक्षा का अलग किया और एक माध्यमिक शिक्षा का अलग किया। हमने इस कारण से किया था कि इसकी व्यवस्था को सम्भाला जाए।

आज सबसे बड़ा दुःख मुझे इस बात का है, जिस पंचायती राज में आप शिक्षा को देने की बात सोच रहे हैं, कृपा करके एक बार पंचायती राज के प्राइमरी स्कूलों की हालत को ठीक प्रकार से समझ लेने की जरूरत है। क्या हम उसको ठीक प्रकार से चला पा रहे हैं ? क्या वहां जो बी.डी.ओ. है, हमारा जो एस. डी. आई. है वह उन स्कूलों में जाकर कभी देखता है ? कभी वह इस बात की कोशिश करता है कि हमारा स्कूल कैसा चल रहा है ? उसको तो निर्माण काम में रुचि है क्योंकि वहीं कुछ मिलेगा। वहां स्कूल में क्या मिलेगा, फांकम-फांक चलेगा। इस कारण से कोई शिक्षा को देखना नहीं चाहता। शिक्षा के बारे में किसी को कोई दर्द है, न अपने बच्चे के भविष्य के बारे में दर्द है। जो खराब परीक्षा परिणाम देंगे, जिनका तीन साल का परीक्षा परिणाम 20 प्रतिशत भी नहीं रहा उनको अगर 17 सी.सी. का नोटिस दे दिया तो कौनसा पाप कर दिया? आखिर कोई सवाल तो पूछे देश की जनता, जो करोड़ों रुपया उनको देती है। हमारा शिक्षक नाराज है कि हमको 9-18-27 नहीं दिया। लेकिन इस 9-18-27 का लाभ अगर किसी ने दिया है तो भैरोंसिंह शेखावत के मुख्य मंत्री काल में दिया।

लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई समझना नहीं चाहता। वर्क चार्ज के 45 हजार कर्मचारियों को अगर नियमित नौकरी में किसी ने लगाया है तो भैरोंसिंह शेखावत के समय में लगाया है। अगर पांचवां वेतन आयोग अगर किसी ने सब से पहले दिया है तो राजस्थान ने दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में अगर सबसे अच्छी तनख्वाह किसी की है तो राजस्थान के शिक्षक की है। उसके बाद भी अगर असंतोष रहता है और घुटने हम टेकते चले जाएंगे तब तो सुधार नहीं होगा। हम तो अमर नहीं होंगे पर हमारा प्रदेश अमर हो, इसकी चिन्ता करनी पड़ेगी। क्या फर्क पड़ेगा, कल मर जाएंगे किसी घटना और दुर्घटना में।

हमारा सोच जो होना चाहिए वह देश को बनाने का होना चाहिए, प्रदेश को बनाने का होना चाहिए। अगर कहीं कमी खामी है, चोरी मैंने की है तो मुझे दंड दीजिये। अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ी है तो बिगाड़ने वाले को दंड दीजिये। अपराध तो आज भी होगा, अपराध तो पहले भी होता था, अपराध को रोकने का एक ही उपाय है कि अपराधी को संरक्षण नहीं मिले, अपराधी को बचाया नहीं जाए। मैं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आज तो नहीं लेकिन अब जब मार्च का सत्र होगा तब मैं आप सब को वह सब बखिया उधेड़ कर बताऊंगा कि आप किस नीचे स्तर तक जाकर लोगों को बचाने का प्रयास करते हो।

जिस साम्प्रदायिक सौहार्द की आप बात करते हैं उस सौहार्द की बात पर अपने पदाधिकारियों को जमीन पर कब्जे कराकर गांव में लड़ाई छिड़ाते हो और उसके कारण से गांव में दंगा हो जाता है तो फिर दूसरों को बदनाम करते हो। पहले अपने आप को सम्भालो और सम्भाल कर इस बात का विचार करो कि अपराधी न हिन्दू है, न मुसलमान है, न भारतीय जनता पार्टी का है, न कांग्रेस का है, अपराधी अपराधी है। उसको आपराधिक निगाह से दंडित करोगे तो अपराध थक जाएगा, अपराध कोई नहीं करेगा। अगर हमने संरक्षण दिया कि यह मेरा बेटा है, वह मेरा रिश्तेदार है, इसीलिए अपराध बढ़ते हैं।

आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अभी तो आपको महीना-सवा महीना हुआ, आपके उस सारे इतिहास का आज वर्णन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जिस प्रकार का नंगा नृत्य उदयपुर शहर में हो रहा है, रोज तलवारें चल रही हैं बाजारों में। बाजार बन्द हो रहे हैं, थाने का घेराव कर रहे हैं। अभी तो सवा महीना हुआ, आपने अपराधियों को छूट दे दी कि तुम चाहो जितने अपराध करो, अब कोई रोकने वाला नहीं है।

मैं दावे के साथ और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने इस पर काबू नहीं किया तो यह आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर आप इससे किसी तरह से अपने आपको बचा नहीं पाओगे। जिस प्रकार से अपराधियों के सींगड़े लग गये हैं और वे सोचने लगे हैं कि अब हमको सब प्रोटेक्शन मिल जाएगा और उसके आधार पर हम चाहे जिसको लांछित और अपमानित करेंगे। तो हम संख्या में यहां 33 होंगे पर बाहर हजारों कार्यकर्ताओं ने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, हर ईंट का जवाब पत्थर से देकर मैदान में भी आपको बताया जा सकता है। इस भ्रम को मत पालना कि हम यहां संख्या में कम हैं इसलिए आप चाहें जिस तरह का वर्ताव कर लें।

मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग चाहते हैं राजस्थान की इस पीड़ा को मिटाना, हम चाहते हैं कि अपराध कम हों, हम चाहते हैं कि राजस्थान की तरक्की हो। निश्चित रूप से अगर हमारी तरफ से किसी को संरक्षण दिया जाता है तो उसको मत होने दीजिये और आपकी तरफ से कोई आदमी संरक्षण देता है तो उसको कठोरता से रोकिये।

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कम से कम एक पहला काम शुरू किया, उसके लिए उनको बहुत

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बहुत बधाई कि जितने भी जन प्रतिनिधि हैं, चाहे वह सरपंच हो, कोशिश करिये कि वह अपनी प्रोपर्टी की घोषणा करके जन प्रतिनिधि बनकर आये और जिस दिन वह चुनाव लड़ने जाए तो उसको चुनाव के फार्म के साथ ही अपनी प्रोपर्टी की सूची उसके साथ लगायी होगी कि मेरे पास पहले क्या था और मेरे पास अब क्या है। तब जाकर हमारा यह कर्मचारी हम पर विश्वास करेगा। अभी तो हमारा कर्मचारी यह सोचता है, हम पटवारी को गाली देते हैं, थानेदार को गाली देते हैं कि यह चोर है, वह चोर है, पर जब सारे कुए में भांग पड़ गयी तो उसका क्या दोष निकालना चाहते हैं।

अगर मारना चाहते हैं तो चोर की मां को मारो। जो सबसे ज्यादा डकैतियां, भ्रष्टाचार ऊपर बैठकर होती हैं, इतने अच्छे बड़े पद पर भ्रष्ट रहते हैं उन लोगों को बचाने की कोशिश मत करो। आप देखिये कि नीचे 5–4 साल में ईमानदारी चली जाएगी। लेकिन हम अपने आपको बचाने का प्रयास करें और फिर उस पटवारी से उम्मीद करें कि वह ईमानदारी से रहे तो वह ईमानदारी से नहीं रह सकता है। अगर ईमानदारी की शुरूआत करना चाहते हैं तो हिमालय से शुरूआत करें ताकि वह नीचे जाते जाते ईमानदारी जाए। वास्तव में भ्रष्टाचार को हमने ठेठ नीचे तक इसकी जड़ों में पहुंचाया। इसके लिए प्रयास करना चाहिए।

श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि आपने सारे ही काम अच्छे कर दिये तो फिर आपकी पार्टी को हारना क्यों पड़ा? आपने सारे ही अच्छे काम कर दिये तो आपकी पार्टी को फिर हारना क्यों पड़ा?

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल आर.एस.एस. की भर्ती की। शिक्षा विभाग के बारे में बड़ी बातें कीं लेकिन आर.एस.एस. की भर्ती से ज्यादा कुछ नहीं किया। पंचायती राज के बारे में उन्होंने कहा कि हमने आदिवासियों को आरक्षण देकर, महिलाओं को सब को प्रमुख और प्रधान बना दिया, यह देन राजीव गांधी की थी, आपकी कोई देन नहीं थी इसमें। आपने बाड़े बनाकर सरकार का दुरुपयोग करके जो....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये, व्यवधान मत डालिये बीच में। यह मैंने आज प्रारम्भ में ही कह दिया है कि यह परिपाटी इस सदन में नहीं डाली जानी चाहिए। जब तक मैं इस आसन पर हूं, आपको अवसर दे सकते हैं बोलने के लिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, अगर आप कहना चाहते हैं तो माननीय सदस्य को आप अवसर दीजिये कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लें। अब आप समाप्त कीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। बहुत नम्रता से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल के द्वारा जो बात हम पहले कर चुके हैं उनको कहलाते हुए कुछ थोड़ा बहुत मोड़ तोड़कर आपने इसको पेश किया। आप शांति से पढ़िये, ईमानदारी से कि क्या यह राजस्थान को कोई दिशा निर्देश दे सकता है, क्या इससे राजस्थान की कोई तरक्की और भविष्य इसमें से दिखायी देता है ? केवल इसलिए नहीं कि हमने पेश कर दिया तो आपने बिलकुल पकड़ लिया कि हमने पेश कर दिया और इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं लगता। राजस्थान की तरक्की नहीं, गरीब का कोई भला नहीं, शिक्षा के विस्तार का इंडीकेशन किसी प्रकार से मुझे इसमें नहीं दिखता इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए माननीय सदस्य श्री हरिसिंह (महुवा) ने यह उल्लेख किया+++ यह वाक्य स्वर्गीय किसान नेता श्री कुम्भाराम जी आर्य के सन्दर्भ में बोला गया। यह दिवंगत नेता के प्रति अभद्रता की श्रेणी में आता है और असंसदीय भी है इसलिए मैं इसे कार्यवाही से हटाये जाने की व्यवस्था देता हूं।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 12 जनवरी, 1999 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 17.10 बजे मंगलवार, 12 जनवरी, 1999 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 16 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र बानसूर में स्वीकृत स्वास्थ्य केन्द्रों पर मेल या फीमेल नर्स के कार्यरत एवं रिक्त पदों का संस्थावार विवरण।

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	
				पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बानसूर	नर्स प्रथम	1	1	—
		नर्स द्वितीय	5	5	—
	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, बानसूर	नर्स द्वितीय	1	—	1
2.	राजकीय अस्पताल, बहरोड़	नर्स प्रथम	3	3	—
		नर्स द्वितीय	5	5	—

1	2	3	4	5	6
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुर (एम.सी.एच.)	नर्स द्वितीय	3	2	1
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हमीरपुर	नर्स द्वितीय	1	1	—
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हाजीपुर	नर्स द्वितीय	2	2	—
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निमूचाना	नर्स द्वितीय	1	1	—
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरसोरा	नर्स द्वितीय	1	1	—
	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, हरसोरा	नर्स द्वितीय	1	1	—

1	2	3	4	5	6
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गूंता (एम.सी.एच)	नर्स द्वितीय	3	3	—
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोटेड़ा	नर्स द्वितीय	2	2	—
10.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जागूवास	नर्स द्वितीय	2	2	—
11.	यथा कराणा	नर्स द्वितीय	2	2	—
12.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, गिरूडी	नर्स द्वितीय	1	1	—
13.	यथा भूपखेड़ा	नर्स द्वितीय	1	1	—
14.	यथा लेकड़ी	नर्स द्वितीय	1	1	—

1	2	3	4	5	6
15.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, खेड़ा	नर्स द्वितीय	1	1	—
16.	यथा दहमी	नर्स द्वितीय	1	1	—
17.	यथा गूंती	नर्स द्वितीय	1	1	—
18.	यथा बामनवास	नर्स द्वितीय	1	1	—

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 18 की सूची)

क्र.सं.	नाम जिला	आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत दर्ज मामले	एफ.आई.आर. दर्ज	कोर्ट में चालान की कार्यवाही जारी
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	—	—	1
2.	अलवर	—	—	—
3.	बाड़मेर	1	—	—
4.	बारां	7	3	—
5.	बांसवाड़ा	4	—	—
6.	भरतपुर	2	1	—
7.	भीलवाड़ा	6	—	—

1	2	3	4	5
8.	बीकानेर	3	—	—
9.	बूंदी	1	—	—
10.	चित्तौड़गढ़	4	—	—
11.	चूरू	1	—	—
12.	दौसा	4	—	—
13.	धौलपुर	2	3	—
14.	डूंगरपुर	5	—	—
15.	श्रीगंगानगर	3	—	—
16.	जयपुर	6	—	—
17.	जैसलमेर	—	—	—

1	2	3	4	5
18.	जालोर	2	—	—
19.	झालावाड़	1	—	—
20.	झुन्झुनू	6	1	—
21.	जोधपुर	2	—	—
22.	कोटा	1	—	—
23.	नागौर	—	—	—
24.	पाली	2	—	—
25.	राजसमन्द	4	—	—
26.	सवाईमाधोपुर	10	—	—
27.	सीकर	1	—	—

1	2	3	4	5
28.	सिरोही	1	—	—
29.	टोंक	5	—	—
30.	उदयपुर	5	—	—
31.	करौली	—	—	—
32.	हनुमानगढ़	1	—	—
	योग	90	8	1

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके
तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में स्वीकृत अकाल राहत कार्य

19. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में जिला नागौर में अकाल राहत के तहत कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया है? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में उक्त मद में कितनी राशि का आवंटन किया जा चुका है और उसके तहत कौन-कौन से कार्य इस मद में स्वीकृत किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अकाल राहत के तहत विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्रामों में अब कितनी अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जायेगी तथा इसके अन्तर्गत कौन–कौन से कार्य किये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अकाल राहत के तहत जिलों के लिए राशि का आवंटन नहीं किया जाता बल्कि राहत कार्यों पर लगने वाले श्रमिकों की सीमा जिलेवार निर्धारित की जाती है। जिला नागौर के लिए वर्तमान में 20,000 की श्रमिक सीमा निर्धारित की हुई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में अब तक कुल 102 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनकी कुल लागत 198.43 लाख रुपये है और इन कार्यों पर 3880 श्रमिक नियोजित किये जा सकेंगे। स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में और कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किये जायेंगे।

परिशिष्ट–1

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में दिनांक 11-12-98 तक स्वीकृत अकाल राहत कार्यों की सूची

क्र सं.	स्वीकृति आदेश संख्या व दिनांक	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3	4
1.	8351/5-10-98	रा.उ.प्रा.विद्यालय बुटाटी चारदीवारी निर्माण	3.00
2.	,,	पटवारघर निर्माण निम्बड़ी कलां	1.55
3.	8493/9-10-98	रा.उ.प्रा.विद्यालय में कमरा मय बरामदा बरना	1.19
4.	,,	रा.विद्यालय भवन में कमरा बरामदा जालसू नानक	1.19
5.	,,	रा.विद्यालय भवन में कमरा बरामदा नैणास	1.19
6.	,,	रा.विद्यालय भवन में कमरा बरामदा बावोली मीठी	1.19
7.	,,	रा.विद्यालय भवन में कमरा बरामदा निम्बड़ी कलां	1.19
8.	,,	रा.मा.विद्यालय कुरयासनी कलां सोवा की ढाणी में चारदीवारी निर्माण	2.40

1	2	3	4
9.	8493/9-10-98	रा.प्रा.विद्यालय कीतलसर में चारदीवारी निर्माण	1.00
10.	,,	पं.समिति डेगाना की चारदीवारी निर्माण	1.85
11.	,,	रा.उ.प्रा.विद्यालय बछवारी की चारदीवारी निर्माण	2.00
12.	,,	रा.उ.प्रा.विद्यालय रामसरी में एक हाल निर्माण	2.00
13.	,,	रा.प्रा.विद्यालय बामणा जागीर कलां में चारदीवारी निर्माण	0.70
14.	,,	रा.उ.प्रा विद्यालय झगड़वास में चारदीवारी निर्माण	0.50
15.	,,	रा.प्रा.विद्यालय जाखेड़ों की ढाणी (खींवताणा) में चारदीवारी निर्माण	1.50
16.	,,	रा.उ.प्रा.विद्यालय में कमरा मय बरामदा राजलोता	1.19
17.	,,	ग्राम गुणसली में प्रोटेक्शन वॉल	1.00
18.	,,	रा.प्रा.विद्यालय रलियावंता में चारदीवारी निर्माण	1.00
19.	8653/17-10-98	रा.मा.विद्यालय निम्बड़ी कलां में भवन की चारदीवारी निर्माण	2.00

1	2	3	4
20.	8653/17-10-98	रा.उ.प्रा.विद्यालय सारसण्डा की चारदीवारी निर्माण (प्रान्तरोली कलां)	2.40
21.	,,	रा.मा.विद्यालय पालड़ीकलां में एक कमरा बरामदा	1.19
22.	,,	रा.प्रा.विद्यालय खानपुर (मेवड़ा) में चारदीवारी निर्माण	2.00
23.	,,	उ.प्रा.विद्यालय मेवड़ा की चार–दीवारी	2.00
24.	,,	उप स्वास्थ्य केन्द्र बिखरनियांकलां की चारदीवारी निर्माण	1.50
25.	8889/28-10-98	गांवाई तालाब हिम्मतनगर (तिलानेस) का पट्टा व घाट निर्माण	3.00
26.	,,	गांवाई तालाब जूनी बछवारी का पट्टा व घाट निर्माण	3.00
27.	,,	गांवाई तालाब मेहराना (राज–लोता) का पट्टा व घाट निर्माण	3.00
28.	,,	गांवाई तालाब नथावड़ी (नथावड़ा) का पट्टा व घाट निर्माण	3.00
29.	,,	गांवाई तालाब भारली (बरना) का पट्टा व घाट निर्माण	3.00

1	2	3	4
30.	8889/28-10-98	खारियानाडा भावला तालाब बछवारी का पट्टा व घाट निर्माण	3.00
31.	9786/9745 20-11-98	पशु चिकित्सालय पून्दलोता में चार-दीवारी निर्माण	1.00
32.	"	रा.उ.प्रा.विद्यालय पून्दलोता में चारदीवारी विस्तार	1.00
33.	"	श्मसान भूमि पून्दलोता का चारदीवारी	1.00
34.	"	रा.प्रा.विद्यालय पूनियास में चारदीवारी निर्माण	2.00
35.	"	रा.उ.प्रा.विद्यालय पालियास में हाल व बरामदा निर्माण	2.50
36.	"	प्रा. विद्यालय केरियारांवा (पालि-यास) में एक कमरा बरामदा	1.19
37.	"	प्रा.विद्यालय पासन में चारदीवारी निर्माण	2.94
38.	"	रा.प्रा.विद्यालय चांचीयावास की चारदीवारी निर्माण (ग्रा.पं. भंवरला)	2.46
39.	"	रा.प्रा.विद्यालय सूरियास (घाटा) में चारदीवारी निर्माण	1.00

1	2	3	4
40.	9786/9745 20-11-98	रा.चिकित्सालय ईडवा में चारदीवारी निर्माण	1.00
41.	"	रा.प्रा.विद्यालय ईडवा में हाल निर्माण	2.00
42.	"	रा.प्रा.विद्यालय नथावड़ी में चारदीवारी निर्माण	1.00
43.	"	रा.प्रा.विद्यालय खेरवा में दो कमरे बरामदा	2.38
44.	"	रा.प्र.विद्यालय गून्दीसर (ग्रा.पं. लंगोड़) में चारदीवारी निर्माण	2.00
45.	9687-9745/ 20-11-98	रा.प्रा.विद्यालय कन्या सिरासना में चारदीवारी	3.00
46.	"	रा.उ.प्रा.विद्यालय भांतरोली कलां में चारदीवारी निर्माण	2.40
47.	"	रा.उ.प्रा.विद्यालय ईग्यासनी में चारदीवारी निर्माण	2.00
48.	"	रा.उ.प्रा.विद्यालय ढाढरियां कलां (निम्बड़ी चांदावतां) में चारदीवारी	3.00
49.	"	रा.कन्या प्रा. विद्यालय मेहराणा में चारदीवारी	3.00
50.	9936-75/ 5-12-98	रा.प्रा.विद्यालय कलां का बास पचरण्डा (ग्रा.पं.खाण्डल जोधा) की चारदीवारी	1.00

1	2	3	4
51.	9993-10047 7-12-98	रा.उ.प्रा.विद्यालय ढाढरियां कलां (ग्रा.पं.निम्बड़ी चांदावतां) दो कमरे, बरामदा	2.38
52.	10182-250/ 11-12-98	रा.प्रा.विद्यालय गुलाबपुरा में चारदीवारी निर्माण	0.36
53.	"	रा.सी.मा.विद्यालय हरसौर में एक हाल निर्माण	3.00
54.	"	रा.प्रा.विद्यालय डूंगरास (निम्बोला कलां) में चारदीवारी निर्माण	2.80
55.	"	रा.उ.प्रा.विद्यालय निम्बोला कलां में चारदीवारी निर्माण	3.00
56.	"	रा.उ.प्रा.विद्यालय तिलानेस में चारदीवारी निर्माण	3.00
57.	"	रा.प्रा.विद्यालय व्यापारियों का मोहल्ला झगड़वास में चारदीवारी निर्माण	2.00
58.	"	रा.प्रा.विद्यालय मादवासी (खेरवा) में चारदीवारी निर्माण	2.40
59.	"	रा.प्रा.विद्यालय मुण्डेलपुरा में चारदीवारी निर्माण	1.50

1	2	3	4
60.	10182-250/ 11-12-98	रा.उ.प्रा.विद्यालय सांजू में दो कमरे बरामदा	2.38
61.	,,	रा.प्रा. विद्यालय डूकियासर में एक कमरा बरामदा	1.19
62.	,,	रा.प्रा.विद्यालय हुबचर में एक कमरा बरामदा	1.19
63.	,,	रा.प्रा.विद्यालय जाखेड़ा में एक कमरा बरामदा	1.19
64.	,,	रा.प्रा. विद्यालय हुडियों की ढाणी में एक कमरा बरामदा (ग्रा.पं. मोगास) एवं चारदीवारी	3.20
65.	,,	रा.संस्कृत प्रा.विद्यालय सामरियों की ढाणी जालसू खुर्द में एक कमरा बरामदा	1.19
66.	,,	रा.उ.प्रा.विद्यालय जालसू खुर्द में दो कमरे बरामदा	2.38
67.	,,	रा.प्रा.विद्यालय खियास (पूनास) में चारदीवारी निर्माण	2.40
68.	,,	रा.प्रा.विद्यालय गोठड़ा (माण्डल जोधा) में चारदीवारी निर्माण	2.40
69.	,,	रा.प्रा.विद्यालय पंचरड़ा में चारदीवारी	2.40

1	2	3	2
70.	10182-250/ 11-12-98	रा.उ.प्रा विद्यालय बंवरला में एक कमरा बरामदा	1.19
71.	"	रा.प्रा.विद्यालय मूकरों की ढाणी (पालड़ी कलाँ) की चारदीवारी निर्माण	2.40
72.	"	ग्राम लूपियास में श्मशानघाट की चारदीवारी निर्माण	1.12
73.	"	रा.उ प्रा.विद्यालय नथावड़ा(डेगाना) में चारदीवारी निर्माण	2.00
74.	"	रा.प्रा विद्यालय धान्तरोली खुर्द की चारदीवारी निर्माण	1.00
75.	"	रा.सी.मा.विद्यालय बालिका गोरेडी चाचा में एक कमरा व बरामदा	1.19
76.	"	रा.उ.प्रा.विद्यालय गोनरडा में एक कमरा बरामदा	1.19
77.	"	रा.मा.विद्यालय चम्पाखेड़ी (सिरासना) में चारदीवारी निर्माण	1.28
78.	"	रा.उ.प्रा.विद्यालय गोरेडी करना (गोरेडी चाचा) में चारदीवारी निर्माण	2.00
79.	"	रा.उ.प्रा.विद्यालय डेगाना गांव में एक कमरा बरामदा	1.19

1	2	3	4
80.	10182-250/	उप स्वास्थ्य केन्द्र चुई की चारदीवारी	1.50
81.	11-12-98	रा.प्रा.विद्यालय रातड़ियों की ढाणी (खुड़ीकलां) में चारदीवारी निर्माण	2.40
82.	8493/ 9-10-98	विद्यालय भवन में कमरा बरामदा सूदवाड़	1.19
83.	"	रा.प्रा.विद्यालय किला में चार-दीवारी निर्माण 880 फीट	1.70
84.	"	उप तहसील भवन भैरून्दा में चारदीवारी	1.50
85.	9687-9745/ 20-11-98	पंचायत भवन निर्माण टेहला	2.36
86.	9936-75/ 5-12-98	रा.उ.प्रा.विद्यालय सूदवाड़ की चारदीवारी	1.00
87.	10182-250/ 11-12-98	रा.प्रा.विद्यालय कोडिया में चारदीवारी	0.92
88.	"	रा.प्रा.विद्यालय सयानी में चारदीवारी	1.00
89.	"	रा.प्रा.विद्यालय रोहिसड़ा में चारदीवारी	2.60
90.	"	रा.मा.विद्यालय डोडियाना में हाल निर्माण	2.12

1	2	3	4
91.	10182-250/ 11-12-98	ग्रेवल रोड चूंदिया से सियास तक 1 किमी.	1.32
92.	"	थांवला से किला 4 किमी. ग्रेवल रोड	5.00
93.	10182-250/ 11-12-98	थांवला से लाखोणा 4 किमी. ग्रेवल रोड	5.00
94.	"	ढाणीपुरा से कल्याणपुरा ग्रेवल रोड 3 किमी.	4.00
95.	"	पिपलिया से अजमेर की तरफ ग्रा.पं. गोविन्दगढ़ की सरहद तक 3 किमी. ग्रेवल सड़क	4.00
96.	"	गुड़ा जगमालोता से बासनी ग्रेवल रोड 3 किमी.	4.00
97.	8889/ 28-10-98	पटवार घर निर्माण बिखरनिया कलां	1.55
98.	"	पटवार घर निर्माण माण्डल जोधा	1.55
99.	"	पटवार घर निर्माण टेहला	1.55
100.	"	पटवार घर निर्माण मोगास	1.55
101.	"	पटवार घर निर्माण तिलानेस	1.55
102.	"	पटवार घर निर्माण पूनास	1.55
			198.43 लाखों में

रेहड़िया बांध (बांदीकुई) की भराव क्षमता

20. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उप खण्ड बांदीकुई में रेहड़िया बांध की भराव क्षमता कितनी है ?

(2) उक्त बांध से कुल कितनी भूमि सिंचित होती है ?

(3) क्या सरकार उक्त बांध के विस्तार की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) रेहड़िया बांध के विस्तार होने पर और कितनी भूमि सिंचित हो सकेगी ?

उत्तर

(1) रेहड़िया बांध की भराव क्षमता 187 मिलीयन घनफुट है।

(2) वर्ष 1996-97 में अधिकतम सिंचाई 631.25 एकड़ करायी गयी है।

(3) जी हां, इस बांध में कुछ पानी निरन्तर आता रहता है। इस निरन्तर आने वाले पानी की मात्रा के उपयोग हेतु अध्ययन कराया जा रहा है। उपरोक्त अध्ययन के पश्चात् यदि तकनीकी एवं आर्थिक मानदण्डों के अनुरूप उचित पाया गया तो नहरों के विस्तार की योजना बनाई जावेगी।

(4) अतिरिक्त सिंचित भूमि, पानी की मात्रा पर निर्भर करेगी।

जिला नागौर की इन्दिरा गांधी नहर से पेयजल योजना

21. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में इन्दिरा गांधी नहर से पीने का पानी पहुंचाने की कोई योजना प्रस्तावित थी ? यदि हां, तो कब से तथा क्या योजना थी ? उक्त योजना से जिले के कौन-कौन से क्षेत्र को पानी पहुंचाना प्रस्तावित था ?

(2) क्या उक्त योजना से जिले में पीने का पानी पहुंचाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, नागौर जिले में भूतल जल के लगातार दोहन एवं कम वर्षा के कारण भूजल की गुणवत्ता में कमी आई। अतः इस क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर से सतही पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1993 में एक फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाई गई। इस योजना से जिले के खराब गुणवत्ता वाले ग्रामों व शहरों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) तकनीकी उपयुक्तता एवं बाह्य

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

वित्तीय सहायता के उपलब्ध होने तथा विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त ही उक्त योजना प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

जयपुर शहर की बस्तियों के मकानों के ऊपर से जा रही विद्युत लाइनें

22. श्री महेश जोशी (किशनपोल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की कुछ बस्तियों में यथा बड़ौदिया बस्ती, राकड़ी आदि के मकानों के ऊपर से विद्युत के तार जा रहे हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त मकानों के ऊपर से जा रहे तारों को हटवाने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ। जयपुर शहर में बड़ौदिया बस्ती व राकड़ी आदि स्थानों पर पहले से स्थापित विद्युत लाइनों के नीचे नियमों की अवहेलना करते हुए मकानों का निर्माण करने से विद्युत लाइनों के तार कुछ मकानों के ऊपर आ गये हैं।

(2) विद्युत मण्डल के नियमों में ऐसे तारों को हटाने के लिये आवेदनकर्ता से शिफ्टिंग लागत की आधी राशि लेने का प्रावधान है। सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा आवेदन करने व आवश्यक राशि जमा करवाने पर तार हटाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

तहसील बस्सी के अपूर्ण विकास कार्य

23. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में तहसील बस्सी में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्य पूर्ण हो गये हैं ? यदि नहीं, तो अपूर्ण कार्यों को सरकार कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

(3) उक्त कार्यों में कौन-कौन से ऐसे कार्य हैं जो स्वीकृत हैं लेकिन कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है और इन पर अब कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है। परिशिष्ट (अ)।

(2) पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की सूची परिशिष्ट "ब" संलग्न है। अधूरे निर्माण कार्यों को वित्तीय संसाधनों के अनुरूप शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जायेगा।

(3) जिन निर्माण कार्यों को प्रारम्भ नहीं कराया गया है कि सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। इन कार्यों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जायेगा।

परिशिष्ट "ख"

बस्सी तहसील में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची

(दिनांक 22-1-96 को स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची)

1. मुख्य बस्सी कस्बे में छुटी हुई एल शैप नाली एवं सड़कों का निर्माण कार्य

(अ)	मुख्य कस्बे में सीमेन्ट कंक्रीट सड़क का निर्माण कार्य	14.90 लाख
(ब)	बस्सी कस्बे में छुटी हुई एल शैप नाली का निर्माण कार्य	14.00 लाख
(स)	बस्सी कस्बे में डामर की सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य	14.00 लाख
		42.90 लाख

2. नई डामर की सड़कों का निर्माण कार्य

(अ)	बस्सी उप नगरीय क्षेत्र में सड़कों की सुदृढ़ीकरण एवं पेवर का कार्य	45.00 लाख
(ब)	बस्सी उपनगरीय क्षेत्र में नई सड़कों का निर्माण कार्य (डब्ल्यू.बी.एम. एवं सी.डी.) वर्क का कार्य ।	52.72 लाख
		97.72 लाख

3. बस्सी उप नगरीय क्षेत्र में सड़कों को चौड़ा करने एवं यू शेप नाली निर्माण कार्य।

(अ)	बस्सी कस्बे में यू शेप नाली का निर्माण कार्य	44.00 लाख
(ब)	बस्सी कस्बे की मुख्य सड़क को चौड़ा करने का कार्य।	7.00 लाख
(स)	बस्सी कस्बे की मुख्य सड़क पर पैवर का कार्य	20.00 लाख
(द)	बस्सी चक पर बरसाती नाले का निर्माण कार्य	11.21 लाख
		82.21 लाख

4.	बस्सी कस्बे में बरसाती नाले का निर्माण कार्य	33.92 लाख
5.	राजकीय विद्यालय में चाऊण्ड्रीवाल एवं क्लास रूम का निर्माण कार्य	6.72 लाख
6.	बस्सी कस्बे में श्मशान का विकास कार्य	8.01 लाख

परिशिष्ट "ब"

बस्सी तहसील में प्राधिकरण द्वारा पूर्ण कराये गये कार्यों की सूची

1.	(स)	बस्सी कस्बे में डामर की सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य	14.00 लाख
2.3	(घ)	बस्सी कस्बे की मुख्य सड़क को चौड़ा करने का कार्य ।	7.00 लाख
3.		बस्सी कस्बे में बरसाती नाले का निर्माण कार्य ।	44.00 लाख
4.		राजकीय विद्यालय में बाउण्ड्रीवाल एवं क्लास रूम का निर्माण कार्य ।	6.72 लाख
5.		बस्सी कस्बे में श्मशानों का विकास कार्य	8.01 लाख
			79.73 लाख

बस्सी तहसील में प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे अपूर्ण कार्यों की सूची

2.	(अ)	बस्सी उप नगरीय क्षेत्र में सड़कों की सुदृढ़ीकरण एवं पेवर का कार्य ।	45.00 लाख
	(ब)	बस्सी उप नगरीय क्षेत्र में नई सड़कों का निर्माण कार्य-डब्ल्यू बी.एम. एवं सी.डी. वर्क ।	52.72 लाख

3.	(अ)	बस्सी कस्बे में यू शैप नाली का निर्माण कार्य	44.00 लाख
	(स)	बस्सी कस्बे में मुख्य सड़क पर पेवर का कार्य ।	20.00 ;;
			161.72 लाख

परिशिष्ट "स"

बस्सी तहसील में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्य जो अभी प्रारम्भ नहीं किये गये हैं

1.	(अ)	मुख्य कस्बे में सीमेन्ट कंक्रीट सड़क का निर्माण कार्य	14.90 लाख
	(ब)	बस्सी कस्बे में एल शैप नाली निर्माण कार्य	14.00 लाख
3.	(द)	बस्सी चक पर बरसाती नाले का निर्माण कार्य	11.21 लाख
		योग:—	40.11 लाख

कृषि उपज मण्डी समिति भरतपुर की प्रस्तावित सड़कें

24. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990 से दिसम्बर, 1998 तक भरतपुर जिले में कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से सरकार ने किन–किन सड़कों की स्वीकृति प्रदान की है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों में से कितनी सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है और कौन–कौन सी सड़कों का कार्य अपूर्ण है ? कार्य अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं और अपूर्ण कार्यों को अब कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

(3) सरकार के पास उक्त जिले की वर्तमान में कितनी व कहां–कहां की सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन है तथा उन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से भरतपुर जिले के अन्तर्गत वर्ष 1990 से दिसम्बर,98 तक स्वीकृत सम्पर्क सड़कों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) स्वीकृत सड़कों में से 68 सड़कें पूर्ण एवं 43 सड़कें अपूर्ण है। उक्त पूर्ण व अपूर्ण रहने का विवरण एवम् वर्तमान प्रगति परिशिष्ट "अ" के कालम नं. 7 एवं 8 एवं 9 में अंकित हैं।

(3) राज्य सरकार के पास उक्त जिले की निम्न तीन सड़कों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं :—

(1) लुहासा से बरबारा (नदबई मण्डी)

(2) नदबई से नगला बक्का(नदबई मण्डी)

(3) बरौली क्षार से सलेमपुर (नदबई मण्डी)

उक्त प्रस्तावों का निस्तारण शीघ्र कर दिया जायेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद

25. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय है ? उक्त औषधालयों में कौन-कौन से पद कब से रिक्त चले आ रहे हैं ? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा ?

(2) क्या सरकार प्रशिक्षित चिकित्सक/कम्पाउण्डरों को रोजगार देने का विचार रखती है ? यदि हां,तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामस्वरूप)

(3) क्या सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) राज्य में कहां-कहां पर रसायनशालाएं कार्यरत हैं ? क्या वर्ष 1995 से नवम्बर, 1998 तक उक्त रसायनशालाओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) वर्ष 1999-2000 में राज्य में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाना प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में कुल 3534 औषधालय/चिकित्सालय स्वीकृत/ कार्यरत हैं। इनमें आयुर्वेद चिकित्सक के 215 पद, नर्स-कम्पाउण्डर के 208 पद, कनिष्ठ लिपिक का एक पद तथा परिचारक के 80 पद वर्तमान में रिक्त चले आ रहे हैं। रिक्त पदों को औषधालयवार व पदवार तथा अवधि जब से पद रिक्त हैं, का विवरण परिशिष्ट-क में सदन की मेज पर रख दिया गया है। रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) जी हां। रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी हां। रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) राज्य में आयुर्वेद विभागान्तर्गत 4 आयुर्वेद रसायनशालाएं अजमेर, भरतपुर, जोधपुर व उदयपुर में संचालित हैं। वर्ष 1995 से 1998 के मध्य विभागीय रसायनशालाओं के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका विवरण परिशिष्ट-'ख' में सदन की मेज पर रख दिया गया है। दो प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही कर दण्ड दिया जा चुका है तथा शेष 4 प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है।

(5) वर्ष 1999-2000 में, राज्य में नए औषधालय खोले जाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सिंचित क्षेत्र विकास का भवन निर्माण प्रकरण

26. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या मुख्य (सिंचित क्षेत्र विकास) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग ने करीब 15 करोड़ की राशि के भवन निर्माण संबंधी कार्य आवास विकास संस्थान को आवंटित किये हैं ?

(श्री भीमसेन चौधरी)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन निर्माण कार्य बिना निविदा आमंत्रित किये ही कराये हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां, यह सही है कि उक्त भवन निर्माण कार्य बिना निविदा आमंत्रित किये ही करवाये गये । यह उस समय प्रचलित नियमों के विपरीत नहीं है, उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार ही यह कार्य आवास विकास संस्थान को दिया गया था ।

आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर में राहत कार्यों के तहत कुआं निर्माण

27. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार डूंगरपुर आदिवासी क्षेत्र के व्यक्तिगत, सार्वजनिक एवं जीवन धारा के तहत निर्मित कुओं पर अकाल राहत कार्यों द्वारा कार्य प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार पूर्व की भांति व्यक्तिगत कुओं पर ब्लास्टिंग करने हेतु अनुदान देने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो सरकार उक्त क्षेत्रों में कुओं पर कितने ब्लास्टिंग होल करवाऐगी ?

उत्तर

(1) जी हां । जिला कलक्टर डूंगरपुर द्वारा ऐसे कार्यों बाबत सूचना चाही गई है जो प्राप्त होने पर स्वीकृति जारी की जावेगी । सहायता कार्यों के तहत विधवाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के निजी कुओं को गहरा कराने की स्वीकृति जारी की जा सकेगी ।

(2) जी नहीं । सहायता विभाग द्वारा पूर्व के वर्षों में व्यक्तिगत कुओं पर ब्लास्टिंग करने हेतु अनुदान नहीं दिया गया ।

राज्य की स्वीकृत सिंचाई परियोजनाएं

28. श्री किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि पंचवर्षीय योजना के दो वर्ष निकल जाने के बाद भी उक्त किसी सिंचाई योजना का कार्य आरंभ

(श्री किरोड़ी लाल)

नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार प्रदेश की सिंचाई क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से उक्त योजनाओं का कार्य आरंभ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस–किस योजना का कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर में चम्बल नदी पर बनने वाली इंदिरा बलोत्थान योजना भी लम्बित है ? यदि हां, तो किन-किन कारणों से ?

उत्तर

(1) जी हां। नवीं पंचवर्षीय योजना में अब तक तीन मध्यम सिंचाई परियोजनाएं सिरोही जिले में सूकली, जालोर जिले में बान्डी सेन्दरा और बूंदी जिले में गरड़दा स्वीकृत की गई है। वृहद परियोजना कोई स्वीकृत नहीं की गई है।

(2) जी नहीं। सूकली एवं बान्डी सेन्दरा परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति 18-6-98 को जारी करने के उपरान्त इन परियोजनाओं से संबंधित प्रारम्भिक मुद्दे जैसे प्रभावित भूमि की अवाप्ति, भावी विस्थापितों की योजना तथा तकनीकी मापदण्डों को अन्तिम रूप देने की कार्यवाही प्रगति पर है। इसी प्रकार गरड़दा परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 4-1-99 को जारी की गयी है एवम् आगामी कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ की जा रही है।

(3) जी हां। सूकली एवं बान्डी सेन्दरा परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1999-2000 में तथा गरड़दा परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2000-2001 में प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(4) जी हां। परियोजना के जल विज्ञान के मापदण्डों के आधार पर जल उपलब्धता केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकार की जा चुकी है तदनुसार इस परियोजना का प्रारूप लगभग 6 माह में अन्तिम स्वीकृति हेतु आयोग को प्रस्तुत किया जायेगा। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्रामों हेतु पेयजल व्यवस्था

29. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दूदू में पीने योग्य पानी नहीं होने के कारण पेयजल की भयंकर समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु कोई योजना बनाई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र दूदू के कितने ऐसे ग्राम हैं जिनको सरकारी नीति के अनु-

(श्री बाबूलाल नागर)

सार पेयजल योजना से नहीं जोड़ा गया है? क्या सरकार उक्त ग्रामों हेतु अविलम्ब पेयजल योजना बनाकर जनता को लाभान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार की घोषित नीति के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प लगाये जायेंगे ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र दूदू में ऐसे कितने विद्यालय हैं, जिनमें हैण्डपम्प नहीं लगाये गये हैं।

(4) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। दूदू विधान सभा क्षेत्र के समस्त 210 ग्रामों को विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। इनमें से 71 ग्रामों में विभागीय निर्धारित मापदण्ड से अधिक फ्लोराईड होने के कारण अन्य स्रोतों को चिन्हित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। उनकी राय के अनुसार योजना बनाई जाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना संभव होगा।

(2) दूदू विधान सभा क्षेत्र के समस्त 210 ग्रामों को विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया हुआ है।

(3) जी हां, दूदू विधान सभा क्षेत्र में 106 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में हैण्डपम्प नहीं लगे हुए हैं।

(4) जी हां। 55 स्थानों पर विभागीय नोर्म्स के अनुसार हैण्डपम्प लगाना फिजीबल नहीं है। शेष 51 विद्यालयों पर हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृति का कार्य प्रगति पर है। हैण्डपम्प स्वीकृत होने एवं धन उपलब्धतानुसार हैण्डपम्प लगाना सम्भव होगा।

राज्य में कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति

30. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किसानों को कृषि कार्य हेतु निर्बाध कितने समय बिजली दी जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में टू फेस बिजली सप्लाई की जा रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बिजली सप्लाई के दोहरे मानदण्ड हैं ? यदि हां, तो क्यों और इस भिन्नता को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि किसानों से नर्सरी योजना के नाम पर अधिक राशि वसूल कर कनेक्शन दिये जाने को सरकार उचित मानती है? यदि हां, तो किस आधार पर ? क्या सरकार पूर्व में ली गई पोल

(श्री अमराराम)

एवं हार्स पावर चार्ज के नाम की राशि को वापिस लौटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार, जिन किसानों ने कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन कर रखा है, उन्हें प्रथम प्राथमिकता पर कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब से शुरू की जायेगी और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु वर्तमान में प्रतिदिन आठ घंटे ब्लाक्स में विद्युत आपूर्ति की जाती है।

(2) जी हां। ग्रामीण क्षेत्र में रोशनी के लिये टू फेस में भी विद्युत आपूर्ति की जाती है।

(3) जी हां। राज्य में विद्युत की उपलब्धि मांग की तुलना में 20 से 25 प्रतिशत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में विद्युत की मांग अधिक व आवश्यकता की प्रकृति में भिन्नता होने के कारण, विद्युत उपलब्धि व मांग में सामन्जस्य बनाए रखने हेतु अलग अलग मापदण्डों से विद्युत आपूर्ति की जाती है। विद्युत की कमी को देखते हुए वर्तमान में यह भिन्नता समाप्त किया जाना सम्भव नहीं है।

(4) नर्सरी योजना, एक स्वैच्छिक योजना थी, जिसमें प्राथमिकता को लांघ कर कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान था। वर्तमान में उक्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 28-12-98 से आवेदन पत्र स्वीकार करना बन्द कर दिया गया है। हार्स पावर चार्जेज की राशि बिलों में समायोजित कर वापिस की जा रही है। पोल चार्जेज वापिस करने का प्रावधान नहीं है क्योंकि इसकी अनुमानित लागत 12000/-रु. प्रति पोल होने के बावजूद उपभोक्ता से 9000/-रु. प्रति पोल ही लिये जा रहे हैं जिसके लिए आवेदक द्वारा स्वीकृति दी गई है।

(5) जी हां। किसानों को प्राथमिकता के अनुसार कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था है।

ग्राम पंचायत खोरी (अजमेर) हेतु सड़क निर्माण

31. श्री रमजान खान (पुष्कर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की योजना अनुसार हर ग्राम पंचायत मुख्यालय को पक्की सड़क से जोड़ा जाना है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पीसांगन की ग्राम पंचायत खोरी अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु कृषि उपजमंडी समिति अजमेर

(श्री रमजान खान)

ने तकमीना बनाकर स्वीकृति हेतु जयपुर मार्केटिंग बोर्ड को भेजा है ? यदि हां, तो कब, और कितनी राशि का ?

(4) मार्केटिंग बोर्ड जयपुर में तकमीना लंबित रहने के क्या कारण हैं, और अब इसे कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा मण्डी विकास निधि के उपयोग के लिए निर्धारित नीति के अनुसार वर्ष 1971 की गणनानुसार 1000 की आबादी वाले गांवों को जोड़ने वाली मास्टर प्लान की सड़कों के बाद पंचायत मुख्यालय की सड़कों को प्रथम वरीयता दी गयी है।

(2) जी हां। पूर्व में स्वीकृत नहीं होने के कारण सड़क निर्माण नहीं किया गया था। अब उक्त सड़क दि. 11-6-98 को स्वीकृत कर दी गयी है।

(3) जी नहीं। ग्राम पंचायत मुख्यालय खोरी को डामर सड़क से जोड़ने के लिए कृ. उ. म. समिति, अजमेर द्वारा कोई तकमीना विपणन बोर्ड को नहीं भेजा गया बल्कि अधिशाषी अभियन्ता, कृषि विपणन बोर्ड, अजमेर द्वारा इस सड़क का तकमीना दि. 23-7-98 को भेजा गया था। यह तकमीना रु. 53.52 लाख की राशि का था।

(4) इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दि. 14-7-98 को जारी की गई जिस पर विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् तकमीना 23-7-98 को बोर्ड कार्यालय में प्राप्त हुआ। जिसे दि. 31-7-98 को स्वीकृत कर दिया गया इससे स्पष्ट होता है कि विपणन बोर्ड में तकमीना केवल मात्र 8 दिन लंबित रहा है। वर्तमान में सड़क का कार्य प्रगति पर है।

राज्य में हेपे टाईटिस "बी" के रोगियों का निःशुल्क उपचार

32. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : क्या मुख्य (चिकित्सा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत पांच वर्षों में हेपेटाईटिस "बी" रोग के कारण किस-किस जिले में कितने-कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त रोग की रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) उक्त रोग के टीके निःशुल्क उपलब्ध करवाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जिलेवार विवरण संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा रोग के रोकथाम हेतु सिरींज व सुईयों के पूर्ण रूप से निःसंक्रमित कर उपयोग में लेने की व्यवस्था

(स्वास्थ्य (चिकित्सा) मंत्री)

की गई है एवं रक्त की हेपेटाईटिस "बी" के जांच व उसके संक्रमित न होने पर उपयोग में लिया जाता है।

प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यमों से चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को एवं जन साधारण को स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है जिसके अन्तर्गत सुरक्षित सुई उपयोग, सुरक्षित यौन संबंध व सुरक्षित रक्त ही ग्रहण करने की जानकारी दी जाती है। इस रोग से संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को रोग निरोधक टीके लगाने की सलाह दी जाती है।

(3) निःशुल्क टीके उपलब्ध करवाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

1997 में गंगानगर जिले में रोग के प्रकोप के व सामान्य से अधिक मृत्यु होने के कारण रोगियों में हेपेटाइटिस "बी" की जांच प्रारम्भ की गई थी। अतएव पिछले दो वर्ष की सूचना ही उपलब्ध है, जो निम्नानुसार है।

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्ष 1997	वर्ष 1998 (दि. 26-12-98 तक)
1	2	3	4
1.	अजमेर	9	5
2.	बाड़मेर	—	2
3.	भरतपुर	1	—
4.	भीलवाड़ा	1	1
5.	बीकानेर	6	—
6.	चूरू	1	—
7.	गंगानगर	32	1

1	2	3	4
8.	हनुमानगढ़	15	2
9.	नागौर	1	2
10.	पाली	1	1
	योग	67	14

ग्राम सेवा सहकारी समितियों का चुनाव प्रकरण

33. श्री हीरा सिंह चौहान (रायपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो प्रत्येक जिले का चुनाव कन्ट्रोलर अधिकारी किसको नियुक्त किया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त चुनावों में सहकारी विभाग के अधिकारियों को चुनाव प्रणाली में सीधी दखल से दूर रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) जी हाँ। प्रत्येक जिले में पद स्थापित यूनिट के सहायक/उप रजिस्ट्रार द्वारा इस निर्वाचन प्रक्रिया को संपादित कराये जाने का प्रावधान है।

(2) उक्त सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी से कराये जाने का प्रावधान है तथा इसी के अनुरूप में चुनाव कराये जायेंगे।

पंचायत समिति उदयपुरवाटी (झुन्झुनू) की अपूर्ण पेयजल योजनाएं

34. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1997-1998 में जिला झुन्झुनू की पंचायत समिति उदयपुरवाटी क्षेत्र में कौन-कौनसी पेयजल योजनायें सांसद विधायक कोष तथा अन्य विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत की गई है ?

(2) उक्त में से कौन-कौन सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा अपूर्ण योजनाओं की पृथक्-पृथक् क्या प्रगति है ?

(3) लम्बे अर्से तक इन योजनाओं के पूर्ण नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(4) पोंख-गुढा सराय योजना के कार्य की क्या प्रगति है।

उत्तर

(1) वर्ष 1997 एवं 98 में जिला झुन्झुनू की पंचायत समिति उदयपुरवाटी के क्षेत्र में सांसद कोष, विधायक कोष व अन्य मदों में 362 हैण्डपम्पों के तथा 29 पेयजल योजना के अन्य कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई। हैण्डपम्प कार्यों की सूची परिशिष्ट "क" तथा अन्य पेयजल योजना कार्यों की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त 362 हैण्डपम्पों के कार्य में से 276 हैण्ड पम्प तथा 29 पेयजल कार्यों में से 13 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगति में हैं। पृथक-पृथक कार्यों की स्थिति परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर दर्शायी गई है।

(3) शेष रहे कार्यों के पूर्ण नहीं होने के कारण परिशिष्ट "ख" एवं "ग" में दर्शाए गए हैं।

(4) पौंख-गुढा व सराय हेतु कोई नई योजना स्वीकृत नहीं की गई है। तीनों ग्रामों की पेयजल योजना संधारण में है। ग्राम पौंख में हरिजन बस्ती हेतु सांसद कोष के अन्तर्गत रुपये 5,63 लाख की एक योजना दि. 13-10-98 को स्वीकृत हुई है जिसका कार्य प्रगति पर है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 15 की सूची)

अनुसूची 'A'

राजस्थान सरकार

वाणिज्यिक कर विभाग

क्रमांक : प. 29(6) उपा./ए.ई./बीपी/98/646 दि० 18 जून, 98

अधिसूचना

राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 की धारा 79 उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जे.एल. मोदी, अति.आयुक्त (प्रतिकरापवंचन) वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान जयपुर यह समाधान हो जाने पर कि इस आदेश की संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 में अंकित जांच चौकी राजस्व जिला सीकर और झुन्झुनू स्थापित करना प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है अतः अनुसूची के स्तंभ 4 में अंकित ठेकेदार को अधिसूचित वस्तु पत्थर व बजरी पर दिनांक 20-6-98 से 30-6-99 तक की अवधि के लिए कर संग्रहण करने हेतु अनुसूची में अंकित ठेका राशि के लिये ठेके पर जांच चौकी स्थापित करने के निर्देश देता हूं। अनुसूची में अंकित ठेकेदार विक्रय कर अधिनियम की धारा 79 व इसके अनुक्रम में प्रचलित नियम तथा सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट समस्त शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे।

अनुसूची

क्रमांक	नाम स्थान जांच चोकी	खनिज वस्तु का नाम	नाम ठेकेदार	राशि लाखों में
1	2	3	4	5
1.	राजस्व जिला सीकर तह. नीमकाथाना-गुहाला, कोटड़ी, सिरोहीनदी एवं कांवट तह.दातारामगढ़ गांव रानोली, गोरिया, गोवटी, लढ़ाना, सुरेरामंढ़ा तह. लक्ष्मणगढ़, ग्राम लक्ष्मणगढ़ तह. सीकर ग्राम देवीपुरा, सांवली,	बजरी, व चुनाई पत्थर	श्री किशनसिंह पुत्र श्री शैतानसिंह मु.पो. पुरणपुरा वाया लोशल (सीकर)	2,47,01,157/– (दो करोड़ सेतालीस लाख एक हजार एक सौ सतावन मात्र)

1	2	3	4	5
2.	पिपराली, रेल्वे स्टेशन सीकर राजस्व जिला झुन्झुनू दादिया एवं थूड़ी, मैरुघाट (उदयपुरवाटी) मैंतावता एवं मणकसास ।			

ह.
(जे.एल.मोदी)
अति.प्रायुक्त (प्रतिकरापवंचन),
वाणिज्यिक कर विभाग,
राजस्थान जयपुर।

राजस्थान सरकार

वाणिज्यिक कर विभाग

क्रमांक : प. 29 (6) उ.पा./ए.ई./सीपी/98/804 दिनांक: 30 जून, 98

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 की धारा 79 उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जे.एल. मोदी, अति.आयुक्त (प्रतिकरापवंचन), वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर यह समाधान हो जाने पर कि इस आदेश की संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 3 में अंकित स्थान पर उक्त अधिनियम की धारा 79 (1) के अधीन पूर्व अधिसूचना क्रमांक प.29 (6) उपा/ए.ई./सीपी/646 दिनांक 18-6-98 में दिया गया ठेका यथावत रहेगा। परन्तु अधिसूची के क्रम सं. 3 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

अनुसूची

क्रमांक	नाम क्षेत्र	नाम स्थान जांच चौकी	खनिज वस्तु का नाम	नाम ठेकेदार	राशि
1	2	3	4	5	6
1.	समस्त राजस्व जिला सीकर	(A) नीम का थाना तह. में गुहाला, कोटड़ी, सिरोही नदी, एवं (B) कांवट तह. में दाता-रामगढ़ गांव रानोली, गोरिया, गोवटीलढ़ाना, सुरेरामढ़ा (C) तह. लक्ष्मणगढ़ में ग्राम लक्ष्मणगढ़ (D) तह. सीकर में ग्राम	बजरी व चुनाई पत्थर	श्री किशनसिंह पुत्र श्रीशैतान सिंह पो. पुरणपुरा वाया लोशल, (सीकर)	रु. 2,47,01,157/- (रु. दो करोड़ संतालीस लाख एक हजार एक सो सतावन मात्र)

1	2	3	4	5	6
		देवीपुरा सांवली, दादिया पिपराली; रेल्वेस्टेशन, सीकर; थूडी			
2.	समस्त राजस्व जिला झुन्झुनू	मैंरूघाट (उदयपुरवाटी) मैसावता एवं माणकसास ।			

ह.
(जे.एल.मोदी)
अति. आयुक्त (प्रतिकरापवंचन),
वाणिज्यिक कर विभाग,
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 19 की सूचना)

परिशिष्ट–'अ'

क.सं.	शहर	अपूर्ण योजनाओं की संख्या		योग
		हुडको	अन्य वित्तीय संस्थाएं	
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	1	1	2
2.	अलवर	1	—	1
3.	आबू रोड	2	—	2
4.	बांसवाड़ा	1	—	1
5.	ब्यावर	3	—	3
6.	भिवाड़ी	3	—	3
7.	भरतपुर	2	—	2

1	2	3	4	5
8.	भीलवाड़ा	2	—	2
9.	बूंदी	2	—	2
10.	चूरू	2	—	2
11.	चित्तौड़	3	—	3
12.	दौसा	2	—	2
13.	धौलपुर	1	—	1
14.	डूंगरपुर	2	—	2
15.	हनुमानगढ़	4	—	4
16.	जयपुर (मानसरोवर)	10	1	11
17.	जोधपुर	21	4	25
18.	जयपुर (सांगानेर)	31	3	34
19.	झुन्झुनूं	2	—	2
20.	कोटा	5	4	9

1	2	3	4	5
21.	किशनगढ़	—	1	1
22.	नागौर	2	—	2
23.	पाली	2	—	2
24.	राजसमंद	1	1	2
25.	सिरोही	2	—	2
26.	सूरतगढ़	1	—	1
27.	उदयपुर	4	—	4
	योग	112	15	127

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 25 की प्रति)

परिशिष्ट"क"

Abstract copy of 275th finance committee meeting held on 30-7-97 minutes circulated vide No.F3(62)/FC/RWSSMB/97/4108-162, dt. 6-8-97

Item No. 5–Installation of Hand pumps

The demand for installation of hand pumps is regularly received from public representatives. So far approximately 1.45 lac hand pumps in Rural areas and about 20,000 hand pumps in Urban areas have been installed, out of which approximately 14,000 hand pumps have been reported to be abandoned due to various reasons such as lowering of water table, or irrepairable major defects. The existing norms for installation of hand pumps are one Hp for 250, population in general and one Hp for 150 population in tribal areas. In addition to norms, the hand pump are also required to be installed in dhanies and majras (wherever feasible) near primary schools, SC/ST basties, public places such as Bus stand, Hospitals, Cremation grounds etc. In order to have public participation in installation of New hand pumps (including installation of hand pumps in replacement of abandoned hand pumps), it is felt necessary that wherever the demand of hand pump beyond the set norms of the department received, a public contribution of Rs. 5000/– per H.p. obtained from Gram panchayat/Municipal committee/installation of H.P. in replacement to abondoned hand pumps Rs. 10,000/–per H.P. be obtained for installation of new H.P. new mohallas/localities etc. This should be first got approved from ppc before being circulated for approval.

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 28 की प्रति)

परिशिष्ट "क"

सत्य प्रतिलिपि अभियोग संख्या 53/98 धारा 498ए, 304बी, भा.द.स. थाना जसवन्तगढ़, जिला नागौर

सेवा में श्रीमान् थानेदार साहब महोदय पुलिस थाना जसवन्तगढ़ परिवादनी सन्तोष देवी बेवा रामूनाथ जाति नाथ निवासी दयालपुरा तहसील डीडवाना अभियुक्तगण(1) उगमनाथ पुत्र भूरानाथ जाति नाथ निवासी रोडू तहसील लाडनूं (2) गोदावरी देवी पत्नी भूरानाथ जाति नाथ निवासी रोडू तहसील लाडनूं (3) प्रकाशनाथ पुत्र बनवारीनाथ जाति नाथ निवासी गुंगारा तहसील सीकर मान्यवर परिवादनी निम्न प्रकार निवेदन करती है कि मेरी पुत्री विमला की शादी ग्राम दयालपुरा में आज करीब 11 व 12 वर्ष पहले अभियुक्त उगमानाथ के साथ हुई थी शादी के बाद जाति रिवाज के अनुसार आज से 5 साल पहले उक्त विमला का गोना यानी मुकलावा हुआ था और विमला अपने ससुराल गांव रोडू आने जाने लगी विमला के पिता रामूनाथ का देहान्त विमला की शादी से पहले हो गया था। पीछे 5 वर्षों मे दहेज के लिये अभियुक्तगण समय समय उलाहवना देते रहते थे। अभियुक्त(3) जो अभियुक्त न.1 का बहनोई है वो भी अन्य अभियुक्तों का इसमें सहयोग करता था अभियुक्त न. 1 व 2 उक्त विमला पर बराबर दबाव डालते कि वह अपने पिहर से रुपया लावे जबकि विमला कहती थी मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है और मेरा भाई छोटा है और मेरे पीहरवालों के पास रुपया नहीं है। सो रुपया कहां से लावें विमला की इस प्रकार की इन्कारी से उसकी पिटाई होती, अभियुक्त संख्या 3 जब भी रोडू आता दहेज की बात होती अभियुक्तगण मिल कर उसकी पिटाई करते सारी घटनाओं की जानकारी मेरी उक्त बेटी विमला मुझे देती और रो कर बताती मैं, लाचारीवश उससे सांत्वना देती उसे दिलाशा देती कि मैं तुम्हारे ससुराल वालों को समझाऊंगी मैंने तो अपने जवांई अभियुक्त संख्या 1 से बात भी करी और समझाने की कोशिश भी की और अपनी गरीबी की हालात बताती पर अभियुक्तों ने मेरी बात की कोई परवाह न की विमला की सास अभियुक्त न.2 विमला को तंग करती रहती रक्षाबन्धन के दिन अभियुक्त न. 1 वह विमला ग्राम दयालपुरा आये और उसी दिन शाम 6 बजे की बस में रोडू

जाने के लिये रवाना हुये तो विमला रोने लगी कि मां तुम मुझे मत भेज इस बार जिन्दा नहीं छोड़ेंगे जिस पर उक्त अभियुक्त न.1 उगमनाथ ने गुस्से में आकर मेरे सामने ही विमला को मारने की धमकी दी तथा गाली गलोच करने लगा, लेकिन मैंने समझा बुझा कर उसके साथ विदा कर दिया और विमला उगमनाथ के साथ चली गई, फिर दूसरे दिन यानी दिनांक 9-8-98 को उगमनाथ उसका बहनोई यानी अभियुक्त न. 1 व 3 दयालपुरा आये और मुझे कहा की विमला रात्रि में ही घर से गायब है जिस पर विमला का छोटा भाई अभियुक्त न. 1 व 3 के साथ रोडू आया मैंने ये बात अपने पड़ौसियों से कहा कि वह लोग मुकेश को यानी उसके भाई विमला के भाई को साथ ले गया है तब मेरा जेठ तथा कई गांव वाले दयालपुरा से रोडू आये और वहां पर विमला की खोजबिन की तब उसकी चप्पल कुएं में मिली उसकी पहचान विमला की सास तथा ननद से करवाई तो उन्होंने कहा कि ये चप्पल विमला की ही है जिस पर गांव वालों की मदद से कुएं में खोजबिन करवाई उसी कुएं में विमला की लाश मिल गई विमला के ससुराल वाले लालची सुभाव वाले है उनकी अनुचित मांगों को मेरे द्वारा पूर्ति नहीं करने पर विमला को उन्होंने मारपीट की गई व परेशान किया गया जिससे विमला तंग होकर मर गई आपसे निवेदन करती हूं कि कानूनी कार्यवाही करवाये ता. 13-8-98 अंगूठा निशानी सन्तोष देवी।

पुलिस थाना जसवन्तगढ

दिनांक 13-8-98 वक्त 2.15 पी एम.

यह लिखित रिपोर्ट मुस्मात सन्तोष देवी पत्नी स्व.श्री रामूनाथ जाति नाथ उम्र 40 वर्ष निवासी दयालपुरा तहसील डीडवाना ने मय अपने जेठ भोमानाथ पुत्र गुदड़नाथ व पुत्र श्री मुकेश कुमार निवासीगण दयालपुरा ने उपस्थित थाना होकर पेश की मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 498ए, 304बी, भा0द0स0 का सर्जद होना पाया जाता हैं। अतः अ0स0 53/98 तारीख इमरोजा जुर्म मजकुरे बाला में दर्ज किया गया प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार जारी की गई। एक प्रति एफ.आई. आर प्रार्थीनी को निशुल्क दी गई मूल मिसल अग्रिम तफतीश हेतु श्रीमान् सी.ओ.साहब डीडवाना की सेवा में प्रस्तुत की जायेगी। एस.आर. जारी की गई।

परिशिष्ट--8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 30 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र धोद में स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त पदों का विवरण
मय रिक्त होने की अवधि सहित

क्र.सं	संस्थान का नाम जहां पद रिक्त हैं	पद नाम एवं संख्या	कब से रिक्त है
1.	पी.पी.सेन्टर-लोसल	प.क. कार्यकर्ता-1	6/92
2.	मा.शि.क.केन्द्र-लोसल	चिकित्सा अधि.-1	4/98
		महिला स्वा.कार्यकर्ता-1	11/97
3.	प्रा.स्वा.केन्द्र, दूजोद	लैबटैक्नीशियन-1	12/96
4.	प्रा.स्वा.केन्द्र, खूड	—,,— -1	2/96
5.	उप केन्द्र-सेसम	म.स्वा.कार्य.-1 (प्रसाविका)	7/98
6.	उप केन्द्र, सामी	–यथा– 1	7/97
7.	उपकेन्द्र, करणपुरा	–यथा– 1	5/98
8.	उपकेन्द्र, भैरूपुराजागीर	–यथा– 1	7/97

विधान सभा क्षेत्र धोद में निम्नानुसार चिकित्सा सुविधाएं विभिन्न संस्थानों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है :—

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान	उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
1	2	3
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोसल	आउटडोर सुविधा, इन्डोर, आपरेशन लेबोरेटरी एवं ई.सी.जी की सुविधा।
2.	पी.पी.सेन्टर, लोसल	प्रसूति सुविधा, टीकाकरण, प.क. सुविधा आदि।
3.	मा.शि.क.केन्द्र, लोसल	टीकाकरण, प्रसूति सुविधा आदि
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–10	
1.	फतेहपुरा	समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आउटडोर, इन्डोर, लेबोरेटरी, एवं राष्ट्रीय प. क., मलेरिया नियंत्रण, टीकाकरण आदि कार्यक्रमों की सुविधाएं उपलब्ध है। सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत प्रा.स्वा. फतेहपुरा में वाहन सुविधा भी उपलब्ध है।
2.	धोद	
3.	नागवा	
4.	भागलवा	
5.	रसीदपुरा	
6.	झींगर छोटी	
7.	किरडोली	
8.	दूजोद	
9.	काशी का बास	
10.	खूड	
	उच्चीकृत उप केन्द्र (एडपोस्ट) 9	
1.	सरवड़ी 2. नेतडवास	उच्चीकृत उपकेन्द्रों पर मैल नर्स श्रेणी-प्रथम/द्वितीय तथा ए. एन. एम.
3.	भूवाला 4. कासली	

1	2			3
5.	मोरडूंगा	6.	बिडोली	आदि के द्वारा प्राथमिक उपचार, प्रसूति पूर्व सुविधा, प्रसूति सुविधा प्रसूति पश्चात सुविधा, टीकाकरण आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।
7.	खाकोली	8.	मगरासी	
9.	परडोलीबड़ी			
	उप केन्द्र			
1.	शाहपुरा	2.	पलथाना	उपकेन्द्रों पर नियुक्त मा.स्वा. कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) द्वारा प्राथमिक उपचार, ए.एन.सी. डिलीवरी, ए.एन.सी. टीकाकरण आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
3.	सिहोटबड़ी	4.	पालवास	
5.	सुजानपुरा	6.	माण्डोता	
7.	सिगरावट	8.	सांवलोदा धायलान	
9.	पुरा छोटी	10.	सबलपुरा	
11.	सेवद छोटी	12.	भीखनवासी	
13.	पुरा बड़ी	14.	मनोखू	
15.	बिजयासी	16.	मान्डोली	
17.	खुर्दी	18.	कंवरपुरा	
19.	मोलासी	20.	मुण्डवाड़ा	
21.	श्यामपुरा	22.	भैरूपुरा	
23.	लोसलछोटी	24.	रामपुरा	
25.	मुकन्दपुरा	26.	सांवलोदा पुरोहितान	
27.	सांवलोदा लाडखानी	28.	दुगोली	
29.	बढाढ़र	30.	बाडलवास	
31.	गोठड़ा तगालान	32.	तासर छोटी	
33.	गणेशपुरा	34.	मूखरों का बास	
35.	बल्लूपुरा	36.	पूर्णपुरा	
37.	सिहोट छोटी	38.	भैलासी	
39.	फकीरपुरा	40.	रेवासी	

1	2		3
41.	मानीपुरा	42. बोसाना	
43.	भैरूपुरा जागीर	44. भीराणा	
45.	करणपुरा	46. सेसम	
47.	चिडासरा	48. भीमा	
49.	सामी	50. सागलिया	
51.	भनकाबास	52. गुमानपुरा	
53.	बानूडा	54. बाजोर	
55.	हर्ष	56. देवगढ़	

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 32 का विवरण)

तहसील–नावोंती

(मात्रा:–कैरोसीन-के.एल., चीनी-क्विंटल, गेहूं-मै. टन में)

क्र.सं.	नाम माह	वर्ष 1995			वर्ष 1996			वर्ष 1997			वर्ष 1998		
		कैरोसीन	चीनी	गेहूं	कैरोसीन	चीनी	गेहूं	कैरोसीन	चीनी	गेहूं	कैरोसीन	चीनी	गेहूं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	जनवरी	46	150	207	48	406	—	72	335	1310	72	442	87
2.	फरवरी	36	240	99	48	316	810	72	367	1820	96	438	—
3.	मार्च	36	295	54	60	282	90	72	392	1685	84	435	73.5
4.	अप्रेल	24	278	—	48	291	—	72	412	490	96	435	—
5.	मई	24	291	—	48	334	—	72	426	1220	108	455	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	जून	36	262	—	60	283	—	72	419	—	108	469	—
7.	जुलाई	36	260	—	60	303	—	102	308	372	108	377	90
8.	अगस्त	36	393	—	60	327	—	72	417	123	108	442	—
9.	सितम्बर	48	—	—	96	—	450	84	481	38.9	96	448	99
10.	अक्टूबर	36	—	—	84	647	—	72	445	—	96	433	—
11.	नवम्बर	46	—	—	84	612	1080	96	455	41.6	96	393	73
12.	दिसम्बर	75	—	—	60	256	1000	72	463	—	108	352	—

तहसील–टोडाभीम

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	जनवरी	84	567	....	96	852	....	96	683	122	120	778	93
2.	फरवरी	96	466	....	96	791	....	84	517	100	156	807	93
3.	मार्च	72	549	....	108	692	....	96	....	87	156	788	21
4.	अप्रेल	96	600	....	108	579	....	108	789	....	180	822	21
5.	मई	120	586	....	96	610	....	108	809	112	168	767	66
6.	जून	96	631	....	96	851	....	120	670	....	192	848	66
7.	जुलाई	96	828	....	156	752	....	132	777	....	204	715	84
8.	अगस्त	72	674	....	156	746	....	108	760	....	180	798	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	सितम्बर	108	282	....	121	....	....	132	860	....	168	847	50
10.	अक्टूबर	96	....	....	120	1108	....	132	982	....	180	702	50
11.	नवम्बर	120	....	....	96	931	100	132	845	45	180	683	....
12.	दिसम्बर	120	....	....	84	780	50	144	768	45	180	....	....

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 36 की प्रति)

परिशिष्ट-"घ"

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

No.RSEB/011-2/D.138/LP Jaipur, Dt. : 31-3-1964

From :

The Secretary,
Rajasthan State Electricity Borad,
Jaipur.

To :

Additional Chief Engineer (NW),
Rajasthan State Electricity Board,
Jaipur.

Sub : Form of undertaking to be obtained from a prospective consumer for granting connection to a premises to which he is a tenant or legal occupier.

With reference to your letter No ACE/NW/F. 34 (C) BKN/63 Gr.9/16/610 dated 22nd August, 1963, I am directed to send herewith prescribed standard form of Indemnity Bond to enable Unit officers to obtain such undertaking, duly safeguarding Board's interests, while allowing connections to the premises to which the prospective consumer is a tenant or legal occupier. It is further requested that the copies of the enclosed standard form of Indemnity Bond may please be sent to all Unit officers for their guidance,

Encl : One.

Sd/-
(H.K. Behar)
Dy. Secretary (Tech.)

STAMP PAPER WORTH Rs. 15/-

STANDARD FORM OF INDEMNITY BOND

Whereas I ....S/o ....Age .... rediding at.."....HAVING APELIED FOR connection to..................................in my house situated at .... whereas the Rajasthan State Electricity Board has demanded consent of my land lord/co-shares in the house in which the connection is applied by me. Whereas, I am unable to produce consent by land Jord/co sharer.

Whereas the "Board has desired that I should give undertaking to the Board to the effect that in case of any dispute in courts of law between me and the land lord/co-sharer, regarding the giving of connection, the Board shall not be involved, and if involved, I shall indemnify the Board for losses and expenses which the Board might incurring the cases.

Now therefore, this indetur witnesses as under :—

In consideration of the Board giving me the connection in the said house without furnishing the consent of the land. lord/co-sharer, I underetake to indemnify the Board against all losses, damages and expenses, which it might incur duties being involved in litigation arising out my getting the connection in the said house without the aforesaid cases.

I have paid the stamp duty chargeable on this Indemnity Bond.

EXECUTOR

Witness :

1.

2.

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

क्रमांक/ राराविमं/अमुअ(ग्रावि.-नि)/4/प्रे.780　　जयपुर, दिनांक 4-7-96

आदेश

पूर्ण कालिक सदस्यों की 27-5-96 की मीटिंग में विधान सभा प्रश्नों से सम्बन्धित चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि पूर्व के आदेश संख्या राराविमं/सदस्य (प्र.एवं वि.)/प्रे. 90 दिनांक 29 जनवरी, 1991 में संशोधन करते हुए, कृषि कनेक्शन देने से पहले कुए का मालिकाना हक (ओनर शिप) प्रार्थी का है, इस सम्बन्ध में तहसीलदार से प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,

ह.

(तारा सिंह)

अति. मुख्य अभियन्ता (ग्रा.वि-नि.)

परिशिष्ट "स"

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री केदारनारायण पुत्र श्री हरसहाय जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी खेमावास तह. जमवारामगढ़ जिला जयपुर ग्राम खेमावास में कामंसीयल बिजली का 7½ हा. पा. कनक्शन लेना चाहते हैं वह भूमि मकान स्वयं की है बिजली का कनक्शन देने में किसी को किसी प्रकार की आपत्ति दिखाई नहीं देती है।

फैलीराम
सरपंच
ग्राम पंचायत, नगर

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 37 की सूची)

परिशिष्ट-अ

भरतपुर जिले के उन विद्युतीकृत गांवों की सूची जिनकी विद्युत लाइन टूटी है एवं जो विद्युतीकृत घोषित हैं

क्रम सं.	उप-खण्ड का नाम	गांव का नाम	कोड संख्या
1	2	3	4
1.	बयाना	कोट	6/7/167
2.	"	परमा	168
3.	"	बाना डांग	6/3/137

1	2	3	4
4.	बयाना	खेरी हांग	6/3/136
5.	रूपवास	चक खेड़िया कलां	6/8/128
6.	"	खेरिया जाट	129
7.	"	जेहनेरा	109
8.	"	बड़ीयानी	135
9.	"	रतना	74
10.	"	सँजोरी	57
11.	"	रनपुर	94
12.	"	सेहली	141
13.	"	बसोली	78
14.	"	पलउ	147
15.	"	सातीपुरा	82
16.	कामां	सोरी	6/3/78
17.	"	मीथपुरा	6/3/92
18.	"	मन्धी	6/2/112
19.	नगर	खेरली	6/3/29
20.	"	धरमसैली	6/2/73
21.	"	छपकई	6/1/30
22.	"	घोलण्डा	6/2/116
23.	"	निपला	113
24.	"	घोघर	122
25.	"	खेरा	121
26.	"	गजधी जिसापट्टी	119

1	2	3	4
27.	नगर	बनोरल	120
28.	,,	संगपुरी	6/3/121
29.	,,	सेंखपुर	31
30.	डीग	नगला चंना	6/4/121
31.	,,	घमरी	06
32.	,,	श्याम ढाक	78
33.	,,	मानोता	20
34.	,,	उदयपुरी	02
35.	,,	खेरिया	24
36.	,,	दीनापुर	49
37.	,,	अलीपुर	25
38.	,,	हुयातपुर	27
39.	,,	बल्देव वास	52
40.	,,	रायकी	62
41.	,,	डंगीका	61
42.	,,	बोहराकी	58
43.	,,	चकपुरा	84
44.	,,	नगला लक्ष्मी	64
45.	,,	नगला फौजदार	62
46.	,,	नगला कोकिला	13
47.	कुम्हेर	जुरहरा	6/6/85
48.	,,	रामनगर	6/6/39

परिशिष्ट "ब"

भरतपुर जिले की तहसील नगर व कामां के चालू वित्तीय वर्ष 1998–99 में ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतिकरण हेतु प्रस्तावित गांवों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	तहसील	विद्युतिकृत दिनांक
1	2	3	4	5
1.	खेरली गुमानी	6/2/25	कामां	10/98
2.	खानपुर	103	"	
3.	भावली	6/3/45	नगर	
4.	लवान	68	"	
5.	लहखाड	71	"	10/98
6.	हुतायपुर	73	"	"
7.	अकबरपुर मेव	79	"	
8.	उड़की निर्भय	152	"	"
9.	उदयपुर निहाम	64	"	
10.	ठेकरी	82	"	
11.	एहवडं भानपुर	56	"	"
12.	साहनका	69	"	
13.	जलालपुर	70	"	"

भरतपुर जिले की तहसील नगर व कांमा के चालू वित्तिय वर्ष 1998–99 में ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतिकरण हेतु प्रस्तावित गांवों की सूची।

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 40 का विवरण)

परिशिष्ट "ब"

प्रगति एवं प्रेरणा संस्थान, जयपुर।

(1)	रजिस्ट्रेशन नं. व दिनांक	पंजीयन क्रमांक 297/जयपुर/93-94 दिनांक 15-12-93
(2)	संस्थान का रजिस्ट्रार, संस्थाएं जयपुर में उपलब्ध वर्तमान पता	रवि फोटो स्टूडियो के सामने, रामनगर, सोडाला, जयपुर-19
(3)	साधारण सदस्यों की सूची	श्रीमती गीतारानी कटारा पत्नी श्री शास्त्री हरे कृष्ण कटारा श्रीमती कृष्ण कुमारी पत्नी श्री सुरेश-दत्त शर्मा श्री ओमप्रकाश पुत्र गुलाब सिंह श्री गोविन्द सिंह पुत्र महिपाल कुमारी आशा शर्मा पुत्री तुलसीराम तुलसीराम पुत्र कन्हैयालाल श्रीमती दीपा कुमारी पत्नी सीताराम श्री किशोर कुमार पारीक पुत्र नारायण जी श्री दीपक कुमार पुत्र केदार श्रीमती कमला देवी पत्नी तुलसीराम गौड़ श्री शास्त्री हरे कृष्ण कटारा पुत्र स्व.श्री रमेश चन्द्र कटारा कुमारी आशा पुत्री श्री छाजूलाल मिस्त्री

कुमारी प्रेम पति पुत्री श्री केशवदेव अग्रवाल
राकेश कुमार पुत्र केदार कुमार सिंहल
कुमारी पुष्पा पुत्री जुगल किशोर

(4) संस्थान के उद्देश्य

1. महिलाओं में जनचेतना पैदा कर उन्हें राष्ट्र की मूल धारा से जोड़ना।

2. आयुर्वेद शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, युवा प्रशिक्षण एवं चिकित्सा शोध केन्द्र स्थापित करना।

3. शिक्षण केन्द्र (विद्यालय/महाविद्यालय) के तकनीकी वर्ग शिक्षण केन्द्रों, वाचनालयों एवं पुस्तकालयों की स्थापना करना।

4. ....

5. असहाय महिलाएं, समाज शोषित महिलाओं विधवा एवं दहेज प्रताड़ित महिलाओं को सामाजिक संरक्षण प्रदान करवाना, प्रशासन से अपील कर (न्यायालय) से उचित न्याय दिलवाना एवं राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार की सहायता से अनाथ महिला कल्याण केन्द्र स्थापित करना।

6. महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास, जिसमें शैक्षणिक, स्वआर्थिक औद्योगिक, कुटीर उद्योग पुनर्स्थापना, निराश्रितों को संरक्षण एवं आवासीय समस्याएं।

7. राजस्थान की लुप्त होती कला व संस्कृति का संरक्षण कराना, विकास करना।

8. राष्ट्रीय सद्भाव एवं परस्पर विचारधारा आदान-प्रदान करने हेतु गोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन।

9. राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, पर्यावरण का प्रचार-प्रसार कर जनमानस तैयार करना।

10. रिसर्च (शोध) कर उनका प्रकाशन करना।

11. पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन कराना।

(5) कार्यक्षेत्र — संस्थान का कार्यक्षेत्र जयपुर (राजस्थान) क्षेत्र तक सीमित होगा।

परिशिष्ट--"ब"

राजस्थान तकनीकी शिक्षा अनुसंधान परीक्षण संस्थान

(1) रजिस्ट्रेशन नं. व दिनांक	पंजीयन क्रमांक 242/जय./94-95 दि. 30-8-94
(2) संस्थान का रजिस्ट्रार, संस्थाएं जयपुर में उपलब्ध वर्तमान पता	कमल स्टेशनर्स के ऊपर, रामनगर, सोडाला, जयपुर।
(3) तातारीख सदस्यों की सूची	1. शास्त्री हरेकृष्ण कटारा पु. स्व. शास्त्री श्री रमेश चन्द्र कटारा।
	2. श्रीमती गीतारानी कटारा पत्नी हरेकृष्ण कटारा
	3. श्री शम्भूदयाल लाटा
	4. श्री संजय कटारा पुत्र स्व. शास्त्री श्री रमेशचंद्र कटारा
	5. श्रीमती पुष्पा कटारा पत्नी विजयकुमार कटारा
	6. श्री रवीप्रकाश यादव पुत्र महादेवलाल यादव
	7. श्री लालाराम मीणा पुत्र श्री रामपाल मीणा

8. श्री मनीषकुमार सैनी पुत्र सीताराम सैनी

9. श्रीमती सुशिला देवी पत्नी रमेशचंद

10. श्री हनुमान सहाय मीणा पुत्र जगदीश प्रसाद मीणा

11. श्रीमती कृष्णा शर्मा पत्नी सुरेशदत्त शर्मा

12. श्री गोविन्द सिंह पुत्र महीपाल सिंह

(4) संस्थान के उद्देश्य

1. बिना भेदभाव के शिक्षा की व्यवस्था; तकनीकी, व्यावसायिक, औद्योगिक शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना।

2. संस्थान द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन राजस्थान में।

3. बेरोजगारों को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण की व्यवस्था।

4. जनसंचार एवं तकनीकी शिक्षा में छात्र एवं छात्राओं/पुरुष एवं महिलाओं को छः माह के प्रशिक्षण की व्यवस्था।

5. संस्थान परिषद द्वारा तीनों माध्यमों के विद्यालय की स्थापना कराना;

जैसे जयहिन्द विद्यालय, अंग्रेजी, हिन्दी; संस्कृत माध्यम के विद्यालयों का गठन राजस्थान के प्रत्येक गांव, नगरों और शहरों में नए विद्यालयों की स्थापना कराना।

6. उक्त संस्था द्वारा जनचेतना शिविरों के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभागिता।

7. पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन।

8. तकनीकी संस्था में कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोनिक फीटर, टर्नर, वैल्डिग, रेडियो (शिक्षा एवं टीवी मैकेनिकल; काष्ठकला, चाक बनाना, पापड़ बनाना, मोटरबाइंडिग, मोटर मैकेनिक, मोटर ड्राईविंग, फोटोग्राफी, क्ले-मूर्ति, सीट्र गेटल, वायरमैन, ब्यूटी पार्लर, सिलाई-बुनाई के प्रशिक्षण की पूर्ण व्यवस्था।

9. संगीत व्यायाम; वेद, वेदांग विद्यालयों की स्थापना करना।

10. राजस्थान की लुप्त होती हुई संस्कृति एवं कलाओं को जीवित रखना।

11. छात्रावास विद्यालयों की स्थापना करना और जनमानव को राष्ट्र की मूल धारा में जोड़ना।

(5) संस्थान का कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक समिति होगा।

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 41 का विवरण)

परिशिष्ट–I

STATEMENT EXPENDITURE FROM CALAMITY RELIEF FUND

	Heads 2245 Relief on Account of Natural Calamity	1995-96	1996-97	1997-98	Total
	1	2	3	4	5
01/101/(i)	Cash doles	—	585.636	—	585.636
(v)	Supply of mediciens	—	6,506.291	—	6,506.291
(viii)	Other Subsidy	—	11.090	—	11.090
01/102/(i)	Water transportation	—	5,603.582	1,278.055	6,881.637
(ii)	Expenditure of Water Drawing from Wells (piwai)	—	—	—	—
(iii)	Reconstruction and deeping of wells	—	—	—	—
(v)	Repair on tankers	4,487.788	2,866.049	1,229.258	8,582.995
01/104/(i)	Reciepts	—	—	—	—
(ii)	Transportation	86.260	5,510.963	69.331	5,666.554
(iii)	Cattle feeding centre	—	25,167.179	491.196	25,658.375
(iv)	Sull subsidy	—	324.804	—	324.804
105	Veterinary Care	—	4,757.301	—	4,757.301
01/282/(i)	Relief works through PHED	7,284.691	30,046.715	—	37,331.406
01/800/(ii)	Relief Through Irrigation	—	—	—	—
(viii)	Other special relief works	434,796.686	1,942,696.407	41,742.587	2,419,235.680
(xi)	Fire Assistance	—	—	4,209.982	4,209.982
(xii)	Other Assistance			3,121.205	3,121.205
01/800/II/(i)	Direction	10,169.142	11,224.650	—	21,393.792
01	Drought Total	456,824.567	2,035,300.667	52,141.514	2,544,266.748
02/101/(i)	Cash Coles	23,855.901	6,281.672	168.040	30,305.613
(ii)	Food and cloth	806.588	1,493.791	3.210	2,303.589
(iii)	Housing Reh.	138.053	368.523	3.200	509.776
(v)	Supply of mediciens	3,677.491	—	—	3,677.491
(viii)	Other Subsidy		919.128	194.000	1,113.128
105	Veterinary Care	1,659.037	—	501.698	2,160.735
106	Repair & Restoration of damaged Roads, Bridges	55,642.115	108,120.445	44,685.090	208,447.650
107	Repair & Restoration of damaged Govt. Buildings	17,451.213	12,287.332	7,081.446	36,819.991
111	Exgrecia payment to bereaved families	823.800	1,802.000	101.850	2,727.650

1		2	3	4	5
113	Assistance for repairs/restoration of houses	50,185.415	89,668.309	5,271.304	145,125.028
114	Assistance to farmers for agricultural inputs	22,288.123	1,794.022	47,473.412	71,555.561
116	Assistance to farmers for repairs of damaged tube wells. etc.	—	—	—	—
122	Repairs and restoration of damaged Irrigation and flood control works	65,666.585	80,140.336	133,964.453	279,771.374
193	Assistance to Local bodies and other Non-Goverment bodies/Institution.	39,017.000	14,830.774	117,002.700	170,850.474
282	Public Health	22,109.778	6,390.878	53,776.671	82,277.327
02/800/(iii)	Other subsidy	1,950.689	35,722.676	—	37,673.365
(iv)	Fire subsidy	6,501.101	6,287.697	—	12,788.798
02	Flood, cyclones etc. Total	311,772.889	366,107.583	410,227.077	1,088,107.549
2245	Grand Total	768,597.456	2,401,408.250	462,368.591	3,632,374.297
80/	General				
800/	Other Expenditure				
(ii)	HCM RIPA	—	—	343.494	343.494
(iii)	Direction Adminstration	—	—	11,788.048	11,788.048
(iv)	Other Assistance	—	—	5,184.000	5,184.000
Charged,	Decrtal charges	61.890	1,155.662	—	1,217.552
Total Overall		768,659.346	2,402,563.912	479,684.133	3,650,907.391
		7686.59	24025.64	4796.84	36509.07 लाख

Financial Allotments 1998-1999

(Figures in Lacs Rs.) (As On 2-1-1999)

S. No.	District Deptts	Drought: Heat Storkes	Drought: Drinking water arrangements: Non Phed: Water trans.	Drought: Drinking water arrangements: Non Phed: Tankar Repair	Drought: Drinking water arrangements: Phed	Drought: Drinking water arrangements: Total	Drought: Cattle Cons./Fodder Arrangement: Fodd. Trans.	Cattle camps	Cattle Feed Subs.	Gosh-ala	Total Cal. 9+10+11	Bull Sub.	Relief Works	Total Drought	Hall Storms	Flood: Amount Alloned to Agencys/ Deptts	Flood: Asst. to Flood Affect. Persons	Flood: Asst. to Local Body	Others Rs.	Total Flood	Fire	DIR & ADM	Grand Total Of Head 2245
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Ajmer		3.00			3.00	1.00		3.50		3.50		2258.48	2265.98	2.19		6.00		0.38	6.38	5.60	2.21	2282.36
2.	Alwar												11.44	11.44	14.00		12.00			12.00	2.50	1.09	41.03
3.	Banswara																3.00			3.00	0.50	2.09	5.59
4.	Baran																3.00			3.00	0.50	1.09	4.59
5.	Barmer		4.13	5.94		10.07	3.00						463.80	476.87			223.70			223.70	7.00	2.01	709.58
6.	Bharatpur																12.00		0.09	12.09	1.00	1.09	14.18
7.	Bhilwara	0.8					1.00						1512.40	1514.20	1.61		3.00		0.12	3.12	0.50	2.10	1521.53
8.	Bikaner		4.90	4.38		9.28	1.00						784.56	794.83			32.00			32.00	1.30	1.89	830.03
9.	Bundi																3.00			3.00	0.25	1.09	4.34
10.	Chittore		4.26			4.26	1.00						1000.00	1005.26			3.00			3.00	0.55	1.09	1009.90
11.	Churu	0.2	0.50	4.59		5.09	1.00						670.00	676.29			12.00			12.00	2.00	2.18	692.47
12.	Dausa	0.4											167.24	167.64			6.00			6.00	4.00	1.09	178.73
13.	Dholpur	2.0												2.00			6.00			6.00	6.00	1 09	15.09
14.	Dungarpur						1.00						875.00	876.00			3.00			3.00	0.25	2.31	881.56
15.	Ganganagar			0.06		0.06								0.06			9.88			9.88	0.25	2.09	12.28
16.	Hanumangarh						0.01						239.40	240.40			6.00			6.00	0.25	1.46	248.11
17.	Jaipur	1.6											92.52	93.12	57.00		24.00		3.24	27.24	8.00	2.13	187.49
18.	Jaisalmer	2.0	8.00	0.26		8.26	1.00						766.90	778.16			62.00			62.00	1.00	1.29	842.45
19.	Jalore	0.4		3.62		3.62	1.00						605.10	610.12			204.50			204.05	0.50	2.33	817.45
20.	Jhalawar	0.2											36.51	36.81			3.00			3.00	0.50	1.09	41.40
21.	Jhunjhunu																6.00			6.00	1.50	1.79	9.29
22.	Jodhpur	1.8	4 00	3.48		7.48	1.00						912.04	922.32			67.00			67.00	4.00	2.09	995.41
23.	Kota	2.0											12.44	13.44			6.00			6.00	0.25	1.09	20.78
24.	Nagaur		0.50	1.40		1.90	1.00						617.48	620.38	20.00		12.00			12.00	0.90	1.79	655.07
25.	Pali	0.2	5.00	5.92		10.92	1.00						300.00	312.12			3.00			3.00	0.55	1.64	317.31
26.	Rajsamand						1.00						509.15	510.15			3.00			3.00	0.40	1.39	514.94
27.	Sikar						1.00						250.00	251.00			3.00			3.00	0.25	1.09	255.34
28.	Sirohi						1.00						114.40	114.60			6.00		0.29	6.29	1.18	1.09	123.16
29.	S.Madhopur	0.2											57.20	57.40			6.00			6.00	0.65	1.09	65.14
30.	Karauli	0.2											354.40	355.40	5.00		6.00			6.00	1.05	1.09	368.54
31.	Tonk						1.00																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
32.	Udaipur						16.54						875.00	891.54			3.00			3.00	0.25	1.62	896.41
33.	Rc Office																		7.20	7.20		68.90	76.10
34.	PHED															530.00				530.00			530.00
35.	PWD															2030.00				2030.00			2030.00
36.	Irrigation															1555.93				1555.93			1555.93
37.	Animal Hus.															12.00				12.00			12.00
38.	D. G. Police															57.84				57.84			57.84
39.	Local Body																	494.08		494.08			494.08
40.	R.S.E.B.															625.00				625.00			625.00
	Grand Total	12.0	34.3	29.7		63.9	35.5		3.5		3.5		13841.0	13956.0	99.8	4810.8	764.1	494.1	11.3	6080.2	55.4	119.1	20310.6

परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 42 का विवरण)

सूची "अ"

वर्तमान में प्रशासनिक/मानद पदों पर विभिन्न समितियों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या व उत्तरदायित्व

1.	विभागाध्यक्ष	32
2.	मानद निदेशक	10
3.	प्राचार्य	6
4.	उप प्राचार्य	15
5.	अधिष्ठाता छात्र कल्याण	01
6.	सह.अधि.छात्र कल्याण	01
7.	चीफ वार्डन	02
8.	सहायक वार्डन	14
9.	एसो. वार्डन	01
10.	चीफ प्रोक्टर	01
11.	एसो. प्रोक्टर	05
12.	निदेशक, छात्र परामर्श केन्द्र	01
13.	निदेशक एकेडेमिक स्टाफ कालेज	01
14.	निदेशक, साउथ एशिया स्टडीज सेन्टर	01
15.	निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा	01
16.	समन्वयक, कालेज विकास परिषद	01
17.	समन्वयक, एन.एस.एस.	01
18.	इंचार्ज, उद्यान विभाग	01
19.	राजस्थान विश्वविद्यालय सिण्डीकेट द्वारा नियुक्त समितियां	14
20.	समिति समन्वयक	14

21. समिति सदस्य   65

ये नियुक्तियां विश्वविद्यालय के विभिन्न संघटक महाविद्यालयों के प्रशासकीय व शैक्षणिक कार्यों के निस्पादन के लिए की जाती हैं।

विभिन्न समितियों के उत्तरदायित्व सम्बन्धी विवरण निम्न प्रकार से है :–

1. पुनर-पद निर्धारण समिति

यह समिति विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्गदर्शिका के अनुसार पदों का पुनःनिर्धारण करती है।

2. ग्रीवान्स कमेटी

शिक्षकों के विभिन्न शिकायतों पर विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत परीक्षण करना और कुलपति महोदय को तदनुसार संस्तुति करना।

3. कार्य-निर्धारण समिति

शिक्षकों के कार्य-भार का निर्धारण करना।

4. डेप्युटेशन लीव कमेटी

विश्वविद्यालय के शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए उनके आवेदन पत्रों की संस्तुति करने का कार्य।

5. अध्ययन अवकाश समिति

शिक्षकों एवं अन्य अशैक्षणिक कर्मचारियों को उच्च शिक्षा हेतु अवकाश स्वीकृत करने हेतु संस्तुति करने का कार्य।

6. नियुक्ति में आरक्षण समिति

आरक्षण संबंधी प्रावधानों को देखना।

7. अवकाश नियम समिति

सभी प्रकार के अवकाशों से संबंधित नियमों का संस्तुति करना।

8. तदर्थ नियुक्ति नियम समिति

सैक्सन 3(3) के अन्तर्गत शिक्षक व अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी संस्तुति तदर्थ रूप से करना।

9. तदर्थ नियुक्ति समिति

खेलकूद परिषद के नियुक्ति हेतु कुलपति जी को तदर्थ नियुक्ति हेतु संस्तुति करना।

10 राजस्थान अध्ययन केन्द्र हेतु सलाहकार समिति

यह समिति कुलपति को राजस्थानी शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु सलाह देती है।

11. नाट्य विभागीय सलाहकार समिति

वित्तीय एवं प्रशासकीय मामलों में कुलपति जी को सलाह देने का कार्य करती है।

12. डा.आई.पी जैन, इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपिस्ट के मसले का परीक्षण करने हेतु समिति

13. वरिष्ठता सूची निर्धारण समिति

विभिन्न शिक्षकों द्वारा लगाये गये आक्षेपों की जांच कर संस्तुति प्रदान करना।

14. विभागाध्यक्षों के कार्य एवं अधिकारों को परिभाषित करने हेतु समिति

विभागाध्यक्षों के कार्य एवं अधिकारियों को परिभाषित कर संस्तुति करना।

सूची-"ब"

वर्षवार व्यय का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
1.	1985-86	1.12
2.	1986-87	1.12
3.	1987-88	1.15
4.	1988-89	1.17
5.	1989-90	1.17
6.	1990-91	1.17
7.	1991-92	1.17
8.	1992-93	1.20
9.	1993-94	1.20
10.	1994-95	1.20
11.	1995-96	1.25
12.	1996-97	1.25
13.	1997-98	1.25
14.	1998-99	1.25
	योग-	16.67 लाख

"सूची-स"

विश्वविद्यालय में प्रशासनिक पदों पर कार्यरत अन्य क्षेत्रों के अधिकारियों का विवरण

वर्तमान में प्रशासनिक पदों पर अन्य क्षेत्रों के अधोलिखित अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं :-

(1) कुल सचिव

(2) वित्त अधिकारी

इसके अतिरिक्त एक विशेषाधिकारी भी पुनःनियुक्ति पर कार्यरत है।

प्रशासनिक अधिकारियों को उनके वेतन के साथ राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुरूप भुगतान किया जा रहा है तथा विशेषाधिकारी (सेवा निवृत्त) को कुल प्राप्त वेतन में से पेन्शन कम करते हुए मानदेय दिया जा रहा है।

परिशिष्ट–15

राजस्थान विधान सभा

कार्य सलाहकार समिति

प्रथम प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार; दिनांक 8 जनवरी, 19 मध्यान्ह पश्चात् 1.10 बजे मा. अध्यक्ष के चैम्बर (चैम्बर) में हुई। समिति ने 11 जनवरी, 1999 से 15 जनवरी, 1999 तक सदन में लिये जाने वाले विषय में विचार-विमर्श किया। समिति सिफारिश करती है कि सदन में लिये वाले कार्य का बटवारा निम्न प्रकार किया जाय :–

सोमवार, दिनांक 11 जनवरी, 1999 :		राज्यपाल महोदय के अ
मंगलवार, दिनांक 12जनवरी, 1999 :	प्रात:11.00	षण पर धन्यवाद प्रस्त
बुधवार, दिनांक 13 जनवरी, 1999 :	बजे	वाद-विवाद।
गुरुवार, दिनांक 14 जनवरी, 1999 :		–बैठक नहीं होगी–
शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी, 1999 :	प्रात:11.00: बजे	राज्यपाल महोदय के अ षण पर धन्यवाद प्रस्त अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं 4.00बजे सरकार की अ उत्तर।

विधान सभा भवन,
जयपुर।
दिनांक 8 जनवरी, 1999

परसराम मदेरणा
पदेन सभापति

नोट:– 1. उपरोक्त कार्य के बटवारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यकता परिवर्तन किया जा सकेगा।

2. सदन में उपस्थापित किये जाने तक इसे कृपया गोपनीय रखें।